①

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

ग्रंक 5] षष्टम् विधान सभा के पंचम सत्र का 18वां दिवस [संख्या 12

गुरुवार,
दिनांक 15 मार्च, 1979

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मण सिंह, ग्रध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव

राज्य में बिक्री कर को समाप्त करने की योजना

259. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (किशनपोल),

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं), **श्री शंकरलाल** (जैतारण) :—क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में बिक्री कर की दर ग्रन्य राज्यों की तुलना में ग्रधिक है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार का क्या विचार है ग्रौर वह समानता लाने के लिये क्या प्रयास कर रही है?

(2) क्या राज्य सरकार राज्य में बिक्री कर समाप्त करना चाहती है? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों?

(3) राज्य सरकार को प्रति वर्ष बिक्री कर से कुल कितनी राशि प्राप्त होती है? गत पांच वर्ष के ग्रांकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या मुख्य मन्त्री ने केन्द्रीय नेताग्रों से राज्य में बिक्री कर समाप्त करने के लिये कोई वार्ता की है?

वित्त मंत्री (श्री ग्रादित्येन्द्र) : (1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) प्रति वर्ष व गत पांच वर्षों की ग्राय के ग्रांकड़े निम्न हैं :—

वर्ष	(ग्राय लाखों में)
1973—74	4488.19
1974—75	5754.37
1975—76	6760.27
1976—77	8428.72
1977—78	10025.03

(4) जी हां।

श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू) : उपाध्यक्ष महोदय, 1973–74 से बिक्री कर में बराबर वृद्धि हो रही है। इस आमदनी को देखते हुए क्या सरकार इसको समाप्त करने का इरादा रखती है ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : घोषणा पत्र में जो आपने घोषणा की थी....

श्री ओंकारलाल चौहान : चुनाव घोषणा पत्र के आधार पर जब इसमें निरन्तर वृद्धि हो रही है क्या इस आधार पर सरकार बिक्री कर को समाप्त करने की योजना बना रही है ?

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय से जानना चाहते हैं कि बिक्री कर को चालू रखने के बारे में उनका क्या उत्तर होगा और क्या दलील होगी ?

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती मदन कौर।

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : उपाध्यक्ष महोदय, जब मन्त्री महोदय ने प्रश्न के भाग (2) में उत्तर दिया है, 'नहीं', तो प्रश्न के भाग (4) में 'जी हाँ' का क्या अर्थ हुआ ? जब राज्य सरकार का बिक्री कर समाप्त करने का इरादा ही नहीं है तो किस सम्बन्ध में केन्द्रीय नेताओं से वार्ता की गई ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या वायदा करके मुकर जाना स्वस्थ जनतन्त्र की परम्परा है ?

श्री मूलचन्द डागा : यह जनता पार्टी का कर्त्तव्य है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : क्या वायदा सिर्फ वायदे की नियत से ही घोषणा पत्र मे रखा था ?

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) : ऐसे सदस्यों के लिये क्या जनता पार्टी में रहना उचित है ?

श्री आदित्येन्द्र : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि 1977 में चुनाव के समय जनता पार्टी ने घोषणा की थी और बिक्री कर को समाप्त करने का निर्णय लिया था....

श्री श्योपतसिंह मकासर : वायदा किया था....

श्री आदित्येन्द्र : वायदा किया था कि यदि सरकार बनती है तो बिक्री कर को समाप्त करेंगे। इस सम्बन्ध में राज्य मन्त्रिमण्डल ने कई बार विचार-विमर्श किया है और केन्द्र सरकार से भी विचार हुआ है किन्तु अभी तक किसी भी निर्णय तक नहीं पहुंची है। यह ठीक है कि जिस प्रकार से बिक्री कर से आमदनी बढ़ रही है इसके बाद जब तक यह निश्चय नहीं कर लिया जाता है कि इसकी क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाय तब तक मैं समझता हूं कि बिक्री कर को समाप्त करने में कठिनाई है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रश्न पर पहले भी काफी चर्चा हो चुकी है। माननीय मन्त्री महोदय ने उत्तर दे दिया है।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : यह नीति का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, वायदा करके सरकार बना कर बैठ गये। अब जनता के साथ किया गया वायदा भूल गये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्योपतसिंह।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय मंत्री महोदय ने आय का ब्योरा दिया है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उजला जी बिराजें। श्री श्योपतसिंह।

श्री श्योपतसिंह मकासर : क्या वित्त मंत्री जी बिक्री कर के आल्टरनेटिव में प्रोडक्शन कर लगाना भी उचित नहीं समझते हैं ताकि चोरी कम हो और आमदनी ज्यादा बढ़े ? इसके बारे में क्या विचार है सरकार का ?

श्रीमती मदनकौर : क्या बिक्री कर को समाप्त करने की घोषणा करने से पूर्व इसके सारे पहलुओं पर विचार नहीं किया था ? कठिनाइयां और जटिलतायें अब आपको दृष्टिगोचर हो रही हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : खर्चा भी बराबर उतना ही होता जा रहा है तो क्या जो छोटी-मोटी चीजें हैं उन पर भी इसी तरह के टैक्स लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं या नहीं ?

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या वित्त मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि शराब की आमदनी को समाप्त करने के लिये ही बिक्री कर लगाया गया था ?

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया मंत्री महोदय का उत्तर आने दें।

श्री आदित्येन्द्र : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिक्री कर को समाप्त करके उसके स्थान पर उत्पादन कर लगाने के बारे में विचार हुआ है, लेकिन इस सम्बन्ध में भी सब राज्य एक मत नहीं हैं इसलिए अभी तक अन्तिम निर्णय कोई नहीं लिया जा सका है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप मिसाल कायम करेंगे ?

श्री आदित्येन्द्र : इस सम्बन्ध में जो चुनावों में वायदे किये गये थे उनसे मुकरने का प्रश्न नहीं है। आपको मालूम है कि आज से कुछ दिन पहले भूतपूर्व फाइनेन्स मिनिस्टर पटेल साहब ने भी इस प्रकार का जवाब दिया था कि इस पर विचार जरूर होगा।

श्री मूलचन्द डागा : सवाल यह है कि कौन-कौन से राज्यों ने....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागाजी।

श्री मूलचन्द डागा : .... बिक्री कर को समाप्त करने के लिए किन-किन राज्यों ने अगुवाई ली थी और किन-किन राज्यों ने मना किया था ? क्या उस समय राजस्थान सरकार ने हां कहा था या ना ?

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं....

(4)

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह केन्द्रीय सरकार का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागाजी, सभी प्रश्न विचाराधीन हैं।

श्री मूलचंद डागा : कौन कौन से राज्यों ने हां भर ली थी....

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री मूलचंद डागा : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मुझे यह मालूम करना है, उपाध्यक्ष महोदय, कि क्या अन्य राज्यों, पड़ोस वाले राज्यों में अपने यहां जो बिक्री कर है उससे कम है? क्या उसकी वजह से राजस्थान में लोग अपने उत्पादन के कारखाने नहीं लगा रहे हैं? यह बात तो स्पष्ट हो गई कि राजस्थान सरकार बिक्री कर को माफ करने नहीं जा रही है। पड़ोसी राज्यों की तुलना में समानता लाने के लिए या और कम करने के लिए, जिससे हमारे यहां प्रोडक्शन ज्यादा हो, कल-कारखाने लगाये जायें, गम्भीरतापूर्वक राज्य सरकार विचार कर रही है?

श्री रघुनाथ विश्नोई : सरकार बन्द नहीं कर रही है। अब तो आपकी दाढ़ी पर भी टैक्स लगायेंगे।

श्री आदित्येन्द्र : इस पर विचार हुआ है। यह मालूम हुआ है कि पिछले साल उत्तरी क्षेत्र के मिनिस्टर्स कौन्सिल की बैठक हुई थी उसमें इस पर विचार किया गया था तो 50 प्रतिशत राज्य तो इससे सहमत थे कि इस तरह से प्रयास किये जायं कि आस-पास के पड़ोसी राज्यों में एक ही समान वस्तु पर समान दर होनी चाहिए बिक्री कर की। उसमें कुछ ऐसे भी राज्य थे जो बिक्री कर की दरों में कोई कमी करने को तैयार नहीं थे। फिर भी इस बात का निर्णय लिया गया कि हम दुबारा मिलने पर इस पर अन्तिम निर्णय लें।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री ईश्वरचन्द्र।

इस पर अब और कोई सप्लीमेन्ट्री प्रश्न नहीं पूछे जायेंगे। माननीय सदस्य, अब इस पर ज्यादा विचार करने की इजाजत नहीं दूंगा। माननीय शिवचरणसिंह जी, आप बिराज जाइये।

श्री ईश्वरचन्द्र।

श्री शिवचरणसिंह (बयाना) : मेरा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ईश्वरचन्द्र।

श्री शिवचरणसिंह : मेरा एक सैकण्ड का क्वेश्चन है।

श्री उपाध्यक्ष : बिल्कुल नहीं। माननीय ईश्वरचन्द्र।

श्री शिवचरणसिंह : माननीय वित्त मंत्रीजी कृपया बतायें कि कृषि पर आधारित औजार हैं उन पर सैल्स टैक्स माफ

(श्री शिव चरणसिंह)
करने के लिए उनके पास कोई योजना है कि नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजिये ।

राज्य के बन्धक श्रमिकों के पुनर्वास हेतु केन्द्र से सहायता

260. **श्री ईश्वरचंद्र** (पिड़ावा) **श्री मूलचंद डागा** (पाली) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितने बन्धक श्रमिक हैं ? क्या राज्य सरकार ने बन्धुआ मजदूरों को शनाख्त करने हेतु 22 जून, 77 से अब तक कोई कार्य किया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को बन्धक मजदूरों के पुनर्वास के सम्बन्ध में सहायता दी गई थी और राज्य सरकार ने मेचिंग ग्रान्ट स्वीकार नहीं की जिसके कारण सम्पूर्ण राशि लैप्स हो गई है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है व राज्य सरकार अब इस विषय में क्यों कार्यवाही कर रही है ?

श्रम मंत्री (श्री केदारनाथ) : (1) राज्य में 6000 बन्धक श्रमिक शनाख्त किये जा चुके हैं ।

जी हां । प्रश्न नहीं उठता ।

(2) यह सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को बन्धक मजदूरों के पुनर्वास के लिए सहायता दी गई थी। यह सही नहीं है कि राज्य सरकार के मेचिंग ग्रान्ट स्वीकार नहीं करने से सम्पूर्ण राशि लैप्स हो गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री ईश्वरचंद्र : आपने राशि नहीं बताई है कि कितनी राशि केन्द्र से मिली है और कितनी आपने मिलाई है ? मैंने एक स्पेसिफिक क्वेश्चन 14 फरवरी को रखा था तो स्पेसिफिकली बतायें ।

श्री केदारनाथ : केन्द्र से 14 लाख मिले हैं और 14 लाख की राज्य सरकार ने मेचिंग ग्रान्ट दी है ।

श्री मूलचंद डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें नाम है । पहले प्रश्नकर्ता को समय दें । मेरा इसमें नाम है, आप देख लें ।

श्री उपाध्यक्ष : पूछिये ।

श्री मूलचंद डागा : क्या श्रम मंत्री जी यह बतलायेंगे कि यह जो 6000 बन्धक श्रमिक शनाख्त किये गये थे वह कांग्रेस राज्य में हो चुके हैं वही हैं ? अगर कांग्रेस वाले ही हैं तो 22 जून, 1977 के बाद का जो मैंने प्रश्न किया था उसका उत्तर नहीं दिया कि आपने कितने और बन्धक श्रमिकों को शनाख्त किया है ?

श्री रघुनंदन व्यास (जालौर) : और बन्धक रहे ही नहीं ।

श्री मूलचंद डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या गांधी पीस फाउन्डेशन या नेशनल लेबर इन्स्टी-

Page No. 6

(6)

(श्री मूलचंद डागा)
ट्यूट ने सर्वे करके यह बताया है कि राजस्थान में 67 हजार और बन्धक श्रमिक है ?

तीसरा मेरा यह प्रश्न है कि क्या आपने इस कानून के अन्तर्गत आज तक किसी आदमी का किसी व्यक्ति का शोषण और दमन करने के लिए, बन्धक रखने के लिए चालान किया है ?

चौथा मेरा प्रश्न है कि आप 28 लाख रुपया खर्च करने जा रहे हैं तो क्या यह सही है कि किशनगढ़ के अन्दर जो कोई फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं तो वहां पर न तो कोई उसके लिए रॉ मैटीरियल है और न वहां पर कच्चा माल ट्रान्सपोर्ट करने के लिए साधन हैं ? क्या कारण है कि 28 लाख रुपये का उपयोग आज तक नहीं हो पाया ?

श्री केदारनाथ : मान्यवर, यह ठीक है कि 22 जून, 1977 के बाद 6 हजार जो पहले शनाख्त किये जा चुके थे उससे ज्यादा शनाख्त नहीं किये गये हैं लेकिन यह भी सही बात है कि यह 6 हजार बन्धक भी आपकी पैदावार हैं, आपकी सरकार द्वारा पैदा किये हुए हैं।

श्री मूलचंद डागा : यह कोई उत्तर नहीं है। This is no answer.

श्री मूलचंद सामरिया (दौसा) : डागाजी, आप बीच में बोल रहे हैं। उन्हें बोलने दें।

श्री केदारनाथ : गान्धी पीस फाउन्डेशन और नेशनल लेबर इन्स्टीट्यूट, इन दोनों संस्थाओं द्वारा इनका सर्वे किया जा रहा है। इन दोनों संस्थाओं ने राजस्थान का सर्वे किया है मई 1978 में। वे एक महीना यहां राजस्थान में रहे और ट्राइबल रिसर्च इन्स्टीट्यूट से मदद ली और राजस्थान के लेबर डिपार्टमेंट से मदद ली तो 6700 और आदमी आइडेन्टिफाई किये गये हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछली सरकार जाती बार इनके केसेज को विथड्रा करने का प्रपोजल कर गई थी तो उन केसेज को दुबारा रिइन्स्टीट्यूट करने की बात की है। इसमें कोई शक नहीं है कि यह सारा काम कलेक्टर को सौंपा गया है कि किस को कैसे एडजस्ट करें, और रेवेन्यू अभियान में करीब 500 नये आदमियों को आइडेन्टिफाई करके रिलीज कराया है।

चौथी बात आपने कही कि पैसा लैप्स हो गया है। पैसा लैप्स नहीं होगा। उसको हम खर्च करने जा रहे हैं। मान्यवर, वह एक बहुद्देशीय सोसाइटी के मार्फत होगा जिसका रजिस्ट्रेशन एक दो दिन में हो जायेगा। यह सारा पैसा उसे ट्रान्सफर कर देंगे। यह सिन्थेटिक्स की मिल आर. एम. आई. डी. सी के कोलेबोरेशन से बन रही है। वहां पर मार्केट भी है, रॉ मैटीरियल भी है, और लेबर भी 14 हजार प्रति व्यक्ति के हिसाब से उस सोसाइटी में डिपाजिट किये जायेंगे और वहाँ पर काम होगा। लोगों को उसमें काम मिलेगा। एक नई योजना सैन्ट्रल गवर्नमेंट के पास भेजी है।

श्री मूलचन्द डागा : वहां पर आप कारखाना लगा रहे हैं तो वहां पर ट्रान्सपोर्टेशन नहीं है कपास नहीं है। किसी एक व्यक्ति के कहने से 28 लाख रुपया वहां पर डुबोने जा रहे हैं। इसमें कोई फायदा नहीं हो सकता है। यह मैं फिर कहना हूं कि मंत्रीजी मार्च के एण्ड तक 28 लाख रुपया खर्च नहीं कर सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ईश्वरचन्द्र

श्री ईश्वरचन्द्र : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपने संविधान की धारा 23 को पढ़ा है ? क्या राजस्थान सरकार ने उसको सस्पेण्ड तो किया हुआ नहीं है ? मैं यह पूछ रहा हूँ कि 22 जून, 1977 से आज तक कोई चालान बन्धक मजदूर रखने वाले का हमारी सरकार ने पेश किया या नहीं ? मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपातकाल में जो सतर्कता समितियां बनाई गई थीं केवल बन्धक मजदूरों के पुनर्वास के लिए बी. डी. ओज. को पावर दी गई थीं कि वह बन्धक श्रमिकों को मुक्त कराये। तो क्या उन योजनाओं को समाप्त कर दिया गया है ? क्या वह योजनाएं सभी चालू हैं। बोण्डेड लेबर अबालिशन एक्ट क्या राजस्थान में शेल्व कर दिया गया है या सुषुप्तावस्था में है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपने क्वेश्चन को रिपीट नहीं करें।

श्री ईश्वरचन्द्र : मैं पूछ रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप पूछ चुके हैं। मंत्री महोदय उत्तर दें।

श्री केदारनाथ : यह ठीक है कि अभी तक किसी का भी चालान पेश नहीं किया गया है।

कई माननीय सदस्य : शेम, शेम।

श्री केदारनाथ : क्योंकि किसी ने अपने आपको रिपोर्ट नहीं किया है। जब तक....

श्री रघुनाथ विश्नोई : रिपोर्ट कौन करेगा ?

यह तो आपका फर्ज है। सतर्कता समितियां बनी हुई थीं उनको क्यों भंग किया ?

श्री केदारनाथ : इसलिए चालान पेश नहीं किया गया है। पावर्स दी गई हैं कलेक्टर को। अभी जो 540 आदमियों को रिलीज करवाया है उनके चालान के बारे में कार्यवाही की जायेगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।

दूसरे जो भी कमेटियां बनाई गई थीं उन सबको सुपरसीड कर दिया गया है और नई कमेटियां हम बनाने जा रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि जब यह कमेटियां बनेंगी तो सारे फैक्टस भी आ जायेंगे। आप एडवाइस करें और सजेस्ट करें ताकि गवर्नमेंट इस सारी स्कीम को इस प्रश्न के लिए लागू कर सके।

श्री मूलचन्द डागा : सवाल यह है कि 14 लाख रुपया केन्द्रीय सरकार दे रही है। 14 लाख रुपया आप दे रहे हैं। मार्च के महीने का एण्ड आ रहा है। आज 15 मार्च है। आप आर. एम. आई. डी. सी की पहली योजना ला रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मूलचन्द जी।

श्री मूलचन्द डागा : साहब, बड़ा इम्पार्टेण्ट क्वेश्चन है।

श्री उपाध्यक्ष : आप ऐसी बातें कहना चाहेंगे जो पहले कह चुके हैं।

श्री मूलचन्द डागा : इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ईश्वरचन्द्र ।

श्री ईश्वरचन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त की रिपोर्ट के पेज 100 पर है कि हजारों बन्धक अभी भी कब्जे में हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : वह पूरे इण्डिया की रिपोर्ट है ।

श्री मूलचन्द्र डागा : यह राजस्थान की है । आदमी का शोषण कब तक चलेगा ?

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : इस पर निश्चित रूप से उचित कदम उठाया जाना चाहिये ।

श्री केदारनाथ : 1976 की रिपोर्ट में है कि 22 लाख मजदूर सारे देश में हैं। पिछली सरकार ने जो बोण्डेड लेबर अबालिशन एक्ट बनाया उसमें 1 लाख को एडजस्ट नहीं कर पाये हैं । 1 लाख में से 30 हजार को भी एडजस्ट नहीं कर पाये हैं। पहले फर्स्ट टाइम में 14 लाख केन्द्रीय सरकार ने दिया है। 14 लाख राज्य सरकार दे रही है। मैंने अभी जो पेश किया है उसमें मधुमक्खी पालन, चावल और लकड़ी के काम करेंगे ।

श्री मूलचन्द डागा : 6 हजार बन्धक मजदूर मुक्त कर दिये गये हैं। उनको आजीविका के क्या साधन जुटाये गये हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन । श्री भूरालाल ।

श्री ईश्वरचन्द्र : मेरे क्षेत्र में नाथू बाबरी आज भी एक राजपूत के कब्जे में है। जब तक आप बी. डी. ओ. और पुलिस को पावर नहीं देंगे, तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता है। कोई भी आदमी खुद रिपोर्ट लिखाने नहीं जा सकेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय ।

श्री केदारनाथ : इस माह में कमेटी बन जाने के बाद पावर्स दे दी जायेंगी ।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट । श्री भूरालाल ।

श्री रामेश्वर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न है और बहुत महत्व का है ।

श्री उपाध्यक्ष : फिर पूछें। कृपया विराजें । कोई लाभ नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भूरालाल ।

श्री ईश्वरचंद्र : योजना विभाग के मन्त्री यहां नहीं है। श्रम विभाग से योजना विभाग को फाइल गयी है। उसका पता नहीं चला है। बन्धक पड़े हुए हैं। उसमें अधिक किशनगढ़ और कोटा के लोग हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री केदारनाथ : 14 लाख रुपये कलेक्टर कोटा को दे दिये गये हैं ।

श्री रामेश्वर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मामले में एक पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं । आपके नहीं कहने पर मैं बैठ गया

(श्री रामेश्वर)
था। लेकिन अभी मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया है तो मैं भी पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पूछ लीजिए।

श्री रामेश्वर : मैं मन्त्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि सर्वाधिक बन्धक मजदूरों की संख्या कोटा जिले में है, उदयपुर जिले में है।

श्री मूलचंद डागा : जोधपुर डिवीजन में सबसे ज्यादा है।

श्री रामेश्वर : जोधपुर डिवीजन में। तो जो योजना बन्धक मजदूरों के लिए लागू की जा रही है क्या इन्हीं डिवीजनों में लागू करने की जरूरत नहीं है ?

श्री केदारनाथ : 3875 बन्धक कोटा में हैं।

एक माननीय सदस्य : करीब 50% हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

गोगुंदा के कुटीर उद्योगों का विकास

261. **श्री भूरालाल** (गोगुन्दा) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या गोगुन्दा विधान सभा क्षेत्र में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए तथा 40 गांवों व परिवारों की स्थिति को देखते हुए वन विभाग द्वारा 19-4-77 तक जंगल से बांस लाने की अनुमति दी जाती थी किन्तु इसके बाद यह सुविधा विभाग द्वारा बन्द कर दी गई ? यदि, हां, तो क्यों ?

(2) क्या इन ग्रामीण परिवारों की माली हालत देखते हुए इनको वापस जंगलों से बांस लाने की इजाजत दी जा रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

राज्य मंत्री, वन (श्री हरिसिंह यादव): (1 व 2) जी हां, गोगुन्दा विधान सभा क्षेत्र से कुटीर उद्योग के लिए गाछियान को दिनांक 19–4–77 तक जंगल से बांस उपलब्ध कराये जाते थे। इसके बाद समस्त गाछियान को विभागीय कार्यमण्डल के माध्यम से लागत मूल्य पर नजदीकी बिक्री केन्द्र से बांस उपलब्ध करने की व्यवस्था की गई है।

श्री भूरालाल : उपाध्यक्ष महोदय, आप कह रहे हैं कि व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था नहीं की गई है। बांस उपलब्ध कराने की व्यवस्था आप कब तक करायेंगे ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पहले किस कीमत पर बांस उपलब्ध कराये जाते थे और अब किस रेट से दिये जाते हैं ?

श्री हरीसिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न उठाया गया है उसके बारे में निवेदन है कि पहले इन 40 परिवारों को राजस्व नियमों के अनुसार नजदीक के जंगल से बांस उपलब्ध कराये जाते थे। इनके बांस काटने का कोई वैज्ञानिक

(श्री हरिसिंह यादव)

तरीका नहीं था। वहां पर बांस करीब समाप्त हो गये। अब सारे राजस्थान में कटाई का जो कार्यक्रम है, वह स्टेट ट्रेडिंग विभाग के द्वारा होता है। जो लागत लगती है, उसके आधार पर बांस उपलब्ध कराते हैं। समस्या यह है कि जो डिपो हैं, जहां ये परिवार हैं, वहां से ये दूर पड़ते हैं। इसलिए मैं प्रश्नकर्ता को बताना चाहता हूं कि जो इस उद्योग को करने वाले हैं, वह अपनी सहकारी समिति बना लें तो समिति के माध्यम से उनको नो प्राफिट नो लॉस के आधार पर बांस देते रहेंगे। जहां तक उनको बांस काटने की इजाजत देने का प्रश्न है उस गांव में बांस बिलकुल नष्ट हो गये हैं। इसके लिए इजाजत देना सम्भव नहीं है।

श्री ओंकारलाल चौहान : क्या मन्त्री महोदय यह ठीक समझते हैं ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा, आप जंगल से डिपो पर ले जाते हैं। उसके बाद रेट की बढ़ोतरी हो जाती है। उसके कारण गाछियाना परिवार जिन्दा रह सकेंगे ?

श्री निर्मलकुमार सकलेचा (झालरा-पाटन) : माननीय मन्त्री महोदय, मेरे झालावाड़ जिले में 200-300 परिवार हैं। वे बांसों के जरिये से ही अपनी आजीविका चलाते हैं। क्या आप प्रत्येक जिले में इस प्रकार की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे ?

श्री भूरालाल : आज भी वहां से बांस कटकर आ रहे हैं। आप बता रहे हैं कि वहां पर बांस नहीं हैं।

श्री हरिसिंह यादव : माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में मैंने निवेदन किया है, गाछियान परिवार चाहे जितने बांस ले सकते हैं। स्टेट ट्रेडिंग के माध्यम से चाहें तो कूप डिपो पर प्राप्त कर लें या अपनी सुविधा के अनुसार शहर के डिपो से नो प्रोफिट नो लोस के मूल्य पर बांस उपलब्ध हैं—वहां से प्राप्त कर लें। यह रियायती दर इन परिवारों की आर्थिक स्थिति को देख कर ही राज्य सरकार ने लागू की है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री बंशीलाल सारस्वत।

जोधपुर, बीकानेर व उदयपुर में राजस्व मण्डल की बेंच

262. **श्री बंशीलाल सारस्वत** (नागौर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राजस्व मण्डल की बेंचेज की जयपुर एवं कोटा में स्थापना हो गई है ? यदि हां, तो क्या जोधपुर, बीकानेर एवं उदयपुर बेंचेज की स्थापना की जाने की राज्य सरकार की कोई योजना है ?

राजस्व मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम मन्त्री) : राजस्व मण्डल की बेंच जयपुर में पहिले से ही है। जोधपुर व उदयपुर में माह जनवरी, 77 में स्थापित की गई है। कोटा व बीकानेर की बेंचों के सम्बन्ध में प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है।

श्री ओंकारलाल चौहान : यह कब तक विचाराधीन रहेगा, मन्त्री महोदय ?

श्री बंशीलाल सारस्वत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह

(श्री बंशीलाल सारस्वत)

पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार से जो बेंचें स्थापित की गई हैं और एडीशनल बेंचेज जो आप स्थापित करने जा रहे हैं, उनको स्थापित करने में स्टॉफ आदि का और दूसरा कितना खर्चा आता है ? दूसरा प्रश्न यह है कि बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, चूरू, बीकानेर वगैरह जो इलाके काफी दूर पड़ते हैं, क्या वहां के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार कोई विचार कर रही है ?

श्री ईश्वरचंद्र : इन बेंचेज के अन्दर आप जब तक रिजक्टेड आई. ए. एस. को भेजते रहेंगे, तब तक आप कितनी ही बेंचेज और कायम कर लें जनता को इससे कोई राहत मिलने वाली नहीं है।

(व्यवधान)

श्री कल्याणसिंह सांखला (अजमेर, पूर्व) : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अजमेर में जो राजस्व मण्डल बना हुआ है, सन् 1956 में अजमेर का जब राजस्थान में विलीनीकरण हुआ था, उस समय यह शर्त रखी गई थी कि राजस्व मण्डल पूर्णरूप से अजमेर में कायम किया जायगा ? अगर हां, तो इसको क्यों तोड़ते जा रहे हो ?

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : मुझे निवेदन करने का मौका तो दीजिए।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्व मण्डल में हाथी आपने बिठा रखें हैं जो काश्त करना नहीं जानते, मोरियो, चाही, और बंजर का फर्क करना नहीं जानते। जब तक ये काले आदमी बैठे रहेंगे जिनको ग्रामीणों की जमीनों की जो समस्यायें हैं उनके बारे में ए, बी, सी, डी, भी नहीं आती, ऐसे अधिकारियों को वहां पर बिठाने से कोई फायदा नहीं है—

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वर्माजी, कृपया बिराजिये।

(व्यवधान

माननीय श्री रामकृष्णदास गुप्ता।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या बीकानेर डिवीजन के 50 पर्सेन्ट से अधिक केसेज राजस्व मण्डल में हैं या नहीं जिसमें बीकानेर, चुरू और गंगानगर आते हैं ? यदि हां, तो रेवेन्यू बोर्ड की बेंच बीकानेर और गंगानगर में क्यों नहीं लगाई जा रही है ? आप जो कह रहे हैं कि विचाराधीन है तो क्या यह पांच साल तक विचाराधीन रहेगी और या एक दो महीने में आप निर्णय ले लेंगे ?

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोलायत से आने वाले माननीय विधायक ने जो प्रश्न उठाया है वह एक अलग प्रश्न है। यह प्रश्न अलग से किया जाना चाहिए।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि बीकानेर

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

में बेंच लगाने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है या नहीं ? वहां पर 51% से अधिक केसेज हैं, वहां पर आप क्यों नहीं लगा रहे हैं ? तीस साल से जो वहां की जनता की उपेक्षा की जा रही है, आप क्यों नहीं उस पर ध्यान दे रहे हैं और बेंच क्यों नहीं कायम करने जा रहे हैं ? यह एक अलग बात है कि यह अलग प्रश्न है। आप भैरोंसिह जी से नहीं पूछ लेंगे तब तक आप जवाब नहीं दे सकेंगे। आपके परव्यू में नहीं आता, यह आप मत कहिए।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मेरा अपमान कर रहे हैं, मेरी इण्टेलिजेन्स का........

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय के ज्ञान और बुद्धि के समक्ष नतमस्तक होता हूं, परन्तु मन्त्रिमण्डल के सारे मन्त्री मुख्य मन्त्री के पीछे लगे हुए हैं, यह हाल है मन्त्रिमण्डल का।

(व्यवधान)

आपका यह कहना गलत है कि मेरा सप्लीमेण्ट्री प्रश्न के परव्यू में नहीं आता है। It is a very relevant supplementary.

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन यह किया था कि यह जो प्रश्न है कि कितने केसेज पेंण्डिंग हैं यह अलग से प्रश्न है। मेरे पास अभी आंकड़े नहीं हैं लेकिन में जानकारी के आधार पर कह सकता हूं कि रेवेन्यू बोर्ड में जो सबसे ज्यादा केसेज पेंण्डिग हैं वे कोटा डिवीजन के हैं। माननीय सदस्य का यह कहना कि बीकानेर जिले में 51% केसेज हैं, बिल्कुल गलत है—

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : बीकानेर डिवीजन की बात कर रहा हूं, जिसमें चुरू और गंगानगर भी है—

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : में बीकानेर जिले की बात कह रहा हूं, आप सुन तो लीजिये पहले पूरा उत्तर।

दूसरी बात यह है कि जो राव कमेटी बनी थी और 56 में जो स्टेट्स का रिआर्गेनाइजेशन हुआ था उसमें यह तय हुआ था कि राजस्व मण्डल अजमेर में रहेगा, यह सही है। लेकिन यह भी सही है कि जनता सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह घोषणा की थी कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जायेगा और हर एक दरवाजे पर न्याय पहुंचाया जायगा। इसलिए परिवर्तित परिस्थितियों में सरकार की यह नीति है कि हर एक डिवीजन के मुख्यालय पर एक बेंच कायम की जाय। इसलिए यह संशोधन नीति में किया गया है और इसमें परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। कोटा और बीकानेर में बेंचेज खोलने के लिए प्रशासन की दृष्टि से, स्थान की दृष्टि से और लाइब्रेरी की दृष्टि से, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जा रहा है। जितनी लाइब्रेरी होनी चाहिये उसका प्रबन्ध होना चाहिये। दो-तीन दिन महीने में बेंच बैठती है, वैसे जल्दी ही शुरू हो जायेगी।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ़) : क्या यह सही है कि जो पेण्डिंग केसेज हैं, वे गवर्नमेन्ट ने हाई-कोर्ट से स्टे लिए हुए हैं उनकी वजह से है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण है।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगी कि जो बेंचेज कोटा और जयपुर में कायम कर दी गयी हैं और दूसरी जगह कायम करने जा रहे हैं, क्या वे ग्रामीण लोगों को आरामदेह हैं? कितने मामले पेण्डिंग हैं जिन पर निर्णय नहीं लिया जा रहा है? गांव वाले दुःखी हो रहे हैं, इसलिए आप इस सम्बन्ध में ठीक व्यवस्था कीजिये।

(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह सांखला : मन्त्री महोदय ने न्याय को घर घर पहुंचाने की बात कही है। राजस्व मण्डल पर जितना पैसा खर्च करते हैं उतनी राहत जनता को नहीं मिलती है। सारा अधिकारियों के आने जाने पर खर्चा होता है, काम बिल्कुल नहीं हो पाता है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया भाषण देना बंद करें।

श्री बंशीलाल सारस्वत : मैंने जो मूल प्रश्न दिया था उसका कोई जवाब नहीं आया। मैंने निवेदन किया था कि आपने सुलभ न्याय दिलाने की बात कही है। जनता सरकार की यह नीति थी, जयपुर-अजमेर से केवल 80 मील दूर हैं वहां पर इसलिए बेंच कायम की गई है क्योंकि यहां आई. ए. एस. और दूसरे बड़े-बड़े अधिकारी रह सकेंगे। बाकी 5 डिवीजन्स पांचों। उन पांचों डिवीजन्स में अलग अलग क्षेत्रों में बेंचेज कायम करने के लिए कितने केसेज पेंडिंग हैं, कितनी कितनी दूरी पर हैं इसको ध्यान में रखकर वहां के लोगों को राहत पहुंचाई जाने पर सरकार विचार करेगी और कमेटी बिठाई जाएगी, क्या इस बारे में सरकार ने कोई आदेश दिए हैं?

दूसरे, पांच साल से अधिक, 2 साल से अधिक और एक साल से अधिक के राजस्व मंडल में अलग अलग क्षेत्रों के कितने कितने मुकदमात हैं और उन मुकदमात को निपटने के लिए जो मौजूदा सदस्यों की बेंच है उसको कितना समय लगेगा?

श्री रतन लाल वर्मा : मैंने निवेदन किया था—

श्री उपाध्यक्ष : क्या मन्त्री महोदय उत्तर देंगे?

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : सन् 1973 के पहले कोई केस पेंडिंग नहीं हैं। 1973 के बाद के हैं वे कम हैं। ज्यादा से ज्यादा जो पुराने केसेज हैं, वे निकाले जा रहे हैं। रहा सवाल कि किस आधार पर बेंचेज कायम की जायेगी मूल प्रश्नकर्ता ने फर्माया कि गंगानगर और जैसलमेर में बेंचेज होनी चाहिए। मैं निवेदन कर दूं कि मुकदमों की संख्या के अनुसार बेंचों को वहां ले जाने के लिए तजवीज की जाती है। 5 डिवीजन्स

(श्री पुरुषोत्तम मन्त्री)

हैं, पांचों डिवीजन्स के मुख्यालयों पर ये बेंचेज कब तक जायेगी, कैसे जायेंगी, इसमें जोधपुर व जयपुर के लिये पहले ही तय हो चुका है। बीकानेर व कोटा के लिए तय नहीं हुआ है। सारे आंकड़ों के लिए, कमेटी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो मुकदमों के आंकड़े उपलब्ध हैं उसके हिसाब मे विचार हो जाएगा....

श्री रघुनाथ विश्नोई : आंकड़ों के हिसाब से यह जस्टीफाइड है क्या ?

श्री मदनसिंह दांता : गवर्नमेंट एडवोकेट्स स्टे ले लेते हैं। उन्होंने कहा है कि गर्वनमेंट स्टे लेती है इसलिए इतने मुकदमे पेंडिंग हैं।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : माननीय सदस्य कहते हैं कि तारीखें बदली जाती हैं लेकिन माननीय सदस्य वकील रह चुके हैं, वे जानते हैं कि ज्यादातर तारीखें वकील लोग बदलवाते हैं, यह सही है।

श्री मदनसिंह दांता : गवर्नमेंट के वकील।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यह वकीलों का अपमान है।

(व्यवधान)

घोर अपमान है।

श्री कल्याणसिंह सांखला : अजमेर के लोग खामोश नहीं रहेंगे, आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : पार्लियामेंट में विधि मंत्री ने जुडिशियल अधिकारियों के लिए कहा था और हमारे राजस्व मंत्री ने राजस्थान के वकीलों को कलंकित किया है, यह शर्मनाक है। मन्त्रीजी अपने शब्द वापस लें वरना मैं सदन से वाकआउट करूंगा। यह वकीलों का घोर अपमान है, यह सहन नहीं किया जाएगा, ये जुडीशियल आफिसर्स जो राजस्व मण्डल के सदस्य हैं दो बजे के बाद काम नहीं करते····

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : हमारे लॉ मिनिस्टर ने····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ताजी, भाषण न दें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : वकील समुदाय पर कलंक है····

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री गुप्ता की बात रिकार्ड न की जाए।

कृपया बिराजिए।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिए। आप वाकआउट करना चाहें तो कर दें, लेकिन भाषण नहीं।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री नरेन्द्र पाल सिंहजी। अब पहले प्रश्न पर कोई चर्चा नहीं होगी।

× × × उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(व्यवधान)

श्री रतन लाल वर्मा : मेरा जरूरी प्रश्न है। चाही बारानी····

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : × × ×

शक्ति सीमेन्ट वर्क्स डबोक

263. श्री नरेन्द्र पाल सिंह चौधरी (मावली) : —क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या शक्ति सीमेन्ट वर्क्स डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर द्वारा मिट्टी से सीमेन्ट बनाया जाता है ? यदि हां, तो वह किस रेट से व्यापारियान को दिया जाता है ?

(2) शक्ति सीमेन्ट वर्क्स द्वारा मावली तहसील के जो गांव गोद लिये हैं उसकी अब तक की क्या प्रगति है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकृष्ण दास जी का कोई भी वाक्य रिकार्ड नहीं किया जाए।

कृपया बिराजिए।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, I oppose the comment of the Revenue Minister.

श्री उपाध्यक्ष : But I Would not allow it.

श्री किशनसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं वकील रहे हैं। बगैर काम के पेशी बदलवाना प्रोफेशनल मिस-कन्डक्ट में आता है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपके कथन से सहमत नहीं हूं।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ता, बिराजिए वरना मुझे····

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिए, वरना मुझे विवश होकर कोई अप्रिय कदम उठाना पड़ेगा ।

उद्योग मन्त्री।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : गुप्ता जी, मैं आपको आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ता जी, या तो आप बिराज जाइये या फिर पधार जाइये।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : गुप्ता जी, अगर आप जाना चाहते हैं जाइये। कृपया इस तरह से सदन का समय नष्ट नहीं करें।

× × × उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री ईश्वरचंद्र : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से मन्त्री महोदय का आब्जेक्शन ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय के कहने का तात्पर्य यह था कि एडजार्नमेन्ट की अर्जी वकीलों के अ ूही मूव होती है।

श्री किशनसिंह माठी : यह जवाब नहीं था।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस पर चर्चा अलाउ नहीं करूंगा।

(व्यवधान)

बहुत चर्चा की जा चुकी है।

(व्यवधान)

स्थगित प्रश्न

तारांकित प्रश्न सं. 9

(27-2-79)

नैक्स्ट। स्थगित प्रश्न। श्री गुरुशरण छाबड़ा।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया बिराजें। स्थगित प्रश्न।

(व्यवधान)

स्थगित प्रश्न। श्री गुरुशरण छाबड़ा।

(व्यवधान)

कृपया बिराजें। स्थगित प्रश्न श्री गुरुशरण छाबड़ा।
(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

स्थगित प्रश्न। श्री जगदीश चन्द्र शर्मा।

(व्यवधान)

स्थगित प्रश्न श्री समर्थ लाल।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय एक माननीय सदस्य किसी आई. ए. एम. आफिसर को........

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बिराजें

(व्यवधान)

कृपया बिराजें। मन्त्री महोदय का वक्तव्य सुनें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया मन्त्री महोदय को उत्तर देने दीजिए।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गलत बात है। हाउस में बैठकर कुछ लोग अधिकारियों के लिए तो कहते हैं कि चोर हैं तब तो सभी सुनते रहते हैं। एज ए होल सारे अधिकारियों को गालियां देते हैं और किसी वकील के लिए कोई बात कह दी, जो सही कह दी, तो शोरगुल करते हैं।....

(व्यवधान)

....यह वकील XXX करते हैं।....

XXX शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

(व्यवधान)

....अधिकारियों को सबसे ज्यादा करप्ट करने वाले यह वकील हैं। अधिकारियों को करप्ट करते हैं तो वकील करते हैं, × × × वकील करते हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री बजरंग लाल जी, विराजें।

माननीय श्री श्योपतसिंह जी, कृपया बिराजें आप। मन्त्री महोदय को अपना उत्तर देने दीजिए।

श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पूछ लिया गया है और समय समाप्त होने वाला है।

श्री उपाध्यक्ष : पहले मंत्री महोदय का स्पष्टीकरण आने दीजिए।

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर) : पहले मंत्री महोदय का बयान आने दीजिए। वह स्पष्टीकरण दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय उत्तर देना चाहते हैं।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : जैसा माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने फरमाया कि जो तारीखें बदलने के लिए दरख्वास्तें दी जाती हैं वह वकीलों के द्वारा ही दी जाती हैं। यह मैंने अपना अनुभव बताया है....

श्री श्योपतसिंह मकासर : बिलकुल सही है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सुनिये।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपना अनुभव बताया है और उसी के आधार पर कहा है। 32 साल तक मैंने वकालत की है और रेवेन्यू बोर्ड में हमेशा गया हूं। मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं। मैं किसी वकील समुदाय या किसी विशेष वकील के लिए यह बात नहीं कह रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजिये।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय यह भी स्पष्ट करें कि एक बजे के बाद में कोई भी मजिस्ट्रेट अदालत में नहीं बैठता, इसके कारण भी मुकदमों में तारीखें बदलती जाती हैं।

(व्यवधान)

श्री एच. एन. शर्मा (बेगू) : उपाध्यक्ष महोदय, मजिस्ट्रेट टाइम से नहीं आते इसलिए आदमी मजबूर होकर अपनी तारीख बदलवाता है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजस्व मन्त्री जी से मैं पूछना चाहूंगा कि रेवेन्यू बोर्ड के माननीय सदस्य लंच के बाद नहीं बैठते हैं, क्या यह सही है और जुडिशियल वर्क का डिस्पोजल नहीं करते हैं ?

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : यह बात सही है कि लंच के बाद रेवेन्यू बोर्ड के कुछ सदस्य नहीं बैठते हैं....

(श्री पुरुषोत्तम मन्त्री)

(व्यवधान)

....सुनिये, सुनिये।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : इसके साथ ही मेरा प्रश्न है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वर्मा जी, कृपया बिराज जाइये। मन्त्री महोदय, क्या यह सही है कि एक बजे के बाद कोई सदस्य अदालत में कहीं आते और मुकदमे नहीं निपटाते ?

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....सुनिए....मैंने इस बारे में रेवेन्यू बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनसे दरियाफ्त किया था कि क्या वजह है, जब कि हाई कोर्ट में पूरे समय तक हाई कोर्ट के जजेज बैठते हैं तो आप क्यों नहीं बैठते हैं, आपको भी बैठना चाहिए। उन्होंने बताया कि भूतपूर्व कांग्रेस मंत्रिमण्डल का निर्णय है जो उन्होंने मुझे बताया जिसमें रेवेन्यू बोर्ड को लिखा गया है कि चूंकि हमें फैसला लिखने का टाइम नहीं मिलता है इसलिए हमें लंच के बाद फैसला लिखने की इजाजत दी जाय और उस वक्त सुनवाई नहीं होगी। यह निर्णय उन्होंने बताया....

(व्यवधान)

सुनिए।

फिर उन्होंने कहा कि अगर हम पूरे टाइम बैठेंगे तो फैसले लिखने में देर हो सकती है, इसलिए हम लंच के बाद नहीं बैठते हैं। मैंने उनसे यह जरूर कहा कि पूर्व मन्त्रि मण्डल का निर्णय है उस पर पुनर्विचार भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पुनर्विचार के बाद जो भी निर्णय देंगे उसकी पालना की जाएगी।

श्री किशनसिंह भाटी : क्या इस वक्त तारीखें नहीं बदलते ?

श्री मदनसिंह दांता : Then it is your fault. इसमें आपकी गलती है।....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की ओर से मैं पूछता हूं।

माननीय सदस्य, बिराजिये।

सदन की ओर से मैं यह पूछना चाहूंगा कि बोर्ड आफ रेवेन्यू के सदस्य लंच टाइम के बाद भी बैठेंगे, इसकी व्यवस्था आप कब तक कर देंगे ?

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में ...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बिराजिये, मन्त्री महोदय उत्तर दे रहे हैं।....कृपया मन्त्री महोदय का उत्तर सुन लें। मैंने प्रश्न पूछा है मैं आपका उत्तर ले लूंगा।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : क्या मन्त्री महोदय रेवेन्यू बोर्ड, जो कि अदालत है,

(श्री बजरंगलाल शर्मा)
को डायरेक्शन दे सकते हैं ? क्या गवर्नमेंट अदालत को डायरेक्शन दे सकती है कि अमुक समय बैठे और अमुक समय नहीं बैठें ? राजस्व मन्त्री महोदय कानून जानने का दावा करते हैं और उनको पता नहीं है कि गवर्नमेन्ट अदालत को डायरेक्शन नहीं दे सकती। मेरी चुनौती है, इस वक्त भी आप बता दें कि कौन से कानून के तहत डायरेक्शन दे सकते हैं ? मेरी यह निश्चित मान्यता है कि अदालत को इस तरह की हिदायत नहीं दे सकते हैं। आज तक रेवेन्यू बोर्ड के सदस्यों का आचरण अनुचित रहा है तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजिये। मैंने सदन की ओर से माननीय मन्त्री महोदय से प्रश्न पूछा है। माननीय सदस्यों ने जो सुझाव और विचार प्रगट किए हैं उन पर वे विचार करेंगे। कृपया मन्त्री महोदय को धैर्य से सुनिये।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : माननीय सदस्यों ने जो विचार....

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : जो सवाल पूछे गए हैं....

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय सदस्य ने इसी बात पर सदन से बहिर्गमन किया था। इनको बाहर निकाला जाय।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : जनता तुम्हें बाहर निकाल देगी....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजिये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : जनता पांच साल का इन्तजार नहीं करेगी। वह तुमको बाहर निकाल देगी।

श्री रघुनन्दन व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से व्यवधान करना कहां तक उचित है। इनको सदन से बाहर निकाला जावे। यह हमेशा सदन का समय बरबाद करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : रामकृष्णदास जी, कृपया बिराजिये।

श्री रघुनन्दन व्यास : ये प्रश्न काल और बाद में भी सदन का समय बरबाद करते हैं, इनको बाहर निकाला जावे।

श्री उपाध्यक्ष : रामकृष्णदासजी, आप सदन की कार्यवाही में बहुत बाधा पहुंचाते हैं, कृपया बिराज जाइये।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर पुनर्विचार कर शीघ्र ही निर्णय लिया जावेगा और रेवेन्यू बोर्ड को हिदायत कर दी जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का क्या हुआ ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय से मेरे प्रश्न का उत्तर दिलाया जाय।

श्री हरीशकुमार : (रामगंज मंडी) उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : आपका प्रश्न स्थगित किया गया।

श्री अब्दुल अजीज : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी प्रश्न था।

श्री उपाध्यक्ष : आपका प्रश्न भी स्थगित किया गया।

श्री हरीशकुमार : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर.

(व्यवधान)

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है

श्री उपाध्यक्ष : पहले आप कहिये। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए शांति के साथ कहिये।

श्री हरीशकुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिनों पूर्व यहां पर घोषणा की गई थी कि जहां पर ओलावृष्टि से फसलें खराब हो गई हैं, जहां पर अकाल है, वहां पर वसूलियां स्थगित कर दी जाएंगी लेकिन मैं आपको बताता हूं कि होली के दिन भी सरकारी वसूलियां चलती रहीं। आज जहां पर अकाल पड़ा हुआ है, ओलावृष्टि से फसलें खराब हो गई हैं, उनालू फसल गई, स्यालू फसल गई उसके बाद भी सरकारी डंडा चलता रहा। यह सदन को गुमराह करने का मामला है। यहां पर तो घोषणा कर दी गई कि वसूलियां स्थगित कर दी गई हैं लेकिन होली के दिन भी सरकारी डंडा किसानों पर चल रहा था, उनके ढांढें खोले जा रहे थे, उनकी औरतों के गले से हार छीना जा रहा था....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हरीशकुमारजी, यह आपका कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है ....

(व्यवधान)

श्री हरीशकुमार : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है....

श्री निर्मलकुमार सकलेचा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रामगंज मण्डी से आने वाले माननीय सदस्य बिल्कुल सही कह रहे हैं। राजस्थान में आज भी वसूलियां हो रही हैं और मन्त्री महोदय देख रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की घोषणा के बाद भी राजस्थान में वसूलियां क्यों हो रही हैं....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिये। मुझे स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था देनी है।

श्री हरीशकुमार : मन्त्री महोदय ने सदन को धोखा दिया है....

श्री सूर्यनारायण चौधरी : (मन्त्री, संसदीय कार्य) एक मिनट, उपाध्यक्ष महोदय....

श्री हरीशकुमार : मैंने कोटा जिलाधीश से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास आदेश नहीं हैं....

श्री सूर्यनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो यहां पर घोषणा की गयी थी उसको लागू करने के आदेश जारी होने थे लेकिन ग्राप जानते हैं कि जो व्यवधान सचिवालय में हड़ताल के कारण पैदा हुए, उसके कारण आदेश जारी नहीं हो सका है। आज उन सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के पास वायरलैस से मैसेज जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि जहां पर ओलावृष्टि हुई है वहां जैसा कि माननीय पूनियां साहब ने अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों की घोषणा की है, वसूली नहीं की जाएगी।

श्री निर्मलकुमार सकलेचा : कल के बाद वसूली नहीं होनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये।

श्री हरीशकुमार : उपाध्यक्ष महोदय, लाड़पुरा, सामोद और अन्ता तहसीलों में अभी भी वसूलियां हो रही हैं।

श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या जिन लोगों से वसू-लियां हो चुकी हैं, उन्हें वापस लौटाने का विचार करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिये।

(व्यवधान)

मुझे पहले व्यवस्था देने दीजिये।

श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा था, उसका क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित करने के लिये आदेश दे दिया है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 27-2-79)

रायसिंह नगर के सिविल कोर्ट्स

9. **श्री गुरुशरण छाबड़ा** (सूरतगढ़) : विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि रायसिंह नगर स्थित दो सिविल कोर्ट्स में से एक कोर्ट में अधिकांश मुकदमें केवल अनूपगढ़ तहसील के सुने जाते हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस अदालत को सीमा क्षेत्र के नागरिकों की असुविधा दूर करने हेतु कोर्ट रायसिंह नगर से हटा कर अनूपगढ़ तहसील मुख्यालय पर करने का विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। यह सही है की रायसिंह नगर स्थित न्यायालय में अनूपगढ़ तहसील के मुकदमें अधिकांश संख्या में विचाराधीन हैं।

(विधि मन्त्री)

एक न्यायालय अनूपगढ़ में स्थापित किया जाना राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

तहसील जमवारामगढ़ की सहकारी समितियां

195. **श्री रामेश्वर प्रसाद** (जमवारामगढ़)–क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील जमवारामगढ़ में कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं ?

(2) इन ग्राम सहकारी समितियों में कितना कितना धन बकाया है ?

(3) ग्राम समिति बूज में कितना सरकारी धन बकाया है ?

(4) यह बकाया राशि अब तक वसूल क्यों नहीं की गई है ?

(5) ग्राम सेवा सहकारी समिति बूज का रिकार्ड किसके पास है ?

उत्तर

(1) तहसील जमवारामगढ़ में कुल 33 ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं जिनमें से 7 ग्राम सेवा सहकारी समितियां अवसायन में हैं ।

(2) हर ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कुल रुपये 34, 72, 034=59 धन बकाया हैं ।

(3) ग्राम सेवा सहकारी समिति बूज में कोई सरकारी धन बकाया नहीं है ।

(4) सरकारी धन बकाया नहीं है ।

(5) ग्राम सेवा सहकारी समिति बूज का रिकार्ड सहायक अधिशाषी अधिकारी पंचायत समिति जमवारामगढ़, जो कि समिति के अवसायक हैं, के पास है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट संख्या 2 देखें)

गिर्वा (उदयपुर) पंचायत समिति द्वारा दिया गया ऋण

196. **श्री गोविन्द सहाय** (कुम्भलगढ़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले की गिर्वा पंचायत समिति के देबारी ग्राम में श्री इन्द्रसिंह पिता श्री वरदीचंद जी जैन को भूमि विकास बैंक द्वारा कुआ खोदने के लिये ऋण आराजी नम्बर 1546 पर उपलब्ध कराया गया है ? यदि हां, तो उस पर भूमि मूल्यांकन अधिकारी की हैसियत से किस अधिकारी ने रिपोर्ट की एवं क्या बिना कुएं खुदे ही ऋण उपलब्ध करवाया गया ?

(2) क्या वास्तव में कुआ खुदा है और खुदा है तो वर्तमान में क्या स्थिति है एवं नहीं खुदा है, तो क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(3) भूमि का मालिकाना हक किसका था और ऋण देते समय इस बात की पुष्टि की गई या नहीं ?

(श्री गोविन्दसहाय)

(4) श्री चम्पालाल द्वारा दिनांक 27-10-78 को दिये गये प्रार्थना-पत्र पर अब तक विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है एवं क्या की जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां ! उदयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि., द्वारा श्री इंद्रसिंह पुत्र श्री बरदीचन्द जैन निवासी देवारी पंचायत समिति गिर्वा को आराजी नं. 1546 पर कुआं बनाने हेतु ऋण उपलब्ध कराया गया। प्रार्थना-पत्र पर भूमि मूल्यांकन अधिकारी की हैसियत से रिपोर्ट श्री गोपाल लाल मुखिया, सुपरवाइजर द्वारा की गई है। श्री इन्द्रसिंह को प्रथम किश्त 2125) रुपये की दिनांक 24-12-75 को दी गई। उक्त किश्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र श्री कुमावत ड्राफ्ट मैन, लघु सिंचाई परियोजना द्वारा देने के पश्चात् द्वितीय किश्त 2125) रुपये दिनांक 8-7-76 को दी गई। इस प्रकार श्री इन्द्रसिंह पुत्र श्री बरदीचन्द जैन को कुछ ऋण 4250) रुपया दिया गया।

(2) कुआं आराजी नं. 1546 पर खुदा हुआ है तथा दिनांक 8-3-79 की मौका रिपोर्ट जो कि सहायक अभियन्ता, उदयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा की गई है, के अनुसार कुआं ढ़ाणी से 19 फीट गहरा है तथा 10 फीट पानी है।

(3) ऋण देने के पूर्व भूमि का मालिकाना हक साबित करने हेतु प्रार्थी ने जमाबन्दी सम्वत् 28-29-2032 तथा नामान्तरकरण 557 ग्राम देवारी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर की प्रमाणित प्रतिलिपियां तथा खसरा गिरदावरी सम्वत् 20-29-2032 प्रस्तुत कर कब्जा साबित किया गया।

(4) श्री चम्पालाल द्वारा जो पत्र दिनांक 27-10-78 को बैंक को लिखा था उसकी प्रतिलिपि विभाग में प्राप्त होने पर बैंक से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई है।

कोलायत तहसील में खनन कार्य

197. **श्री रामकृष्ण दास गुप्ता** (कोलायत)–क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या कोलायत तहसील में खनन हेतु खानें लीज पर दी गई हैं ? यदि हां, तो कब कब, किन किन को किस खनिज की खानें किन शर्तों पर दी गई हैं और कितना डेड रेन्ट व रायल्टी मिल रही है ?

(2) क्या इनका नवीनीकरण हुआ है ? यदि हां, तो कब कब, किन शर्तों पर हुआ है ?

(3) क्या खनन कार्य इन सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो किन किन पर नहीं किया जा रहा है और खनन नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(4) क्या ऐसी भी खानें हैं, जिनका सिर्फ डेड रेन्ट मात्र दिया जा रहा है ?

उत्तर

(1) हां, कोलायत तहसील में खनिज बालक्ले, फायर क्ले, व्हाइट क्ले, रेड एण्ड यलो ओकर के खनन पट्टे खनिज रियायती नियम 1960 के तहत तथा मुलतानी मिट्टी

(खनिज मन्त्री)
एवं केकर के खनन पट्टे राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियम, 1977 के अन्तर्गत स्वीकृत हैं। सूची संलग्न है।

(2) हां ! केवल दो मामलों में नवीनीकरण हुआ है :—

1—प्रधान खनिज रियायती नियम 1960 के तहत सर्वश्री टहलाराम एण्ड सन्स, ग्राम–मढकोटली दिनांक 20/4/76 से 19/4/76 तक का।

2—अप्रधान खनिज रियायती नियम, 1977 के तहत एक खनन पट्टा का नवीनीकरण श्री मूलचन्द बोथरा के पक्ष में खनिज मुलतानी मिट्टी का ग्राम मढका दिनांक 29/6/73 से 28/6/83 तक का संलग्न शर्तों पर स्वीकृत हुआ :—

(3) नहीं। सूची कारण सहित संलग्न है।

(4) हां। सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

सोजत तहसील में चूने के पत्थर की लीज के मामले

198. **श्री खंगारसिंह चौधरी** (खारची) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सोजत तहसील में चूने के पत्थर की लीजेज 1955 से ही भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को भिन्न क्षेत्र की भिन्न-भिन्न समय के लिए दी जा रही है ? यदि हां, तो 1955 से 1977 तक किन-किन व्यक्तियों को कितने-कितने समय के लिये कितने-कितने क्षेत्र की लीज दी गई ?

(2) उक्त खनिज पट्टाधारियों ने लीज एग्रीमेन्ट किन-किन तारीखों में लिखा व किन तारीखों से खनन कार्य शुरू किया ? खनन कार्य कितने क्षेत्र में किया ?

उत्तर

(1) हां।

सूची संलग्न है।

(2) सूचना संलग्न सूची में उपलब्ध है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

खनिज पट्टे देने की नीति

199. **श्री खंगारसिंह चौधरी** (खारची) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने खनिज उद्योग में एकाधिकार को समाप्त करने के उद्देश्य से खनिज पट्टे एक एक वर्ग किलोमीटर के दिये जाने का निर्णय लिया है ?

(2) क्या राज्य सरकार के उपरोक्त उद्देश्य को विफल करने की मंशा से खनिज विभाग ने अप्रधान खनिज क्षेत्र में चूने के पत्थर के पट्टे दिये जाने की विज्ञप्ति राजपत्र में जारी की जो नवम्बर माह में राजपत्र में प्रकाशित हुई है ?

(3) क्या उक्त विज्ञप्ति के पूर्व विभाग ने पट्टे पर दिये जाने वाले सत्र के कोई प्लाट नहीं बनाये जो बनाये जाने लाजमी हैं ?

(श्री खंगार सिंह चौधरी)

(4) क्या राज्य सरकार व्यवस्थित खनन कार्य व खनन क्षेत्र को प्लाट्स में विभाजित कर उनको पट्टे पर दिये जाने का निर्णय लेगी ताकि पट्टा देने में किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं हो सके व स्वार्थी एकाधिकार प्रवृत्ति न पनप सके ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने चूने के पत्थर के लिये जोधपुर, पाली, नीम का थाना तथा कोटपूतली क्षेत्र में एक वर्ग कि. मी. के पट्टे दिये जाने का निर्णय लिया है।

(2) खनिज विभाग ने उपरोक्त उद्देश्य को विफल करने की मंशा से कोई विज्ञप्ति राजस्थान राजपत्र में नवम्बर माह में प्रकाशित नहीं की, केवल निम्न क्षेत्रों में खनिज चूना पत्थर के एक वर्ग कि. मी. क्षेत्र के पट्टे देने हेतु राजपत्र में निम्न विज्ञप्तियां नवम्बर सन् 78 में प्रकाशित की गयीं और उनके सामने अंकित तिथियों पर आवेदन पत्र मांगे गये :—

1. नीमका थाना व कोटपूतली, जिला–सीकर 17-12-78
2. ग्राम बरना तहसील बिलाड़ा जिला–जोधपुर 26-12-78
3. ग्राम मूरकासनी तहसील बिलाड़ा, जि. जोधपुर 26-12-78
4. ग्राम बोरून्दा तहसील बिलाड़ा, जि. जोधपुर 26-12-78
5. ग्राम अटबड़ा, मण्डला व खारिया तह० सोजत जिला–पाली 24-12-78

(3) कुछ क्षेत्रों में जैसे बिलाडा, नीमका थाना, कोटपूतली में प्लाट्स बनाये गये हैं और शेष क्षेत्रों में जहाँ सर्वे आदि नहीं हो सका प्लाट्स नहीं बनाये गये हैं। वैसे प्लाट्स बनाना नियमानुसार आवश्यक नहीं है।

(4) कुछ क्षेत्रों में प्लाट बनाये जाकर चूना-पत्थर के एक वर्ग कि. मी. के प्लाट्स आवंटित किये भी गये हैं। शेष क्षेत्रों में भी प्लाट्स बनाकर दिये जायेंगे।

जोधपुर तथा पाली जिले में दिये गये खनन के पट्टे

202. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत)—क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अप्रधान खनिज के खनन के पट्टे एक वर्ग किलो मीटर से अधिक के कितने कितने क्षेत्र के व कितनी कितनी अवधि के जोधपुर तथा पाली जिले में किन किन को दिये हैं तथा विभाग द्वारा कितने बनाये गये ?

(2) प्रश्न के भाग 1 में बताये गये एवं अन्य बड़े खनन पट्टाधारियों ने अपने सम्पूर्ण क्षेत्र का कितने में खनन कार्य किया व कर रहे हैं ? कृपया उसका नक्शा सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार राष्ट्र हित में इस एकाधिपत्य को संरक्षण देना चाहती है ताकि खनन पट्टाधारी दूसरों को खनन कार्य से रोकने हेतु इतने बड़े क्षेत्र पट्टे पर लेकर खनन कार्य केवल प्रश्न के भाग 2 में बताये क्षेत्र में ही करते हैं एवं अधूरी माइन्स को ही खराब हालत में छोड़ अन्य जगह खोदना शुरू कर देते हैं ?

(श्री माधवसिंह दीवान)

(4) राज्य, सरकार क्या अप्रधान खनिज रियायती नियम में संशोधन कर इस तरह के एकाधिपत्य को समाप्त करेगी?

उत्तर

(1) स्वीकृत पट्टों की सूची साथ में संलग्न है। विभाग द्वारा सन् 1967 में 10-10 वर्ग मील के लिग्नाइट लाइम स्टोन में 12 प्लाट बनाये गये थे जिनमें से प्लाट नं0 1 पाली जिले में व प्लाट नं0 2 से 10 व 11 का लगभग आधा भाग जोधपुर जिले में तथा प्लाट नं0 11 का लगभग आधा भाग, व प्लाट नं0 12 नागौर जिले में आते हैं।

1) अटूबडा क्षेत्र में सन् 1955 से व इसके पूर्व भी खनन कार्य किया गया। वर्तमान में पट्टाधारी को खनन कार्य स्वीकृत क्षेत्र का 1-33 प्रतिशत है। क्षेत्र में अनेकों खड्डे हैं जिनमें पूर्व में खनन कार्य किया जाकर उन्हें बन्द बन्द कर दिया है, तथा कुछ ऐसे भी खड्डे हैं जिनमें अस्थाई तौर पर खनन कार्य बन्द है। ऐसे पुराने खड्डों का क्षेत्रफल कुल स्वीकृत क्षेत्र का लगभग 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत है।

2) मन्डला क्षेत्र में सन् 1955 से व इसके पूर्व भी खनन कार्य किया गया। वर्तमान में पट्टाधारी का खनन कार्य स्वीकृत क्षेत्र का 0-172 प्रतिशत है। क्षेत्र में ऐसे अनेकों खड्डे हैं जिनमें पूर्व में खनन कार्य किया जाकर उन्हें बन्द कर दिया है तथा कुछ ऐसे भी खड्डे हैं जिनमें अस्थाई तौर पर खनन कार्य बन्द हैं ऐसे पुराने खड्डों का क्षेत्रफल कुल स्वीकृत क्षेत्र का लगभग 8 प्रतिशत से 10 प्रतिशत है।

3) ग्राम रुन्दिया, तहसील सोजत क्षेत्र में खनन कार्य दिनांक 15/12/70 से प्रथम बार शुरू हुआ है। वर्तमान में 19509 वर्गमीटर क्षेत्र में कार्य चालू है जो कुल स्वीकृत क्षेत्र का 0-133 प्रतिशत है। पिछले तीन वर्षों में स्वीकृत क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल का 4 प्रतिशत से 6 प्रतिशत क्षेत्र खनन कार्य के लिये काम में लिया गया है।

4) ग्राम बरना, जिला-जोधपुर में विभागीय प्लॉट संख्या : 2 में खनन कार्य दिनांक 3/1/68 को प्रथम बार शुरू हुआ है। वर्तमान में पट्टाधारी का खनन कार्य स्वीकृत क्षेत्र का 4-66 प्रतिशत है। पिछले वर्षों में कुल क्षेत्रफल का लगभग 12 प्रतिशत क्षेत्र खनन कार्य के लिये काम में लिया गया है।

5) ग्राम बोरून्दा, जिला-जोधपुर में विभागीय प्लाट संख्या : 11 में खनन कार्य दिनांक 8/7/76 में प्रथम बार शुरू हुआ है। वर्तमान में पट्टाधारी का खनन कार्य स्वीकृत क्षेत्र का 5-43 प्रतिशत है। पिछले वर्षों में स्वीकृत क्षेत्र के कुल क्षेत्र का लगभग 10 प्रतिशत क्षेत्र खनन कार्य के लिये काम में लिया गया है।

6) ग्राम गुरकासनी, जिला-जोधपुर में विभागीय प्लाट संख्या: 5 में खनन कार्य दिनांक 24/6/74 से प्रथम बार शुरू हुआ है। वर्तमान में पट्टाधारी का खनन कार्य स्वीकृत क्षेत्र का 6-35 प्रतिशत

(खनिज मंत्री)

है पिछले वर्षों में स्वीकृत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 8 प्रतिशत क्षेत्र खनन कार्य के लिये काम में लिया गया है।

(2) सर्वप्रथम सोजत लाईम कम्पनी व श्री राजेन्द्रसिंह कछवाहा ने स्वीकृत क्षेत्रों में जहां जहां पूर्व में कार्य किया जाकर वन्द कर दिये गये उनके नक्शे बनाकर पेश करने हेतु लिखा जाने पर भी उन्होंने सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। केवल श्री केवलचन्द मान्डोत न जो नक्शे पेश किये हैं उनमें पूर्व में किये गये खनन कार्य व वर्तमान में चालू खनन कार्य दर्शाया है। वर्तमान में जिन क्षेत्रों में खनन कार्य चालू है उनके नक्शे विभाग द्वारा वनाये गये हैं। नक्शों की प्रतियाँ साथ में संलग्न हैं।

(3) नहीं, राज्य सरकार की नीति के अनुसार इस प्रकार के एकाधिपत्य को समाप्त करने को ध्यान में रखते हुए पूर्व में 10 वर्गमील क्षेत्रों को घटाकर 15 वर्ग कि. मी. कर दिया गया है तथा ऐसे छूटे हुये क्षेत्रों में तथा अन्य खाली क्षेत्रों में राज्य-सरकार ने चूने के पत्थर के पट्टे 1 वर्ग कि. मी. क्षेत्र के देना आरम्भ कर दिया है।

(4) एकाधिपत्य धीरे-धीरे समाप्त किये जाने की नीति के अनुसार पुराने चूने के पत्थर के पट्टाधारियों के क्षेत्रों का 10 वर्गमील से घटाकर 15 वर्ग कि. मी. कर दिये गये हैं तथा छूटे हुये क्षेत्रों में चूने के पत्थर के खनन पट्टे केवल 1 वर्ग कि. मि. के ही दिये जा रहे हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

जिला मुख्यालयों में चिकित्सा विशेषज्ञों के रिक्त पद

204. श्री बंशीलाल सोरस्वत (नागौर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में ऐसे कौन से जिला मुख्यालय हैं जिनमें शल्य चिकित्सा, मेडिसन, स्त्री रोग, बाल आयुर्विज्ञान, ओर्थोपेडिक एवं नेत्र चिकित्सा के कनिष्ठ विशेषज्ञ पदों की स्वीकृति नहीं है ?

(2) कनिष्ठ विशेषज्ञों के पद स्वीकृत होते हुये भी कौन कौन सी जगह पद रिक्त पड़े हैं ?

(3) क्या यह सही है कि चिकित्सक एक या अन्य कारण से अपना स्थानान्तरण जिला मुख्यालय पर जाने का निरस्त कराते रहे हैं ?

(4) राज्य सरकार इस प्रवृत्ति का क्या समाधान निकाल रही है ?

उत्तर

(1) सूची 'अ' संलग्न है।

(2) सूची 'ब' संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

चिकित्सालयों को क्रमोन्नत करने की नीति

205. **श्री बंशीलाल सारस्वत** (नागौर) ; क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में ऐसे कौन से जिला मुख्यालय हैं जिनमें चिकित्सालय में सौ से कम रोगी शय्याओं की व्यवस्था है ?

(2) राज्य सरकार ने ऐसे चिकित्सालयों को क्रमोन्नत करने के लिए क्या योजना बनाई है और कब तक वहां के चिकित्सालय 150 शय्याओं तक के बना दिये जावेंगे ?

(3) चिकित्सालय भवनों के विकास में राज्य सरकार की क्या योजना, नीति एवं योगदान रहेगा ?

उत्तर

(1) जिला चिकित्सालय नागौर एवं जैसलमेर में सौ से कम शय्याएं हैं।

(2) नागौर को क्रमोन्नत कर दिया गया है। भवन व्यवस्था होते ही 100 रोगी शय्याएं प्रारम्भ हो जावेगी।

जैसलमेर को वर्ष 1979-80 में क्रमोन्नत करने का विचार है।

जन सहयोग व छठी योजना में वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर 150 रोगी शय्याएं बढ़ाना संभव हो सकेगा।

(3) चिकित्सालयों के विकास हेतु स्वीकृत कार्यक्रमों एवं योजना के अनुसार चिकित्सालयों, भवनों के विकास में आवश्यक निर्माण कार्यों को कराये जाने की योजना वर्तमान में है।

25 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उच्चीकृत रेफरल अस्पताल बनाने हेतु भवन निर्माण की व्यवस्था छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में है।

हनुमानगढ़ टाऊन डिपेन्सरी में मरीजों पर हुआ व्यय

206. **श्री इयोपत सिंह मकासर** (हनुमानगढ़) : क्या किकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

हनुमानगढ़ टाउन डिस्पेन्सरी में आउट डोर तथा इनडोर मरीजों की संख्या सन् 1976–77–78 में क्या रही तथा उपरोक्त सालों में कितने रुपये की दवा दी गई ?

उत्तर

हनुमानगढ़ टाउन में आउटडोर तथा इनडोर मरीजों की संख्या व दवाइयों पर व्यय की गई—धनराशि का वर्ष 1976–77–78 का विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	आउटडोर मरीजों की संख्या	इनडोर मरीजों की संख्या	दवाइयों पर खर्च की गई राशि
1976	1,16,000	1,703	16.990 रु.
1977	96,171	2,050	34.660 रु.
1978	98,226	1,781	44.480 रु.

ग्राम पीथास (मांडल) में चिकित्सालय

207. **श्री रामप्रसाद लड्ढा** (मांडल) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(1) क्या यह सही है कि मेजा बांध के पेटे में पीथास (मांडल) एक बड़ी पंचायत क्षेत्र का गांव है। जहां मेडिकल एड के नाम पर सब सेन्टर है तथा वर्षा के दिनों में व बाद में आने जाने की व्यवस्था नहीं है तथा सड़क से कटा हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि चिकित्सा के अभाव में उस क्षेत्र के नागरिकों को भारी दिक्कत होती है और कभी कभी तो आदमी मौत का शिकार हो जाता है ?

(3) ऐसे उपयुक्त, वांछित स्थानों पर डिस्पेन्सरी या एड पोस्ट राज्य सरकार कब खोलने जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

चिकित्सा के अभाव में मृत्यु होने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(3) योजना मद में वित्तीय प्रावधान होने पर विचार किया जाना संभव हो सकेगा।

तहसील शेरगढ़ के प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र

208. **श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील शेरगढ़ के सात सब सेन्टर 1. चोरडियां, 2. सोईन्तरा, 3. लोडता, 4. कलाऊ, 5. सेरवाल, 6. खिरजों व 7. उताम्बर में कोई स्टाफ नहीं लगाने का क्या कारण है ? यदि स्टाफ है, तो उनके नाम क्या हैं ? कितने समय से स्टाफ नहीं है, और अब कब लगा दिया जावेगा ?

(2) क्या यह सही है कि इसी तहसील की तीन डिस्पेन्सरीज, 1. देचू 2. चामू तथा 3. शेरगढ़ में कोई डाक्टर नहीं है ? यदि हां, तो कितने समय से नहीं है ? यदि लगाए हुए हैं तो नाम क्या हैं ? यदि नहीं हैं, तो अब कब तक लगा देंगे ?

(3) क्या यह सही है कि इस तहसील की सभी डिस्पेन्सरी व सब सेन्टरों में दवाइयों की कमी है ? यदि हाँ, तो कब तक पूरी कर दी जावेगी ?

(4) क्या यह सही है कि बालेसर के प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र को जोधपुर मेडिकल कालेज अपने मातहत लेना चाहता है ? यदि हाँ, तो किन शर्तों पर, वहां कितने डाक्टर रहेंगे ? क्या कार्य होगा और भवन की क्या व्यवस्था होगी ? कृपया पूरा विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील शेरगढ़ के अन्तर्गत चल रहे 7 उपकेन्द्रों में से केवल निम्नलिखित उपकेन्द्रों पर प्रशिक्षित स्टाफ के अभाव में कारण कमी है :—

(1) उपकेन्द्र सोइन्तरा पर ए०एन०एम० का पद दो साल से रिक्त है।

(2) उपकेन्द्र, कलाऊ पर भी एक ए०एन०एम० का पद ढाई साल से रिक्त है।

(चिकित्सा मंत्री)

(3) उपकेन्द्र लेखापाल पर एक परिवार कल्याण स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता का पद दो वर्ष से रिक्त है।

कार्यरत स्टॉफ की सूची संलग्न है।

उक्त उपकेन्द्रों पर रिक्त स्थानों की पूर्ति प्रशिक्षित कर्मचारियों के उपलब्ध होने पर कर दी जावेगी।

(2) ग्राम देचू व चामू में चिकित्सक के पद क्रमशः अक्टूबर, 78 व जनवरी, 79 से रिक्त है। शेरगढ़ डिस्पेन्सरी पर डाक्टर एम० सी० या सी०ए०एस० दिनांक 1–3–79 से लगा दिये हैं। पूर्व में रिक्त पदों पर चिकित्सकों को नियुक्त किया था पर उन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया। अब रिक्त पदों पर लगाने की प्रक्रिया चालू है।

(3) जी नहीं। कभी डिस्पेन्सरियों व कार्यरत उपकेन्द्रों पर आवश्यकतानुसार दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जाती हैं।

(4) भारत सरकार की योजना के अनुसार बालेसर सहित तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मेडिकल कालिज, जोधपुर के अधिनस्थ चिकित्सा शिक्षा के लिये प्रधानाचार्य के नियन्त्रण में दे दिये गये हैं। इनमें कोई अतिरिक्त डाक्टरों या अन्य स्टाफ के पद सृजन करने का प्रस्ताव नहीं है। भारत सरकार की योजना के अनुरूप ग्रामीण अंचल में चिकित्सा शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए इन तीनों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उपयोग किया जावेगा। प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर विद्यार्थियों एवं मेडिकल कालिज के शिक्षकों के आवास की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा प्रदत्त आर्थिक प्रावधान में से की जा रही है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

मछली पकड़ने के ठेकों से हुई आय

209. **श्री हरजी राम बुरड़क** (लाडनू) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में मछली पकड़ने के ठेकों में कब कब, कहां कहां गड़बड़ी हुई तथा इस संबंध में किस किस के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ?

(2) मछली पकड़ने के लिये दिये गये ठेकों से कितनी कितनी आमदनी कब कब हुई गड़बड़ियों से कितना कितना नुकसान हुआ ?

(3) भविष्य में गड़बड़ी न हो इस के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) विगत तीन वर्षों में मत्स्य ठेकों से आय क्रमशः वर्ष 1976-77 में 49.41 लाख वर्ष 1977-78 में 57.70 लाख व वर्ष 1978-79 में एक करोड़ के करीब आय प्राप्त होने की निश्चित संभावना है। क्योंकि नियमानुसार ठेकों की कार्यवाही सम्पन्न की जाती है, अतः गड़बड़ी से नुकसान का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला जालौर में डी. पी. ए. पी. कार्यक्रम के तहत किये गये कार्य

210. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला जालौर डी. पी. ए. पी. कार्यक्रम के तहत लिया हुआ है ? अगर हां, तो इस कार्यक्रम के तहत इस जिले को कब लिया गया था ? इस कार्यक्रम के तहत इस जिले में किस किस विभाग द्वारा कितना खर्चा किया गया है एवं उनके तहत अब तक कहां कहां पर क्या क्या कार्य करवाए गए हैं ? सूची मय खर्चे के विवरण के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) डी. पी. ए. पी. कार्यक्रम के तहत भविष्य में जिला जालौर में कितने कितने के क्या क्या कार्य कब तक हाथ में लिए जावेंगे ?

(3) क्या यह सही है कि जिला जालौर में डी.पी.ए.पी. कार्यक्रम के तहत पशुपालन विभाग में अभी तक कोई खास योजनाएं पशु विकास की हाथ में नहीं ली गई हैं, हालांकि जालौर जिला पशुपालन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जिला माना गया है ? अगर हां, तो क्यों ? अगर नहीं, तो क्या क्या योजनाएं कितने कितने की कहां कहां हाथ में ली गई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या अब राज्य सरकार पशुपालन विकास हेतु डी. पी. ए. पी. कार्यक्रम के तहत जिला जालौर में कोई खास योजनायें हाथ में लेने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक क्या क्या योजनाएं, कितने कितने की, कहां कहां पर हाथ में ली जावेगी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) उक्त योजना के तहत भू-संरक्षण योजनाओं के अन्तर्गत इस जिले में कहां कहां पर कितने कितने के क्या क्या कार्य किए गए हैं ? भविष्य में क्या क्या कार्य हाथ में लिये जावेंगे ? सूची मय खर्चे के विवरण के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। डी. पी. ए. पी. कार्यक्रम जिला जालौर में वर्ष 1975 में लिया गया है। इस जिले में उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रमुख मदों में भू-सर्वेक्षण, टोपोग्राफिकल सर्वेक्षण, भू-जल सर्वेक्षण, भेड़ व चरागाह विकास, लघु सिंचाई, वृक्षारोपण इत्यादि कार्य किये गये हैं। सम्बन्धित विभागों द्वारा इन कार्यक्रमों पर विभिन्न वर्षो में व्यय की जाने वाली राशि का आवंटन का वितरण निम्न प्रकार है :—

(रुपये लाखों में)

मद	वर्ष 1974-78 तक	वर्ष 1978-79 जनवरी
1. कृषि	25.61	9.45
2. भू-जल	23.24	3.72
3. सिंचाई	42.53	30.26
4. वन	10.72	3.78
5. भेड़ विकास	4.54	9.40
6. एस. एफ. डी. ए. अनुदान	—	9.83
7. सहकारिता	—	1.45
8. विद्युत	120.00	4.00

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जालौर जिले में वर्ष 1979 के जनवरी-तक लगभग 84,600

Page No. 32

(32)

(कृषि मंत्री)

हैक्टर भूमि में भू-संवेक्षण तथा लगभग 66,750 हैक्टर भूमि का टोपोग्राफिकल सर्वेक्षण किया जा चुका है। जलग्रह क्षेत्रों हेतु अब तक लगभग 5775 हैक्टेयर क्षेत्रफल के प्रतिवेदन स्वीकृत किये जा चुके हैं। 28 मध्यम क्षमता वाले तथा 20 लघु क्षमता के नलकूप बनाये जा चुके हैं। भू-जल सर्वेक्षण के अन्तर्गत 788 कुओं की इन्वेन्ट्री 1075 जल के नमूनों का विश्लेषण तथा 47 भू-भौतिकी ध्वनियां की जा चुकी थीं। चरागाह विकास के अन्तंगत 100 हैक्टेयर के 22 भू-खण्डों का चयन किया जा चुका था तथा 15 भू-खण्डों को विकसित किया जा चुका था। 20 भेड़ सहकारी समितियां बनाई जा चुकी थी। वन विकास कार्यक्रम 1394 शुष्क चरागाह तथा 4 नर्सरी का कार्य स्वीकृत किया जा चुका है।

(2) उक्त कार्यक्रम वर्ष 1979-80 में भी जिला जालौर में चलाये जायेंगे। विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों को प्रस्तावित कुल बजट राशि लगभग 100.34 लाख रुपये है। विभिन्न कार्यक्रमों पर राशि निम्न प्रकार से आवंटित किये जाने की प्रस्तावना है :—

मद	रुपये लाखों में वर्ष 1979-80
1. कृषि	9.92
2. भू-जल	25.45
3. सिंचाई	37.61
4. वन	2.03
5. भेड़ विकास	9.62
6. एस.एफ.डी.ए. अनुदान	5.50
7. सहकारिता	2.21
8. विद्युत	—
9. दुग्ध मार्ग	8.00

(3) जी हां। यह सही है कि डी. पी. ए.पी. कार्यक्रम के अंतर्गत पशुपालन विभाग में अभी तक कोई भी पशु विकास योजनाएँ हाथ में नहीं ली गई हैं। जालौर जिला पशु विकास की दृष्टि से कितना महत्त्वपूर्ण है यह उस जिले में इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण के पश्चात् ही कहा जा सकता है। पूर्व में इस जिले में व्यक्तिगत क्षेत्र में स्थापित रानीवाड़ा की 'आदर्श डेयरी' (IDEAL DAIRY) से ये आकांक्षाएं थीं कि इस जिले में डेयरी व पशुपालन विकास का कार्य होगा लेकिन अब राज्य सरकार ने जिले में पशु विकास के सर्वेक्षण कराने हेतु जोधपुर संघ को निर्देश दिये हैं कि वे सर्वेक्षण कर राज्य सरकार को प्रतिवेदन भिजवायें।

(4) जिला जालौर में पशुपालन विकास हेतु डी.पी.ए.पी. कार्यक्रम के तहत योजनायें हाथ में लेने का अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इस सम्बन्ध में जोधपुर संघ द्वारा सर्वेक्षण का प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने पर ही कुछ निर्णय लिया जा सकेगा।

(5) सूखा सम्भावित क्षेत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत जालौर जिले की जालौर तहसील में गत वर्ष 1.552 हैक्टेयर के सरिमन्दर जलगृह क्षेत्र में 6.479 लाख रुपये की लागत का एक भू-सर्वेक्षण कार्य स्वीकृत किया गया था यह कार्य प्रगति पर है। इस कार्य पर 1.303 लाख रुपये की राशि व्यय हो चुकी है और 176 हैक्टेयर क्षेत्र में कार्य हुआ है और 21,870 मजदूर-दिवस को रोजगार उपलब्ध हुआ है। इस वर्ष सूखा

(कृषि मंत्री)

सम्भावित क्षेत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत जालौर जिले में भू-संरक्षण के लिये कार्य स्वीकृत नहीं किए हैं। इस वर्ष से भू-संरक्षण के कार्य मरू विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लिए जा रहे हैं।

मनोहर थाना कस्बे में कृषि उपज मण्डी की स्थापना

211. **श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा** (मनोहर थाना) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मनोहर थाना कस्बे में कृषि उपज मंडी की स्थापना के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने क्या गजट नोटिफिकेशन कर दिया है ? यदि हाँ, तो किस दिनांक को प्रकाशित हुआ ?

(2) राज्य सरकार मनोहर थाना एवं उसके दूसरे कस्बे अकलेरा में कब से चालू मंडी करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। कृषि उपज मण्डी समिति स्थापित करने के आशय की घोषणा दिनांक 26-10-78 को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित की जा चुकी है।

(2) मंडी समिति के गठन सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है। जैसे ही जिलाधीश से प्रथम मंडी समिति के मनोनयन हेतु सदस्यों के नाम प्राप्त हो जायेंगे, समिति के गठन की घोषणा राजपत्र में कर दी जायेगी। तदुपरांत मनोहर थाना व अन्य कस्बों में मुख्य मण्डी यार्ड व गौण मण्डी यार्डों की स्थापना की जायेगी।

विश्वकर्मा उद्योग क्षेत्र जयपुर के उद्योगों को वित्त निगम द्वारा दिया गया ऋण

214. **श्री गोविंद सहाय** (गंगापुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विश्वकर्मा उद्योग क्षेत्र, जयपुर में उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए आर.एफ.सी. ने ऋण दिया है ? यदि हां तो किन किन लोगों को कौन कौन से उद्योग लगाने के लिये कितना कितना ऋण दिया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कई लोगों ने आर० एफ० सी० से ऋण लेकर सही उपयोग नहीं किया है ? यदि हां, तो कितने लोग हैं ? किन किन लोगों पर आज ऋण बाकी है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि राजस्थान वित्त निगम ने विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में भी उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए ऋण दिया है, 31 दिसम्बर 1978 तक राजस्थान वित्त निगम ने 186 उद्यमियों को 256.99 लाख रुपये के ऋण दिए हैं। जिनकी सूची संलग्न है।

(कृपया देखें स्तम्भ संख्या 4)

(2) जिन जिन उद्यमियों पर ऋण बाकी है उसका विवरण सूची के स्तम्भ संख्या 5 में दिया गया है ऋण के दुरुपयोग की

(उद्योग मंत्री)

कोई अधिकृत जानकारी आर.एफ.सी. को किसी भी क्षेत्र से ज्ञात नहीं हुई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

रानीवाड़ा में पशुओं के आधार पर उद्योग

215. **श्री रतनाराम चौधरी** (रानीवाड़ा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जालौर जिले के विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में काफी तादाद में मजदूर हैं जिन्हें वर्तमान में रोजगार उपलब्ध नहीं हैं ?

(2) क्या यह सही है कि रानीवाड़ा क्षेत्र में पशुधन काफी तादाद में है ? अगर हां, तो क्या राज्य सरकार रानीवाड़ा में एक मृत पशुओं के हड्डी पीसने की फैक्ट्री लगाने का विचार रखती है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि रानीवाड़ा में दूध की डेयरी है ? अगर हां, तो क्या पशु आहार की रानीवाड़ा में कोई फैक्ट्री है ? अगर नहीं तो क्या राज्य सरकार वहां डेयरी होने के नाते पशु आहार की फैक्ट्री खोलने की आवश्यकता नहीं समझती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। रानीवाड़ा में मृत पशुओं की हड्डी पीसने का कारखाना लगाने की सम्भावना है। राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार का उद्योग स्थापित करने की नीति नहीं है परन्तु यदि कोई उपक्रमी इस प्रकार का उद्योग स्थापित करना चाहे, तो उसे सभी घोषित सुविधायें एवं सहायतायें उपलब्ध कराई जावेंगी।

(3) जी हां। रानीवाड़ा में दूध की डेयरी स्थापित है। वर्ष 1974-75 में किये गये औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण में बताया गया है कि जालौर जिले में पशु आहार फैक्ट्री स्थापित होने की संभावना है। राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार के उद्योग स्थापित करने की नीति नहीं है। परन्तु यदि कोई उपक्रमी उद्योग स्थापित करना चाहे तो उससे सभी घोषित सुविधायें एवं सहायता प्रदान की जावेगी।

कोटा जिले के उद्योग

216. **श्रीमती नारंगी देवी** (किशनगंज) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दिसम्बर सन् 1978 तक कोटा जिले में कितने उद्योग रजिस्टर्ड हुए हैं ?

(2) वर्तमान में कितने उद्योग चालू हैं ? कुल श्रमिकों की संख्या इन उद्योगों में कितनी है ? कुल कितनी पूंजी का विनियोजन इन उद्योगों में हुआ है ?

उत्तर

(1) दिसम्बर 78 तक कोटा जिले में 1154 लघु उद्योग इकाइयां विभाग द्वारा पंजीकृत की गई है।

(2) 6 उद्योग बन्द हैं। चालू उद्योगों में 6447 व्यक्तियों को रोजगार मिला है तथा इनमें 467.78 लाख रुपयों की पूंजी का विनियोजन किया गया है।

पश्चिमी राजस्थान के जिलों का औद्योगिक विकास करना

217. **श्री माधोसिंह कछवाह** (सरदार पुरा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि पश्चिमी राजस्थान के जिलों में औद्योगिक विकास नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार चाहेगी कि एक सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र में 1000 से 5000 की संख्या तक रोजगार प्रदान करने वाली एक औद्योगिक इकाई प्रत्येक जिले (जोधपुर और बीकानेर संभाग) में स्थापित वहां की भौगोलिक आवश्यकता के अनुसार की जाय? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

यह सही है कि पश्चिमी राजस्थान के जिलों में औद्योगिक विकास अपेक्षाकृत कम हुआ है, राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीति इस क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने में योगदान देगी। जहां तक राज्य सरकार द्वारा सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग लगाने का प्रश्न है राज्य की नई औद्योगिक नीति में यह घोषित किया जा चुका है कि "जब तक कोई विशेष कारण नहीं हो साधारणतया विभागीय प्रणाली पर नये सार्वजनिक क्षेत्र में राज्य सरकार उद्योग नहीं लगाए जायेंगे। सार्वजनिक औद्योगिक क्षेत्र के सम्बन्ध में निगम सीमित वित्तीय साधनों का अधिकाधिक लाभ उठाने हेतु साधारणतया ज्वाइंट सेक्टर प्रोजेक्ट में हिस्सा पूंजी का 10 प्रतिशत ही विनियोजित किया जाएगा।

राज्य सरकार अब नई नीति के अनुरूप संसाधनों पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित कर रही है। इस संदर्भ में पश्चिमी राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम, जोधपुर, बाड़मेर व जैसलमेर में ऊन पर आधारित ऊनी तकुओं की मिल संयुक्त क्षेत्र में स्थापित कर रही है, इसके अतिरिक्त निगम ग्रेनाइट पोलिशिंग फैक्ट्री जोधपुर में स्थापित कर रही है। राज्य सरकार के डेयरी विकास निगम ने भी जोधपुर व बीकानेर में सहकारी दुग्ध उत्पादन डेयरियों व चिलिंग प्लांट्स की स्थापना की है, बीकानेर में भी वर्ष 1977 व 1978 में कई ऊनी मिलों की स्थापना के परमिट जारी किए गए हैं। राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम ने नागौर चूरु व आबू रोड़ सिंथेटिक एवं ब्लेंडेड यार्न की मिलें संयुक्त क्षेत्र में लगाने हेतु लाइसेंस के लिए भारत सरकार को आवेदन किया है, इसके अतिरिक्त दो निजी प्रतिष्ठानों को सिरोही व किवरली (बनास) में दो बड़े सीमेंट के कारखाने लगाने हेतु भारत सरकार द्वारा आशय पत्र जारी किए गए हैं। एक अन्य निजी संस्थान ने जोधपुर में 25000 सूती स्पिंडल्स लगाने हेतु भारत सरकार को आवेदन किया है। राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम को संयुक्त क्षेत्र में 3 मिनी सीमेंन्ट के कारखाने बिलाड़ा रास (पाली) व किवरली में लगाने हेतु आशय पत्र मिले हैं।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला जालौर क्षेत्र

218. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचौर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(1) क्या यह सही है कि जिला जालौर औद्योगिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा जिला है ? अगर हां तो अब उपरोक्त जिला औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा कब तक घोषित करवा दिया जावेगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिला जालौर में तहसील सांचौर एवं तहसील भीनमाल में अभी तक औद्योगिक बस्ती कायम करने हेतु क्षेत्र रिजर्व नहीं किये गये हैं ?

(3) क्या अब सरकार सांचौर एवं भीनमाल नगरपालिका क्षेत्र में औद्योगिक बस्तियां बसाने हेतु कोई क्षेत्र रिजर्व रखने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त नगरपालिका क्षेत्रों में अभी तक लघु उद्योग कायम करने हेतु पूर्ण सर्वेक्षण नहीं करवाये गये हैं ? अगर हां तो क्यों ? अगर नहीं तो कहां कहां पर सर्वेक्षण करवाये गये ?

(5) क्या उक्त क्षेत्रों में कच्चे माल एवं छोटे कारीगरों के स्कोप के आधार पर उक्त सांचौर एवं भीनमाल नगरों में लघु उद्योग कायम करने का सरकार विचार रखती है ? अगर हां, तो कौन कौन से लघु उद्योग किस किस नगर में कब तक सरकार कायम करने में सफलता प्राप्त कर सकेगी ?

(6) जिला जालौर में पूर्व में लगाये गये जो उद्योग बन्द पड़े हैं उनको वापस रिवाल्व करने की सरकार कोशिश करेगी ? अगर हां, तो कब तक प्रयत्न किये जावेंगे ?

(7) क्या सरकार औद्योगिक दृष्टि से जिले का विस्तृत सर्वेक्षण करना उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जालौर जिले को जून 1970 से ही भारत सरकार के योजना आयोग द्वारा पिछड़ा जिला घोषित किया जा चुका है। परन्तु 15% केन्द्रीय अनुदान देने हेतु चयनित छः पिछड़े जिलों में सम्मलित नहीं है। राज्य सरकार द्वारा अपने श्रोतों से लघु उद्योगों को 15% अनुदान पूर्ण जिले में सब स्थलों पर देय है।

(2) राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम द्वारा सांचौर एवं भीनमाल में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने हेतु कोई निर्णय नहीं लिया है। अतः क्षेत्र रिजर्व करने आदि की कार्यवाही नहीं की गई है।

(3) सांचौर एवं भीनमाल में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने हेतु निगम का अभी कोई विचार नहीं है क्योंकि उपरोक्त क्षेत्रों में उद्यमियों से वहां औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने हेतु पर्याप्त मात्रा में प्रार्थना पत्र मय धरोहर राशि के प्राप्त नहीं हुए हैं। निगम को नवीनतम नीति के अनुसार लघु औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने हेतु 25 प्रार्थना पत्र मय धरोहर राशि के उद्यमियों से प्राप्त होने के उपरान्त ही निगम औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने हेतु निर्णय लेती है।

(4) जिला जालौर का औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण 74–75 में लघु उद्योग

Page No. 37

(37)

(उद्योग मन्त्री)
सेवा संस्थान भारत सरकार द्वारा करवाया गया था। राज्य सरकार ने कोई सर्वेक्षण अलग से नही करवाया है।

(5) राज्य सरकार द्वारा लघु उद्योग स्थापित नहीं किये जाते हैं लघु उद्योग उपक्रमियों द्वारा स्थापित किये जाते हैं जिसके लिए उद्योग विभाग द्वारा आवश्यक सहायता एवं सुविधायें प्रदान की जाती हैं जिनकी नीतिगत घोषणा की जा चुकी है। सर्वेक्षण के आधार पर भीनमाल व सांचोर में तेल मिल, दाल मिल, ग्वारगम, डेयरी, चमड़ा रंगाई, ऊनी कम्बल, ऊनी व पम्प, खण्डसारी, सीमेन्ट पाईप साबुन, उद्योग, एग्रो सर्विस सेन्टर, मोटर्स वाइन्डिंग पशु आहार आदि उद्योग स्थापित किये जाने की संभावना है।

(6) जो बन्द इकाइयां अपने कार्य को पुनः चालू करने में रुचि रखती हैं उनके द्वारा चाही गई ऋण. कच्चा माल, विपणन' विद्युत शक्ति आदि संबंधी सुविधाएं सरकार देने का प्रयत्न कर रही है।

(7) जिला जालौर में उद्योग केन्द्र 1979-80 में खोले जाने का प्रस्ताव है और केन्द्र खुलते ही सर्व प्रथम सर्वेक्षण हाथ में लिया जायेगा।

राज्य में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता

220. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर): क्या श्रम व नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में अब कुल कितने बेरोजगार है? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राज्य में मार्च 77 में कितने बेरोजगार थे? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) राज्य में मार्च 1965 में बेरोजगारों की कितनी संख्या थी? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) इनको रोजगार दिलाने की राज्य सरकार की क्या व्यवस्था है?

(5) क्या बेरोजगारी भत्ता देना जनता पार्टी के घोषणा-पत्र का एक मुद्दा था?

(6) राज्य सरकार की उसके बारे में क्या नीति है?

उत्तर

(1) राज्य में अब कुल कितने बेरोजगार हैं उनके सम्बन्ध में नियोजन सेवा विभाग में सूचना संकलन नहीं की जाती है। किन्तु राज्य के नियोजन कार्यालयों की जीवित पंजिका पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार दिनांक 31-12-78 को 3,22,285 आशार्थी रोजगार प्राप्त करने हेतु पंजीकृत थे। जिलेवार सूची परिशिष्ट 'क' पर प्रस्तुत है।

(2) राज्य के नियोजन कार्यालयों की जीवित पंजिका पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 31-3-77 को 2,68,881 आशार्थी रोजगार प्राप्त करने हेतु पंजीकृत थे। जिलेवार सूची परिशिष्ट 'क' पर प्रस्तुत है।

(3) राज्य के नियोजन कार्यालयों की जीवित पंजिका पर मार्च 1965 को 51,371 आशार्थी रोजगार प्राप्त करने

(श्रम एवं नियोजन मन्त्री)

हेतु पंजीकृत थे। जिलेवार सूची परिशिष्ट 'क' पर प्रस्तुत है।

(4) राज्य सरकार का प्रयत्न अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में विकासशील कार्यों को परिचालित करके रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। राज्य सरकार आर्थिक नीतियों को भी इस प्रकार से बना रही है कि वित्तीय विनियोजन इस प्रकार से हो ताकि रोजगार के अवसर अधिक से अधिक बढ़ें।

(5) इसका सम्बन्ध इस विभाग से नहीं है।

(6) इसका सम्बन्ध इस विभाग से नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

जिला झालावाड़ में पंजीकृत बेरोजगार

221. **श्री ईश्वरचंद्र** (पिड़ावा),

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या श्रम व नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) झालावाड़ जिले में कितने रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन रजिस्टर्ड बेरोजगारों में कितने अनुसूचित जाति व जन-जाति के हैं तथा कितने अन्त्योदयी या अन्त्योदयी परिवारों से सम्बन्धित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3 सन् 77-78 व 78-79 में दिनांक 9-2-78 तक कितने रजिस्टर्ड बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है?

(4) क्या राज्य सरकार का इन बेरोजगारों को भत्ता दिये जाने का इरादा है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला नियोजन कार्यालय झालावाड़ की जीवित पंजिका पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार दिनांक 31-12-78 को 4,537 आशार्थी रोजगार प्राप्त करने हेतु पंजीकृत थे। सूची संलग्न है।

(2) इन पंजीकृत आशार्थियों में अनुसूचित जाति के 574, अनुसूचित जन जाति के 229 एवं अन्त्योदयी के 24 आशार्थी पंजीकृत थे। अन्त्योदयी परिवारों से सम्बन्धित सूचना इस निदेशालय में उपलब्ध नहीं है।

(3) जिला नियोजन कार्यालय झालावाड़ के माध्यम से सन् 1977-78 व 78-79 (1-1-77 से 31-1-79 तक) में क्रमशः 279 एवं 344 आशार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

(4) जी नहीं। वित्तीय अभाव के कारण संभव नहीं हो सकेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने की योजना

222. **श्री गुल मोहम्मद** (जौहरी बाजार) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री ने आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं नियोजन

(श्री गुलमोहम्द)

कार्यालयों में पंजीकृत ओवर एज होने वाले आशार्थियों को सम्प्रेषण के मामले में कुछ प्रतिशत तक प्राथमिकता देने सम्बन्धी निर्देश जारी करने हेतु आदेश दिये थे? यदि हां, तो वे क्या आदेश थे? प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। क्या सम्बन्धित निर्देश नियोजन कार्यालयों को प्रसारित कर दिये गये? यदि कब तक नहीं किये गये, तो क्यों?

(2) क्या लम्बे अर्से से पंजीकृत बेरोजगार आशार्थियों को राहत पहुंचाने की दृष्टि से बेरोजगारी भत्ता देने की कोई योजना राज्य सरकार द्वारा बनाई गई है? यदि हां, तो उसके क्रियाविति किये जाने में क्या दिक्कतें हैं? योजना की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या पूर्व में नियोजन कार्यालय तथा राज्य सरकार को नियोजन सम्बन्धित मामलों में सलाह देने हेतु जिला स्तर तथा राज्य स्तर पर नियोजन सलाहकार समितियां कार्य कर रही थीं? यदि हां, तो अब इस प्रकार की समितियों का गठन क्यों नहीं किया गया और अब कब तक करने का विचार है?

(4) नियोजन विभाग में कौन-कौन सी विभिन्न योजनायें चल रही हैं? क्या इनके वार्षिक मूल्यांकन की कोई व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो अन्तिम मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। अब जिला नियोजन सलाहकार समितियों का गठन विचाराधीन है।

(4) विभाग में स्व-नियोजन एवं व्यवसायों का विकास योजना, शोध एवं मूल्यांकन योजना, प्रशिक्षण योजना क्रियाशील है।

स्व-नियोजन एवं व्यवसायों का विकास योजना के अन्तर्गत सांख्यिकी आंकड़ों के उतार चढ़ाव से कार्यक्रम का मूल्यांकन मासानुसार होता रहता है। रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। शोध एवं मूल्यांकन कार्यक्रम का मूल्यांकन वर्ष 77-78 में किया गया था।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत विभागीय आवश्यकताओं के पाठ्यक्रमों का आयोजन होता रहता है। इस पाठ्यक्रमों के आयोजनों में राज्य सरकार के व्यवस्था एवं पद्धति विभाग से आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम आदि प्राप्त होते रहते हैं। इसके मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं रहती।

शोध एवं मूल्यांकन की अन्तिम रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है।

इस वित्तीय वर्ष के अन्त में मूल्यांकन पुनः किया जायगा।

(प्रतिवेदन के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

बांसों की कटाई की नीति

223. **श्री लालूदास** (फलासिया):

(श्री लालूदास)
क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या वन विभाग की गलत नीति के कारण बांसों की कटाई के अन्तर्गत सारे सूखे बांस निकाल दिये जाते हैं ? क्या यह सही है कि उससे जब आंधी और हवा चलती है तो नये बांसों को आधार नहीं मिलता और वे जमीन पर गिर कर समाप्त हो जाते हैं और इससे काफी नुकसान प्रतिवर्ष राज्य सरकार को उठाना पड़ता है ? यदि हां, तो इस ओर राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

बांसों की वैज्ञानिक ढंग से कटाई के लिए बीड़ों से सूखे बांस निकाले जाते है। यह सही नहीं है कि उससे आंधी और हवा से नये बांसों को आधार न मिलने से, वे गिर कर समाप्त हो जाते हैं और उससे राज्य सरकार को कोई हानि होती है। प्रश्न ही नहीं उठता ।

आदिवासी क्षेत्र में सेवारत अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की योजना

224. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या आदिवासी क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों को जन जाति के लोगों के बीच कार्य करने का कोई छोटी अवधि का प्रशिक्षण देने की कोई योजना है ? यदि हां, तो इनको प्रशिक्षण कहां और किस अवधि का दिया जाता है ?

उत्तर

जी हां । प्रशिक्षण देने की निम्नलिखित योजनाएं हैं:—

(1) आदिवासी क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों को राजस्थान राज्य सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर में चार सप्ताह का प्रशिक्षण दिया गया है ।

(2) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, दिल्ली में भी उच्च अधिकारियों के लिये वर्ष में दो बार 10 दिवसीय प्रशिक्षण देने की योजना है ।

(3) अब आदिम जाति शोध संस्थान इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आ रहा है अतः इस संस्थान का उपयोग करके योजनाबद्ध तरीके से ऐसा प्रशिक्षण देने की अतिरिक्त व्यवस्था शीघ्र ही प्रारम्भ की जायगी ।

आदिवासी उप योजना से लाभान्वित आदिवासी महिलाएं

225 श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

आदिवासी उप योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा जिले की आदिवासी महिलाओं के लिए क्या कोई गृह उद्योग प्रारम्भ किये गये हैं ? यदि हां, तो उन उद्योगों के विवरण

(श्री बहादुर सिंह,)

एवं उनसे लाभांवित होने वाली महिलाओं की संख्या की सूची कृपया सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

आदिवासी उप योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा जिले की आदिवासी महिलाओं के लिये अभी तक कोई गृह उद्योग प्रारम्भ नहीं किया गया है।

सोजत का भेड़ कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र व कर्मचारियों का स्थानान्तरण

227. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत)–क्या भेड़ व ऊन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के आदेशानुसार पाली जिले में सोजत में भेड़ों का कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र था जिसका सोजत से स्थानान्तरण कर दिया? यदि हां, तो कहां?

(2) क्या उक्त केन्द्र का स्थानान्तरण करते समय उक्त केन्द्र पर काम कर रहे कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु भी कोई मार्ग दर्शन दिया गया?

(3) सोजत के गर्भाधान केन्द्र पर किस किस श्रेणी के कौन से आदमी काम कर रहे थे व उनमें से किस किस को कहां कहां बदला गया?

(4) प्रश्न के भाग 3 में बताये गये स्थानान्तरण में कौन कौन से स्थानान्तरण राज्य सरकार के आदेशानुसार व मार्गदर्शन के अनुसार कि.ए गए व कौन कौन से स्थानान्तरण राज्य सरकार के मार्गदर्शन के विपरीत किये गये व क्यों? सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी व उन कर्मचारियों को वापस कब तक सरकारी नीति के अनुसार स्थानान्तरण कर देगी?

उत्तर

(1) जी हां। जहाजपुर (जिला भीलवाड़ा)

(2) जी नहीं।

(3) राज्य भेड़ व ऊन सेवा के श्री एन. सी. माथुर को पाली एवं राजस्थान भेड़ व ऊन अधीनस्थ सेवा के श्री मुकना राम एवं श्री ईश्वरदान तथा चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के श्री घीसा राम, श्री विज्ञान व ताराचंद मौर्य को जहाजपुर स्थानान्तरित किया गया।

(4) कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, सोजत को जहाजपुर स्थानान्तरित करते समय राज्य सरकार से स्टाफ के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कोई मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ और इसलिए मार्गदर्शन के विरुद्ध स्थानान्तरण करने तथा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता। इन कर्मचारियों को वापिस स्थानान्तरित करने की कोई सम्भावना नहीं है क्योंकि कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र ही सोजत से स्थानान्तरित किया गया है।

तिजारा क्षेत्र के अधूरे पड़े बांध

228. **श्री अयूब खां** (तिजारा)–क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) तिजारा क्षेत्र में कौन कौन से बांध अधूरे या टूट पड़े हैं?

(2) क्या इन बांधों को वर्षा ऋतु से पूर्व बांधने से बाढ़ नियन्त्रण में सहायता मिलेगी? यदि हां तो :—

(श्री अयूब खां)

(क) जयरोली बांध
(ख) विलासपुरबांध
(ग) नीबाहेड़ी बांध
(घ) गुवाल्दा बांध
(ङ) गन्धोला बांध
(च) खिदरपुर गोतोली बांध
(छ) धोली पहाड़ी बांध

को क्या शीघ्र बांधा जाएगा ?

उत्तर

(1) तिजारा क्षेत्र में निम्न बांध अधूरे या टूटे पड़े हैं :—

1— सहारन खुर्द
2— करवड
3— विलासपुर
4— लोडी
5— सहदपुर बारका
6— नीमली
7— सरोद

उपरोक्त क्रम सं. 2 से 7 तक के बांध बरसात के पहले पूर्ण रूप से बन्ध जायेंगे।

2– जी हाँ।

प्रश्न में दर्शाये हुए बांधों की स्थिति निम्न प्रकार हैं :—

(क) **जिरोली बांध** :—
प्राक्कलन बनाया गया है व जांच की जा रही है।

(ख) **विलासपुर बांध** :—
बरसात के पूर्व पूर्ण रूप से तैयार हो जायगा।

(ग) व (ङ) **नीबाहेड़ी बांध व गन्धोला बांध**।

योजनाएं उपयुक्त नहीं होने से कार्यान्वित नहीं की जा सकी हैं।

(घ) **गुवाल्दा बांध** व (छ) **धोली पहाड़ी बांध** } दोनों बांध विभाग के नहीं हैं।

(च) **खिदरपुर गोतोली बांध** :—
यह बांध तैयार हैं।

झालावाड़ जिले की मनोहर थाना परवन परियोजना

229· **श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा** (मनोहर थाना)–क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ जिले में सिंचाई विभाग के कार्य किस-किस निर्वाचन क्षेत्र में किस-किस अनुमानित लागत से प्रारम्भ किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) मनोहर थाना परवन परियोजना किस-किस स्थिति में है और राज्य सरकार इस योजना के क्रियान्वयन के लिये क्या निर्णय लेने जा रही है ?

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत हाथ में ली गयी परियोजनायें संलग्न सूची के अनुसार है।

(2) मनोहर थाना परवन परियोजना वर्तमान में सर्वेक्षण एवं प्राक्कलन बनने की स्थिति में है। परियोजना निर्माण सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्यों के लिए वर्ष 1978–79 में एक लाख रुपये आवंटित किये गये हैं, जिससे प्रारम्भिक कार्य जैसे, स्थल सफाई, एप्रोच रोड़, भण्डारण, आदि कार्य करवाने जा रहे हैं।

(परियोजनाओं के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

Page No. 43

43

कोटपूतली उपखंड के पाछोडाला बांध का निर्माण कार्य

230. **श्री रामकरण सिंह** (कोटपूतली)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटपूतली उपखण्ड में पाछोडाला बांध कब से बन रहा है ?

(2) कितने ठेकेदारों ने उक्त कार्य का ठेका लिया और अधूरा कार्य छोड़ कर चले गये ?

(3) कितने सहायक अभियन्ता व ओवरसियर आज तक इस काम पर लगे और स्थानान्तरण होकर चले गये ?

(4) इस कार्य के पूर्ण न होने का क्या कारण है और यह कब तक पूरा हो जाना चाहिये था ?

उत्तर

(1) पाछोडाला बांध का कार्य जनवरी, 1971 से चल रहा है ।

(2) उक्त कार्य पर मुख्य तीन ठेकेदारों ने कार्य किया :—

1. रामअवतार गुप्ता

2. श्री मिट्ठनलाल

3. मैसर्स प्लाइड कन्सट्रक्शन कम्पनी, जयपुर । जिनमें से रामअवतार गुप्ता व श्री मिट्नलाल ठेकेदार कार्य को अधूरा छोड़कर चले गये ।

(3) उक्त कार्य पर अब तक 6 सहायक अभियन्ता एवं 6 कनिष्ट अभियन्ता लगाये गये है तथा जिनमें से पांच सहायक अभिन्यता व पांच कनिष्ठ अभियन्ता स्थानान्तरण होकर चले गये हैं ।

(4) उक्त कार्य के पूर्ण न होने के प्रमुख कारण हैं :—

1. भूमि अवाप्ति में देरी जिसमें बारों एरिया उपलब्ध नहीं हुआ,

2. ठेकेदारों द्वारा समय समय पर कार्य को अधूरा छोड़कर चला जाना ।

यह कार्य जून, 1979 तक पूर्ण होने की सम्भावना है ।

सवाई माधोपुर जिले में सिंचाई विभाग के बन्धे

231. **श्री मन्जूर अली** (सवाई माधोपुर)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई माधोपुर जिले में सिंचाई विभाग के बन्धे कितने कितने पुराने हैं ? वर्ष अंकित करते हुए विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही नहीं है कि इस वर्ष बन्ध सूखाल, मूई, मानसरोवर व भगवतगढ़ पर व इनसे जारी होने वाली नहरों की मरम्मत पर कराये जाने वाले कामों के लिए जयपुर या अन्य स्थान से ठेकेदार बुलाये गये हैं ? जिन जिन ठेकेदारों को टेण्डर से या वर्कचार्ज पर काम दिया गया है उनके नाम व निवास स्थान दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) सिंचाई विभाग सवाई माधोपुर जिले में रजिस्टर्ड ठेकेदारों के नाम व निवास

(श्री मन्जूर अली)

स्थान दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) जिला सवाई माधोपुर में सिंचाई विभाग के ठेकेदारों के कुल कितने बिल कब से पेंडिंग हैं ?

(5) एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर सवाई माधोपुर ने जब से चार्ज लिया है तब से कुल कितने बिलों का भुगतान किया है ?

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर जिले में कुल बांध 108 हैं। सूची 'अ' संलग्न है, जिसमें निर्माण वर्ष अंकित किया हुआ है।

(2) बांधों व इससे जारी होने वाली नहरों की मरम्मत कराने हेतु निविदायें प्रकाशित की जाती हैं कोई भी ठेकेदार आकर निविदायें देकर, कार्य ले सकता है। इन बांधों व नहरों पर कार्य टेण्डरों व वर्क आर्डर पर जिन जिन ठेकेदारों को दिया गया है उनके नाम व निवास स्थान दर्शाते हुए सूची 'अ' संलग्न है।

(3) सवाई माधोपुर में रजिस्टर्ड ठेकेदारों के नाम व निवास स्थान दर्शाते हुए 'स' सूची संलग्न हैं।

(4) सिंचाई खण्ड सवाई माधोपुर के पास कुल 34 बिल हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :—

वित्तीय वर्ष	पेंडिग बिल्स की संख्या
1967–68	1
1968–69	10
1969–70	2
1970–71	1
1971–72	—
1972–73	4
1973–74	3
1974–75	—
1975–76	1
1976–77	1
1977–78	8
1978–79	3
कुल	34

(5) अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई ने जब से चार्ज लिया है फरवरी, 79 तक 245 बिलों का भुगतान किया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

पिड़ावा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतीकरण

232. **श्री ईश्वर चन्द्र** (पिड़ावा) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम दीवलखेड़ा, उखल, सशेनिया, छरोनिया, सेमली, भवानी, नहरावद, हिम्मतगढ़, शेरपुर, देवली, उत्पादन की दृष्टि से श्रेष्ठ होने पर भी बिजली से क्यों लाभान्वित नहीं किए जा रहे हैं ?

(2) पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना क्यों नहीं बनाई जा रही है ?

(3) पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र के सभी ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक हो सकेगा ?

उत्तर

(1) पिड़ावा क्षेत्र के ग्राम दीवलखेड़ा, सरोनिया, धरोनिया एवं नहरावद को मण्डल के सामान्य कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1978-80 में विद्युतीकृत करने के लिए स्वीकृत कर दिया गया है। शेष ग्रामों के विद्युतीकरण की अभी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(2) पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजना उच्च प्रसारण लाइन एवं भू जल के अभाव के कारण नहीं बनाई जा सकी है।

(3) उपरोक्त अभावों के कारण अभी निश्चित रूप से कहना सम्भव नहीं है।

जन जाति क्षेत्र के सबसे पिछड़े ग्रामों का विद्युतीकरण

233. **श्री कुंजीलाल** (बामनवास)— क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राज्य सरकार ट्राइब्स आरक्षित क्षेत्र के सबसे पिछड़े, इलाके आंतरी क्षेत्र ग्राम बिचपुरी सिरसावली, सुकार, भावरा, अमारवा आदि तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर के विकास हेतु विद्युतीकरण योजना पर विचार कर रही है? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है एवं पूर्ण विद्युतीकरण कब तक सम्भव होगा? यदि नहीं, तो क्यों एवं कब तक?

उत्तर

जी हां, ग्राम अमारवा के अतिरिक्त आंतरी क्षेत्र तहसील बामनवास के ग्राम बिचपुरी, रीवाली, सुकार, कुआं गांव एवं भावरा के विद्युतीकरण की स्वीकृति मण्डल के सामान्य कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1978-80 में विद्युतीकृत करने के लिए प्रसारित कर दी गई है। अन्य कोई स्वीकृत कार्यक्रम नहीं होने के कारण कुछ भी कहना सम्भव नहीं है।

तहसील चौहटन के घोषित अभाव ग्रस्त ग्राम

235. **श्री अब्दुल हादी** (चौहटन)— क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इस वर्ष जिला बाड़मेर की चौहटन तहसील में कितने गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं? गांवों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि चौहटन तहसील में जिन गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है उन सभी में सभी प्रकार की राजस्व वसूलियां की जा रही हैं जब कि नियमानुसार ऐसा नहीं किया जाना चाहिये?

(3) यदि हां, तो इसका दोषी कौन है और राज्य सरकार इस विषय में क्या कदम उठा रही है?

(4) क्या राज्य सरकार अभावग्रस्त क्षेत्रों में राजस्व वसूलियां बन्द करने का निर्देश देगी? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

(1) चौहटन तहसील के 74 गांवों में 50 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत से अधिक

(अकाल सहायता मंत्री)

खराबे की रिपोर्ट जिलाधीश से प्राप्त हुई है। सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है। इन गांवोंमें अभाव की स्थिति की घोषणा अभी नहीं की गई है। हाल ही में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन गांवों में खरीफ की फसल प्रमुख है और जहां नुकसान 50 प्रतिशत एवं उससे अधिक है उन्हें अभावग्रस्त घोषित कर दिया जावे। इसके अलावा 50 प्रतिशत या उससे अधिक नुकसान वाले वे ग्राम भी अभावग्रस्त घोषित किये जावेंगे जिनमें रबी फसल, खरीफ फसल के मुकाबले चार आने तक ही होती है।

(2) चौहटन तहसील में अभाव की घोषणा न होने के कारण अभी तक वसूलियाँ की गई थीं।

(3) वसूलियों के लिए कोई दोषी नहीं है।

(4) राज्य सरकार ने अभावग्रस्त ग्रामों को घोषित करने का निर्णय अभी लिया है उसके मुताबिक राजस्व वसूलियाँ रोकने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

पिड़ावा तहसील के घोषित अभाव-ग्रस्त ग्राम

236. **श्री ईश्वर चन्द्र** (पिड़ावा)—क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले में पिड़ावा तहसील के 44 गांव अकाल या अभाव ग्रस्त हैं? यदि हां, तो इन अकाल पीड़ित ग्रामों के लिये सरकार ने क्या किया है? गांवों की सूची व राहत कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अकाल-ग्रस्त ग्रामों में सरकारी वसूलियां व सहकारी वसूलियों का दमन-चक्र जारी है? यदि हां-तो इस अन्याय का क्या कारण है व सरकार कब तक इसे रोकेगी?

उत्तर

(1) जी हां। तहसील पिड़ावा के 44 गांवों में 50 प्रतिशत व 50 प्रतिशत से अधिक खराबा होने की सूचना जिलाधीश से प्राप्त हुई जिनकी सूची संलग्न है। मगर अभी तक किसी ग्राम को अभावग्रस्त होने की घोषणा राजपत्र में प्रकाशित नहीं हुई है इसलिए राहत विभाग की तरफ से कोई कार्य अभी तक शुरू नहीं करवाया गया है।

(2) अभी तक अभाव की स्थिति राजपत्र में प्रकाशित नहीं होने के कारण नियमानुसार वसूलियाँ की गई थीं। वसूलियों में दमन-चक्र का कोई प्रश्न ही नहीं है। मगर अभी राज्य सरकार ने 50 प्रतिशत व इससे अधिक खराबे वाले गांवों को अभावग्रस्त घोषित करने का निर्णय ले लिया है। लेकिन जहां दोनों फसलें होती हैं उनमें 25 प्रतिशत तक रबी फसल होगी सिर्फ उन्हीं ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किया जायगा। अभाव की घोषणा के बाद ही राहत के कार्य शुरू किये जावेंगे।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

अलवर जिले में ए. ईएन्स. के स्वीकृत सब डिवीजन

237. **श्री समरथलाल** (राजगढ़)–क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

अलवर जिले में ए. ईएन्स. के कितने सब डिवीजन सृजित किये गये हैं तथा वे कब से अपने अपने स्थान पर कार्य प्रारम्भ करेंगे ?

उत्तर

अलवर जिले में दो नये ए. ईएन. के सब डिवीजन सृजित किये गये हैं वह राजगढ़ व तिजारा में स्थापित हैं। जो शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ करेंगे।

ग्राम कागदीवाड़ा व छीपावाड़ा का सड़क निर्माण कार्य

238. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही कि ग्राम कागदीवाड़ा व छीपावाड़ा जिसकी दूरी मंगला माता रोड़ (ब्रह्मपुरी) जयपुर व आमेर रोड़ से केवल आधा किलो मीटर है तथा ग्राम रास्ता वर्षा ऋतु में लगभग बन्द हो जाता है ?

(2) क्या राज्य सरकार उक्त ग्राम कागदीवाड़ा छीपावाड़ा का आधा किलोमीटर सड़क का निर्माण करवा कर जयपुर शहर से जोड़ने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इस विभाग के रोड़ प्लान में प्रस्तावित नहीं है।

(2) जी नहीं। अभी इस सड़क को विभाग द्वारा प्रस्तावित नहीं है।

तहसील बेगूं के अभावग्रस्त घोषित ग्राम

239. **श्री एच. एम. शर्मा** (बेगूं)—क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इस वर्ष तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ के कितने गांवों में अकाल की स्थिति है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या उक्त अकालग्रस्त गांवों की अधिसूचना राज्य सरकार ने प्रकाशित कर दी है ? अगर नहीं, तो अब तक किन कारणों से यह अधिसूचना जारी नहीं की गई है ?

(3) क्या ग्राम पंचायत जवाहर नगर कुआं खेड़ा के ग्रामों को अकालग्रस्त घोषित किया गया है या नहीं ? अगर हां, तो सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) इस वर्ष बेगूं तहसील के 32 गांवों में 50 प्रतिशत और 50 प्रतिशत से अधिक खराबा होने की सूचना जिलाधीश से प्राप्त हुई है। गांवों की सूचना सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(2) अभी तक किसी भी ग्राम को अभाव-

(अकाल सहायता मंत्री)

ग्रस्त होने की घोषणा राजपत्र में प्रकाशित नहीं हुई है। सूचना प्रसारित करने की कार्यवाही पेशरफ्त है।

(3) ग्राम पंचायत जवाहर नगर कुआं खेड़ा के गांवों में अभाव की स्थिति की घोषणा नहीं की गई है। माननीय सदस्य कृपया नामजद गांवों के नाम देवें तो बाद जांच जवाब दिया जा सकता है। शेष सूचना खण्ड दो में अंकित कर दी गई है। खराबे वाले गांवों की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

नागौर जिले में बनाये पटवार घर

240. श्री हरजीराम बुरड़क (लाड़नूं)–क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस वर्ष नागौर जिले में कहां कहाँ पर पटवार घर बनाये तथा कितने कितने रुपये खर्च किये गये ?

(2) अगले वर्ष कहां कहां पर कितने पटवार घर बनाने की योजना है ?

(3) पटवार घर बनाने के लिये पटवार मुख्यालय का चयन किस प्रक्रिया व किस आधार पर किया जाता है ?

उत्तर

(1) इस वर्ष नागौर जिले में 12 पटवार घर, पटवार मण्डल भावण्डा, माडपुरा, खरनाल, सोनेली, बरनेल, रोहिसा, रियांश्यामदास, मेरून्दा, मंगलाना, मकरी, पांचवा, भगवानपुरा में निर्माणाधीन हैं। इन 12 पटवार घरों में प्रत्येक पर 9000) की राशि स्वीकृत है।

(2) अगले वर्ष (79-80) नियमित बजट में प्रावधान होने पर पटवार घर बनाना निश्चित किया जायगा।

(3) पटवार मुख्यालय तो पूर्व में ही निश्चित है। पटवार घर का निर्माण पटवार मुख्यालय पर ही किया जाता है। जिलाधीश प्रशासनिक दृष्टि से पटवार मण्डलों का प्रतिवर्ष पटवार घर बनाने के लिये चयन करते हैं।

तहसील कोटपूतली में भू-प्रबन्ध का कार्य

242. श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली)—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील कोटपूतली में भू-प्रबन्ध का कार्य कब से चल रहा है तथा अब कब तक पूर्ण हो जायगा ?

(2) इस समय कितने कर्मचारी व अधिकारी इस कार्य को करने के लिये तहसील में आरम्भ से आज तक रहे और कितने को कितने कितने समय में कार्य से हटा लिया तथा कितनों को शिकायत पर हटाया और कितनों को विभाग के फायदे के लिये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) इन कर्मचारियों में से कितनों की शिकायत की जांच चल रही है और

(श्री रामकरण सिंह)

कितनों की जांच कितने दिन में पूरी करके दण्ड दे दिया गया ?

(4) इस सम्बन्ध में दो वर्ष से चल रही जांच या 1-1/2 वर्ष से चल रही जांच को पूरा करने में क्या कठिनाई आ रही है तथा क्या किसी मामले को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को सौंपा है ? यदि हां, तो किसका ?

उत्तर

(1) तहसील कोटपूतली में भू-प्रबन्ध कार्य माह जून, 1975 से आरंभ किया गया था और इसके माह दिसम्बर, 1979 तक समाप्त हो जाने की सम्भावना है।

(2) तहसील कोटपूतली में उस समय तरतीब कार्य में 5 उजरदारी एवं अमलदरामद में 4 तथा 'टेन्टेटिव रेन्ट रेट रिपोर्ट में 7 भू मापक एवं एक निरीक्षक कार्यरत हैं। माह जून, 1975 से फरवरी, 1979 तक कार्यरत कर्मचारियों की संख्या संलग्न तालिका (क से घ) में है। इस क्षेत्र में पहले एक सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी की पार्टी थी। बाद में कार्य को शीघ्र समाप्त कराने हेतु दो सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी की पार्टी लगाई गई। तरतीब का कार्य लगभग समाप्ति पर आने से अक्टूबर, 1978 में एक सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी की पार्टी रख दी गई। जैसे जैसे कार्य कम होता गया इस पार्टी में से भू-मापकों की संख्या कम की जाकर उन्हें अन्य कार्य हेतु लगाया जाता रहा है। कोटपूतली क्षेत्र से केवल एक भू-मापक श्रीश्याम लाल गुप्ता की शिकायत पर हटाया गया था। शेष सभी को प्रशासनिक दृष्टि से कार्य की कमी वेसी के आधार परलगाया/हटाया गया था।

(3) तहसील कोटपूतली में नियुक्त अधिकारी कर्मचारी में से दो सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी, एक निरीक्षक एवं 10 भू-मापक एवं स्टाफ के विरुद्ध 24 शिकायतें प्राप्त हुई। कुल 24 शिकायतों में से 18 निर्णित हो चुकी हैं। उनमें से एक कर्मचारी को सेन्सर किया गया और 17 तथ्यहीन पाई गईं। शेष 6 की जांच चल रही है।

(4) कुल शेष 8 शिकायतों में से तीन ही शिकायतें डेढ़ वर्ष से अधिक अवधि की हैं। इसमें से एक में शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हुआ फिर भी जांच अधिकारी से कहा गया है कि वह शिकायतकर्ता से जांच करने का पुनः प्रयास करें। दूसरी शिकायत में वर्तमान जांच अधिकारी की नियुक्ति दिनांक 9-3-78 को की गई थी। इसमें शहादत लेने की कार्यवाही चल रही है। शीघ्र पूरी करा दी जायगी। तीसरी शिकायत रकबा की कमी के बाबत थी। मौके पर पैमाइश कर शिकायतकर्ता को बतला दिया गया था फिर भी गत जमाबंदी के अनुसार रकबे की जानकारी कर यदि अन्तर हो तो पुनः पैमाइश करने के लिये कहा गया है। एक भू-मापक श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता के विरुद्ध

(राजस्व मंत्री)

शिकायत के प्रकरण को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को अनुसंधान हेतु दिया गया है।

(तालिका विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

ग्राम पवाला तहसील कोटपूतली की गोचर भूमि

243. श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली)–क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील कोटपूतली के पवाला ग्राम की गोचर भूमि स्वीकृत करवाने बाबत अलाटमेन्ट कमेटी ने तहसील को अपना प्रस्ताव किस किस नम्बर का कब दिया तथा तहसील ने जिला को किस किस खसरा नं० की स्वीकृति हेतु कब भेजा ?

(2) जिले से तहसील को गोचर भूमि के बाबत कब कब क्या क्या सूचना भेजी गई तथा तहसील ने जिले से सूचना मंगाने के लिये कब कब पत्र व आदमी भेजे और उसका क्या फल निकाला ?

(3) क्या यह सही है कि इस पत्रावली को जिला प्रशासन के सम्बन्धित व्यक्तियों ने गन्दे इरादों से दबाई या जला डाली ? यदि नहीं, तो कृपया बतावें फाइल कहां है ?

(4) क्या पवाला ग्राम के राजपूत के खसरा नं० 57 आदि के बारे में राज्य सरकार से समय-समय पर जानकारी चाही गई थी ? यदि हां, तो जिला प्रशासन ने इस बारे में क्या और कब कब सूचना दी ?

उत्तर

(1) ग्राम पवाला राजपूत तहसील कोटपूतली के चरागाह हेतु अलाटमेंट एडवाइजरी कमेटी ने ख. नं० 1 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा ख. नं० 26 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा, ख. नं, 56 रकबा 20 बीघा 7 बिस्वा, ख. नं. 57 रकबा 88 बीघा 18 बिस्वा, ख. नं. 106 रकबा 35 बीघा 14 बिस्वा, ख. नं. 121 रकबा 23 बीघा 2 बिस्वा, ख. नं. 139 रकबा 46 बीघा 11 बिस्वा ख. नं. 344/132 रकबा 5 बिस्वा, 345/5 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा कुल मिला 10, रकबा 310 बीघा का प्रस्ताव क्रमांक 140 दिनांक 3-10-61 द्वारा जिला कार्यालय में भिजवाया गया था।

(2) उपरोक्त प्रस्ताव प्राप्त होने पर जिला कार्यालय की पत्रावली पंजिका के क्रमांक आर-1-11(65)62 पर पत्रावली दर्ज की गई थी उक्त पत्रावली कार्य निबटाओ अभियान के दौरान दि: 21-8-77 को तलफ (नष्ट) कर दी गई इस कारण यह बताया जाना सम्भव नहीं है कि जिलाधीश कार्यालय से कब कब तहसील से क्या क्या सूचना चाही गई और क्या सूचना तहसील से प्राप्त हुई।

(3) जी नहीं। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह माना जा सके कि पत्रावली सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा गन्दे इरादों

(राजस्व मंत्री)

से दबा या जला डाली गई हो। पत्रावली उपरोक्तानुसार दिनांक 21-8-77 को तलफ हो गई।

(4) ग्राम पवाला राजपूत के खसरा नम्बर 57 के बारे में वर्ष 1977-78 में समय समय पर पत्र लिखकर जिलाधीश से जानकारी चाही गई थी। उनके यहां से अन्तरिम उत्तर ही प्राप्त हुये। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. । (376) राजस्व /3/77 दिनांक 28-9-78 के द्वारा जिलाधीश को आदेश दिया गया कि वे इस आराजी की जांच करावें एवं यदि इसका गोचर हेतु उपयोग होता हो एवं इस ग्राम में घोषित चरागाह निर्धारित से कम हो तो उस दशा में इस भू-खण्ड को गोचर घोषित करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही करें। इस बाबत आगे जानकारी दी गई है कि खसरा नम्बर 57 का कुल रकबा 88 बीघा 18 बिस्वा है इसमें से निम्न आवंटन नियमन हो चुका:—

1. नियमन
   दिनांक 5-12-77 रकबा 27 बीघा 12 बिस्वा।

2. आवंटन

दिनांक 26-10-77	9 बीघा
,, 5-1-78	9 बीघा
,, 25-5-78	15 बीघा
	33 बीघा
योग	60 बीघा 12 बिस्वा

इस प्रकार इस रकबे में 26 बीघा 6 बिस्वा शेष बचा है। इसमें से 16 बीघा 6 बिस्वा पर अतिक्रमण था जिसे हटा दिया गया है परन्तु इस आराजी को चरागाह के उपयुक्त जिलाधीश ने नहीं समझा। अब दिनांक 3-1-79 को विज्ञप्ति जारी कर निम्न को चरागाह घोषित करने के लिये कार्यवाही चालू की गई है।

खसरा नम्बर	रकबा
1	11 बीघा 7 बिस्वा
26	46 बीघा 7 बिस्वा
106	35 बीघा 14 बिस्वा
139	46 बीघा 11 बिस्वा
344-132	— 5 बिस्वा
345-55	4 बीघा 16 बिस्वा
योग	144 बीघा 10 बिस्वा

इस गांव की पशु संख्या 287 है। जिलाधीश उपरोक्त खसरा नम्बरों को चरागाह घोषित करने की कार्यवाही कर रहे हैं।

भूमि सम्बन्धी मामलों के नियमन के लिये चलाया गया राजस्व अभियान

244. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)– क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने भूमि सम्बन्धी नियमन व नामांतरकरण व आवंटन के मामलों को निपटाने हेतु राजस्व अभियान 15-11-78 से 31-12-78 तक चलाया ?

(श्री माधव सिंह दीवान)

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार के आदेशानुसार तहसीलदार व नायब तहसीलदार को ऐसे सभी मामले जो नियमन के काबिल थे की मिशलें उप खंड अधिकारी को राजस्व अभियान में निपटाने हेतु पेश करनी लाजमी थीं ? यदि हां, तो तहसील सोजत जिला पाली में कौन कौन सी पत्रावलियां तहसीलदार व नायब तहसीलदार द्वारा नियमन हेतु प्रेषित की गईं ? उनकी सूची मय फाइल नम्बर व अतिक्रमी के नाम व गांव व खसरे व रकबे सहित बतावें ?

(3) प्रश्न के भाग (2) में बताये गये मामलों में से कितने फैसले किये गये व जो मामले फैसले नहीं किये गये उनका क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है।

(2) जी हां। सूची संलग्न है।

(3) प्रश्न के भाग (2) में बताये गये मामलों में से एक मामला फैसला किया गया शेष जो मामले फैसले नहीं किये गये हैं उनका कारण संलग्न सूचियों में अंकित है।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के आदेशानुसार यह जिला डी. पी. ए. पी. स्कीम के अन्तर्गत है जिससे 1 हैक्टेयर से अधिक सीमा की भूमि का नियमन नहीं किया जा सकता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

भूमि पर किये गये ग्रामों में अनधिकृत कब्जे

245. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर)– क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रानीवाड़ा से सेवाड़िया एवं आम्बपुरा ढाणी से सेवाड़िया तक कई भीलों एवं राजपूतों के गांवाई रास्तों पर नाजायज कब्जे किए हुए थे ? क्या यह भी सही है कि उनके कब्जे हटाने बाबत करीबन 40–50 का आर. एल. अधिनियम की धारा 91 के तहत तहसील भीनमाल द्वारा मुकदमे मुरतीब कर उनको बेदखल करने के भी आदेश दिये थे ? अगर हां, तो कब ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त रास्तों पर नाजायज कब्जे हटाने एवं जुर्माने के आदेश दिये थे ? अगर हां, तो कब ? अब तक उक्त रास्तों में से नाजायज कब्जे क्यों नहीं हटाये गये ? उनके जुर्माने क्यों वसूल कर लिए गए हैं ? अगर हां, तो कब अगर नहीं तो क्यों ?

(3) उक्त रास्तों पर बार बार नाजायज कब्जे करने एवं सरकारी आदेशों की पालना न करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाकर उनके नायायज कब्जे मौके पर कब तक हटवा दिये जावेंगे ?

(4) क्या यह भी सही है कि ग्राम पांचला से बांवलिया या दांता तक गांवाई रास्ता लोगों ने पूरा का पूरा बन्द कर दिया है ? अगर हां, तो कब से एवं किस

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

किस के द्वारा रास्ता रोका गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। अब उनका नाजायज कब्जा हटवा कर उक्त रास्ता कब तक खुलवा दिया जावेगा ?

(5) गांवों में अभियान चला कर गांवाई रास्ते रेवेन्यू रिकार्ड के अनुसार मौके पर चौड़े कब तक सरकार करवाने में सफल होगी ? इस विकट समस्या का समाधान सरकार किस प्रकार करने में कामयाब होगी ?

उत्तर

(1) रानीवाड़ा से सेवाड़िया एवं आम्बपुरा ढाणी से सेवाड़िया के रास्तों पर विभिन्न जाति के लोगों ने नाजायज कब्जे किये थे। उक्त नाजायज कब्जा करने वाले अतिक्रमणकारियों के खिलाफ धारा 91 एल. आर. एक्ट के अन्तर्गत मुकदमा तहसील भीनमाल में दर्ज किया जाकर उनके बेदखली के आदेश संवत 2034 दिनांक 14-10-77 को जारी किये थे। अतिक्रमणकारियों की सूची संलग्न है।

(2) उक्त रास्तों से नाजायज कब्जे हटाने एवं जुर्माने के भी आदेश दिनांक 14-10-77 को दिये थे। उक्त नाजायज कब्जे मौके पर से हटा दिये गये हैं। 12 अतिक्रमणकारियों से जुर्माना की राशि वसूल की जा चुकी है। शेष की वसूली की कार्यवाही जारी है, केवल श्री हंसा पुत्र तुलसा कौम ब्राह्मण सा. रानीवाड़ा द्वारा राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के स्थगन आदेश प्राप्त कर पेश करने पर उसकी जुर्माने की वसूली की कार्यवाही स्थगित रखी गई है।

(3) उक्त रास्तों पर बार बार नाजायज कब्जे करने वाले श्री उका पुत्र वीका कौम राजपूत को आराजी से बेदखल कर जुर्माना राशि 23/–रुपए वसूल किये जाकर आराजी से बेदखल कर दिया गया है। इसी प्रकार श्री बलवन्तसिंह पुत्र भंवरसिंह कौम राजपूत को आराजी से बेदखल एवं जुर्माना 27-50, एवं 2 माह की सिविल कारागृह की सजा के आदेश दिये गये थे। श्री हंसा पुत्र तुलसा कौम ब्राह्मण को आराजी से बेदखल एवं जुर्माना 402/–रु. के आदेश दिये गये थे लेकिन उनके द्वारा राजस्व अपील अधिकार जोधपुर से अपील दायर कर स्थगन आदेश प्राप्त कर पेश करने पर उसकी वसूली की कार्यवाही स्थगित रखी गई है।

(4) ग्राम पांचला से बांवलिया का मार्ग राजस्व रेकार्ड में नहीं है। यह रास्ता खातेदारी के खेत में से चलता था। जो काश्तकारें द्वारा बन्द कर दिया है, रोकने वाले काश्तकार श्री उदा, केसा, लाला, हरु, रामकीन, भागीरथ, पि. सोना विश्नोई तथा हाजी पुत्र मुगला विश्नोई सा. दाता एवं भेराराम पुत्र नत्थूराम ब्राह्मण केहरा पुत्र मुगला विश्नोई आदि हैं। यह रास्ता रिकार्ड में दर्ज नहीं होने से हटाने की कार्यवाही संभव नहीं है।

(5) अतिक्रमियों को हटाने के लिये धारा 91 के तहत कार्यवाही की जाती है, जैसा उपरोक्त विवरण से भी स्पष्ट है। इस प्रकार की कार्यवाही से रास्तों को मौके पर कायम रखा जाता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

जयपुर जिले के गिरदावर व पटवारियों के विरुद्ध विचाराधीन मामले

246. **श्री रामकरण सिंह** (कोटपूतली)– क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जयपुर में कितने ऐसे गिरदावर और पटवारी हैं जिनके खिलाफ शिकायत पर जनवरी, 1978 से आज तक जांच हुई है और कितनों को दोषी पाये जाने पर दण्ड दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) इन पटवारी और गिरदावरों के कितनों के गबन के मामले सामने आये उनको क्या दण्ड दिया गया और कितनों की जांच चल रही है ?

(3) जांच में देरी करना और निलम्बन समय का बेकार बैठे कितने समय तक वेतन देना सरकार उचित समझती है ?

(4) राजस्थान में दो वर्ष से अधिक समय से कितने गिरदावर और पटवारियों (व्यक्तियों) की जांच चल रही है और कितने निलम्बन के समय का उपभोग कर रहे हैं ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में जनवरी, 78 के पश्चात 26 गिरदावर और 183 पटवारियों के विरुद्ध शिकायतों पर जांच कराई गई और 74 मामलों में दंड दिया गया है । सूची संलग्न है ।

(2) 8 पटवारियों के गबन के मामले सामने आये हैं । इनकी जांच विचाराधीन है । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही दण्ड की कार्यवाही की जावेगी ।

(3) जांच की कार्यवाही शीघ्रता से निपटाने के स्थाई आदेश हैं । सरकार निलम्बन के मामलों में अनावश्यक विलम्ब अवांछनीय मानती है ।

(4) 2 वर्ष से अधिक समय के 366 मामले विचाराधीन हैं । जिनमें 48 गिरदावर और 318 पटवारियों के मामले हैं । 88 व्यक्ति निलम्बित है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

भीलवाड़ा जिले में स्थापित गुजरातियों के फार्म

247. **श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा)**—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा जिले के अन्तर्गत 10 वर्ष में कितने गुजराती फार्म स्थापित हुए ?

(2) इन गुजराती लोगों ने कितनी कितनी जमीन किस किस जागीरदार से कब कब किस किस भाव में खरीदी ?

(3) सीलिंग से बचने के लिए इनको किस किस जागीरदार ने कृषि जमीन का अवैध बेचान किया है ।

(2) गत 10 वर्ष में इन गुजराती फर्म से कितना कितना लगान जमा हुआ है ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में इस अवधि में एक गुजराती फर्म स्थापित हुआ है ।

(राजस्व मंत्री)

(2) एक गुजराती श्री ईश्वर भाई देसाई निवासी नीडयाड़ ने भूतपूर्व जागीरदार श्री गुमानसिंह पुत्र अमरसिंह राजपूत तहसील बनेड़ा से दिनांक 30-9-69 को।

(3) 401) 4 बीघा, 25,000) रुपये में खरीद की थी। इस अवधि में 40 बीघा 9 विस्वा भूमि के बेचान के अलावा ऐसा और कोई मामला नहीं है।

(4) प्रश्न संख्या के उत्तर में जिस गुजराती फर्म द्वारा भूमि खरीदने की बात कही गई है उसका लगान 268.86 पैसा जमा हुआ है।

श्री सीताराम जी का मंदिर ग्राम लालसोट की माफी भूमि का मामला

248. **श्री कुञ्जीलाल (बामनवास)**– क्या देव स्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि श्री सीताराम जी का मन्दिर ग्राम राजोली तहसील लालसोट जिला जयपुर की माफी की जमीन ग्राम टोंकसी तहसील गंगापुर जिला सवाई माधोपुर में है? यदि हां, तो क्या उक्त मन्दिर की एन्यूटी सेवा पूजा एवं भोग की राशि का भुगतान गत कई वर्षों से नहीं हुआ है एवं द्रव्याभाव में मन्दिर की सेवा पूजा एवं भोग में अवरोधन होने से जनता द्वारा बलवा करने की स्थिति पहुंच गई है? यदि हां, तो सरकार उक्त मन्दिर की एन्यूटी दिलाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है एवं नहीं, तो क्यों? एवं कब तक?

उत्तर

जी नहीं। मन्दिर श्री सीताराम जी राजोली तहसील लालसोट जिला जयपुर को मिलने वाली वार्षिक वृत्ति (एन्युटी) की भुगतान देवस्थान विभाग द्वारा उनके पत्र क्रमांक एफ 9 (3496) एन्युटी, देव 66 जयपुर 10139-43 दिनांक 20-3-67 द्वारा जारी की जा चुकी है।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) सर्वश्री वृद्धि चन्द्र जैन व गंगाराम चौधरी, सदस्य विधान सभा की ओर से बाड़मेर जिले में अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनायें सुचारु रूप से नहीं चल रही हैं, इस विषय में।

(2) सर्वश्री राम नारायण चौधरी, मदनसिंह दांता, रिणमलसिंह, भगतारसिंह बंग, दूला राम व रामदेवसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से झुंझुनूं और सीकर जिलों में अकाल की स्थिति के विषय में।

इन प्रस्तावों को राज्य सरकार की सूचना के लिये उनके पास भेजा जा रहा है। माननीय सदस्य चाहें तो आगामी बजट की मांगों के समय भी इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(3) श्री रघुनाथ विश्नोई, सदस्य,

(श्री उपाध्यक्ष)

विधान सभा की ओर से गत 12 मार्च को रोडवेज के एक बस कन्डक्टर की बिजली के खुले तार के स्पर्श से हुई मृत्यु के विषय में।

यह विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री रघुनन्दन व्यास : यह बहुत महत्व-पूर्ण प्रश्न है कि बसेज के ऊपर सवारियां बैठती हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : कन्डक्टर ऊपर बैठकर टिकट काट रहा था इसलिये बिजली के तार का करन्ट लगने से मर गया।

श्री श्योपत सिंह मकासर : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री रघुनाथ विश्नोई : फलोदी तहसील का रहने वाला था। एक कन्डक्टर की बिजली के तार छू जाने से अकाल मौत हो गई।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : तो मैं क्या करूं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे उद्योग मंत्री ने.... ..

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्योपत सिंह जी, आप बिराजिये।

श्री श्योपत सिंह मकासर : जो स्टेटमेंट दिया है अभी हमारे मंत्री महोदय ने वह गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बाद में भी बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने सदन को गुमराह किया है।

श्री गंगाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने स्थगन प्रस्ताव के जरिये माननीय जलदाय विभाग के मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बाड़मेर जिले में 12-13 क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनायें काम कर रही हैं। पिछले तीन-चार साल से ऐसी स्थिति हो रही है कि निर्माण की कमी हो जाने से उन नल योजनाओं से कई गांवों को पानी नहीं पहुंचा। इस साल और पिछले साल कई गांवों में अकाल हुआ है। कई गांव तो ऐसे हैं जिनमें लगातार दो साल अकाल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि लगातार लम्बे अर्से से जल उपलब्ध न होने से कई गांवों के लोग 7-8 मील दूर से ऊंटों से पानी लाते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, नीमदा, बायतू, रामसर, जवार ये जो गांव हैं इनमें पिछले तीन-चार साल से पानी नहीं पहुंचा है। इसी प्रकार बड़ाकलां गांव में भी कई वर्षों से पानी नहीं पहुंच रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति बड़ी भयंकर है ······

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा पिछले तीन-चार साल से क्या एक दिन भी वहां पानी नहीं पहुंचा है ? क्या माननीय सदस्य का कहने का मतलब यही है ?

श्री गंगाराम चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष जी, जवार और रामसर में बहुत कुछ कहने पर एक दफा पानी पहुंचाया था, फिर बन्द हो गया, क्योंकि रास्ते में कई ब्रेक-अप हो जाते हैं। रास्ते में पानी लेने लगते हैं तो गाँवों में पानी नहीं पहुंच पाता है। एक ऊड़ू फूफलिया लाइन है, कभी पानी पहुंचा ही नहीं है। यह बात अवश्य है कि लाइन बहुत लम्बी है और उसमें 112 ब्रांचें हैं लेकिन उन तीन-चार गाँवों में तो प्रयत्न करने के बाद भी पानी नहीं पहुंचा है। बीच में बूस्टर लगाया गया था लेकिन उसको भी बाद में हटा लिया गया, इसलिये पानी नहीं पहुंचता है। रामसर से भावसर और भावसर से खड़ीन में अभी भी पानी नहीं पहुंचा है। एक दफा ट्रायल बेसिस पर अवश्य पहुंचा था लेकिन उसके बाद नहीं पहुंचा है। रामसर में कह रहे थे कि हम बूस्टर लगा रहे हैं लेकिन मुझे शक है कि वहां पानी पहुंच पायेगा। इसलिये बड़ी योजनायें जो हैं उनसे पानी पहुंचाने का प्रबन्ध किया जाय। डोली और कल्याणपुर की भी यही स्थिति है–आखिर के दो-तीन गाँवों को पानी नहीं पहुंचता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि अकाल की स्थिति में दो-तीन और योजनायें नागना और शोपदम सिंह प्रारम्भ करने के लिये सुझाव दिया गया था लेकिन वह भी प्रारम्भ नहीं की जा रही है। पहले सरकार की ओर से व्यवस्था की गई थी और नागना व शोपदमसिंह में जो वैल्स हैं उनमें मशीन लगा कर गर्मी के दिनों में अकाल में पानी पहुंचाया जाता था वह भी अब नहीं पहुंचाया जा रहा है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा, इन जिलों में अकाल के क्षेत्रों में गर्मी के दिनों में भयंकर तकलीफ उत्पन्न हो जाया करती है। इसलिये विशेष तौर से मंत्री महोदय आदेश दें और बाड़मेर जिले के जल प्रदाय अधिकारियों को जहां पर पानी अक्सर नहीं पहुंचता है, वहां पानी विशेष रूप में पहुंचाने के लिये निर्देश दें। मंत्री महोदय 5-7 दिन में इसकी जानकारी भी कर लें और जो उचित आदेश हो दे दें। अगर पानी पहुंच गया है तो सदन को सन्तोष होगा।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी एक मिनट में निवेदन कर दूं।

नवलगढ़ में अधिकारियों को कहने के बाद भी ध्यान नहीं दिया जाता है। मंत्री महोदय, उनको भी उचित निर्देश शीघ्र ही भिजवा दें।

श्रीमती मदन कौर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव तो नहीं है लेकिन एक महत्त्वपूर्ण तथ्य है वह मैं मंत्री महोदय की जानकारी में लाना चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : लाइये।

श्रीमती मदन कौर : उपाध्यक्ष महोदय, ऊंडूसे कुंपालिया की क्षेत्रीय योजना में 10 ग्राम हैं और सन् 1969 से सैंक्शन्ड हैं। आज 79 हो गया लेकिन उन 10 गाँवों

(श्रीमती मदन कौर)
में से केवल दो गाँवों को पानी मिल रहा है बाकीके 8 को पानीनहीं मिलता है। अभी दो महीने पहले सादियाली में एक मिलिट्री का केम्प लगा था वहाँ इसी योजना से पानी आया था और भरपूर पानी आया था। अगर मिलिट्री अपने को इसी एफर्ट से, योजना से पानी उपलब्ध करा सकती है तो फिर राज्य सरकार का विभाग इसे सुचारु रूप से क्यों नहीं चला पाता ?

एक माननीय सदस्य : कौन से गाँव से ?

श्रीमती मदन कौर : सादियाली में मिलिट्री का केम्प लगा था, वहाँ ऊण्डू वसूमला, हीरा की ढाणी होते हुए इसी योजना से पानी पहुंचाया गया था और 15 दिन तक भरपूर पानी आया था। उसके पहले भी नहीं आया और न बाद में आया—

श्री पदमसिंह राठोड़ (निम्बाहेडा) ; उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव तो नहीं है, निम्बाहेड़ा से टेलिग्राम आया है, तीन चार चिट्ठयां आई हैं। निम्बाहेड़ा की 25 हजार आबादी हो गई है। आज वहाँ पानी की समस्या है—

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पदमसिंह जी,

श्री पदमसिंह राठोड़ : इसी तरह बनेड़ा क्षेत्र है, वहाँ पानी की समस्या है। रानी खेड़ा में पानी की टंकी लगी हुई है लेकिन पानी की अभी से किल्लत है—

श्री उपाध्यक्ष : श्री राम नारायण चौधरी।

श्री राम नारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सीकर और झुन्झुनू दोनों जिलों के अन्दर अकाल की स्थिति है। वहां पर भयंकर स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस संबन्ध में मैंने आपके माध्यम से एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। आपने राज्य सरकार के पास जानकारी के लिये भेजा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात कहूं, उससे पहले में नाराजगी जाहिर करना चाहता हूं। इसी सत्र की बात नहीं है, बराबर पहले वाले सत्रों में भी ऐसा हुआ है कि आसन की तरफ से महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव रिजेक्ट तो नहीं किये गये हैं और महत्वपूर्ण मान कर सरकार के पास जानकारी के लिये भेजे गये हैं, परन्तु आज तक एक भी स्थगन प्रस्ताव की जानकारी आपके पास नहीं आई। आसन की व्यवस्था के प्रति माननीय भैरोंसिंह शेखावत की सरकार इस प्रकार अनादर और तिरस्कार का रुख अपना रही है। आप रिकार्ड उठा कर देख लीजिये, सन 1952 से लेकर सन 1977 तक आपको एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा जिसमें सरकार ने आसन की व्यवस्था का तिरस्कार किया हो। इस पर मैं अपनी नाराजगी प्रकट करना चाहूंगा। सरकार आसन के प्रति जो अनादरपूर्ण रवैया अपना रही है उससे माननीय सदस्यों में घोर असंतोष है।

श्री उपाध्यक्ष : यह जो प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है उनकी सूचना के लिये भेजा गया है, तथ्य नहीं मांगे गये हैं।

श्री राम नारायण चौधरी : और बहुत भेजे गये हैं।

मान्यवर, झुंझुनूं जिले में 700 गांव हैं और सीकर जिले में 840 गांव हैं। झुंझुनूं जिले के 700 गांव अकाल ग्रस्त हैं। प्रत्येक गांव के अंदर फसल का खरावा है। 60 पर्सेंट से ऊपर खरावा है। झुंझुनूं जिले की पहले फेमिन रिलीफ कमेटी थी। उसकी जिलाधीश की अध्यक्षता में बैठक हुई। उसमें तमाम सदस्य उपस्थित थे। जनता पक्ष के और कांग्रेस पक्ष के, दोनों के सदस्य मौजूद थे। झुंझुनूं जिले में फोडर की मांग की गई थी लेकिन राज्य सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया।

सीकर जिले में 840 गांवों में से 394 गांव अकाल ग्रस्त हैं। सीकर और झुंझुनूं दोनों जिलों के 1100 गांवों के अंदर भयंकर अकाल है। राजस्थान का 10 प्रतिशत अकाल ग्रस्त भाग दोनों जिलों के अंदर है। मान्यवर, माननीय मंत्री महोदय ने यहां घोषणा की थी कि उन्होंने तकावी की वसूली रुकवा दी।..वसूलियां स्थगित कर दी गई हैं। वसूलियां कोई स्थगित नहीं हुई हैं। भूतपूर्व विधि मंत्री ने अभी इस तरह से स्वीकारा है कि सचिवालय में हड़ताल होने के कारण उन आदेशों की अनुपालना नहीं हुई है। बड़े अफसोस की बात है। सरकार के मंत्रिमंडल का फैसला था, उसकी अनुपालना वायरलैस द्वारा की जा सकती थी, चीफ सैक्रेटरी हड़ताल पर नहीं थे, कलेक्टर हड़ताल पर नहीं था। मुख्य मंत्री व्यस्त होंगे, संबंधित मंत्री छुट्टी पर नहीं थे। सरकार की घोषणा इस सदन के अन्दर हो कि वसूलियां रोक दी गई हैं, उसकी यह हालत है। एक बार नहीं, अनेक बार कई बातों की ओर मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाया है। सरकार के पास कोई उत्तर नहीं है। झुंझुनूं जिले के अन्दर 700 गांव अकाल ग्रस्त हैं। एक भी गांव के अन्दर रिलीफ का काम चालू नहीं किया गया है.... ....

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : ऑन ए पाइंट आफ इन्फार्मेशन, सर। उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था फर्माई थी कि गवर्नमेंट 2-3 दिन में इस बारे में वक्तव्य देगी। इसलिए कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट ने आज तक कोई जवाब नहीं दिया। सरकार, आखिर करना क्या चाहती है। उस व्यवस्था का क्या हुआ ? उस समय हमारे एडजोर्नमेंट मोशन स्थगित किये थे। कोई सदस्य बोला नहीं क्योंकि सरकार कोई वक्तव्य देना चाहती थी। उस व्यवस्था का क्या हुआ ? सारे राजस्थान के 26 जिलों का यही हाल है।

श्री गंगाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) ; माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि वसूलियां स्थगित करने के आदेश दे दिये हैं। अकाल सहायता मंत्री महोदय ने यह कहा था कि केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों लिए ही अकाल ग्रस्त क्षेत्र में वसूलियां स्थगित की जायेंगी। इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि अकाल ग्रस्त क्षेत्र में नियमानुसार राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत घोषणा जारी करके सारी वसूलियां बन्द की जा रही हैं या केवल अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों की एग्जीक्यूटिव डाइरेक्शन देकर वसूलियां स्थगित की जा रही हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, आपने फूड फार वर्क के अन्तर्गत प्रचार किया कि 1 लाख 25 हजार आदमियों को काम दे रखा है। कहां दे रखा है? माननीय मुख्य मंत्री जी पर यह आरोप है कि झुंझुनू जिले के अन्दर जितने काम चालू किये गये थे उनके 50 पर्सेंट का आज तक भुगतान नहीं हुआ। आपके जनता पार्टी के सैक्रेटरी ने कहा है वह कहां तक सही है? उनकी पंचायत में 300 क्विटल गेहूं का भुगतान बकाया था। 50 ग्राम पंचायतों के 60 पर्सेंट से ज्यादा पेमेंट बकाया पड़े हुए हैं। जिन लोगों ने दो महीने पहले काम किया उनको आज तक मजदूरी नहीं दी। काम सैंक्शन करना तो दूर, फूड फार वर्क ···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राम नारायण जी, आप अपने प्रस्ताव पर ही चर्चा करें।

श्री रामनारायन चौधरी : मुख्य मुद्दा यही है, फूड फार वर्क के अंतर्गत काम चला कर पेमेंट नहीं किया। अकाल के अंदर लोग भूखे मर रहे हैं। ग्राम पंचायतों के अन्दर काम हो गया, उसका पेमेंट नहीं हो रहा है। फेमिन अफेक्टेड गांवों में यह स्थिति पैदा हो गई है····

श्री रतनलाल वर्मा : गेहूं के लोड के लोड पहुंच गये हैं, गेहूं पहुंच रहा है। परसों पहुंचा है। मेरे यहां पहुंचा है। हमारे जिले में आया है। क्या बात करते हो?

व्यवधान

मुझे मालूम हुआ है ···

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : ये फूड फार वर्क को, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, काम के बदले अनाज योजना को कलंकित करना चाहते हैं ···

(व्यवधान)

गांव के गांवों के आज नक्शे बदल गये हैं और आपका मुंह फीका पड़ गया है ···

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजें।

(व्यवधान)

श्री मदर्नासिंह दांता : अकाल राहत और····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दांता जी, आप बाद में बोलेंगे, मैं जब बोलने के लिये कहूं।

श्री रामनारायण चौधरी : जब तक अकाल की घोषणा नहीं होती, फूड फार वर्क से गरीबों को कोई मदद नहीं मिलने वाली है। फूड फार वर्क में दो करोड़ से कम की बकाया नहीं है। 1100 गांव दो जिलों में अकाल ग्रस्त है। मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, क्या यही तरीका है गरीबों को मदद पहुंचाने का? पहले तो 30-30, 40-40 काम चालू करवा दिये और अब 15 दिन के बाद बन्द करवा दिये। वे काम इसलिये बन्द

(श्री रामनारायण चौधरी)
हो गये क्योंकि उनके पास बकाया गेहूं नहीं पहुंचा। किसी रिलीफ वर्क में आप जानते हैं कि गरीब आदमियों, जो भूखे लोग हैं, अशक्त महिलायें, गर्भवती महिलायें हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको भी काम देने का प्रोवीजन होता है लेकिन फूड फार वर्क में ऐसा कोई प्रोवीजन नहीं है। जब तक आप अकाल की घोषणा नहीं करेंगे तब तक यह प्रोवीजन लागू नहीं होगा। जब तक यह नहीं होगा तब तक गरीब को कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप रिलीफ वर्क्स चालू करें। 1972-73 में जिस प्रकार कुएं खुदवाए गये थे और गांव के लोगों को मदद पहुंचाई गई थी उसी प्रकार इन दोनों जिलों में फेमिन मेजर्स काम में लें। मान्यवर, वसूलियां आज भी हो रही हैं। आज गरीब, शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और, माननीय मुख्यमंत्री जी, अन्त्योदय के लोग हैं उनमें भी बकाया होने के करण उन्हें कोई मदद नहीं मिली। वसूलियों में उनको मुर्गा बनाया गया और सख्ती से वसूलियां की गई। मुर्गा बनाने के लिए स्वयं डागा जी ने आरोप लगाया था। कब तक इन दोनों जिलों को फेमिन अफेक्टेड घोषित करेंगे, कब तक फेमिन रिलीफ वर्क्स आरम्भ कर देंगे और कौन कौन से काम आप आरम्भ करने जा रहे हैं, यह स्पष्ट घोषणा की जानी चाहिये। लोग हरियाणा, पंजाब और यू० पी० के जिलों में काम के लिये पहुंच गये हैं। उनके बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। आज नागौर, जोधपुर से फोडर, कुट्टी आती है। अगर सीकर, झुंझुनूं जिलों के लिए नागौर नहीं होता तो तमाम पशु मर जाते, नष्ट हो जाते। तो, मान्यवर, फेमिन की घोषणा की जानी चाहिए और कलेक्टर्स को हिदायत दी जानी चाहिये कि वे इमिजियेटली राहत पहुंचायें।

श्री मदनसिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अजमेर में बहुत बड़ा काम हो गया होगा पार्टी के आधार पर परन्तु जो वस्तुस्थिति है उसको समझने की जरूरत आप सबको होगी। फूड फार वर्क को सैद्धांतिक रूप से अकाल राहत का काम नहीं कहा जा सकता। इसलिए आम जनता को कम से कम सीकर और झुंझुनूं जिले में काम नहीं मिला। आपने काम करवा दिये, स्कूल बनवा दिये उसकी एवज में जनता को राहत मिली, परन्तु सम्पूर्ण आदमियों को राहत नहीं मिली। जो किसान हैं, उपाध्यक्ष महोदय, वह सभी किसान मजदूरी करने नहीं जाते। सभी किसानों की औरतें मजदूरी करने नहीं जातीं। मैं मान सकता हूं कि हरिजन ज्यादा से ज्यादा जा सकते हैं। आज फूड फार वर्क में हरिजन राहत ले सकते हैं लेकिन आज किसानों की क्या हालत है? माननीय मुख्य मंत्री महोदय, क्या आज किसान सड़क पर पत्थर उठाने जाता है? वह नहीं जाता। वह अपने ही पशुधन की देख रेख में भले ही लगा रह सकता है। इसलिये जब तक अकाल की घोषणा नहीं हो जाती, कोई रिलीफ वर्क नहीं खुलेगा तब तक मैं समझता हूं कि जो गरीब किसान हैं उनको राहत नहीं मिल पायेगी।

श्री रणमलसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह सीकर और झुंझुनूं जिलों का सवाल है। हमारे मुख्य मंत्री जी भी वहीं विराजते हैं। मुझे इस बात का अफसोस है, पश्चिमी राज-

(श्री रणमलसिंह)

स्थान में जैसा कि हमें बताया गया, हमारे जिले की 6 तहसीलों में से 3 में अकाल रहा और झुंझुनू जिला पूरा अकाल ग्रस्त है वहां 400 गांव अकाल ग्रस्त हैं। अकाल की भयानकता को तो आप स्वयं जानते हैं, आप तो स्वयं भी प्रगतिशील किसान रह चुके हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, हमारे आधे जिले में जहां अकाल था ही नहीं, जहां डबल क्रोप होती है वहां तो मिनिस्टर महोदय की महरबानी हो गई और काम के बदले अनाज योजना प्रारम्भ हो गई लेकिन जहां सिंगल क्रोप है और अकाल की छाया है वहां कुछ नहीं हुआ। मैं आपसे निवेदन करता हूं ये भैरोंसिंह जी गरीब की आवाज को नहीं सुनना चाहते। वे गरीब के रहनुमा जब सत्ता में आ गये तो क्यों अंधे हो गये? हमारे पूनियाजी तो ऐसे क्षेत्र से आये हैं जहां 10 में से 7 वर्ष अकाल रहता है लेकिन पता नहीं इस जगह आकर अकाल ग्रस्त, और गरीबी को क्यों, कैसे भूल गये? यहां पद पर आने के बाद खुशहाली, बड़ी समृद्धि नजर आती है। मैं आपसे निवेदन करूं, हमारे यातायात मिनिस्टर भी उसी इलाके के हैं जो सेमी-डेजर्ट एरिया है। अगर ट्रकों का भी राष्ट्रीयकरण कर देते तो हमारे जानवर जिन्दा ही नहीं रह पाते। भला हो नागौर वालों का-और गवर्नमेंट की बुद्धि का कि ट्रकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जिसके कारण कुट्टी आ रही है। अगर ऐसा हो जाता तो जानवर मर जाते।

मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यहां मजदूरों को दो-तीन महीने काम मिलता है और वह भी बरसात की वजह से। उस वक्त उनको दर्शन होते हैं अनाज के। उससे पहले वर्ष भी अकाल था और अब की बार भी अकाल पड़ गया। सरकार वहां क्या करे यह बात यह चिलम भरने वाले लोग सुनने नहीं देते हैं, और खड़े हो होकर फौरन चिलम भरना शुरू कर देते हैं। यह अखबार वाले भी उनकी तारीफ कर देते हैं कि खूब काम हो रहा है। हां, वहां हो रहा है जहां धनिया पैदा होता है। जीरा पैदा होता है, चावल पैदा होता है वहां हो रहा है।

श्री रतनलाल वर्मा : आन ए पाइंट आफ आर्डर। आप झूठ बोल रहे हैं। अभी तो आप काम के बदले अनाज योजना की प्रशंसा कर रहे थे। मैंने उसके बारे में कहा था। अकाल राहत के बारे में मैंने नहीं कहा। मैंने यह कहा कि काम के बदले अनाज योजना को बदनाम करने का कष्ट न करें। यह बात कही है। आप इस बात को उलटा क्यों लेते हैं? अकाल सब जगह है..........

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजिये।

श्री रणमल सिंह : शर्म करने वाले यह थोड़े ही हैं।

मैं निवेदन कर रहा हूं वहाँ के अकाल के बारे में। इस सरकार में चार चार मिनिस्टर उस अकाल एरिया से है फिर भी नहीं सोचते हैं। 21 महीनों तक बैठे रहे। जो पहले हालत थी वह दुबारा हो जायगी। मैं गवर्नमेंट के साथ नहीं रहना चाहता हूं। पहले भैरोंसिंहजी इधर थे तो मैं उनके साथ सत्ता में था और जब वह उधर चले

(श्री रणमल सिंह)

गये तो मैं इधर आ गया। अब वे वापस इधर आ जायेंगे तो मैं उधर चला जाऊंगा। खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। आपके हाथ में सत्ता आई, अधिकार आया तो आप घमण्ड में आ गये। आप सारे अकाल को भूल गये। आप अन्त्योदय योजना को भूल गये, सारी स्कीम को भूल गये। आप अगर समान रूप से व्यवस्था करते और अनाज ठीक ढंग से बांटा जाता तो गांवों में काम चलता रहता। आपने खुली छूट कर दी कि खूब लूटो तो वह अनाज 15 दिन में खतम हो गया। तो अब क्या है? अब है तो वह जो राम रघुनाथजी लाये थे नमूना, अब रह गया है गला हुआ, सड़ा हुआ अनाज जिसको कोई खा नहीं सकता।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत, क्योंकि आप स्वयं गांव के किसान हैं और किसान की गरीबी को अच्छी तरह से जानते हैं, मुख्य मन्त्री से कहना चाहता हूं कि जिनकी पीढ़ियां गांवों में रही हैं और गरीबी में रही हैं, वह जयपुर में तो अब आये हैं वह क्यों नहीं सोचते हैं गरीबों के बारे में? वह दया मन में क्यों नहीं लाते हैं? वह स्टेप्स लेने में देरी क्यों लगाते हैं? आपकी रोडवेज पर विश्वास हो तो इनकी बात पर पर विश्वास हो। इनकी बात पर विश्वास कौन करे? अब वायरलैस कर देंगे। इनका वायरलैस नहीं होगा तो वसूलियां जारी रहेंगी। आप, उपाध्यक्ष महोदय, स्वयं किसान हैं। आपको मालूम है कि गरीबी क्या होती है। इन चिलम भरने वालों से गरीबी नहीं मिटने वाली है। आप अकाल एरिया में रहने वाले....

श्री उपाध्यक्ष: कृपया बिराजिये।

श्री रणमलसिंह: यह वसूलियों के बारे में स्थिति को स्पष्ट करेंगे।

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, सीकर और झुन्झुनू के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि सीकर और झुन्झुनू में पिछले वर्ष अकाल था। पिछले वर्ष भी चारे की सबसे ज्यादा दिक्कत थी। यह बात सही है जो सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही है। हमने जो अकाल सहायता कमेटियां बनी हुई है उनकी मीटिंगें की हैं। उनमें यह प्रस्ताव पारित किया गया है और राज्य सरकार को इस बात के लिए लिखा गया है कि जल्दी से जल्दी यहां पर चारे की व्यवस्था हो, और इस क्षेत्र में अकाल घोषित किया जाय। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष, घोषणा करने की तो बात दूर रही, बल्कि क्लेक्टर साहब ने चारे की डिमाण्ड भेजी है उसका आज तक राज्य सरकार ने जवाब भी नहीं भेजा है। यह मैं मानता हूं कि 698 गांव और सीकर के करीब 840 गांव है इन तमाम गांवों में पशु चारे के अभाव के कारण भूख से बिलबिला रहे हैं। वहां पर स्थिति यह है कि अगर चारे की वहां पर व्यवस्था नहीं की गई तो बड़ी भारी संख्या में पशुओं के मरने की आशंका है।

माननीय सदस्य ने काम के बदले अनाज की जो योजना चल रही है उसके बारे में कहा है वह सही है। काम के बदले अनाज योजना में कोई भी गरीब काम करने नहीं आया है। यह भी बात सही है

(श्री नवरंग सिंह)

कि अनाज पूरे समय तक नहीं पहुंचा है जिसके कारण ज्यादातर काम अधूरे ही बन्द हो गये हैं। मैं ज्यादा नहीं कहता हुआ माननीय मुख्य मन्त्री जी से, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करूंगा कि सीकर और झुन्झुनूं जिलों के लिए खास तौर से तत्काल आज ही, जैसा कि मन्त्री जी ने कहा कि वायरलैस जायगा, भेजें। पटवारी वसूलियां नहीं रोक रहे हैं तो तत्काल ही कलेक्टर को इस बारे में निर्देश दें कि वह तमाम पटवारियों को निर्देश दें कि न केवल लगान की ही वसूली न करें बल्कि सहकारिता के लोन्स की भी वसूली न करें। वसूलियों के कारण वहां पर बहुत बड़ा असन्तोष है। इस पर ध्यान दें। मेरा यही निवेदन है।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष, अभी वसूलियों का, अकाल का और ओलावृष्टि का सवाल आया है जो कि बहुत भयंकर सवाल है वहां पर। मैंने 28 तारीख को ओलावृष्टि के बारे में अपना स्थगन प्रस्ताव दिया था और 6 तारीख को वसूलियों के बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया था और राज्य सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया था कि किस तरह से लोगों से वसूलियां की जा रही हैं। यह एप्रोप्रियेट टाइम नहीं है। यह रबी की कटाई का मौसम है। इस लिहाज से इस मोके पर कोई भी वसूली कहीं पर नहीं होनी चाहिए। तथा लगातार जहां पर अकाल पड़ रहा है वहां पर भी नहीं होनी चाहिए। उन इलाकों में जहां पर रबी की फसल है तो लोग रबी की फसल की कटाई में लगे हुए हैं इसलिए स्थगित की जानी चाहिए वसूलियां। इसके साथ-साथ मैंने ओलावृष्टि के बारे में भी बात की थी। मुझे आशा है, उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी कुछ बोलेंगे, हमारे इलाके में ओलावृष्टि के कारण फसल तबाह हुई थी उसके बारे में कोई बात कहेंगे। इसी मार्च के पहले हफ्ते के अन्दर पंजाब और हरियाणा में ओलावृष्टि से बहुत बड़ी तादाद में क्राप्स तबाह हो गई तो वहां के मुख्य मन्त्रियों ने इस बात का एलान किया है? हरियाणा के मुख्य मन्त्री ने 6 करोड़ का मुआवजा देने की घोषणा की है। इसके साथ ही पंजाब के मुख्य मंत्री ने उन किसानों, जिन किसानों की फसल ओलावृष्टि से तबाह हो गई है, को 300 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने के लिए कहा है, जिनकी फसल ज्यादा तबाह हुई है उनको 50 पर्सेन्ट के लिहाज से 150 रुपये प्रति एकड़ देंगे। हमारे मुख्य मन्त्री जी भी अभी कुछ कहेंगे इस बात पर। मैं चाहूंगा कि यह भी आज घोषणा करें कि वे क्या देना चाहते हैं। पिछली दफा जब मैं बोला था तो आप यहां पर नहीं थे और पिछले साल बोला था तो आपने कहा था कि एक-एक बोरी गेहूं दे देंगे। जिस किसान की करोड़ों रुपयों, लाखों रुपयों की और हजारों रुपयों की फसल का नुकसान हो गया है, जिसने कर्जा ले लेकर फसल में खाद डाली और बीज डाला, सिंचाई की; उसने बहुत बड़ा कर्जा अपने सिर पर कर लिया। उसके फसल नहीं होगी तो वह कर्जा उसके सिर पर मौजूद रहेगा।

(समय-समाप्ति–सूचक घंटी)

तो उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। कर्जा आप कोई दे नहीं रहे हैं, मुआवजा दे नहीं रहे हैं। ऐसी सूरत में किस तरह से जिन्दा रहेंगे। इसलिए मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वह घोषणा

(श्योपतसिंह मकासर)
करें की ओलावृष्टि से जो किसान तबाह हो गये हैं उनको मुआवजा दे देंगे, और साथ ही वसूलियां बन्द कर देंगे।

उद्योग मन्त्री जी ने कह दिया कि सेक्रेटेरियेट में हड़ताल थी इसलिए वायरलेस नहीं कर सके।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया, अब इस पर चर्चा न करें। इस पर काफी चर्चा हो चुकी है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : इस तरह से गलत बात कह कर सदन को गुमराह किया है। वह झूठ बोलते हैं। यह मेरा इन पर इलजाम है....

श्री सूर्य नारायण चौधरी : आप बस यही करते हैं कि चाहे जिस पर इलजाम लगाते हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : 6 तारीख को मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था। यह बहाना है कि सेक्रेटेरियेट में हड़ताल चल रही है इसलिए टेलीग्राम नहीं दे सके। यह इतना सा काम नहीं कर सके। राजस्थान में 26 जिले हैं आप तार दे सकते थे। उसमें क्या दिक्कत थी। इसलिए मैं चाहूंगा कि मुख्य मन्त्री जी आज इस सदन में एलान करें कि जो वसूलियां हो रही हैं वे बन्द होंगी।

श्री अयूब खां (तिजारा) : उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि ओलावृष्टि और अकाल राहत पर इस समय चर्चा चल रही है इसके सम्बन्ध में मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है इसलिए में भी कुछ शब्द कहना चाहूंगा।

मेरे तिजारा क्षेत्र में एक पंचायत है जिसमें 50 पर्सेन्ट से लेकर 60 पर्सेन्ट तक ओलावृष्टि से फसल नष्ट हुई है। उसके आस पास के तकरीबन 20 गांव उससे अफैक्टेड हुए हैं यद्यपि उन सभी गांवों में 60 पर्सेंट फसल ओलावृष्टि से नष्ट नहीं हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस सिलसिले में माननीय मुख्य मन्त्री जी से भी मिला था। मैं मुख्य मन्त्रीजी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अधिकारियों को तुरन्त आदेश दिये और उस क्षेत्र का दौरा करके वहां से रिपोर्ट प्राप्त की। उपाध्यक्ष महोदय, मैं वहां गया। वहां पर 12–3–79 को गृह मन्त्री जी ने भी देखा है, ओलावृष्टि के कारण वहां फसल नष्ट हो गई है। चारा भी नहीं रहा है। लेकिन अभी तक वहां वसूली बन्द करने के आदेश नहीं हुए हैं। न अभी तक किसानों के लिए कोई राहत कार्य चलाये गये हैं और न कोई विकास कार्य चलाये जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि राहत कार्य आरंभ किये जायें और वसूली को बन्द किया जाये। इसमें अधिकतर क्षेत्र ऐसा है कि जहां पिछले साल बाढ़ आई थी और ओलावृष्टि हुई थी। इसलिए मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी सरकार राहत कार्यों को शुरू करे। एक निवेदन मैं यह भी करूंगा कि वहां पर जो औसत निकाला गया है, वह गांवों के हिसाब से निकाला गया है। जमीन और किसानों के हिसाब से नहीं निकाला गया है। गांवों में ऐसे किसान

(श्री अयूब खां)

रहते हैं जिनकी पूरी की पूरी फसल नष्ट हो गई है। इसलिए उनको इसी तरह से मदद की जाये जिस प्रकार से दूसरे राज्यों में दी जा रही है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री बालकृष्ण थानवी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन हैं कि नगर पालिका क्षेत्रों के सारे तालाव और नहरें मिट्टी से पट रहे हैं। तालाव सारे के सारे भर रहे हैं और नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे उनकी खुदाई करवा सकें। अतः 15 हजार की आबादी वाली नगरपालिकाओं को "काम के बदले अनाज योजना" में लिये जाने के बारे में जो सरकार सोच रही है उसके बजाय आबादी का तखमीना 30 हजार रखा जावे। इसके साथ ही साथ हरिजनों व अनुसूचित जनजातियों से वसूली रोके जाने के सरकारी आदेश गत साल हुए हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें क्रियान्वित नहीं किया गया है। इस बारे में मैंने कई बार निवेदन किया है। फलौदी क्षेत्र के छीला ग्राम में जिन हरिजन मेघवालों को भू-दान में जमीन दी गई थी वह कुर्क कर ली गई है तथा हरिजन मेघवालों की गायें भी कुर्क कर ली गई हैं। इस वास्ते मेरा निवेदन है कि कुर्क की गई जमीनें और गायें वापस लौटाई जायें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। अक्टूबर में जो गिरदावरी हुई है, उसकी नवम्बर में फाइनल रिपोर्ट क्लेक्टरों से आपको प्राप्त हो गई है। तो आकड़ों और अनुमान के अनुसार मालूम हो गया होगा कि गांवों में 50% से ज्यादा खराबा कहां है। यह तो मन्त्री महोदय ने कहा था कि फाइनल गिरदावरी रिपोर्ट आ जाती है तो मालूम हो जाता है कि खराबा कहां है और कहां नहीं है। तो मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं। आप भी विरोधी पक्ष के सदस्य रहे हैं। फाइनल रिपोर्ट आते ही फेमिन कोड के तहत एकस्ट्रा आर्डिनरी गजट जारी अभी तक नहीं किया इसलिए रिकवरी चलती रही। नोटिफिकेशन अभी तक नहीं निकला है। मन्त्री जी कहते हैं कि हमने वायरलैस से वसूली वन्द करने के आदेश दिये हैं। गिरदावरी हो गई है, वह अलग चीज है। लेकिन वसूली बन्द हो इस पर विचार करना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आपने डिले क्यों किया है।

श्री अब्दुल अजीज : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मेरा निवेदन यह है कि जो काम अधूरे हैं, कृपया उनको पूरा कराने की कोशिश करें। जो आपकी योजना है, उनको कृपया पूरा करें। लोग परेशान हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य मन्त्री महोदय।

(व्यवधान)

कृपया विराजें आप।

श्री रतनलाल वर्मा : मैं आधा मिनट लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया एक मिनट विराजने का कष्ट करें।

(श्री उपाध्यक्ष)

(व्यवधान)

कृपया एक बार बिराजें।

एक माननीय सदस्य : मेरा निवेदन है ....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया एक मिनट विराजें। माननीय मुख्य मन्त्री जी कुछ कहेंगे। अधिक नहीं बोलें।

एक माननीय सदस्य : आपने हुक्म दिया में विराज गया।

श्री मदनसिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, डेढ़ साल में ये एक दफा ही बोले हैं। इनका बड़ा इलाका है।

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, काम के बदले अनाज की जो योजना है, इसको सरकार ने चालू कर रखा है। ऐसे गांव हैं, जहां 15 मन अनाज पहुंची है। डेढ़ हजार बोरी में से 800 बोरी पहुंची है। वसूली की क्या हालत हो रही है। सरपंचों की गांवों में जाने से हालत खराब हो रही है। जाते हैं तो मजदूर कपड़े फाड़ते हैं। ऐसी हालत में मुख्य मन्त्री जी क्या उत्तर देते हैं।

शासकीय वक्तव्य

राजस्थान में ओलावृष्टि से हुई फसल की बरबादी व काम के बदले अनाज योजना में हुए कार्य

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने काम के बदले अनाज, अकाल राहत कार्य, वसूलियां और ओला वृष्टि के कारण से जो फसलों की हानि हुई है, उस पर चर्चा उठाई है। उपाध्यक्ष महोदय, यह भी जानते हैं कि भारत सरकार ने फूड फार वर्क योजना में 130 करोड़ रुपये का अनाज देने की पूरे भारत में योजना बनाई थी। राजस्थान सरकार ने 28 करोड़ रुपये का अनाज राजस्थान के लिए आवण्टित कराया। अगर आप पूरे देश भर का अनुमान लगायें तो आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि 130 करोड़ रुपये के अनाज में से 28 करोड़ का अनाज एक राज्य को मिल जाये, यह अपने आप में काफी बड़ा कीर्तिमान है। इस 28 करोड़ रुपये के अनाज में जो काम हुआ है, वह मैं आपको बताता हूं। लगभग 5,600 शिक्षण संस्थाओं, 1500 पंचायत घर, 623 चिकित्सालय, 7240 किलोमीटर सडकें, 4000 पेयजल के कुएं, 6000 तालाब और 20 हजार अन्य प्रकार के काम हाथ में लिये गये हैं।

आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि राज्य में पिछले 30 वर्षों में गांवों में इस प्रकार के विकास के काम नहीं हुए हैं। ऐसे कोई काम हाथ में नहीं लिये गये हैं। आशय यह है कि जो काम हाथ में लिये गये हैं, वह पूरे हों। जो अनाज बकाया है, उस बकाया अनाज का भुगतान किया जाये। अच्छा यह होता कि जिस जिस पंचायत समिति में या जिस जिले में इस योजना के अनाज का भुगतान बकाया पड़ा है जैसा कि माननीय सदस्य रामनारायणजी या बाकी के माननीय सदस्यों ने कहा, वह सूचना दे दें तो उन गांवों के अन्दर क्या व्यवस्था रही है, किस प्रकार से अनाज नहीं पहुंचा है इसकी जानकारी कर व्यवस्था कर पायेंगे।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इसके साथ-साथ एक बात यह और है कि इस योजना के अन्तर्गत गांवों में जिस प्रकार जोश आया, लोगों ने जिस प्रकार काम हाथ में लिये। काम में जिस प्रकार की दिलचस्पी दिखाई इससे काम को पूरा करने की एक होड़ सी लग गई। उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है और स्वाभाविक भी है कि कहीं पर पहले मजदूर लगा दिये उनके लिये समय पर अनाज नहीं पहुंचा और समय पर उनका भुगतान नहीं हुआ। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी मजदूरी बाकी है, उस मजदूरी का तुरन्त भुगतान करने की हम व्यवस्था कर रहे हैं। पिछली बार हमने 33 हजार टन का आवंटन कराया था। अनाज पंचायत स्तर पर भेजने में समय लगता है। उसके बावजूद भी अनाज की कमी है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। माननीय सदस्यों ने जिन-जिन क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी है, मैं स्वयं इस बारे में चिन्ता करके चेष्टा करूंगा कि तुरन्त भुगतान करा दिया जाय।

मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अनाज के बदले काम की योजना के अन्तर्गत ग्राम स्तर पर और पंचायत स्तर पर सरपंच, पंच और ग्रामवासियों ने जिस प्रकार का सहयोग दिया है वह राजस्थान के इतिहास के लिए ही नहीं भारत के इतिहास के लिए भी अनुकरणीय हो सकता है। माननीय सदस्य जानते हैं, इसमें भी कमियां हैं। इधर बैठने वाले भी जानते हैं और उधर बैठने वाले भी, जब तक ग्रास रूट प्लानिंग नहीं होगी काम के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। हमने पहली बार ग्रास रूट प्लानिंग की योजना बनाई। हमने पंचायतों को पहली बार पांच हजार रुपये तक की योजना बनाने और एग्जीक्यूट करने का अधिकार दिया, पांच हजार रुपयों से ऊपर के काम की व्यवस्था भी कर दी। वे बी. डी. ओ. और जिलाधीश से अप्रूव करवा सकते हैं। मैं माननीय सदस्यों को जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि 28 करोड़ का काम हुआ है। माननीय सदस्यों को जानकर खुशी होगी कि इसमें कहीं भी गवर्नमेन्ट सर्विस का किसी प्रकार का इन्वाल्वमेन्ट एडीशनल नहीं है। कहीं है भी तो नाम मात्र का है। लोगों ने रुपया लगाया, लोगों ने ही योजना बनाई और लोगों ने ही खर्चा किया।

श्री श्योपतसिंह मकासर : पचास पर्सेन्ट विलेज शेयर है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह अलग बात है।

जनता ने ही योजना बनाई, जनता ने ही उसका हिसाब रखा और जनता ने ही उस काम को पूरा करवाया। यह जो पब्लिक इन्वाल्वमेन्ट है, यह हिस्टोरिकल है इसको यह कह कर रिड्यूस नहीं कर सकते कि एक अमुक गांव के अन्दर जितना अनाज पहुंचना चाहिए था उतना अनाज नहीं पहुंचा। मैं यह मानता हूं कि इसमें कमी रही है। कई दूरस्थ इलाके हैं जहां पर अनाज पहुंचाने में समय भी लगता है। दूसरी तरफ आप यह देखिये कि लोगों में विश्वास था कि उनको अनाज मिलेगा इसलिए उन्होंने काम को पूरा करने की चेष्टा की।

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि 31 मार्च तक जो पंचायतें अपना हिसाव पूरा तैयार कर देंगी उनको आगे काम देने में प्राथमिकता दी जायगी। यह फैसला हमने कोई काम बन्द करने की दृष्टि से नहीं लिया। यह फैसला इसलिए लिया कि पंचायतों के जिम्मे जितना काम है अगर उसके अकाउण्ट क्लियर हो जाते हैं तो बाद में कोई भी पंच या सरपंच किसी को भी वैमनस्य की दृष्टि से फंसाने की चेष्टा करे तो वह फंसे नहीं।

माननीय सदस्यों को मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जहां पर अनाज नहीं पहुंचा है, निश्चित रूप से वहां अनाज पहुंचेगा।

आप जानते ही हैं कि जिस समय पीक पीरियड था, 1966-67 में भयंकर अकाल की स्थिति थी उस समय टोटल फोर्स, मैं गलत हो सकता हूं लेकिन मेरा अन्दाज है, 6-7 लाख के करीब था। जिस समय पूरे राजस्थान में अकाल पड़ा था 66-67 में उस समय मेग्जिमम लोगों को एम्प्लायमेंट दिया गया वह भी 6 लाख से ऊपर नहीं था। आज फूड फोर वर्क में साढ़े चार लाख लोगों को काम मिला है।

माननीय सदस्य कह रहे थे कि सीकर, झुन्झनूं चले गए और दिल्ली चले गए। माननीय रामनारायण जी, सीकर, झुन्झनूं की जानकारी आपको भी है और मुझे भी जानकारी है। मेरी जानकारी है कि हम जो तस्वीर माइग्रेशन की देखते थे, गाड़ियां भरी हुई देखते थे, आज कल वह तस्वीर देखने को नहीं मिलती। कारण केवल यह है कि लोगों को घर बैठे एम्प्लायमेन्ट मिल रहा है।

मैं दूसरी बात यह भी कहना चाहूंगा कि फूड फार वर्क में कोई एडीशनल इन्वाल्वमेन्ट नहीं किया गया है। पब्लिक का ही पैसा है और पब्लिक ने ही खर्च किया है। यह हमारे एडीशनल रिसोर्सेज हैं जो हमने एक्वायर किए। इसको एक्वायर करने के बाद लोगों को काम मिला है।

तीसरा प्रश्न जो अकाल के सम्बन्ध में खड़ा किया गया, फेमिन कोड मैंने भी देखा है और माननीय सदस्यों ने भी देखा है, उसके अनुसार आप केवल दो रियायतें चाहते हैं। घोषणा का उतना महत्व नहीं है, महत्व इस बात का है कि वसूली रुकनी चाहिए और राहत कार्य चालू होने चाहिए। नोटिफिकेशन जारी हो या नहीं, उसकी तकनीकी साइड को छोड़ दें तो हमारा मतलब अकाल राहत कार्यों को चालू करने और वसूली को रोकने से है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : सिविल डिक्री।

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह वसूली के सम्बन्ध में ही है। कोर्ट की डिक्री हो चाहे और कुछ हो, वह वसूली के सम्बन्ध में ही है। चाहे कोर्ट से हो, चाहे तहसीलदार के यहां से वसूली की बात हो, चाहे कोआपरेटिव बैंक्स से वसूली हो, यह स्थगित होनी चाहिए। एक पर्पज तो यह है और दूसरा पर्पज है अकाल राहत कार्य खोलने का। मैं पहले प्रश्न पर यह निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल राहत का कार्य कहां

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

खोलना चाहिए और कहां नहीं खोलना चाहिए, या कहीं पर अब तक अकाल राहत कार्य क्यों नहीं खोला गया, आप जरा देखिये इस बात को कि अब तक जो काम खुले हैं उनमें सम्पन्न व्यक्तियों को काम नहीं दिया है। हो सकता है कहीं पर दिया हो, मैं हण्ड्रेड पर्सेन्ट नहीं कह सकता। गांव के गरीब से गरीब तबके को चाहे स्कूल भवन का काम हो, चाहे पंचायत भवन के निर्माण का काम हो, चाहे और किसी प्रकार का काम हो, गांव का जो गरीब से गरीब तबका है उसको रोजगार देने में प्राथमिकता दी गई। माननीय रामनारायण जी, आप हाथ हिला रहे हैं कि इस प्रकार की स्थिति नहीं है। आप मण्डावा क्षेत्र के विधायक हैं, अगर वहां पर गरीब को काम नहीं मिल रहा था और सम्पन्न को मिल रहा था तो आपका कर्तव्य था कि आप लोगों को कहते। आप हाउस में गरीबों के लिए कहते हो उसी प्रकार से वहां भी आपको कहना चाहिए था—

श्री रामनारायण चौधरी : मैंने कलेक्टर को कहा ही नहीं लिख कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर आपके पंच और सरपंच कहें....

(व्यवधान)

मैं आपको गिना दूं मुख्य मन्त्री जी, सम्पन्न लोग जिन्होंने चुनाव लड़ा, जो खाते-पीते लोग हैं, सरपंचों और पंचों ने उनकी और अपने भाइयों और रिश्तेदारों की हाजरियां लगा दीं। कांग्रेस वाले तो डर के मारे बोल नहीं सके, आपके सरपंचों और पंचों ने इतनी धांधली चलाई जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। मैं गिना दूं नाम, उनके रिश्तेदारों और भाइयों के....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले मैं खतम कर दूं, उसके बाद आप बोल लेना।

श्री मदनसिंह दांता : किसान तो पहले भी बाहर नहीं जाता था। मैं मानता हूं कि हरिजन राजस्थान के बाहर नहीं गये, इस काम में लगे रहे लेकिन किसान कितने इस काम में लगे ?

श्री रामनारायण चौधरी : किसान बाहर गए हैं। आपने इस काम में....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

मुझे इस बात की खुशी है कि श्री रामनारायणजी ने इस बात को स्वीकार किया है कि कांग्रेस सरपंच जहां हैं वहां गरीबों को रोजगार मिलता है, क्या सही है ?

श्री रामनारायण चौधरी : सही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने पिछले सत्र में कहा था कि मंडावा क्षेत्र में जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया और सरपंचों के पदों पर कांग्रेस ने कब्जा किया। आपका मतलब है कि आपके खुद के क्षेत्र में पंचायतों में कांग्रेस सरपंच बहुमत में हैं और वे गरीबों की सहायता कर रहे हैं और एक दो पंचायत में जनता पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। तो मुख्य रूप से अर्थ निकलेगा कि फूड फार वर्क के माध्यम से गरीबों को फायदा मिल रहा है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अभी दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि फूड फार वर्क या इस प्रकार के कामों में हरिजन काम करते हैं, किसान नहीं करते हैं। आप बिल्कुल सही हैं। चाहे अकाल राहत कार्य चालू कर दें तो भी नहीं करते। आप किसान को काम देने की बात करते हैं, उसमें जो सम्पन्न व्यक्ति होगा वह सड़क पर जाकर मिट्टी नहीं ढोएगा, जो मध्यम श्रेणी का किसान है वह सड़क पर मिट्टी ढोने वाला नहीं है, जो गरीब तबके का किसान है चाहे किसी भी जाति का हो, उसके सामने रोजी-रोटी की समस्या खड़ी होती है वह सड़क पर जाकर काम करता है। हमारे सामने समस्या यह है कि हम अगले वर्ष फूड़ फार वर्क के अन्दर कितने काम लें, कितने अकाल राहत कार्यों को लें। फूड फार वर्क में जैसा मैंने शुरू में कहा, सारा नान-प्लान खर्चा होगा तो ऐसी योजना में नान-प्लान खर्चा कम हो और एडीशनल रिसोर्सेज हमें ज्यादा से ज्यादा मिलें, इस आधार पर दोनों में किस प्रकार सामंजस्य बैठे और उसके आधार पर कौनसे काम हमको लेने चाहिए, हम केवल इस बात की चिंता करते हैं और आप काम खोलने की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि हम इतने काम खोलेंगे जितने न राजस्थान में पहले खुले चाहे अकाल पड़े हों चाहे बाढ़ आई हो और न राजस्थान में रोजगार की कमी रहे। पिछले दिनों में जो थोड़ी दिक्कत आई वह यह कि मार्च के अंत तक सारा हिसाब साफ हो जाए, इसकी हमने चेष्टा की है। उसके अन्दर एक प्रकार से इनीशिएटिव लेने की बात कही है कि जो पंचायत अपना हिसाब साफ करेगी उसको प्राथमिकता देंगे। रामनारायण जी, हमने बिना आधार के यह नहीं किया, इसके पीछे बेसिस है। 1959 से लेकर आज तक पंचायतों को जो आपने अनुदान दिया या कर्जा दिया, 33 करोड़ रुपये पंचायतों के जिम्मे आज बकाया पड़े हैं, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं मिलता। मैं पंचायतों की वह हालत नहीं करना चाहता कि 33 करोड़ की बकाया छोड़ कर उनको मुर्दा बना कर छोड़ दूं। मैं सबको जीवित बना कर राजस्थान के विकास में भागीदार बनाना चाहता हूं। इसलिए उनके जिम्मे किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति नहीं रहे।

(व्यवधान)

आप बोल लेना।

ओलों के सम्बन्ध में श्योपतसिंह जी ने सवाल उठाया और हरियाणा व पंजाब के उदाहरण दिए। वहां की सरकारों ने क्या घोषणायें की हैं, मैंने उनको देखा है। आपके क्षेत्र से आए हुए माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि कभी पिछले 30 वर्ष में ओलावृष्टि के कारण सरकार ने किसानों को कम्पेन्सेशन दिया हो। दिया हो तो खड़े होकर कह दें। बाढ़ के कारण कम्पेन्सेशन दिया हो तो कह दें। अकाल के कारण दिया हो तो बता दें। आज तक नहीं दिया, मैं आपकी जानकारी के लिए....

श्री रामेश्वर प्रसाद (जमवा रामगढ़) : हर किसान को एक एक हजार रुपये दिए....

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : मेन इश्यूज को साइड ट्रैक कर रहे हैं, पछतायेंगे ।

श्री रतनलाल वर्मा : पछताने का सवाल कहां खड़ा होता है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो मैं निवेदन कर रहा था कि कांग्रेस का 30 वर्ष का शासन रहा । कांग्रेस के नेता जो मन्त्री रहे या मुख्य मन्त्री रहे, एक भी उदाहरण दें कि जब किसी की फसल की प्राकृतिक प्रकोप के कारण क्षति हुई हो उसकी क्षतिपूर्ति की हो । उन्होंने कोई काम किया नहीं और इस सरकार से एक्सपेक्ट करें....

(व्यवधान)

मान लिया ।

अब श्योपत सिंह जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपको याद होगा, पिछले वर्ष राजस्थान में बाढ़ आई. हम भी नए नए आए थे, बाढ़ की समस्या अचानक आई आप भरतपुर जिले में पधारे । जहां जहां बाढ़ आई, हमने लोगों को अनाज दिया, फिर राशन दिया, सब तरह की व्यवस्था की । आप कह सकते हैं कि हरियाणा व पंजाब के मुकाबले में राजस्थान सरकार ने सहायता नहीं दी है । बंगाल में जब बाढ़ आई, यहां यदि क्षतिपूर्ति हुई तो मैं समझ सकता हूं कि सारे फेडरल कान्स्टीट्यूशन में हम किसी दूसरे राज्य से इन्सपिरेशन ले सकते हैं । अन्य राज्यों में चाहे बंगाल हो या दूसरे राज्य उसमें कम्पेन्सेशन मिला नहीं । तो मुझे यह कहने में संकोच नहीं होता कि हरियाणा व पंजाब के मुकाबले राजस्थान सरकार अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए ऐसा नहीं कर सकती । हरियाणा व पंजाब की स्थिति यह है कि हम योजना के लिए जहां भारत सरकार से सहायता मांगने की कोशिश करते हैं, वहां पंजाब की सारी योजना बजट का 95 प्रतिशत उनके ओन रिसोर्सेज से है और 5 प्रतिशत सहायता केवल भारत सरकार से लेता है । इसी प्रकार की स्थिति हरियाणा की है । पंजाब की पर-केपिटा इनकम देश में सबसे ऊपर है । उसके बाद में हरियाणा की पर केपिटा इनकम सबसे ज्यादा है । उसके प्लान के अपने रिसोर्सेज सबसे ज्यादा हैं । सम्पन्न राज्य यदि किसी को कम्पेन्सेशन देता है तो आपत्ति नहीं होगी । हमारी आर्थिक स्थिति आपसे छिपी नहीं है । बजट की आज की समस्या है । उसमें कितनी बचत कर सकते हैं और उसके आधार पर किसानों को कितनी सहायता दे सकते हैं, उस पर हम चिंता कर रहे हैं । आज सुबह ही केबीनेट में हम सारे मसले पर विचार कर रहे थे । हम अपने रिसोर्सेज को ही टटोलते हैं कि कितनी सहायता दे सकते हैं । इस पर निश्चित रूप से विचार कर रहे हैं मैं आपको केवल यही विश्वास दिला सकता हूं कि जितना जेब में पैसा होगा उसका बंटवारा कर सकते हैं, हम कर्जा लेकर भी जेब में रखें तो भी जितना बंटवारा कर सकते हैं करेंगे, उससे अधिक नहीं कर सकते ।

तीसरा प्रश्न है वसूलियों का । आज ढाई हेक्टेयर से नीचे वाले किसान पर कोई लगान नहीं । तो जो गरीबों की चिंता कर रहे हैं कि उनको मुर्दा बनाया जा रहा है, सख्ती हो रही है, वह सही नहीं है । आखिर ढाई हैक्टेयर वाला किसान गरीब नहीं है । कितने लोगों को उससे मुक्ति मिली है । हम मानते हैं कि एस. एफ. डी. ए. में

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

किसान आते हैं। छोटी जोतों वाले किसान, जिनकी पैदावार कम है, से वसूली नहीं होगी। यहां अकाल राहत मन्त्री ने घोषणा की कि हमने इस प्रकार के निर्देश दिए हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज सुबह ही सभी जिलों से सूचना मंगाई है कि इस घोषणा करने के बाद किस किस जिले में सहकारी बैंकों या रेवेन्यू की वसूलियां हो रही हैं ताकि उनको तुरंत बन्द किया जाए।

जहां तक नोटिफिकेशन के इश्यू करने और बाकी की औपचारिकतायें पूरी करने का प्रश्न है, सोमवार को सारे प्रश्न पर विचार करके अन्तिम निर्णय ले रहे हैं कि कौन कौन से काम कहां कहां खुलवाने हैं, कितना बजट प्रावधान रखना है। मंगलवार को सारी स्थिति जो भी होगी, आपके सामने रखी जाएगी।

अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान में अकाल एक प्राकृतिक विपदा है, इसका सामना करने के लिए हम सब कृत संकल्प होकर चलें। हमारे सीमित साधन हैं, उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं, उस पर चिंता करके चलें। बाकी राजस्थान में कोई भूख से नहीं मरेगा। जैसा रामनारायणजी कह रहे थे कि भूख से मर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता। यदि प्रचार से लोग भूख से मर रहे हैं तो मेरा बस नहीं लेकिन रोटी के अभाव में कोई भूखा नहीं मरेगा, इस संबन्ध में आप पूर्णतः निश्चिन्त रहें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं....

श्री रघुनाथ विश्नोई : राजस्थान के पश्चिमी जिलों में 2॥ हैक्टेयर तो बहुत कम है। इसमें कोई काश्तकार छूट में नहीं आता है।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी....

श्री शीशराम ओला : क्या 2॥ हैक्टेयर से ज्यादा जमीन जिनके पास हैं उनसे लगान वसूल किया जावेगा ?

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी ने जैसा कहा कि सीकर और झुंझुनू के अकाल-ग्रस्त गांवों में जहां फूड फार वर्क की बकाया है उसे जल्दी से चुकाने की व्यवस्था करेंगे और तुरन्त कर रहे हैं। तो दोनों बातें वह कह गये। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो काम ग्राम पंचायतों के मार्फत हुए हैं और जो बकाया भुगतान रह गया था, पेमेन्ट बकाया रह गया था और जो काम मजदूरों ने कर दिया उस बकाया का क्या मुख्य मन्त्री जी 31 मार्च, 1979 से पहले-पहले भुगतान कराने की व्यवस्था कर देंगे ? यही जानना चाहता हूं।

श्री शीशराम ओला : यह लगान को स्थगित करने की बात है तो क्या 2॥ हैक्टेयर से ज्यादा जिनके पास जमीन है उनका लगान स्थगित नहीं होगा ?

श्री रणमल सिंह : आपकी चतुराई का तो कोई मुकाबले नहीं है। आपने कहा है कि अकाल राहत कार्य खोले जायेंगे। थोड़े दिनों में रबी फसल की कटाई का समय

(74)

(श्री रणमलसिंह)
आ जायेगा तब लोग हाड़ी की कटाई पर चले जावेंगे तो आप काम किसको देंगे।

श्री मदनसिंह दांता : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर। स्थान प्रस्ताव केवल झुंझुनूं और सीकर के लिए है....

श्री रघुनाथ विश्नोई : पूरे राजस्थान का है। रेगिस्तानी जिलों में सबसे ज्यादा अकाल की सीवयरिटी है।

श्री मदनसिंह दांता : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आप तो बहुत सीनियर मैम्बर हैं, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह स्थगन प्रस्ताव सीकर और झुंझुनूं के लिए है। उनके सम्बन्ध में तो बात हुई नहीं। अब अजमेर का प्रश्न उठेगा और दूसरी जगहों का उठेगा। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि पहले हमें मौका दिया जाये। मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन करना चाहता हूं।

राजस्थान के मुख्य मन्त्री ने यह माना कि किसान वाकई सड़क बनाने नहीं जाते। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि क्या सड़कों ही सड़कों के काम होंगे? किसान के कुए तबाह हो गए और उनके खेतों पर मिट्टी चढ़ गयी, उनकी प्राड्यूज् के भावों में गिरावट आ गयी, उन गरीब किसानों के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं? यह मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मथुरादास माथुर।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्री जी से दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल की घोषणा आपने अभी तक नहीं की और न स्केअरसिटी कन्डीशन्स की घोषणा की। आपने यह कह कर टाल दिया कि काम हो रहे हैं। इसके दो, तीन मतलब निकलते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि जब तक आप अकाल की घोषणा नहीं करेंगे तब तक सिविल डिक्री का एग्जीक्यूशन नहीं रुक सकता। आपका एग्जीक्यूटिव आर्डर चाहे जितना भी ताकतवर आर्डर हो आज जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव का सैपरेशन होने के नाते आप एग्जीक्यूटिव आर्डर उन पर एन्फोर्स नहीं कर सकते जब तक कि अकाल की घोषणा नहीं करते। जो मध्यम श्रेणी के किसान हैं या लघु किसान हैं उनका जिक्र कर रहा हूं। अच्छे किसानों के ऊपर तो डिक्री कम होती है। इसलिए जिस किसान को आप रिलीफ देना चाहते हैं आपकी इस लाएतलाली से उन किसानों के ऊपर डिक्री का एग्जीक्यूशन हुआ है और उनकी कुर्कियां हो रही हैं। उनके लिए आपकी सरकार क्या कदम उठायेगी और आज तक क्यों नहीं उठाया? दूसरा प्रश्न यह है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी जानकारी में कितनी कुर्कियाँ हो गयीं?

श्री रघुनाथ विश्नोई : सैकड़ों।

श्री मथुरादास माथुर : सीकर और झुंझुनूं का एडजोर्नमेन्ट मोशन पेश हुआ था। आप पूरी डिबेट करवा दें फिर मैं बता दूंगा कि जालौर और जोधपुर में कितनी हुईं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि और जिले के अन्दर एक हजार डिक्री भी हुई हैं और उनको परेशानियां हो रही हैं तो आप हुक्म क्यों नहीं निकालते? आपने मान लिया कि अकाल है....

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय माथुर साहब, आपको इस बात पर भी रोशनी डालनी चाहिए कि एग्रीकल्चर डैट रिलीफ एक्ट के तहत भी कोआपरेशन शुरू करा देंगे। If there is a way to get out of this impasse ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं तो यह कह रहा हूं कि जब तक आप अकाल घोषित नहीं करेंगे या स्केअरसिटी कन्डीशन्स घोषित नहीं करेंगे तब तक उनको राहत नहीं दी जा सकती जो कि सिविल डिक्री के एग्जीक्यूशन से परेशान हैं।

दूसरा प्रश्न यह है कि आपने यह कह कर टाल दिया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अकाल ज्यादातर हमारे राजस्थान के अन्दर रेगिस्तानी इलाके में होता है। उसकी फ्रिक्वेन्सी और इन्टेंसिटी दोनों ही डेजर्ट एरिया में है। सीकर, झुंझुनूं और बीकानेर डिवीजन में ज्यादा है। जो 2॥ हैक्टेयर पर एग्जेम्प्शन दिया है तो वहां के हिसाब से कम से कम आप समझ लीजिए कि ऐसी तो होल्डिंग का बहुत काम पर्सेन्टज होगा जो 2॥ हैक्टेयर के अन्दर एग्जेम्प्शन के अन्दर आयेगी। 15 बीघा जमीन राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में 6 एकड़ होती है। अब इतनी सी जमीन में रेगिस्तानी इलाके में जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर और शेखावाटी में क्या प्राडक्शन होता है ? इसलिए कोटा या उदयपुर डिवीजन में जहां जमीन उपजाऊ है वहां दूसरा इश्यू है। ज्यादातर अकाल उन रेगिस्तानी इलाके में पड़ता है। आपने जो नोटिफिकेशन निकाला उसमें भी यही लिखा है। ऐसी सूरत में 2॥ हैक्टेयर का एग्जेम्प्शन देकर आप गरीबों की बात कहते हैं यह जोधपुर, बीकानेर और शेखावटी में लागू नहीं होती। इसलिए मेरा पुनः निवेदन है कि इस चीज को लेकर परेशानी नहीं करें।

तीसरी बात यह है कि जो काम के बदले अनाज की बात कर रहे हैं और यह जो योजना है यह फेमिन रिलीफ के कामों के बजाय है या एडीशनल है ?....

श्री भैरोंसिह शेखावत : एडीशनल है।

श्री मथुरादास माथुर : तो यह तो वहां भी है जहां अकाल नहीं है। इस योजना को मिक्स मत कीजिए। जहां अकाल के काम नहीं खोले वहां फूड फार वर्क को रिप्लेस करके यह तसल्ली कर लेते हैं कि हमने काम खोल दिये हैं और अकाल घोषित करने की जरूरत नहीं है। यह लाजिक चलने वाले नहीं। इसको आपने भी माना है।

फेमिन के बारे में स्पीकर साहब ने कह दिया था कि एक दिन की डिवेट होगी फेमिन के बारे में इसलिए इसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। आपने इन्टरवीन किया इसलिए बहुत से सवाल पूछने पड़े ताकि आप मंगलवार के दिन फैसला करें तो उस दिन इनके ऊपर विचार करके फैसला करें। एक सवाल और मुख्य मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि 130 करोड़ रुपया भारत सरकार के पास दो प्लान सीलिंग में है। उसका बहुत वैलकम है। इन्स्टीट्यूशनल या नान इन्स्टीट्यूशनल मिलता है, हम उसको वैलकम करते हैं। 130 करोड़ रुपये भारत सरकार ने बांटने का फैसला किया है। आपने 28 करोड़ का एलोकेशन

(श्री मथुरादास माथुर)

करवाया है। आपके पास आया कितना ? यह पता नहीं। मैं यह जानना चाहता हूं, 1979-80 में आपको कितना एलोकेशन होगा ? मैंने यह आंकड़े मंत्री महोदय से भी पूछे थे। गवर्नमेंट आफ इण्डिया का स्टेटमेंट अखबारों में पढ़ा था कि पापूलेशन के आधार पर एलोकेट करेंगे। यह अखबारों में हम ने पढ़ा है। पापूलेशन के हिसाब से अगर देंगे तो 4. कुछ मिलेगा। आप ज्यादा ले चुके हैं। 1979-80 में आपको क्या देंगे ? अब प्रश्न यह है 1978-79 में आप ले आये। 1979-80 में आपको कितने करोड़ का अनाज मिलेगा, उसमें कौन कौन सी योजनायें चलेंगी ? यह सब बताने का कष्ट करें। 1979-80 में क्या क्या इस योजना के अन्तर्गत होने वाला है ? मुझे यह खतरा है कि आपका जो एलोकेशन है इसमें से आपने जो एक्सेस उठा लिया है वह अगले साल काट लिया जायेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

लोगों ने जो काम किया है उसका पेमेंट तो करना पड़ेगा। अनाज नहीं है तो रुपया देना पड़ेगा। आपने उनसे काम लिया है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने यह सवाल उठाया है कि हम पंजाब का मुकाबला नहीं कर सकते। आप मुकाबला तो नहीं करें, मुकाबला करने की कोशिश तो कीजिये। पंजाब ने 300 रुपया एकड़ के हिसाब से दिया है। आप कम से कम आधा तो पहुंचाइये। कांग्रेस ने 30 साल में नहीं किया, आप भी यही कह दें, इससे कम काम नहीं चलेगा। आप केवल इतना कह दें कि किसी को भूखा नहीं मरने दिया जायेगा, इससे काम नहीं चलेगा। भूख से जब कोई मरेगा उस का नतीजा भुगतना पड़ेगा। अब वह बात नहीं है। 1978-79 है, 1966 नहीं है।

दूसरी बात आपने कहा कि बंगाल में कम दिया है। आपको जानकारी है बंगाल में 200 करोड़ रुपये जहाँ 12 जिलों में बाढ़ आई वहाँ बांटे हैं। कम्पेरिजन कीजिये ····

श्री भैरोंसिह शेखावत : मेरा क्वेश्चन यह नहीं था। बंगाल में क्षति पूर्ति के लिये है·······

(व्यवधान)

श्री एच. एन. शर्मा : आज आप राजस्थान और बंगाल का मुकाबला कर रहे हैं, कल आप चाईना का मुकाबला करने लगोगे।

श्री श्योपत सिंह मकासर : बंगाल में उन तहसीलों के अन्दर जहाँ हर साल बाढ़ तबाही करती है फसलों का बीमा योजना शुरू कर दी है। आप मालूम कीजिए। राजस्थान में जहाँ फेमिन अफेक्टेड एरियाज हैं, आप वहाँ लागू कीजिए।

तीसरी बात आपने 28 करोड़ रुपया लिया है इसके लिये तो आपको शाबाशी दूंगा। यह तो आपने कीर्तिमान स्थापित किया। पिछले साल आपने क्या किया ? इसका जवाब दीजिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : पिछले साल

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आपको ध्यान होगा, अलाटमेंट कितना था ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : अलाटमेंट कितना ही हो, चाहे कितना ही हुआ हो, आया कितना ? आपके अधिकारी चुप थे। इसकी सजा हम आपको देंगे। क्यों नहीं नहीं लाये ?

श्री ओंकारलाल चौहान : जहाँ चारे की समस्या है, वहाँ आप क्या कर रहे हैं, यह भी बता दें।

श्री श्योपत सिंह मकासर : यह कटाई का पीरियड है। किसान कटाई पर लगा हुआ है। इस वक्त आप उसके पास जा रहे हैं।

श्रीमती मदन कौर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की भी समस्या है। इस साल पीने के पानी का बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। इसकी वजह यह है कि इस साल बरसात बहुत कम हुई। पीने का पानी तालाबों और टैंकों में बहुत कम आया है। जहाँ तालाबों की व्यवस्था थी, वहाँ भी अभी पीने के पानी की भयंकर संकट की स्थिति है। मुख्य मंत्री जी इस बात पर गम्भीरता से विचार करें, और उस क्षेत्र में ट्रक टैंकरों से या जो रेल हैड हैं वहाँ रेल टैंकरों से पानी उपलब्ध करवाने का आज ही आदेश दें। जहाँ स्कूल चल रहे हैं, पानी की व्यवस्था नहीं वहाँ पानी पहुंचाने के लिये आज ही निर्देश भेजे।

श्री श्रवणलाल (हिण्डोन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नेता महोदय ने अभी वसूली के बारे में अपने विचार रखे हैं। मैं, आपके द्वारा, मुख्य मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि यह वसूली चाहे किसी प्रकार की हो, कोआपरेटिव बैंक की हो, या रेवेन्यू की हो उसके लिए हमेशा से 31 मार्च से पहले तक का टार्गेट बना रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, किसान की फसल खेतों में खड़ी हुई होती है। सारा पैसा बीज में, खाद में और पिलाई के रूप में वह खर्च कर देता है उस वक्त में उसके पास पैसा नहीं होता है और वसूली जब होती है उसके सामने धर्म संकट पैदा हो जाता है। एक तरफ तो फसल खड़ी हुई है उसमें पानी नहीं पहुंचाये तो फसल खराब होने का डर है, उसमें खाद नहीं पहुंचाये तो खराब होने का डर है। सारा पैसा, चाहे कर्ज के रूप में लेता है, वह अपनी फसल में लगा देता है। इसलिये मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, वह एक रोज में, दो रोज में इस मामले में विचार विमर्श करने जा रहे हैं तो मेरा यह सुझाव है हमेशा के लिये कि यह वसूलियाँ जून के एण्ड तक होनी चाहिये ताकि जब किसानों की फसल कट कर खलिहान में आ जाये उसको बेच कर पैसा चुकाने में उन्हें सुविधा मिले। यह 31 मार्च को न होकर 1 जून या 30 जून तक कर दी जाये ताकि हमेशा के जो बार बार झगड़े होते हैं, वह न हों। फसल को अच्छी कीमत में बेच कर किश्त को जमा करा सके।

श्री वृद्धिचंद जैन (बाड़मेर) : वसूली के बारे में एक नई चीज अर्ज करना चाहता हूं.......

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे लिये समस्या हो जायगी।

श्री वृद्धि चन्द जैन : वसूली के बारे में प्रश्न यह है कि जब से जनता सरकार आई है, एक ऐसा तरीका निकाला है वसूली के बारे में कि अनुसूचित जाति और जन जाति और अनइकानामिक होल्डिंग वालों से वसूली नहीं की जाती है और दूसरों से सब से वसूली की जा रही है। मैं मेरे बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट की बात कह रहा हूं ....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वृद्धिचंद जी, आप शायद देर से आये, इस बारे में काफी चर्चा हो गई है।

श्री वृद्धि चंद जैन : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों के अलावा मैं स्थिति बताना चाहता हूं। दूसरे लोग, जिनकी फसलें नष्ट हो जाती हैं, भी प्रभावित होते हैं, उनसे वसूली की जाती है तो उनकी स्थिति को बहुत ही धक्का लगता है। इसलिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति क्षेत्र को ही नहीं बल्कि जो ग्रामीण क्षेत्र में अकाल से प्रभावित होते हैं उनको अकालग्रस्त घोषित करके वहां वसूलियां स्थगित होनी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने दो-तीन प्रश्न इस सम्बन्ध में सदन के सामने प्रस्तुत किये हैं। पहला प्रश्न यह है कि अगले वर्ष फूड फार वर्क योजना चालू रहेगी या नहीं रहेगी ? और चालू रहेगी तो किस आधार पर ? उन्होंने समाचार पत्रों में यह पढ़ा कि अगले वर्ष जनसंख्या के आधार पर अनाज का आवंटन होगा। ये समाचार मैंने भी पढ़े थे और समाचार पढ़ने के बाद कृषि मंत्री जी से बातचीत की, प्लानिंग कमीशन के बाद कृषि मंत्री जी से बातचीत की और प्लानिंग कमीशन के श्री लकड़वाला से भी बात की। इन दोनों से हुई बातचीत को मैं सदन की जानकारी के लिये कहना चाहूंगा। जिस समय प्लानिंग कमीशन से एनुअल प्लान डिस्कस हो रहा था और जब 256 करोड़ का प्लान मंजूर हुआ तो इस विषय पर भी चर्चा हुई कि अगले वर्ष फूड फार वर्क से कितना अनाज का आवंटन मिलेगा। उनका जवाब मिला कि राज्य सरकार की जितनी क्षमता हो, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आयेगी। लेकिन उसके बाद मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि जनसंख्या के आधार पर अनाज का आवंटन होगा। तो रफली 76 हजार टन अनाज हमें जनसंख्या के आधार पर मिल सकता है। उतने में हम काम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फिर बातचीत की। उन दोनों ने आश्वासन दिया है कि पापूलेशन के आधार पर आवंटन नहीं होगा। जितना राज्य सरकार को आवंटन किया जा सकता है और जो भारत सरकार टोटल अलाटमेंट करना चाहती है, उस टोटल अलाटमेंट के अभी तक कोई नार्म्स फिक्स नहीं किये हैं। जितना राज्य सरकार खर्च करना चाहेगी, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते जायेंगे। तो मुझे यह आश्वासन मिला है कि जनसंख्या के अनुपात में अनाज नहीं मिलेगा बल्कि क्षमता के अनुपात में अनाज मिलेगा।

इसी प्रश्न के साथ यह भी कहा गया कि इस वर्ष अनाज ज्यादा ले लिया तो अगले वर्ष नहीं मिलेगा। भुगतान फूड फार वर्क से नहीं हुआ तो हमें अपने खर्चे से करना

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पड़ेगा । हमें पूर्ण विश्वास है फूड फार वर्क में सारे अनाज का भुगतान होगा । यह स्टेट गवर्नमेंट की लायबिलिटी है कि किस प्रकार चुकारा करे । हम उससे पीछे हटने को तैयार नहीं हैं ।

जहाँ तक अकाल में वसूली का प्रश्न है, मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा, गरीब किसानों से वसूली और अकाल पीड़ितों से वसूली की जाय, उसमें सरकार को खुशी होती हो, ऐसी बात नहीं है । आखिर किसी को पीड़ा होती है तो उसका दुःख सबको होता है और सब उसको अनुभव करते हैं । मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अभी माथुर साहब ने यह कहा कि ढाई हैक्टेयर से छोटा किसान नहीं बचता है । मुझे रफली याद नहीं है लेकिन आपके क्षेत्र में 42 बीघा तक लगाना वसूल नहीं किया गया है ।

श्री मथुरा दास माथुर : यह स्थिति नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : स्थिति यह नहीं है तो करेक्ट कर लेंगे । इसमें कोई जिद का सवाल नहीं है ।

42 की जगह 45 होंगे लेकिन ढाई हैक्टेयर के आधार पर जैसलमेर में करने का कोई सेन्स नहीं है, बाड़मेर में सेन्स नहीं है, जोधपुर में उसका कोई सेन्स नहीं है । यह नहीं है कि हम कोई ढाई हैक्टेयर से ही बन्धे हुए हैं । हमने ढाई हैक्टेयर का सारा हिसाब लगा कर देखा है कि एक एरिया से दूसरे एरिया में कितना प्रभाव पड़ता है । आप, माथुर साहब, इसलिये अच्छी तरह से देख लें—आपके जोधपुर में 12 बीघा ही नहीं है 28 बीघा है ......

श्री मथुरा दास माथुर : जो आर्डर निकला है, उसकी शक्ल तक नहीं देखी है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यही तो दुख है कि माथुर साहब ने उस आर्डर की शक्ल नहीं देखी । इतना मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान के किसान ने उसकी शक्ल देखी है और लाभ भी उठाया है ।

आपने कुछ डिग्रियों के बारे में भी जिक्र किया है तो उस बारे में भी मैं यह कहना चाहता हूं कि मंगलवार तक जितनी कानूनी औपचारिकताएं हैं, वे सब पूरी कर देंगे । उसके बाद कोई समस्या नहीं रहेगी ।

माननीय राम नारायण जी ने और मदन सिंह जी दांता ने सीकर और झुंझुनूं का नाम लिया । मैं भी वहाँ से जुड़ा हुआ हूं । लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो........

श्री श्योपतसिंह मकासर : अभी तो आप छबड़ा से जुड़े हुए हो ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सीकर में मैंने जन्म लिया है ।

एक माननीय सदस्य : मुख्य मंत्री के नाते सारे राजस्थान से जुड़े हैं ।

श्री मदनसिंह दांता : आप सीकर के सम्बन्ध में ही कहिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं सीकर के सम्बन्ध में बोलूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को मालूम है, सीकर, झुंझुनूं और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में पिछली सरकार ने मरुस्थलीय विकास में बड़ा पक्षपात किया है। डी० पी० ए० पी० और डी० ए० पी० में भी इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स को नहीं लिया था। आज माथुर साहब चिन्तित हो रहे हैं लेकिन सीकर, झुंझुनूं और गंगानगर में मरुस्थलीय विकास में काम शुरू किया है तो वह हमने किया है.......

(व्यवधान)

श्री राम नारायण चौधरी : आपके मुख्य मंत्री बनने के बाद हम घाटे में चले गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, सीकर, झुंझुनूं और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट्स में 8½ करोड़ रुपया हम डेयरी के काम के लिये खर्च कर रहे हैं, अब आप बता दीजिए, इतना पहले खर्च किया है ? 2.50 करोड़ सीकर में इलेक्ट्रिफिकेशन के लिये खर्च कर रहे हैं। पहले किया था ?

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : आप कहें तो मैं जोर से हां करूं। हाँ, पहले नहीं किया।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : सबसे ज्यादा विद्युतीकरण झुंझुनूं जिले से हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : झुंझुनूं जिले में विद्युतीकरण ज्यादा हुआ है तो आपको आपत्ति क्यों होनी चाहिए। झुंझुनूं में होने दें, सीकर में होने दें। 30 वर्षों तक तो आपने उपेक्षा की है।

श्री मथुरा दास माथुर : हम तो आपकी वजह से ज्यादा ख्याल रखते थे।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ इन वसूलियों के सम्बन्ध में। उपाध्यक्ष महोदय, वसूली स्थगित करना और स्थगित न करना उतना ही अहम प्रश्न है जितना कि माननीय सदस्य कह रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो बैंक लोन को जमा नहीं करा सके वे बैंक से डिफाल्टर हो गए। शार्ट टर्म लोन को लोंग टर्म लोन में कनवर्ट करने की वजह से तो उनको नुकसान होगा, उन किसानों को ही नुकसान होगा इसलिए वसूली अकाल पीड़ित क्षेत्र में नहीं होनी चाहिये, मानते हैं लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस वसूली के अभियान को राजनीतिक अभियान बनाने की कोशिश न करें।

कई माननीय सदस्य : कभी नहीं।

(व्यवधान)

श्री भरोंसिंह शेखावत : आपका तो उसूल ही यही है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ऐसी बातें कह रहे हैं, उनके गले कैसे उतरेंगी ?

श्री मथुरा दास माथुर : आप निकलवा दें यह बयान।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, हालत यह हो गई है कि कभी कोई सही बात नहीं कही जाय। अगर सही बात कहते हैं तो माननीय सदस्य उचकते हैं। इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस वसूली के प्रश्न की राजनीति से थोड़ा दूर रखा जाय। आप जहाँ एक तरफ किसानों को लाभ पहुंचाने की बात करते हैं वहां दूसरी तरफ किसानों का नुकसान करना चाहते हैं.......

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं आपको क्लियर कर दूं.......

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिए जहाँ पर अकाल पड़ता है तो वसूली स्थगित करेंगे और हमने की हैं लेकिन जहाँ सम्पन्न लोग हैं, साधन सम्पन्न लोग हैं, जो अनाज जमा कर सकते हैं.......

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : कितने हैं? पांच प्रतिशत कुल हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय वृद्धिचन्दजी, मैं आपका बड़ा आभारी रहूँगा अगर आप मुझे उन पाँच प्रतिशत लोगों की लिस्ट दे दें जिनसे वसूली की जाए। इसी से मेरा काम हो जाएगा.......

श्री वृद्धिचन्द जैन : मैं लिस्ट भी दे दूंगा। लेकिन 95 प्रतिशत से तो वसूली नहीं होनी चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं माननीय सदस्य वृद्धिचन्दजी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने सारी बात को स्पष्ट कर दिया और विपक्ष में होते हुए भी इस बात को अच्छी तरह से स्वीकार कर लिया कि पांच प्रतिशत किसान ऐसे हैं जो अकाल के बावजूद लगान दे सकते हैं। आज सबसे ज्यादा चर्चा लगान नहीं देने की गरीब किसान नहीं कर रहा है, वे ही लोग कर रहे हैं, जो साधन सम्पन्न हैं.......

श्री वृद्धिचन्द जैन : हम गरीब किसानों लिए ही कह रहे हैं, हम गरीब किसानों के प्रतिनिधि हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मुख्य मंत्री जी, एक सैकिंड मेरी बात सुन लीजिये।

वसूली का भी एक पीरियड होता है। यह पीरियड वसूली का नहीं है, यह कटिंग का पीरियड है। अगर आज आप लेंगे तो उसको सस्ते में अपना अनाज बेचना पड़ेगा। आप दो माह बाद वसूली कर लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय श्योपतसिंह जी ने जो बात कही है मैं उसको स्वीकार करता हूँ कि वसूली का भी समय होता है। लेकिन वृद्धिचन्द जी ने जो बात कही है उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उन्होंने यह माना है कि हर जिले में पांच दस प्रतिशत ऐसे लोग होते हैं जो लगान जमा कर सकते हैं। वृद्धिचन्द जी, आपको जानकारी होगी कि आपके पास गांवों के गरीब किसान नहीं आए, वे ही लोग आए हैं जो पांच प्रतिशत में हैं लेकिन लगान जमा नहीं कराना चाहते हैं.......

श्री वृद्धिचन्द जैन : पांच प्रतिशत तो आते ही नहीं है, गरीब लोग ही आते हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में यही निवेदन करना चाहूँगा कि गरीबों की हिमायत करने के लिए जनता सरकार को जो कुछ करना है उसको निश्चित रूप से करेगी । इसमें किसी प्रकार की कमी रहे तो आप निश्चित रूप से कमी की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करें । हम पूरा करने की भरसक चेष्टा करेंगे लेकिन गरीबों के नाम पर इस वसूली को राजनीति से अलग रखें ।

झुंझुनूं से आने वाले माननीय सदस्य और बालोतरा से आने वाले माननीय सदस्य में से एक ने तो चारे की समस्या और एक ने पानी की समस्या का जिक्र किया । मैं जानता हूँ कि बालोतरा के क्षेत्र में पानी की विकट समस्या है । मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपसे बात करूँगा और जहाँ जहाँ पर जिस जिस गांव में आप अनुभव करती हैं कि वहां व्यवस्था होनी चाहिए और आप उचित समझती हैं कि इन इन गांवों के लिए पानी की व्यवस्था करना आवश्यक है, मैं आप से बात कर व्यवस्था कराऊँगा । आप और हम दोनों बैठ कर बात करेंगे और कन्विन्स करेंगे ।

जहाँ तक चारे की समस्या का सवाल है·······

श्री रघुनाथ विश्नोई : जालौर में भी समस्या है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जालौर में इतनी बड़ी डेयरी लगा दी है, और क्या चाहते हैं ?

झुंझुनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने चारे की स्थिति के बारे में जिक्र किया । मैंने आज ही बात की है कि चारा हमें कहाँ कहाँ से उपलब्ध हो सकता है । जानकारी आते ही चारे की व्यवस्था भी करायेंगे ।

मैं माननीय वृद्धिचन्द जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कांग्रेसी होते हुए भी उन्होंने आज इस बात को माना है कि 5 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो लगान देते नहीं हैं········

श्री वृद्धिचन्द जैन : बाड़मेर और जैसलमेर दोनों में पानी की समस्या है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं विद्युत मंत्री जी का ओर·······

श्री राम नारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी एक सवाल को बिल्कुल गौण कर गए········

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अनाज भी भेजेंगे ।

श्री शिवचरणसिंह : मेरा तो मुख्य मंत्री जी से एक ही प्रश्न है·······

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री रघुनाथ विश्नोई : वे तो चले गए ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं याता-

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

मात मंत्री जी का और विद्युत मन्त्री जी का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अभी गत 12 तारीख को भीनमाल कस्बे के पास में एक बस कण्डक्टर की अकाल मौत हुई है। भंवरलाल पालीवाल नाम का एक गरीब लड़का था जो करीब छः सात महीने पहले ही कण्डक्टर की नौकरी पर लगा था। होली की वजह से लोग पैसेंजर गाड़ी पर ऊपर चढ़ गए थे उनके टिकट काटने के लिए कण्डक्टर भी बस की छत पर चला गया। बीच में विद्युत का तार था जो नीचे लटका हुआ था, उस बिजली के तार से छूने से उसकी अकाल मौत हो गई। वहां से गाड़ी वाले उसको भीनमाल शफाखाने में ले गए, जब वहां उसका इलाज नहीं हुआ तो वहां से लेकर सिरोही गए मगर सिरोही के रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। बिल्कुल नौजवान लड़का था, घर में शायद इकलौता लड़का था। उस लड़के की अकाल मौत होने के बावजूद अभी तक विद्युत मंत्री ने एक पैसा भी मुआवजे का देने की घोषणा नहीं की है।

उसके घर गांव के बारे में थानवी साहब ज्यादा जानते हैं। वह पालीवाल लड़का, थानवी साहब के इलाके का है। नौजवान लड़के की मौत, उस कण्डक्टर की मौत बिजली के करेंट की वजह से हुई है। मुझे पता नहीं कि यातायात मंत्री जी को इसकी सूचना है या नहीं। गवर्नमेंट को आज ही उस लड़के के लिए कम से कम दस हजार रुपयों की घोषणा उसके माता-पिता की सहायता करनी चाहिए। वहां के डिपो की यूनियन ने स्ट्राइक का नोटिस दिया है। कल ही मैं मिल कर आया हूं, मैंने उनसे कहा कि हम यह मामला विधान सभा में रखेंगे। इसलिये जो भी नियमानुसार रिलीफ बनता है, उस लड़के की अकाल मौत हुई है बिजली के करेंट की वजह से, उसके लिए सरकार आज ही घोषणा करे कि मुआवजे के रूप में सरकार उसको क्या देना चाहती है। विद्युत मंत्री जी यहां पर नहीं हैं और यातायात मंत्री जी का ध्यान मेरी बात की तरफ है नहीं। इसलिए मैं आपकी मार्फत सरकार से कहना चाहता हूं कि बिजली के तार वहां पर लटके हुए हैं, यही हालत रानीवाड़ा बस स्टैंड की भी है। बिजली वालों को रोडवेज वालों ने दरख्वास्त भी भेजी है कि जगह-जगह पर बिजली के तार लटके हुये हैं, उनको कोई ठीक नहीं करता है जिसकी वजह से अकाल मौत होती हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भंवरलाल पालीवाल, एक बस कण्डक्टर की अकाल मौत हुई है, पता नहीं मंत्री महोदय को सूचना मिली या नहीं लेकिन मैं आपको सूचना दे रहा हूं। इसलिये आज ही वह यहां पर खड़े होकर घोषणा करें कि उस लड़के के मां-बाप को क्या देना चाहते हैं। अगर आपके पास उसको देने के लिये पैसा नहीं है तो बिजली बोर्ड से दिलाइये। कम से कम दस हजार की घोषणा अकाल मौत के लिये करनी चाहिए वरना सारे रोडवेज की स्ट्राइक हो जाएगी और तमाम यातायत ठप्प हो जाएगा। उन्होंने इसके लिए तार भी दिये हैं कि सारा यातायात ठप्प हो जाएगा। इसलिये मैं यातायात मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस बारे में सूचना प्राप्त करके सदन को कविन्स करें कि इस बारे में मुआवजा देने के लिये आप क्या करना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री अयूब खां : उपाध्यक्ष महोदय, ओलावृष्टि से हुये नुकसान के बारे में रिपोर्ट आई है या नहीं, यह तो मंत्री महोदय बतायें ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप खड़े होकर कहें कि क्या मुआवजा देना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रघुनाथ जी, आपने ध्यान आकर्षित कर दिया, कृपया बिराजिये ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सरकार की तो आंख ही नहीं खुल रही है ।

श्री उपाध्यक्ष : अधिसूचनायें ।

श्री डूंगरराम पंवार : ओलावृष्टि से नुकसान होने की रिपोर्ट जिलाधीशों ने अभी तक भेजी है या नहीं, इस बारे में तो मंत्री महोदय बतायें ।

श्री उपाध्यक्ष : अधिसूचनायें । पंचायत मंत्री जी ।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचनायें

श्री दिग्विजयसिंह (पंचायत मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पंचायत विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं । सारी अधिसूचनाएं पढ़ूं क्या साहब ?

श्री उपाध्यक्ष : अधिसूचनाएं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसकी जानकारी सभी माननीय सदस्यों को है ।

[निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखी गई :

(1) अधिसूचना संख्या एफ 4/एल/पी० एस०/ए० आर०/11०/77/32 दिनांक 30 जनवरी, 1979 ।

(2) अधिसूचना संख्या एफ 4 एल/पी० एस०/सी/6/77/31 दिनांक 30 जनवरी, 1979 ।

(3) अधिसूचना संख्या एफ 4/एल०/ए० आर०/21/78/467 दिनांक 28 नम्बर, 1979 ।

(4) अधिसूचना संख्या एफ० 4/एल०/पी० एल/ए० आर० 78/20/459 दिनांक 22 नम्बर, 1978 ।

प्रतिवेदन

श्री हरिसिंह (यातायात मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 35 की उप धारा (2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1977–78 सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री मूलचंद डागा : बहुत देर से रख रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ।

व्यवस्था का प्रश्न–
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर दिये जाने वाले शासकीय वक्तव्य की संबंधित सदस्य को अग्रिम प्रतिलिपि का प्रेषण

श्री अब्दुल अजीज : उपाध्यक्ष महोदय, मैं........

श्री मूलचन्द डागा : मेरा एक पोइन्ट ग्रॉफ ग्रार्डर है। सवाल यह है कि उन्होंने अभी तक स्टेटमेंट नहीं दिया है। The Minister should supply the statement to the member concerned. अगर मिनिस्टर जवाब देंगे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का तो यह साफ है कि The Minister is required to supply a copy thereof in advance to the Notice Office. मैंने आते ही नोटिस आफिस से पूछा कि....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा साहब, किस रूल की बात कर रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : रूल 131 के अन्दर है। प्रेक्टिस है कि अगर कोई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश करें, तो उसके बारे में, यह कौल एण्ड शकधर की किताब में से पढ़कर सुना रहा हूँ। पेज है 410.

"Ministers are required to submit copies thereof in advance for being kept in Parliament Notice Office with a view to making them available to the member concerned."

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ध्यानाकर्षण दे दिया है। मुझे अभी तक उसका जवाब नहीं मिला है। मैंने नोटिस आफिस को भी पूछा है और माननीय डिप्टी सैक्रेटरी साहब को भी पूछा है कि क्या मंत्री महोदय ने इस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का जवाब हाउस की टेबल पर रख दिया है ताकि मेम्बर उसको देख सकें और उस पर क्वेश्चन कर सकें। इससे हमें सुविधा होती है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की तीन प्रतियाँ हमने दी थीं, उसका जवाब नहीं आया है। या तो इसकी प्रति चार बजे आ जाए या फिर इसको पूरा पढ़वाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबन्धी नियमों के नियम में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। आप कृपया रूल्स कमेटी को सजेस्ट करें।

श्री मूलचन्द डागा : यह तो, मान्यवर, प्रेक्टिस है। नहीं तो जवाब पूरा पढ़वाइये।

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव

सहायक अभियन्ता द्वारा संगमरमर की खानों की नीलामी के बारे में जारी की गई विज्ञप्ति

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि मकराना की संगमरमर को खानों की नीलामी से उत्पन्न मुद्दे पर चर्चा करने की आज्ञा दी। मैं इस सम्बन्ध में खनिज मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूँ।

व्यवस्था का प्रश्न
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर
वाद-विवाद

श्री कैलाश मेघवाल (खनिज मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 131 को यदि देखा जाये तो उसमें यह है कि कोई भी सदस्य माननीय अध्यक्ष की पूर्वानुमति से

(श्री कैलाश मेघवाल)

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के किसी विषय पर मंत्री का ध्यान दिला सकेंगे और मंत्री उस पर संक्षिप्त तथ्य दे सकेंगे या बाद में किसी समय या तिथि को वक्तव्य देने के लिए समय मांग सकेंगे। उस वक्तव्य पर जब वह दिया जाए तो कोई वादविवाद नहीं होगा। इसलिए माननीय सदस्य जो बात अपनी ओर से कहना चाहें वह पहले कह दें।

श्री मूलचन्द डागा : हमने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दे दिया है।

"A member may, with the previous permission of the Speaker, call the attention of a Minister to any matter of urgent public importance."

So we have invited the attention of the Minister. Now let him reply.

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय, जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है उसके बारे में आप वक्तव्य देना चाहें तो पहले दे दें। उसके बाद ही माननीय सदस्य प्रश्न पूछ सकेंगे।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

सहायक अभियन्ता द्वारा संगमरमर की खानों की नीलामी के बारे में जारी की गई विज्ञप्ति

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मरकाना को संगमरमर की खानों से निकलने वाला पत्थर अपने स्फटिक श्वेत वर्ण के लिए प्रसिद्ध रहा है। इस क्षेत्र में संगमरमर के खनन का इतिहास कई शताब्दियों पुराना है। वर्तमान समय में मकराना क्षेत्र में लगभग 600 संगमरमर की चालू खानें हैं जिनमें 112 बाकी खानें भी सम्मिलित हैं उनके लिए किसी प्रकार के वैध खनन पट्टे प्राप्त नहीं किये गये हैं।

राज्य सरकार ने मकराना संगमरमर के निर्यात की संभावनाओं की दृष्टि से भी अध्ययन किया है। यद्यपि मकराना का संगमरमर अच्छे किस्म का है तथापि उत्पादन की कमी एवं अधिक उत्पादन मूल्य होने के कारण विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। इस समस्या का एक मात्र समाधान यह है कि यांत्रिक खनन पद्धति द्वारा खनन कर कम लागत पर अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाय। जब कि वर्तमान समय में छोटे छोटे क्षेत्रों में हाथ से कार्य किया जाता है जिससे उत्पादन कम एवं लागत अधिक आती है। तेल उत्पादक देश एवं खाड़ी के देश संगमरमर के अच्छे क्रेता हो सकते हैं किन्तु ऐसा तभी सम्भव हो सकता है जब कुछ बड़े साइज की खानें ऐसे व्यक्तियों द्वारा चलाई जाएं जो खानों के विकास एवं यांत्रिकरण हेतु काफी पूंजी लगा सकने की क्षमता एवं इरादा रखते हों।

इन सभी समस्याओं का समाधान तभी सम्भव है जब खान की व्यवस्था एवं प्रबन्ध ऐसे व्यक्तियों के द्वारा हो जिनके आर्थिक संसाधन इतने हों कि वह खान को ठीक ढंग से विकसित कर सकें। प्रारम्भ से ही सुव्यस्थित.......

श्री मूलचन्द डागा : Is this a statement on a call attention motion ? हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है, ये सारा

(श्री मूलचन्द डागा)

इन्ट्रोडक्टरी पढ़ रहे हैं, इस पर मेंम्बर्स क्या क्वेश्चन कर सकेंगे······ ···

ी राम रघुनाथ चौधरी : और इस नाटकीय भाषा में········

श्री मूलचन्द डागा : यह तो सब आपको मुबारक हो ।

श्री कैलाश मेघवाल : आपको सभी जवाब मिलेगा ।

श्री मूलचन्द डागा : हमने जो अर्जेन्ट नेचर का प्रश्न है उस पर आपका ध्यान आकर्षित किया है ।

श्री उपाध्यक्ष : आपको वे इस सन्दर्भ में और ज्यादा जवाब देना चाहते हैं ।

श्री कैलाश मेघवाल : प्रारम्भ से ही सुव्यवस्थित विकास हेतु तकनीकी व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग कर सकें और व्यवस्थित विकास के पहलू को एक साथ रख कर खनन कार्य कर सकें । खनन कार्य के व्यवस्थित विकास हेतु, जिसमें मलबे को सही ढंग से हटाना शामिल है, 50 हजार रुपये और मशीनों के लिये कम से कम एक कंप्रेसर और अन्य आवश्यक उपकरणों के लिये क्रियागत पूंजी की आवश्यकता होगी । इस प्रकार कुल राशि अनुमानत: 2.50 लाख की आवश्यकता होगी । इतनी बड़ी राशि का व्यय करने की क्षमता कम से कम लेबर में नहीं हो सकती । इसलिये आवश्यकता है कि अधिक आर्थिक क्षमता वाले व्यक्ति इस क्षेत्र में आयें । इसको ध्यान में रख कर ही मकराना में 28 खानों का आवंटन करने हेतु नीलामी पद्धति अपनाई गई ।

श्री मथुरादास माथुर : यह स्टेटमेंट जनता पार्टी की असली शक्ल है जो यह कहती है कि गरीब मजदूरों को खानें देंगे । यह भैरोंसिंह जी ने एलान किया था । आज ये कह रहे हैं कि गरीबों से खानें छीनेंगे । He should be called to the bar of the House and let us understand the policy of the Government.

श्री उपाध्यक्ष : मकराना के संगमरमर को विदेशी बाजारों में बेचना चाहते हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : पूंजीपतियों को यहाँ पर लाकर ये सोशलिस्ट बनते हैं । ये जनता पार्टी की कब्र खोद रहे हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : ये कह रहे हैं कि 2.50 लाख की जिसके पास पूंजी होगी... ....

श्री मदनसिंह दांता : इनसे पूछा जाय कि खानों को पूंजीपति खोदते है या गरीब खोदते हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : 2.50 लाख की जिसके पास पूंजी होगी वही खान ले सकेगा । आप लेबर को हटा रहे हैं और मशीनीकरण कर रहे हैं । सवाल यह नहीं था । आप कृपा करके नोटिफिकेशन देखें । नोटिफिकेशन का जवाब दें या न दें । आपने किस कानून, किस नियम के अन्तर्गत नीलामी के लिये दो नोटिफिकेशन निकाले ? पहला नोटिफिकेशन था आपका 21-9-78

(श्री मूलचन्द डागा)

का और दूसरा 7-2-79 का, हमने तो चेलेन्ज किया है इन नोटिफिकेशन्स को और यह बताया है कि आपने कानून और नियमों के विरुद्ध यह कार्यवाही की है कुछ पूंजीपतियों को लाभ देने के लिये। सवाल तो यह था।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : He will speak in your support.

श्री मूलचन्द डागा : We don't require your support at every moment.

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : You are their advocate. मूलचन्द जी डागा माननीय सदस्य, आप मजदूरों की पैरवी कर रहे हैं। उनकी पैरवी तो हम करेंगे। We are for labourers.

श्री मूलचन्द डागा : अच्छा ठीक है, जो कुछ कहा मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूं।

मैंने यह कहा कि मैंने दो पाइन्ट पर इनका ध्यान आकर्षित किया था। आपने 21-9-78 का जो नोटिफिकेशन निकाला उसके पहले आपने 1350 एप्लीकेशन लीं नियम 25 के अन्तर्गत और नियम 26 के अन्तर्गत अलाटमेन्ट किया। यह नियम विरुद्ध क्यों किया ? क्या कारण था। आपको क्यों खानों का अलाटमेन्ट बन्द करना पड़ा और आर्डर होने के बाद भी आपने कैसे चालू रखा ? सवाल तो यह थे।

श्री अब्दुल अजीज : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान बड़े अदब के साथ आकर्षित कर रहा हूं कि 1974 से इन खानों का अलाटमेंट बन्द था। प्रश्न उठा कर हमने ध्यान आकर्षित किया कि अलाटमेंट आप कब शुरू करेंगे ? इस का आपने पिछली मार्च में जवाब दिया था कि हम बहुत जल्दी संगमरमर की खानों का अलाटमेंट शुरू कर देंगे। इसके बाद मार्च, 1978 में आपने 31 खानों का अलाटमेंट करने के लिए एप्लीकेशन्स लीं जो 1350 आईं। उन दरख्वास्तों पर बगैर किसी प्रकार डिसीजन लिए हुए सहायक अभियन्ता मकराना ने 26 सितम्बर, 1978 को राजपत्र के द्वारा नीलामी की घोषणा कर दी कि हम इन खानों की रेट्स निर्धारित करेंगे, रेंटल पालिसी निर्धारित करेंगे। It is very important. It is very technical. 26 सितम्बर, 1978 को 31 खानों की एप्लीकेशन्स थीं उनमें से तीन तो कहां चली गईं पता नहीं और बाकी रह गई 28। गजट नोटिफिकेशन में, जिसके सम्बन्ध में मैंने जानकारी चाही है, लिखा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार रेंट निर्धारण के लिए संगमरमर की खानों के रेंट को निर्धारित करने के लिए नीलामी कर रही है, देने के लिए नहीं कर रही। That was the theme and policy of the Government on the 26th September, 1978. इसके बाद जब जनता ने विरोध किया और कहा कि उनकी 1350 दरख्वास्तें ले लीं और गरीबों को वंचित करने के लिए यह पालिसी बनाई :—

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो जनता के भटकने के कारण सरकार ने

(श्री ग्रब्दुल ग्रजीज)

नीलामी कलेक्टर को ग्रादेश देकर रोक दी फिर जयपुर में 6, 7, 8 ग्रौर 9 फरवरी को नीलामी की तारीख निर्धारित कर दी ताकि जनता यहाँ ग्राकर कुछ नहीं बोल सके ग्रौर ये चुपचाप ग्रपना मकसद पूरा कर ले। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सरकार का ध्यान दिलाया है कि तीन खानें कहाँ गईं ?

दूसरे इस पाइन्ट का मंत्री महोदय, उत्तर दें कि 1350 दरख्वास्तों का क्या हुग्रा ? उपाध्यक्ष महोदय, कोई ग्रादमी कुत्ते को भी नहीं बुलाता जब तक कि उसके हाथ में रोटी न हो। सरकार ने बड़ा घिनौना मजाक किया है जनता के साथ।

तीसरे, उपाध्यक्ष महोदय, रेंटल रेट इन को निर्धारित करनी थी, तो फिर 7, 8 ग्रौर 9 फरवरी को जयपुर में कैसे गजट नोटिफिकेशन निकाला ? चौथे, इन तमाम बातों के बीच खानें कोई थी ही नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, खानें तो पाँच ही हैं उनमें से 3 को ले गये। बाकी दो रहीं। दो का कवरेज होता है। वे लीज ग्राउट की जा सकती हैं। केवल दो ही खानें थीं 28 में से। 26 एम. एम. सी. ग्रार. जो लेटेस्ट रूल्स हैं, खानें देने के सम्बन्ध में हैं कि सरकार 200 फीट × 100 फीट से नीचे नहीं देगी। ऐसा प्रावधान है जबकि गजट नोटिफिकेशन 80 × 40 फीट का है।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि मेरे प्रश्नों के उत्तर में जब ग्राप खुद सेफ्टी ग्रौर सिक्योरिटी की बात करते हैं, माइन्स सेफ्टी रूल्स की बात करते हैं तो ग्राप रूल्स के बर खिलाफ नोटिफिकेशन कैसे निकालते हैं ? ग्राप यह गजट में नोटिफिकेशन कैसे निकालते हैं उन खानों का जिनमें सपोर्टिंग पिलर्स थे जो सिक्योरिटी के लिए ग्रावश्यक होते हैं ? उन सपोर्टिंग पिलर्स को मालदारों को कैसे देना चाहते हैं ? यह साइड की खानों को बरबाद करने के लिए षड्यन्त्र है। इसके ग्रन्दर न पालिसी है ग्रौर न टेक्निकल फीजेबिलिटी है। इनकी मन्शा तो यह नहीं है। इनकी मन्शा तो लोगों को बरबाद करने की है। लोगों को परेशान करने की इस सरकार की नीति है। ग्राप ग्रपने ग्राप में सक्षम हों तो सही उत्तर दें कि रूल 26 की ग्रवहेलना करने का क्या कारण है ? ग्राप उत्तर दिलवाइये स्पष्ट रूप से रूल 26 का ·······

श्री उपाध्यक्ष : कृपया ग्राप विराजिये।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ क्वेश्चन्स कर लेता हूं।

श्री मथुरादास माथुर : मुझे भी एक क्वेश्चन करना है। बड़ा फण्डामेंटल क्वेश्चन है।

श्री मूलचन्द डागा : पहला सवाल तो यह है कि ग्रापने इन्वाइट की तो रूल 5 के तहत 5-5 रुपया देकर लोगों ने 1350 एप्लीकेशन्स दीं। उन एप्लीकेशन्स का क्या हुग्रा ? पहला क्वेश्चन। दूसरा सवाल यह है कि रूल है 25 उसके ग्रन्दर खानों का एरिया निर्धारित किया जाता है। उस रूल के तहत ग्रापने इन खानों का एरिया कम कैसे कर दिया ? दूसरे इस प्रश्न का उत्तर दें। तीसरा सवाल यह है कि जब ग्रापने वापस एप्लीकेशन्स इन्वाइट कीं तो ग्रापकी खानों की संख्या कम कैसे हो गई ? चौथी बात यह है

(श्री मूलचन्द डागा)

कि जब 7, 8, 9 को पहले 7 तारीख को, इन्हीं खानों को, फिर 8 तारीख को और फिर 9 तारीख को इन्हीं खानों, जिनकी पहले मकराना में आपने एप्लीकेशन्स इन्वाइट कीं, की जयपुर में नीलामी की कार्यवाही की. . .

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागाजी, यह सब बातें अब्दुल अजीज जी कह चुके हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं इसलिए कहना चाहता हूं ताकि वह ठीक उत्तर दें।

7, 8, और 9 के दिन रिवीजन कोर्ट से यह आर्डर आ चुका था कि इनके बारे में नीलामी की कार्यवाही नहीं की जाय। इस आर्डर के आने के बाद भी इन्होंने कार्यवाही की, तो आप बतलाइये कि वह आर्डर आपको कब मिला, वहां से मैसेज कब आया और कब आपको मैसेज कन्वे किया गया और कब नीलाम बन्द कर दिया गया ? मैं यह जानना चाहता हूं, जनता सरकार यह कहती है कि हम कानून और नियमों के अंतर्गत चलते हैं तो यह किस कानून और नियम के अंतर्गत है ? इन्होंने यह बात कही है कि जो माइन्स खोदी जा रही थीं वह साइन्टिफिक तरीके से नहीं खोदी जा रही थीं और नियमों के विरुद्ध खोदी जा रही थीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो उसमें कितनों का चालान आपने पेश किया है ? यह नियम है कि अगर कोई माइन्स का काम करता है और वह साइन्टिफिक तरीके से, रूल्स के अनुसार नहीं खोदता है तो उसका चालान किया जाय। तो आपने कितने आदमियों का चालान किया ? आपको यह कब मालूम हुआ कि इतना मलवा चढ़ गया है ? यह आपका नोटिफिकेशन इसलिए था कि आप सच्चाई को छिपाना चाहते थे। आपने धनवानों को मदद देने के लिए, कुछ पूंजीपतियों को मदद देने के लिए यह किया। यह सरकार जो यह कहती है कि यह अन्त्योदयी लोगों को खाना देगी, यह कर रही है। जहाँ यह कहती है श्रम की प्रतिष्ठा होनी चाहिये वहाँ पर यह मशीनें लगाना चाहती है। यह सरकार कहना चाहती है कि 2.50 लाख की आवश्यकता होगी मशीनों के लिए। पहले से ही खानें थीं मकराना में लोगों के पास। लेकिन कुछ लोग जो यह काम करते आये हैं जिनका यह पेशा है पीढ़ियों से, परम्परा से जिनका धन्धा है, जो सदियों से काम करते आये हैं। उनको आप डिप्राइव करके जयपुर के अन्दर नीलामी की कार्यवाही करें, उनको बतायें नहीं और आप अपनी गलतियों को दबा दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह आप बता दें तो मैं मान लूंगा। यह नोटिफिकेशन आपने किस आधार पर निकाला ? 28 संगमरमर की खानों की क्या रायल्टी होनी चाहिये, लीज कितनी दी जानी चाहिये, वार्षिक रेंट राशि क्या निर्धारित होनी चाहिये ? मैं अर्ज कर रहा हूं कि आप सारी खानों का वार्षिक रेंट तय करेंगे कि लीज का क्या किराया होना चाहिये, इसके लिए आपने नोटिस निकाला और कोई नोटिस नहीं है। दूसरा जो नोटिस निकाला उसके

(श्री मूलचन्द डागा)

एरिया का। तो जो रूल 26 है कानून का उसके खिलाफ निकाल दिया। वह माइनर मिनरल्स कन्सेशन रूल्स 77 के रूल 26 के खिलाफ कैसे निकाल दिया? उसमें साफ प्रावधान है। यह आपका डिस्क्रीशन है कि आप 2 करोड़ 50 लाख रुपया लगाने वालों को दे दें वे संगमरमर की खानें या गरीबों को दें। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जहाँ पर इतनी बेरोजगारी है, हजारों लाखों लोग बेरोजगार हैं वहाँ आप आज मशीनीकरण करना चाहते हैं? तो आप यह कह दें कि इतने दिनों तक आपने अपनी गलती को छिपाया है। आपने एक गलती की उसके साथ साथ और आप पांच गलतियां कर रहे हैं। मैं यह चार्जशीट देता हूं कि वहाँ पर जानबूझ कर कानून की अवहेलना कर पूंजीपतियों को मदद देने की यह कार्यवाही की है। उनको लाभ पहुंचाने के कारण 3 खानों को पहले ही खतम कर दिया और बाकी की खानों को जयपुर में जाकर नीलाम किया। दिल्ली के अन्दर....

श्री उपाध्यक्ष : आप समाप्त करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में ही....

श्री उपाध्यक्ष : कौन सी बात है जिस पर आप नहीं बोलते हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : आपके सभी सवाल महत्वपूर्ण होते हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूं कि यह गुनाह आपसे क्यों करा रही है यह जनता सरकार? आप शिखण्डी मत बनिए। आप शिखण्डी बन गए तो बड़ी गड़बड़ हो जायगी। आप गरीबों के दोस्त बनिये और गरीबों की बात करिये।

श्री उपाध्यक्ष : भाषण मत दीजिये। प्रश्न करिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अब आप पालिसी के रूप में यह बतायें कि आगे भी नीलाम करेंगे या नहीं करेंगे? नीलामी की बात करके आप बड़े बड़े अमीरों को फायदा पहुंचा रहे हैं। आप एप्लीकेशन्स इनवाइट करें गरीबों की और अमीरों को फायदा पहुंचाएं। आप आज इस बात की घोषणा करेंगे कि भविष्य में खनन का काम गरीबों को देंगे या अमीरों को देंगे?

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो प्रश्न मंत्री महोदय से करना चाहता हूं....

श्री श्योपतसिंह मकासर : जहाँ गरीबों का सवाल है....

श्री रामनारायण चौधरी : अरे× × × × × ×बैठ तो जा।

श्री रघुनन्दन व्यास : यह× × × × × ×किसके लिए प्रयुक्त हुआ है?

श्री श्योपतसिंह मकासर : क्या कहूं इनको। इनकी तो रोज ही यह हालत रहती है। इनका तो सारा शरीर ही अनपार्लियामेंट्री है।

× × ×शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री शिवचरण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे × × × पर बड़ी आपत्ति है। यह खाली × × × कहते तो आपत्ति नहीं होती। इनको अभी कहा गया × × × × × × तो जनता पार्टी की सरकार की तरफ से छोड़े हुए × × × हैं क्या ? यह मेरी आपत्ति है। यह आपके शासन के × × × हैं क्या ?

श्री नवनीत पालीवाल : यह आपत्ति हो तो हमको हो। आपको क्यों है ?

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मकराना की खानें आज से नहीं मुगलकाल से हिन्दुस्तान के अन्दर ही नहीं बल्कि इस संसार के अन्दर अपना उच्च स्थान रखती हैं। इस जगह पर काम करने वाले गरीब तबके के लोग हैं और अधिकतर माइनोरिटीज के लोग हैं। यह लोग पीढ़ियों से बराबर यह काम करते आ रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जब ताजमहल बना था देश में....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामनारायण जी, भाषण न दें। प्रश्न करें।

श्री श्योपत सिंह मकासर : यह इन्दिरा जी के × × × हैं। इनको बोलने दें। इनको सारे देश की फिक्र है।

श्री रामनारायण चौधरी : यह सब किया कराया खराब कर देते हैं

गरीब तबके के लोग....

श्री भंवरलाल ऐरन : यह हो क्या रहा है आपस में।

श्री गुल मोहम्मद : क्या यह सत्य है कि ये इन्दिरा गांधी के × × × हैं माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण चौधरी : आप विराजिये।

श्री अब्दुल अजीज : इस अहम मसले को इस तरह से खराब नहीं करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामनारायण जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मंत्री महोदय को उत्तर देने दें।

श्री ईश्वर चन्द्र : इन्होंने मुगल काल से शुरू किया है तो ब्रिटिश काल तक पहुंचने में इनको पांच बज जायेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, गरीब तबके के लोग, माइनोरिटी कास्ट के लोग आज तक इन खानों पर जिस तरीके से काम करते आ रहे हैं उस सारी परम्परा को बदल कर नीलामी के द्वारा निहित स्वार्थ वालों को, पैसे वालों को देने की जनता पार्टी की सरकार ने यह कार्यवाही की है। निहित स्वार्थ वाले लोगों, जो संपन्न हैं, पैसे वाले हैं, मालदार हैं, के मुकाबले में गरीब आदमी टिक नहीं सकता है तो उनको देने का एक तरीका आपको निकालना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मान्यवर, गरीब आदमी हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

× × × शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

Page No. 93

93

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राम नारायण जी, आप वही बात कह रहे हैं। समय को बचाइए।

श्री रामनारायण चौधरी : समय को बचा रहा हूं।

श्री मूलचन्द सामरिया : यह कांग्रेस के नेता हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : देश के प्रधान मन्त्री मोरारजी देसाई ने आंध्र प्रदेश के चेनापल्ली के राजा की जमीन....

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचन्द्र : आन ए पाइण्ट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : ईश्वरचन्द्र।

श्री ईश्वर चन्द्र : When arguments fail, abuse begins. कोई उद्देश्य नहीं है, इसलिए मेहरबानी करके....

श्री मूलचन्द डागा : What is this point of order ?

श्री मदनसिंह दांता : आन ए पाइण्ट आफ आर्डर।

स्थगन प्रस्ताव जो रखा है, उस पर माननीय रामनारायण जी ने नई बहस शुरू कर दी है इसलिए यह पाइण्ट आफ आर्डर सही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामनारायण जी, मैं भी इस बात से सहमत हूं। आप बिराज जायें।

श्री रामनारायण चौधरी : यह माननीय मंत्री जी का या सरकार का प्रश्न नहीं है। भैरोंसिंह जी को माननीय मोरारजी भाई देसाई ने चिट्ठी लिखी है कि राजस्थान केनाल की जमीन है, वह सम्पन्न लोगों को दी जाये, जिनके पास साधन हों....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, राम नारायण जी।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, यहां पर भी सम्पन्न लोगों को नीलामी के द्वारा दे रहे हैं। इस प्रकार से गरीबों के हकों पर कुठाराघात कर रहे हैं। गरीबों के खिलाफ ऐसे काम करते आ रहे हैं। उनके विरुद्ध हर प्रकार से जयपुर से दिल्ली तक लिंक है। मान्यवर, चिट्ठी आई है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : माननीय रामनारायण जी इसी प्रकार बोलते हैं।

श्री रघुनन्दन व्यास : मकराना में जितनी खानें हैं, सब के सब कांग्रेसी नेताओं की हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : यह उनके हकों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। गरीबों के हकों को छीनना चाहते हैं।

(2.32 म.प.)

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष-पदासीन)

श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी : गरीबों के हकों के बारे में यह बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री मथुरादास माथुर।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह प्रश्न पूछना चाहूंगा कि माइनर मिनरल कन्सेशन रूल्स, 1977 आपने बनाये हैं। ये एलोकेशन और रिन्युअल के लिए पालिसी रूल्स बनाये हैं, ये 1977 के हैं। यह आपकी पालिसी है। मुझे यह बताने की कृपा करें कि रूल्स में यह कहां प्रावधान है कि नीलाम की जा सकती है ? इसके बजाय रूल्स में ये बातें हैं कि किस तरह से एलोकेट की जायेगी। इसका रूल्स में प्रावधान है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड होगा। यह सब है। रूल 29 के सब रूल 10 में लिखा हुआ है। इस रूल को आपको और आपके विभाग के किसी कर्मचारी को तोड़ने का अधिकार नहीं है। आपने पहले नोटिफिकेशन निकाला था, ऑक्शन नहीं करेंगे। रायल्टी कम रहेगी तो आप उसको रिवाइज करके बढ़ा दें। नेगोशिएट करके बढ़ा दें। हमें आपत्ति नहीं है। फिर दूसरा नोटिस निकाला कि खानों को ऑक्शन करेंगे। मुख्य मन्त्री जी, आपने इस सदन में कहा कि जो महनत करने वाले मजदूर हैं, उनको खान देंगे। आपने यह भीलवाड़ा जिले में कहा है। कोटा जिले में कहा है। वह वहां पर सदियों से काम करते हैं। वह वापस दरखास्त लेकर आये। दरखास्त दी है, कि रिन्युअल कर दें। आपने उठा कर ऑक्शन का हुक्म दे दिया। यह रूल को तोड़ने का अधिकार आपको नहीं है। यह आपकी बड़ी गलती है। स्टेट ट्रिब्युनल ने जाकर उसको रोका है।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि ट्रिब्युनल ने रोका है कि नीलामी नहीं की जाये। आप मानते हैं, आपकी इच्छा है। मेरा ऐसा कहना है कि पांच सात आदमी मिल कर कोआपरेटिव सोसाइटी बना लें। उसको एलोकेशन किया जा सकता है। ये माइनोरटी के लोग हैं। सदियों से काम करते हैं। लेकिन नहीं, आप दिल्ली से और जयपुर से लोगों का लाकर खान दे देंगे। यह रूल में नहीं है। मैं आश्वासन चाहता हूँ कि इस प्रकार का ऑक्शन नहीं होगा। फिर रायल्टी बढ़ाने की बात है, या आप मेकेनाइजेशन करना चाहते हैं तो बैठ कर चर्चा की जा सकती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक सफाई देने के लिए निवेदन करना चाहता हूँ। माननीय रामनारायण जी ने जो कहा है कि प्रधान मन्त्री मोरारजी देसाई ने मुझे कोई पत्र लिखा है। इस प्रकार की बात रखना उनका स्वभाव है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यह बिल्कुल असत्य है। इस प्रकार का प्रधान मंत्री जी ने मुझे कोई पत्र नहीं लिखा है न उनका ऐसा कोई पत्र आया है।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, चिट्ठी आई है। राजस्थान के मुख्य मन्त्री जी को देश के प्रधान मंत्री जी ने पत्र लिखा है। हिन्दुस्तान के लीडिंग पेपर्स में यह न्यूज आई है। उस पत्र में यह लिखा है कि राजस्थान केनाल की जमीन हरिजनों और अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति को ही अलॉट नहीं की जाये, जो आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न हैं, उनको अलाट की जाये। जो साधन सम्पन्न हैं, उनको अलॉट की जाये। मेरा कहना यह है कि यह राजस्थान में ही नहीं है। यह तो जनता पार्टी की नीति है, सारे देश में यह नीति है कि गरीब लोगों का

(श्री रामनारायण चौधरी)

हक छीन कर अमीर लोगों को लाभ पहुंचाया जाये।

श्री अब्दुल अजीज : माननीय अध्यक्ष महोदय, पत्र का सवाल आया है इसलिये मेरा निवेदन है कि प्रधान मन्त्री जी को 3 जनवरी को पत्र लिखा है। वह अखबारों में आया है। 23 जनवरी को जवाब आया है। उन्होंने लिखा है कि यह बात उचित है। सेंट्रल मिनिस्टर बीजू पटनायक साहब ने लिखा है। यह एक पत्र राजस्थान सरकार के पास आया है। इसके बाद ट्रिब्युनल के पास भी आया है। इसके बाद भी नीलामी कायम रखी है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं यह उम्मीद रखता था कि डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य कोई दिशा निर्देश करेंगे। साधारण तौर पर मैं मर्यादा भंग नहीं करना चाहता लेकिन अगर वह नियम पढ़ लेते तो यह सवाल करने का अवसर नहीं आता। जो एक लॉबिंग यहाँ चल रही है उसके आप भी कुछ शिकार हुए हैं, ऐसा लगता है। आपने कहा कि जनता पार्टी ने यह नियम बनाये। मैं आपको यह निवेदन कर दूँ कि जिस समय आपके दल का शासन था, ये नियम जनवरी 11, 1977 को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित हुए हैं। जनता पार्टी की सरकार 22 जून, 1977 को शासन में आई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उन्होंने कोई गलती नहीं की, अपनी सरकार का दृष्टिकोण बताया है।

श्री मथुरादास माथुर : आपका भी दृष्टिकोण यही है, आपने क्या चेन्ज किया है?

श्री कैलाश मेघवाल : मकराना से आने वाले माननीय विधायक ने जिस नियम का हवाला दिया है और उसी नियम का हवाला डीडवाना से आने वाले माननीय विधायक ने भी दिया है, मुझे उस नियम को इसलिए पढ़ना पड़ेगा कि नियम का हवाला देना तो आसान है।

(व्यवधान)

उस नियम को मैं पढ़ देना चाहता हूँ, रूल 29 है।

श्री अब्दुल अजीज : पहले रूल 26 पढ़िये।

श्री कैलाश मेघवाल : वह भी पढ़ूंगा, आपके सभी बिन्दुओं का जवाब दूंगा, भूल जाऊं तो आप बता दीजियेगा।

रूल 29 इस तरह से है—

"29. Preferential right of certain persons :—(1) The rent-cum-royalty leases for all minerals, excluding marble, shall be granted to persons belonging to the following categories in the descending order of priority :—

(i) Manual workers in the mines;

(ii) persons belonging to the scheduled caste/scheduled tribes;

(iiij village artisans;

(iv) landless labourers;

(श्री कैलाश मेघवाल)

(v) ex-soldiers including members of para military forces belonging to Rajasthan, who have been permanetly disabled and the dependents of those who have been killed in action;"

यह मैंने रूल इसलिए पढ़ा है, माननीय अध्यक्ष महोदय,

श्री अब्दुल अजीज : उसको पूरा पढ़िये, सैकिण्ड क्लाज भी पढ़िए।

श्री मूलचन्द डागा : Please read clause (2) also.

श्री कैलाश मेघवाल : मैं पूरा पढ़ देता हूं।

"(vi) Rajasthan State Government servents who have become permanently disabled while on duty or the dependents of those who have been killed on duty ;

Provided that where two or more applications have been received for the same land on the same day and from the persons belonging to such one of the categories as mentioned above, competent authority, after taking into consideration the matters specified below, may grant lease to such one of the applicants as it may deem fit :—

(i) past experience in mining with reference to the scientific exploitation and consideration of minerals;

(ii) willingness to set up a mineral based industry in the State;

(iii) technical know how,

(iv) financial soundness and stability,

(v) number of mining leases held,

(vi) any dues outstanding in his name or in the name of the firm of which he is/was a partner.

Provided further that where no application is received from any of the persons belonging to the above categories within a period of fifteen days from the notified date of receipt of application in respect of the specified land, the rent-cum-royalty lease may be granted to any other person whose application was received earlier in order of time ;

Provided also that where two or more applications have been received on the same day and in respect of the same land from persons not belonging to any of the cotegories mentioned above the competent authority may grant lease to such one of the applicants as it may deem fit after considering the matters specified in the first proviso.

(2) Notwithstanding anything

Page No. 97

97

(श्री कैलाश मेघवाल)

contained in sub-rule (1) in the case of marble where two or more persons have applied for rent-cum-royalty lease in respect of the same land, applicant whose application was received earlier shall have a preferential right over an application was received later."

श्री मूलचन्द डागा : This is the point which we want to stress.

श्री कैलाश मेघवाल : मैं इसी पर आता हूं।

श्री अब्दुल अजीज : मेरा भी यही प्रश्न है, इतना रूल पढ़ दिया है, इसमें कहीं भी आरक्षण का प्रोवीजन हो तो आप बता दीजिये।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं सब बिंदुओं का जवाब दे रहा हूं।

श्री मथुरादास माथुर : एक बिंदु भी बताइये। आपने कह तो दिया कि हम कानून पढ़ कर नहीं आए।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था सारा रूल जो मैंने पढ़ा, यह रूल कांग्रेस सरकार द्वारा बनाया गया है जिसमें वीकर सेक्शन के लिए लिखा गया है। प्रिफरेंस देने वाला रूल 29 है उसमें मारबल को स्पेसिफिकली अलग किया है "एक्सक्लूडिंग मारबल" माथुर साहब आप सुन लीजिए, मैंने जैसा निवेदन किया ...

श्री अब्दुल अजीज : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये रूल्स 10 जून को प्रकाशित हुए हैं या नहीं ? उस समय किसकी सरकार थी सेन्टर में ? 11 जनवरी के रूल्स हैं....

श्री मदनसिंह दांता : You are doing the same thing which they have been doing.

श्री कैलाश मेघवाल : कुछ बातें जो अच्छी हैं उनको स्वीकार करके चलें और बाधा आवेगी तो....

श्री मदनसिंह दांता : आपने इसकी स्क्रूटिनी की है क्या ?

श्री कैलाश मेघवाल : जिस समय कांग्रेस का शासन था राजस्थान में, 12 प्रतिशत केवल शिड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेज को आपके द्वारा लीज दी गई। जनता सरकार आने के बाद 39 प्रतिशत।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : आप कानून का जवाब दीजिये। Sir, we want answers to our questions.

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जनता सरकार ने पिछले साल जो लीजेज दीं उनमें शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेज और वीकर सेक्शन्स को 39 प्रतिशत लीजेज दी हैं।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : पहाड़ के पत्थर गरीबों को दिये और मारबल सेठों को।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : आप पूंजीपतियों के शिकार मत होइये श्योपतसिंह जी।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : स्टे आर्डर क्यों हुआ, इसका जवाब दीजिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब चर्चा समाप्त हुई।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : हमने दो प्रश्न किए उनका जवाब नहीं आया, स्पेसिफिक क्वेश्चन किए थे, एक का भी जवाब नहीं आया।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, प्रजातन्त्र में हम कानून और व्यवस्था में रहना चाहते हैं, इसलिए जवाव चाहते हैं। जो रूल्स बने हुए हैं—

श्री अध्यक्ष : रूल्स का हवाला दे तो दिया, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : रूल 21 में पढ़ कर सुना देता हूं।

श्री मथुरादास माथुर : हमने रूल 29 और 21 पढ़े हैं, मैं कहता हूं कि रूल 29 मारबल।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप भी जानते हैं और रूल्स ये भी जानते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : आप नहीं जानते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं नहीं जानता।

प्रश्न यह है कि खानों का अलाटमेंट आक्शन से किया जाय या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड के आधार पर किया जाय। मैं इस सम्बन्ध में एक सुझाव देना चाहता हूं कि इन दोनों बीमारियों से मुक्ति पाकर इनको आर. आई. एम. डी. सी. को दे दें—

श्री अब्दुल अजीज : यह कानून ही नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : आपने अपनी गलती को छिपाने के लिए उत्तर दिया है, खान विभाग ने गलती की है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : डिस्प्यूट में कौनसा प्रश्न है इसका जवाब दीजिये।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन खानों का विवाद चल रहा है वह या तो आक्शन से दी जाएं या फिर दूसरा यह है कि वहां के रेजिडेण्ट्स का क्राइटेरिया बना हुआ है उसके आधार पर दी जाएं। गरीबों को देनी है, उसमें पहले आए उसको दी जाय।

इस विवाद को समाप्त करें। विवाद को समाप्त करने के लिए मेरा सुझाव है कि जो विवादास्पद खानें हैं, जिनके अलाटमेंट का मुद्दा विवाद का प्रश्न बना हुआ है, वह आर. आई. एम. डी. सी. को दे देंगे तो निगम वहां विनियोजन भी करेगा, साइंटिफिक वे में उन सारी खानों

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

का खनन करेगा और इस समय जो खानों में काम कर रहे हैं उनको भी मार्गदर्शन मिल सकेगा। मैं विश्वास करके चलता हूं कि आप समाजवादी हैं, पूंजीपतियों के खिलाफ हैं और सब चीजों का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं। यदि इन खानों को हम आर. एम. आई. डी. सी. को दे दें तो आपका एप्रूवल तो होगा ही....

श्री मूलचंद डागा : आर. एम. आई. डी. सी. में जितने कारखाने चल रहे हैं, सब में घाटा होता है। जो मजदूर वहां काम करते हैं।

श्री मदनसिंह दांता : I agree whatever the Chief Minister has said.

(व्यवधान)

श्री मथुरादास माथुर : मैं मुख्य मन्त्री से कहना चाहता हूं। आप राज्य के मुख्य मन्त्री हैं। नम्बर वन। आप नीति निर्धारित करने के लिए जवाबदार हैं। आपने यहां पर एक मुद्दा उठाया है माइनर मिनरल कन्सेशन रूल्स के सेक्शन 26 के तहत कि कोई भी माइनिंग एरिया इतना होना चाहिए, डेस्क्रिप्शन है कि इतने बाई इतने फीट अगर नहीं है तो इस रूल के हिसाब से वह आक्शन के अन्दर आता ही नहीं। अलाट ही नहीं हो सकता। दूसरे, वहां जो आदमी पीढ़ियों से 30 खानों पर काम कर रहे हैं, उन्हें माइनोरिटी कम्युनिटी के कहें, गरीब लोग कहें, उन खानों को आप आर. एम. आई. डी. सी. को दे देंगे तो उनकी रोटी-रोजी का जरिया क्या होगा? इधर तो अन्त्योदय में आप रोटी दे रहे हैं और उधर जिनको रोटी मिल रही है वह छीन रहे हैं। मैं मानता हूं कि आप सदन में और सदन के बाहर वहां के प्रतिनिधियों को बुला कर पूछ लीजिए। अगर गवर्नमेंट उन लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक करना चाहे, चीप प्राडक्शन करना चाहे, मैकेनाइजेशन करना चाहे तो गवर्नमेंट क्या सहयोग देगी, वह क्या करेगी जिसकी वजह से आपका काम भी पूरा हो जाए, उत्पादन बढ़ जाए और उन लोगों को रोटी-रोजी भी दी जाए? इसके लिए बैठ कर रास्ता निकाला जा सकता है मुझे आपत्ति नहीं लेकिन आक्शन करने का इसमें प्रावधान नहीं है। नियम 29 (2) में लिखा है कि यदि दो बराबर एप्लीकेंट्स होंगे तो प्रायोरिटी किसको होगी? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। इसलिए इसको प्रेस्टिज का इश्यू मत बनाइए, ट्रिब्यूनल से स्टे भी हुआ है। यदि आर. एम. आई. डी. सी. जाकर उस एरिया में जो अनएक्सप्लोर्ड है उसको एक्सप्लोर करे, मैकेनाइज करे तो हम वेलकम करेंगे लेकिन जो खानें काटी जा रही हैं उनको ले लेंगे, उनसे छीन लेंगे तो उनकी रोटी-रोजी का क्या होगा? इस प्रश्न पर आपको सुझाव देंगे, राउंड टेबल कान्फ्रेंस बुलायें जिसमें आर.एम.आई.डी.सी. वाले आ जायं, काम करने वाले मजदूर भी आ जायें, जन प्रतिनिधि भी बैठ जायें और चिन्तन करें। आपका काम भी हो जाए, उनके लिए रोट-रोजी हो जाए, मैकेनाइजेशन हो जाए, उत्पादन बढ़ जाए। तो आप क्या सहयोग दे सकते हैं? हम इस पर चिंतन करने को तैयार हैं। वरना यदि आक्शन करेंगे तो यह आपकी नीति के

(श्री मथुरादास माथुर)

खिलाफ है। आप इस काम को रोकें, यही हम आपसे आशा करते हैं।

श्री मदन सिंह दौता : आपने बपौती की बात कही है। आपने जागीरदारों की बपौती को खतम कर दिया। इसलिए सरकार अपने हाथ में लेकर यदि गरीबों का भला करे तो निश्चित रूप में करे।

श्री अब्दुल अजीज : आपने कहा, आर. एम. आई. डी. सी. को दी जाय। मैं सदन को सचेत करना चाहता हूं। इस निगम को पहले ही एक खान अलाट कर दी गई है लेकिन आज तक उस खान को नहीं काटा क्योंकि वह वर्केबल ही नहीं थी। एक लम्बी–चौड़ी खान उनके नाम आज तक चली आ रही है किन्तु एक पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। इसलिए आपका सजेशन न्यायोचित नहीं है। खनिज मन्त्री ने कहा हम सेफ्टी और गरीब की बात करते हैं। ये लोगों को डूबो रहे हैं। 40 × 80 सपोर्टिंग पिलर्स हैं, आपने उनको नीलाम किया, इसलिए वहां प्रदर्शन हुए, रेल के रास्ते बन्द हो गए, बच्चे व औरतें रेल की पटरी पर सो गईं वहां। मैं आपकी पुलिस को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया। 4-6 रोज तो कोई ट्रक नहीं भरा गया। मुख्य मन्त्री जब दिल्ली से पधारे तो मुझे प्रोलमा देने लगे, आपने मुझे 21 जनवरी को एश्योर किया कि कोई नीलामी नहीं होगी। मैंने मकराना में जाकर पब्लिक में घोषणा कर दी। बाद में वहां की स्थिति बिगड़ने लगी, कान्सीकुएंसेज आफ्टर कान्सीकुएंसेज निकलते गए। हवा बिगड़ी तो खनिज मन्त्री की जिम्मेदारी है, उन्होंने लोगों की जिंदगी खतरे में डाली है।

इसके अलावा तीन खानें कहां गई? मुख्य मन्त्री तो करप्शन मिटाने वाले हैं। 1350 एप्लीकेशन्स पब्लिक से लीं उनका फैसला नहीं किया। इधर आपने तीन खानें गायब कर दीं 31 में से। जो वास्तव में खान थी वह जयपुर के एक जौहरी को दे दी। कानून की पालना के बगैर खनिज मन्त्री ने जयपुर में नीलाम कर दी, जनता ने विरोध किया। ट्रिब्यूनल का 7 को फैसला आ गया और उस अलाटमेंट को बन्द किया। उसके बाद तार में मुख्य सचिव व खनिज मन्त्री न कहा मानो मत, नीलाम जारी रखो। यह आपकी जिद्द और विवेक का सबूत है, आप न्याय को नहीं मानते, केन्द्रीय सरकार के आदेश को नहीं मानते। मैंने चुनौती देने के लिए 31 जनवरी को एक दरख्वास्त दी अर्जेन्ट फीस के साथ एज एन एप्लीकंट, मैंने कहा मुझे उस आदेश की नकल दीजिए, जिसमें सहायक अभियन्ता मकराना को नीलाम के अधिकार दिए हैं। आपने डिप्टी सैक्रेटरी माइन्स से कहा कि नकल मत देना। आखिर नकल नहीं दी। दो तारीख को मुझे यह कहा कि इसकी नकल नहीं मिल सकती :—This is bare correspondence. There is no order from the Government. और तुम लोगों से उम्मीद करते हो कि शान्ति बनाये रखें, मरता क्या नहीं करता। उसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स के भी हैं, राजपूत भी हैं, ट्रेडर्स भी हैं, मैं सबको न्याय दिलाने के लिए प्रार्थना करता हूं, आप इस प्रकार की गलती को दुबारा न होने दें।

श्री मथुरादास माथुर : Chief Minister should intervene. हम आपका इन्टरवेंशन चाहते हैं। आप इन्टरवीन करके खुद सुनें, हम आपके पास आने को तैयार हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जितने डिटेल्स खनिज मन्त्री जानते हैं, उतने में नहीं जानता और यह स्वाभाविक है कि माननीय सदस्य जितना जानते हैं मैं नहीं जानता। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी का सम्बन्ध है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खानों का आवंटन किसको हो, चर्चा इस बात की है कि गरीबों को आवंटन होना चाहिए, मांग इस बात की चल रही है....

श्री अब्दुल अजीज : आर्टीजन्स, माइनिंग एण्ड मैन्यूअल वर्कर्स।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माथुर साहब जानते हैं और माननीय सदस्य भी मन में जानते हैं यहां तो विरोध करेंगे, कि जिन गरीबों को आवंटन होता है उस खान का अधिकार उनके पास रहता है या नहीं।

श्री अब्दुल अजीज : रहता है।

श्री मथुरादास माथुर : मकराना में रहता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सही बात यह है कि जिन गरीबों के नाम आवंटन होता है, उन खानों के अन्दर इन्वेस्टमेंट करने के लिए गरीबों के पास पूंजी नहीं है। जब गरीब के पास नहीं होती तो वह किसी पूंजीपति की शरण लेता है। शरण लेते-लेते खान नाम से तो गरीब की रहेगी लेकिन खान के सारे प्राफिट या वर्किंग में उस व्यक्ति का अधिकार नहीं रहता। अगर आप देखना चाहें तो मैं नहीं कहता, कोई भी माननीय सदस्य मकराना में जांच कर ले, उसकी जानकारी मिल जाएगी।

(व्यवधान)

आप नाराज मत होइए, मैं बाकी की बातें थोड़े ही बता रहा हूं?

मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यदि गरीब को कुछ देना है और दूसरों को नहीं देना है तो सबसे पहली आवश्यकता होगी कि हम देखें कि गरीब के हाथ से खान किसी दूसरे के हाथ में न चली जाए।

दूसरा क्वेश्चन यह है कि अभी तक जो मकराना की खानों में काम हुआ है उसमें कुछ को छोड़कर बाकी अन-साइन्टिफिक वे में चल रही हैं। जिन पिलर्स की आप बात कर रहे हैं, मैंने आज से 6-7 वर्ष पहले उनकी स्थिति देखी थी और खानों की भी स्थिति देखी थी। एक खान का मालिक और दूसरी खान का मालिक बीच में ऐसे टुकड़े रख कर चलते हैं कि उसके ऊपर किसी का कब्जा नहीं होता। उन दोनों की नीयत होती है कि उसके ऊपर किसी का कब्जा नहीं हो। जो कुछ उसके लाइसेन्स में है या लीज़ में दिया हुआ है वह एरिया छोटा है और दूसरे का भी छोटा है और बीच का जो एरिया पड़ता है उसके अलाटमेन्ट का क्वेश्चन आता है तो दोनों मिल कर उसका विरोध करते हैं। मैं जानकारी करना चाहूंगा कि जो एरिया उसको

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अलाट नहीं होता है जो उसकी लीज का नहीं होता है तो उस आदमी का अधिकार किस प्रकार से हो जायेगा ?

श्री अब्दुल अजीज : वह सपोर्टिंग पिलर्स हैं वह काम के होने को रोकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने पहले भी निवेदन कर दिया कि आप मुझ से ज्यादा जानते हैं। मैं आपके जितना नहीं जानता हूं। मैंने खानों को दूर से ही देखा है और आप तो नीचे भी जाकर उसमें क्या रखा है उसको निकालते हैं। आपका जितना ज्ञान नहीं है मेरा लेकिन जो भी मेरी टूटी फूटी जानकारी है वह दे रहा हूं।

अब कई खानें ऐसी पड़ी हैं जिन खानों का यदि आरम्भ में ही साइन्टिफिक वे में एक्सप्लोरेशन होता तो मिनरल वैल्थ की कमी नहीं होती। आज कई खानों में काम करके ऐसी हालत उनकी खराब कर दी कि उनमें मेजर इन्वेस्टमेंट जब तक नहीं होगा तब तक उनकी दशा नहीं सुधरेगी।

आज सबसे, बड़ा क्वेश्चन यह है कि हम गरीबों को अलाट करें और गरीब उसको अपनी मजबूरी से दूसरे आदमी को पास प्रान कर दे इसकी छूट दें या जो नियोजन कर सकता है उनको दें। सारे मकराना की खानों की नीलामी नहीं होगी। जिन लोगों ने अनधिकृत रूप से कब्जे कर रखे थे जिनको अनाधिकृत मैं नहीं कहता बल्कि पिछली सरकार ने जिनको अनधिकृत कहा और निर्णय लिया कि इनका आक्शन किया जाये। यह हमसे पहली सरकार ने निर्णय लिया। यह वही खानें हैं जिनका कांग्रेस पार्टी की सरकार ने फैसला किया कि इनको नीलाम किया जाये। उस समय भी आक्शन की चर्चा चली थी। कुछ इन्ट्रेस्टेड लोग हैं जो यह चाहते हैं कि खानें हमारे कब्जे से दूसरे के कब्जे में नहीं चली जायें। वे हमेशा इसका विरोध करते हैं। आपने भी कई बार कहा। मैंने अच्छी तरह से देखा है और देखने के बाद मैं यह चाहता हूं कि मकराना का काम साइन्टिफिक वे में चले और जो व्यक्ति खानों को लें वह साइन्टिफिक बेसिस पर उसका एक्सप्लोरेशन करें। उसकी साइन्टिफिक वे में चलाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। अब गरीब के पास तो पूंजी होने वाली नहीं है तो या तो पूंजी की व्यवस्था सरकार करे और गरीब के हाथ में दे या फिर पूंजी स्वयं सरकार लगाये। तो मैं यह उचित समझता हूं कि पूंजी की अदला-बदली करने के बजाय यदि सरकार स्वयं पूंजी लगाये और खानों को साइंटिफिक वे में एक्सप्लोर करे तो पूरा लाभ सारे मकराना को पहुंचेगा। फिर आपने कहा कि वर्केबल नहीं है, उसमें आर.एम.आई.डी.सी. कैसे काम करेगी। आपने खुद ने कहा कि वर्केबल नहीं है इसलिए आर. एम. आई. डी. सी. ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया लेकिन जो वर्केबल है उसके लिये निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आर. एम. आई. डी. सी. निश्चित रूप से नियोजन करेगी और साइन्टिफिक वे में काम होगा।

आपने तीन खानों का जिक्र किया वह आपने एटरेन्डम कर दिया। यह हाई कोर्ट के आदेश से हुआ है....

श्री अब्दुल अजीज : कोई केस नहीं है हाई कोर्ट में। कोई ऐसा कहता है तो जवाब दीजिए।

Page No. 103

(103)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हाई कोर्ट के आर्डर से हुआ, ऐसा मुझे खनिज मन्त्री बता रहे हैं मैंने पिछली बार भी कहा था। उस समय मैंने यह सारे पेपर्स मंगा कर देखे थे उसमें किसी तरह की अनियमित कार्यवाही नहीं मिलने वाली है जिसके लिये में आपको बढ़ा-चढ़ा कर कहूं। आप लेबर की बात करते हैं तो चाहे आर. एम. आई. डी. सी. करे या प्राइवेट आदमी काम करे मजदूर को मजदूरी तो मिलेगी ही। आर. एम. आई. डी. सी. का मैनेजिंग डाइरेक्टर कोई खुद जाकर खान को खोदेगा, ऐसी बात नहीं है। आर. एम. आई. डी. सी. को भी मजदूरों को एम्पलाय करना पड़ेगा। मजदूरों को एम्पलायमेंट जरूर मिलेगा। मजदूर के पास पैसा नहीं है। पैसे के अभाव में, मैं समझता हूं, सदन पसन्द करेगा और खास तौर से विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य, जो कि राष्ट्रीयकरण की बहुत चर्चा करते हैं कि हर चीज का राष्ट्रीयकरण कर लें, की भावनाओं के अनुकूल, आपके मन में जो बात है उसको पूरा करने के लिए यह कहा है कि आर. एम. आई. डी. सी. इसको ले ले और वह इसके ऊपर काम करना शुरू कर दे।

माथुर साहब ने कहा कि इसके ऊपर हम बैठ कर चर्चा कर सकते हैं। हमारा भी इसमें कोई प्रेस्टिज का क्वेश्चन नहीं है। यदि आप चर्चा करने के लिए तैयार हैं तो हम आपस में बैठ कर इस क्वेश्चन पर चर्चा कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

याचिकाओं का उपस्थापन।

श्री रामनारायण चौधरी : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने सदन को 'गुमराह' करने की कोशिश की है। मैंने यह कहा था कि मुख्य मन्त्री जी को देश के प्रधान मन्त्री श्री मोरार जी देसाई ने पत्र लिखा है राजस्थान केनाल के बारे में। वह पत्र देश के लीडिंग पेपर्स में छपा है और यहां भी राजस्थान में भी, वह 7-1-79 को नवभारत टाइम्स में आया है। उसके अन्दर लिखा है : "राजस्थान नहर सिंचित क्षेत्र...."

श्री सूर्यनारायण चौधरी : यह तो कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : यह पाइन्ट आफ आर्डर से भी ज्यादा है।

श्री गुल मोहम्मद : पाइन्ट आफ आर्डर से ज्यादा हो सकता है लेकिन पाइन्ट आफ आर्डर है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरी बात सुनिये। यह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। यह क्या है? अगर कुछ नहीं है तो स्थान ग्रहण करें।

याचिकाओं का उपस्थापन।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, यह गम्भीर प्रश्न है। इनके पास डी. पी. आर. जैसा व्हाइट एलीफेन्ट है....

श्री अध्यक्ष : आपको यह उठाना है तो मुझे सूचित करें। नियमों के अन्तर्गत व्यवस्था दूंगा। माननीय सदस्य एट रेन्डम बोलते हैं।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री जगदीश चन्द्र शर्मा (रतनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजलदेसर जिला चूरू नगर में बरसाती पानी की समस्या के समाधान करवाये जाने सम्बन्धी दो याचिकायें देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री लालूदास (फलासिया) : मैं, अध्यक्ष महोदय, निम्न याचिकायें प्रस्तुत करता हूं :

(1) गोगुन्दा से झाडोला वाया बगरून्दा, देवास, गोराणा आदि में सड़क निर्माण करवाने सम्बन्धी दो याचिकायें देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर के अन्तर्गत गाँव नदिराया से गांव कपोल वाया ढोल की सड़क निर्माण करवाने सम्बन्धी दो याचिकायें देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, और

(3) गांव जसवन्तपुरा तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर में पीने के पानी की व्यवस्था करवाने सम्बन्धी पांच याचिकायें देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण), अध्यक्ष महोदय, मैं (1) कागदी वाड़ा, छीपी वाड़ा, मंगत्ना माता रोड, जयपुर से आधा किलोमीटर सड़क निर्माण करवाने, तथा (2) जयपुर शहर के ग्राम कागदीवाड़ा में पाइप लाइन बिछाने व नल कनेक्शन दिलाने सम्बन्धी याचिकायें प्रस्तुत करती हूं।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : बजट पर सामान्य वाद-विवाद।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता। माननीय सदस्य, आप 25 मिनट तो बोल चुके हैं। मैं अपने कक्ष में सुन रहा था। आपने बहुत सारी बातें करीं, चाय तक नहीं पी और भाषण दिया। अब 5 मिनट में अपनी करामात को समाप्त करें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत) : आपकी आज्ञा शिरोधार्य। आपका इशारा होते ही मैं बैठ जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : बहुत धन्यवाद।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, सैल्स टैक्स के जरिये राज्य सरकार 133 करोड़ रुपये की आमदनी करना चाहती है। मैं यह कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष जी, जैसी जानकारी मुझे अधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्राप्त हुई है, इस सैल्स टैक्स का काफी एरियर पड़ा हुआ है। 60 करोड़ रुपया जो दुकानदार जनता से टैक्स वसूल कर लेते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि राजकोष में जमा करवाये परन्तु जमा नहीं करवाते हैं और खुद खुर्द-बुर्द कर देते हैं। 60 करोड़ रुपये की रिकवरी राज्य सरकार क्यों नहीं कर पा रही है? राज्य सरकार 60 करोड़ रुपये के नये टैक्स इम्पोज करना चाहती है। मैं इस मत का हूं कि जनता की खुशहाली के लिए हर राज्य सरकार को टैक्स इम्पोज करना चाहिये। परन्तु साथ ही साथ मेरा आग्रह है कि राज्य सरकार टैक्स की रिकवरी नहीं

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)
कर पा रही है। इससे 50 प्रतिशत सेल्स टैक्स की रिकवरी नहीं हो पा रही है। 60 करोड़ में से अगर राज्य सरकार 50 प्रतिशत 30 करोड़ रुपये की रिकवरी करे तो मैं समझता हूं नये टैक्स इम्पोज करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि इसी बजट भाषण में कहा है कि यात्री कर की रिकवरी सुचारु रूप से करने से 2 करोड़ रुपये अधिक वसूल किये जायेंगे। 133 करोड़ रुपये का जो सेल्स टैक्स इम्पोज किया हुआ है उसकी रिकवरी सुचारु रूप से हो तो राज्य सरकार के लिए हितकर होगा।

60 करोड़ रुपये के कर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों पर लगाये हैं, जैसा मैंने उस दिन भी कहा कि यह बजट ग्रामोन्मुखी नहीं है यह बजट मिडिल क्लासमुखी है जो आर. एस.एस. की रीढ़ की हड्डी है। व्यापारियों को छूट दे दी है और ट्रैक्टर ट्राली पर छूट दे दी है। मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं ट्रैक्टर ट्राली को छूट दी गई है। ट्रैक्टर रखने वाला किसान तो आपके ध्यान में आया है परन्तु छोटे किसान पर लगान की मात्रा बढ़ाई गई है, उनकी ईरिगेशन रेट इन्क्रीज की गई है, उस किसान के ऊपर भार क्यों लाद दिया है? अगर राज्य सरकार ट्रैक्टर ट्राली रखने वाले किसान को गरीब किसान मानती है तो भगवान भला करे, इस सरकार का। मैं कहना चाहता हूं ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन किसान या जिसके पास कम भूमि है उसकी संख्या 90 प्रतिशत है। जो किसान ट्रैक्टर रखता है वह उसका खर्च वहन कर सकता है....

श्री माधोसिंह (रंवदर) : किसान को फुरसत कहां है कि ट्रैक्टर लेवे और किराये के ऊपर चलाये, पैसेन्जर्स या माल को इधर-उधर किराये पर ले जाये। यह टैक्स किसान की वजह से नहीं। उन लोगों के ऊपर सरकार की मेहरबानी हुई हैं जो किराये के ऊपर ट्रैक्टर रखना चाहते हैं, किराये के ऊपर चलाना चाहते हैं और किसानों को बदनाम करना चाहते हैं। ये वे ही लोग हैं जिनका खेती से कोई सरोकार नहीं होता। यह छूट उन लोगों को दी है जो सरकार और किसानों के बीच मध्यस्थ हैं। इस तरह से उन लोगों को फ्री करके किसानों को बिना वजह और टैक्स भार से दबा रहे हैं।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, पांच मिनट में से दो मिनट तो माननीय सदस्य ने ले लिये।

इस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में जो भूमिहीन हैं, जिनके पास कम भूमि है, अधिक भार है, हमें उन किसानों की मदद करनी चाहिये न कि बड़े किसान की मदद करनी चाहिये जिनके पास ट्रैक्टर है। समय कम है, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मन्त्री जी ने यह सदन में कहा था कि आबादी के हिसाब से स्कूल खोलने की, सड़कें बनाने की सरकार की नीति है। अनेक माननीय सदस्यों ने इसका विरोध किया है। पश्चिमी राजस्थान में आबादी के आधार पर अगर आप स्कूल खोलेंगे, रोड भी जनसंख्या के हिसाब से बनायेंगे, अस्पताल भी जनसंख्या के आधार पर खोलेंगे जब कि भारत सरकार से आप मांगते हैं क्षेत्रफल के आधार पर। पश्चिमी राजस्थान में अगर आबादी कम है तो हमारा

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

दोष नहीं है। यह दोष नेचर का है। वहां पानी कम था। आज वहां का बच्चा 8-9 मील पैदल नहीं चल सकता। 60-60 मील तक पक्की सड़क नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सीकर जिले को एक करोड़ रुपया दे दिया है, हमारे बीकानेर जिले को सिर्फ 8 लाख रुपया दिया है। आर. ई. सी. स्कीम वहां बन नहीं सकती। मरुस्थल विकास का पैसा वहां बहुत कम लग रहा है। बीकानेर को भूल जाइये और पश्चिमी रेगिस्तान के विकास के लिये आप व्यवस्था कीजिये, यह मेरा आपसे आग्रह है।

शराबबन्दी का जो सवाल है, हमारे गंगानगर, जोधपुर और उदयपुर की जो डिस्टलरीज हैं उनको बन्द करने की जरुरत नहीं है। उनका जो उत्पादन है, वह जो दवाइयों की इण्डस्ट्रीज हैं उनको देकर पैसा कमा सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि या तो सारे राजस्थान में शराबबन्दी करें वरना कहीं न करें। आज भी बीकानेर ड्राई एरिया है, चूरू ड्राई एरिया है परन्तु शराब वहां पर खुले आम मिल रही है। बीकानेर से चिपटे जो जिले हैं जहां का ठेका 1 लाख में जाता था आज वहां 28 लाख में जाता है। पाकिस्तान में शराबबन्दी की हुई है। राजस्थान की सीमा से पाकिस्तान को शराब जाती है। शराबबन्दी होनी चाहिये। जनता पार्टी का कमिटमेंट है। सारे राजस्थान में होनी चाहिये। पीस मील में नहीं। अगर पीस मील में की तो जो हमारी प्रजेन्ट व्यवस्था है उसे हम चैक नहीं कर पायेंगे। शराबबन्दी भी होती रहेगी, शराब बिकती भी रहेगी और सरकार को घाटा भी होता रहेगा। जिस जनता से आपने वोट मांगे हैं, वह जनता आशा भरी दृष्टि से देख रही है कि शराबबन्दी होगी। मैं इस हाउस में कहना चाहता हूं कि बीकानेर जिले में शराबबन्दी होने के बाद निश्चित रूप से गरीब परिवारों को फायदा हुआ है। जिसके पास चोरी की रकम आती है वह आज भी शराब पी रहे हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको फायदा हो रहा है। सरकार के अन्त्योदय योजना के कार्यक्रम में शराबबन्दी महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी अगर हमारी सरकार इसे सही ढंग से एन्फोर्स कर पायेगी। टैक्स लगा दीजिये, लेकिन टैक्स की वसूली सही कीजिये।

अन्त में एक निवेदन और करूंगा, इस वित्तीय वर्ष में जो प्रावधान रखा है उसमें 52 लाख रुपया गांवों के लोगों के लिए मेडिकल लाभ पर खर्च होगा और एक करोड़ रुपया खर्च होगा स्कूलों पर। 52 लाख रुपया 80 प्रतिशत जनता पर खर्च होने वाला है, इसका क्या औचित्य है? शराबबन्दी से, अध्यक्ष महोदय, जनता नहीं मरेगी। शराब बन्दी से अपरोक्ष रूप से लाभ होने वाला है। आपकी अन्त्योदय योजना तभी सफल होगी जब पूर्ण रूप से शराबबन्दी हो, इसलिए सारे राजस्थान में शराब बन्दी कीजिये।

अन्त में मैं आपका शुक्र गुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेश कुमार।

श्री सुरेश कुमार (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि सम्पन्नता बिना समता के पूंजीवाद को बढ़ावा देती है और समता बिना सम्पन्नता के कंगाली को जन्म देती है। श्रीमन्, लोकतन्त्र में आस्था रखने वाली सरकार का यह प्रयत्न होना चाहिये कि समता और सम्पन्नता में साम्य स्थापित करे और अमीरी और गरीबी की असमानता को कम करे। माननीय वित्त मन्त्री जी ने प्रस्तुत बजट के माध्यम से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो कठिन प्रयास किया है, श्रीमन्, मैं उसकी सराहना करता हूं। सप्तम वित्त आयोग ने राजस्थान के साथ ज्यादती की है जिसके कारण माननीय वित्त मन्त्री जी के समक्ष बहुत-सी कठिनाइयां उपस्थित हुई हैं। राजस्थान सरकार के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री हरिदेव जोशी जी यह आरोप लगा रहे थे कि राजस्थान की सरकार ने सप्तम वित्त आयोग के समक्ष राजस्थान सरकार के पक्ष को सुदृढ़ आधार पर नहीं रखा है। मैंने जब श्रीमन्, सत्र के प्रारम्भ में सप्तम वित्त आयोग के विषय में प्रश्न उठाया था तो मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हुआ था कि, सरकार ने कहीं गफलत की है और सरकार ने कमजोरी से अपने पक्ष को रखा है लेकिन जब सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का अध्ययन किया तो मालूम हुआ कि राजस्थान सरकार ने सप्तम वित्त आयोग के समक्ष जो अपना पक्ष प्रस्तुत किया वह पूर्ण सुदृढ़ रूप से रखा हैं। श्रीमन्, सप्तम वित्त आयोग ने बंटवारे का आधार पिछड़ापन और गरीबी की सीमा रेखा को रखा है। छठे वित्त आयोग ने यहां तक कह कर अमान्य कर दिया था कि पिछड़ापन और गरीबी की रेखा का आधार कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है इसलिये इसमें गलती हो सकती है तो, श्रीमन्, ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार को दोष देना सर्वथा निरर्थक है।

श्रीमन, अभी इस बात पर बहुत हल्ला मच रहा था कि किसानों पर लगान बढ़ा दिया, किसानों पर सिंचाई की दर बढ़ा दी। श्रीमन, मैं एक बात का निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों के हित चिन्तक बुनियादी सिद्धान्तों पर कभी बहस नहीं करते जिससे स्थायी रूप से किसानों की समस्या का हल हो सके। श्रीमन्, जब तक देश के अन्दर किसानों के उत्पादित माल की कीमत और उद्योगों के उत्पादित माल की कीमत में सामंजस्य स्थापित नहीं किया जायेगा, आय की न्यूनतम और अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं कर दी जायेगी और व्यक्तिगत खर्च की अधिकतम सीमा पर रोक नहीं लगेगी तब तक किसानों का भला किसी प्रकार भी नहीं होगा। जब तक आप इन नीतियों को निर्धारित नहीं करेंगे तब तक न तो गरीब किसानों को ही लाभ होगा और न ही गरीब जनता को आप शोषण से मुक्ति दिला सकेंगे। किसानों पर कर भार बढ़ा कर कलम घिस्सुओं के वेतनमान विस्तार बढ़ाते रहने के दुश्चक्र से छुटकारा नहीं पा सकेंगे।

श्रीमन, मैं मांग करता हूं कि तीन बुनियादी सिद्धान्तों पर बहस होनी चाहिये। एक तो किसान के उत्पादित माल की कीमत और उद्योगों के उत्पादित माल की कीमत में संतुलन स्थापित करना, दूसरे न्यूनतम और अधिकतम आय की सीमा निश्चित करना। तीसरे व्यक्तिगत खर्च की सीमा पर रोक। ये जब तक नहीं करेंगे हम वांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पायेंगे।

(श्री सुरेश कुमार)

श्रीमन्, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि केवल किसान ही ऐसा व्यक्ति है जिसको अपने श्रम का औचित्य मांगने का अधिकार नहीं है। किसान की पैदावर के दाम निर्धारित करेगा या तो वातानुकूलित भवन में बैठा सरकारी अफसर या मण्डी में बैठा सेठ और दलाल। श्रीमन, मैं आपकी सूचना के लिये बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष में किसान किस तरह लुटा है। श्रीमन, सन् 62 में गेहूं का 68 रुपये क्विटल का भाव था वह 79 में 115 रु क्विटल हो गया, पौने दो गुनी भावों में वृद्धि हुई है। सन् 62 में मैसी फर्ग्यूसन ट्रैक्टर की कीमत 16 हजार थी और अब 79 में मैसी फर्ग्यूसन की कीमत 55 हजार हो गई, साढ़े तीन गुणा उसमें वृद्धि हुई है। इसी प्रकार, श्रीमन, सन् 62 में चार इंच बोरिंग के पाइप का चार रुपये फुट का भाव था वह 79 में 16 रु. फुट हो गया है, चार गुणा वृद्धि हुई है। श्रीमन, यूरिया सन् 62 में 22 रुपये का एक कट्टा मिलता था और अब 79 में 82.50 रु. का एक कट्टा मिल रहा है, इसमें भी चार गुणी वृद्धि हुई है। तो, श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि यहां बैठे लोगों को इस बात पर ध्यान करना चाहिये और इस बात की चर्चा करनी चाहिये। किसान की पैदावार के भावों में पौने दो गुणी वृद्धि हुई है और औद्योगिक माल की कीमत में भावों में चार गुणा वृद्धि हुई है। तो, श्रीमन्, जब तक हम इस स्थिति को ठीक नहीं करेंगे तब तक हम कितना ही अच्छा बजट बना लें, किसानों का कोई लाभ नहीं कर पायेंगे।

श्रीमन, डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य, श्री मथुरादास जी माथुर जनता सरकार पर यह आरोप लगा रहे थे कि 78 में थोक भावों का सूचकांक बढ़ गया लेकिन आगे की जो लाइन है उसमें जो विवरण दिया है जनता सरकार का, उसको पढ़ने से किनारा कर गये। श्रीमन्, स्पष्ट रूप से उसमें दिया हुआ है, सन् 76 की तुलना में सन् 77 में सूचकांक 14.1 पर चल गये जबकि श्रीमन, 77 की तुलना में सन् 78 में केवल 2.7 बढ़े हैं। श्रीमन्, जो 76-77 की तुलना थी उसमें तो कांग्रेस शासन के पाप का बोझा भी शामिल था, उसमें बढ़ोतरी हुई है 14.1 जनता सरकार जो सन् 77 के मध्य में आई। सन् 77-78 की तुलना में केवल 2.7 की वृद्धि हुई है। स्पष्ट बात है कि जनता सरकार बढ़ते हुए मूल्यों पर रोक लगाने में सफल हुई है।

श्रीमन्, बहुत-सी बातें हैं लेकिन मैं इस बात को पसन्द नहीं करता कि किसानों पर लगान और सिंचाई की दर बढ़ाई जाये। इससे बेहतर यह होगा कि राजस्थान सरकार सारे कृषि क्षेत्र को करारोपण के अन्तर्गत ले ले और इस आधार पर कर लगाये कि छोटे किसानों पर बोझा न पड़े। बड़े बड़े भू-पति हैं उन पर कर बोझ अधिक डाला जाये। मैं जानता हूं विरोधी पक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्य इसका विरोध करेंगे क्योंकि आज भी उन लोगों का बड़ी बड़ी जमीनों पर कब्जा है। राजस्थान नहर के कमान्ड क्षेत्र में सैंकड़ों बीघा सिंचित भूमि पर उन लोगों का अधिकार है जो राजनीतिक तौर पर प्रभावी और साधन सम्पन्न व्यक्ति हैं। तो, श्रीमन् मैं कहता हूं, अगर चाहे जनता सरकार हो या

(श्री सुरेशकुमार)

आगे आने वाली कोई और सरकार हो, उसको कृषि क्षेत्र को करारोपण क्षेत्र में लेना होगा नहीं तो विकास चक्र रुक जायेगा।

श्रीमन्, राजस्थान में खनिज पदार्थों के दोहन से आय बढ़ाने की बड़ी सम्भावना है। श्रीमन्, मैं आपका ध्यान दिलाऊं कि राजस्थान में ब्लैक ग्रेनाइट और संगमरमर का विपुल भंडार है और ब्लैक ग्रेनाइट व संगमरमर के निर्यात से राज्य की आमदनी, जो नान टैक्स रेवेन्यू है वह अधिक से अधिक बढ़ाई जा सकती है। मैं समझता हूं कि हमारे नौजवान मन्त्री खान को स्वतन्त्र रूप से बिना किसी राजनैतिक दबाव के काम करने दिया जाये तो मैं निश्चत रूप से कह सकता हूं कि खानों के माध्यम से, खानों से अपनी आमदनी बढ़ाने से यह 1780 करोड़ का प्रस्तावित घाटा माननीय वित्त मन्त्री महोदय, यह अकेला खान विभाग पूरा कर सकता है। मैं चाहता हूं कि राजस्थान के नौजवान मन्त्री इस चुनौती को स्वीकार करें तो, श्रीमान् जो घाटा....

(व्यवधान)

प्रस्तावित है उसको अकेला खान मंत्री, या मन्त्री खान कहिये, ये पूरा कर सकते हैं।

श्रीमन्, मेरा यह विचार है कि प्रस्तावित घाटे को कम करने के लिए सरकार को दो मुख्य स्रोतों पर मुख्य रूप से आधारित रहना पड़ेगा। एक तो नान-टैक्स रेवेन्यू की आय में वृद्धि करना और दूसरा प्रशासनिक ढांचे में सुधार और उसमें कटौती कर के फिजूल खर्ची को बचाने में। श्रीमन्, सन् 1969 में एक री-आर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी ने कुछ सुझाव दिये थे कि यहां का जो सचिवालय है, अब तो यह सचिवालय की जगह आयुक्तालय हो गया है, श्रीमन्, मेरे लिहाज से इस आयुक्तालय को एक तहसील हैडक्वार्टर की तरह बनाकर पटक दिया है। आज हर बात में इनकी दखलन्दाजी रहती है। आयुक्तालय का काम केवल नीति निर्धारण करने का है, उस नीति निर्धारण करने को पालन कराने में भी दखलन्दाजी किस तरह से क्रियान्वित होती है उसके अन्दर रहती है। श्रीमन्, मेरा विचार है कि मन्त्री महोदय इस आयुक्तालय के आकार को कम करने की ओर ध्यान दें और दूसरा उदाहरण पेश करना चाहता हूं। श्रीमन, आज सब लोग कहते हैं कि पंचायत समितियों को सक्रिय किया जाये, कुछ अधिक अधिकार दिये जावें। मैं समझता हूं श्रीमन कि अगर आर. डी पी. ए. पी. के विभाग को समाप्त कर दें और उसका कार्य पंचायत समितियों को सुपुर्द कर दें तो मैं आपसे कहता हूं कि पांच छः करोड़ की बचत इस विभाग को पंचायत समितियों में विलीनीकरण करने से होगी। श्रीमन्, एक निगम है—भूमि विकास निगम और दूसरा निगम है इण्डस्ट्रियल एग्रो कारपोरेशन, जिसको कृषि उद्योग निगम कहते हैं। इन दोनों की अलग-अलग सार्थकता मेरी समझ में नहीं आती। इन दोनों को एक करके खर्चा बचाया जा सकता है। इसी तरह से भू-जल मण्डल और जल प्रदाय विभाग अलग अलग हैं। इन दोनों को एक करके

(श्री सुरेशकुमार)

एक ही मुख्य अभियन्ता के अण्डर में करके खर्चा बचाया जा सकता है। एक एवेल्यूएशन डिपार्टमेंट है उसका क्या कार्य है यह मेरी समझ में नहीं आया। इससे राजस्थान की जनता का क्या हित होता है। श्रीमान्, इसी तरह से आप तरह तरह के आयोग नियुक्त करते हैं जांच करने के लिए, तो फिर लोकायुक्त की स्थायी नियुक्ति की क्या जरुरत है? श्रीमान, मैं समझता हूं कि इस लोकायुक्त के विभाग को समाप्त करके राजस्थान में बचत की जा सकती है। इसी तरह से नियोजन और इनस्पेक्टर आफ फैक्ट्रीज एण्ड बायलर्स है, जो श्रम विभाग में शामिल करके खर्चा बचाया जा सकता है। इसी तरह से ट्रांस-पोर्ट का कर विभाग है जिसे सीधे करा-रोपण के अन्तर्गत किया जा सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्रीमान आखिरी पैरा कह कर मैं बैठ जाऊंगा। श्रीमान एक तरफ तो हमारी राजस्थान की 80 प्रतिशत ग्रामीण जनता की सुख सुविधा का ध्यान, राज्य में क्षेत्रीय असंतुलन को मिटाने का प्रयास और श्रीमान प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ आधार देने की चिन्ता है और दूसरी तरफ सप्तम वित्त आयोग द्वारा की गई हकतलफी और प्रस्तावित शराबबन्दी से होने वाली आमदनी में कमी है। इन सब के बीच में से निकल कर माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने विकास के जिन प्रस्तावित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो कठिन प्रयास किया है, श्रीमान, मैं समझता हूं कि बहुत सराहनीय है। जैसा मैंने अभी निवेदन किया कि इस सिंचाई की और लगान की बढ़ी दरें कम कर और उसकी जगह यदि माननीय वित्त मन्त्री जी नान—टेक्स रेवेन्यू बढ़ा कर और प्रशासनिक ढांचे में कमी और सुधार करके घाटे की पूर्ति कर लें तो मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने जो बजट प्रस्तुत किया है, राजस्थान के अब तक के सारे बजटों में यह एक आदर्श बजट साबित होगा और यह एक लोकप्रिय कल्याणकारी बजट माना जायेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री सामरिया।

व्यवस्था का प्रश्न

आय-व्ययक पर वाद-विवाद के उत्तर के लिये समय का नियतन

श्री सुरेश कुमार : श्रीमान्, मैं एक प्रस्ताव करना चाहता हूं। बहुत से सदस्य बिना बोले रह गए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज का सारा समय सदस्यों को बोलने के लिए रख दिया जाये और उत्तर के लिए कल का समय निश्चित कर दिया जाय तो बहुत उत्तम होगा।

श्री अध्यक्ष : आपके सुझाव के प्रति मेरी पूर्णरूपेण सहानुभूति है। मैं यथा-सम्भव प्रयास करूंगा।

श्री नवनीत पालीवाल (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आज के सारे समय में माननीय सदस्य बोल लें और कल सरकारी उत्तर हो जाये।

श्री अध्यक्ष : क्या हाउस की सहमति है कि आज का समय चर्चा के लिए रख दिया जाय, फर्स्ट रीडिंग आफ दी बजट हो जाय और कल सबसे पहले सरकारी उत्तर हो जाएगा।

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

आज का समय बजट पर सामान्य वाद विवाद के लिये रखा गया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : लेकिन अध्यक्ष महोदय, कल की डिमाण्ड कब होगी ?

श्री शिवचरण सिंह : कल की डिमाण्ड परसों।

श्री ओंकारलाल चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल पहले रिप्लाइ हो जाएगा उसके बाद डिमाण्ड शुरू हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष : पहले जवाब होगा सरकार की तरफ से फिर डिमाण्ड के ऊपर विचार होगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कल की बहुत महत्वपूर्ण डिमाण्ड है। लोगों को उस पर भी बोलने का मौका मिलना चाहिए....

एक माननीय सदस्य : कल जीरो आवर हटा दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, इसके बारे में बाद में विचार किया जाएगा।

श्री दिग्विजयसिंह : आखिर तय क्या रहा ?

आय-व्ययक पर सामान्य वादविवाद

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो किसानों के ऊपर राजस्व में बढ़ोतरी की गई है और सिंचाई की दरें सरकार के द्वारा बढ़ाई गई हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया दस दस मिनट बोलें तो ठीक रहेगा और व्यवस्थित ढंग से बहस भी होगी।

श्री मूलचन्द सामरिया : मैं तो आपका बहुत ओबीडियेंट रहा हूं, साहब।

तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों के ऊपर यह वजन अधिक डाला गया है इसको कम किया जावे, यह मांग करते हुए दस मिनट के अन्दर सिर्फ पाइन्ट निवेदन करूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस समय जनता सरकार बनी उस के कुछ दिनों बाद वित्त मन्त्री जी ने भरतपुर में यह घोषणा की थी कि राजस्थान के कुछ जिले आकार की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से इतने बड़े हैं कि इनका इफेक्टिव प्रशासन नहीं होता, जनता को बराबर राहत नहीं मिल सकती है, जिलाधिकारियों से जनता का सम्पर्क नहीं हो सकता है। दो-तीन जिलों को बायफरकेट करके नए जिले बनाने की बात आपने फर्माई थी। मान्यवर, जब आप दौसा पधारे थे तब आपने एक फंक्शन में यह जरूर फर्माया था कि व्यक्तिगत तौर से मेरी भी यह मान्यता है। जयपुर जिले को डिवाइड करके दौसा उप मुख्यालय को जिला मुख्यालय बनाने की मांग के सम्बन्ध में आपने फर्माया था कि यह उचित मांग है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आप विरोधी दल के नेता थे उस समय आपने भी मेरी इस मांग को इन शब्दों के साथ औचित्य-पूर्ण बताते हुए फर्माया था कि न केवल जयपुर जिला बल्कि उदयपुर और जोधपुर, जो बड़े-बड़े जिले हैं, को भी प्रशासनिक दृष्टि से इफेक्टिव बनाने के लिए बायफरकेट

(श्री मूलचन्द सामरिया)

करके इस तरह के जिले बनाये जायें जिसमें समानता हो, एक तरह का प्रशासनिक आधार हो और आबादी व क्षेत्रफल के हिसाब से इफेक्टिव प्रशासन दे सकें। मान्यवर, एक तरफ तो एक भूतपूर्व स्टेट डूंगरपुर, जिसमें कि तीन तहसीलें हैं, पर एक कलेक्टर और पूरा प्रशासन है, जिला प्रशासन और सारी मशीनरी काम करती है। दूसरी तरफ जयपुर जिला, जिसमें 13 एम. एल. एज. रूरल कांस्टीट्यूएंसी के हैं और छः अर्बन कांस्टीट्यूएंसी के हैं, कुल मिला कर 19 एम. एल. एज. जयपुर जिले को रिप्रेजेण्ट करते हैं, उसमें भी वही जिला मशीनरी है। इसमें भी, मान्यवर, जयपुर शहर की आबादी करीब दस लाख की है जहां पर कालेजों के विद्यार्थी और मजदूरों की समस्यायें हैं, बहुत से विदेशों के मेहमान आते रहते हैं जिनके इन्तजामात में लगे रहते हैं, आए दिन हड़तालें, प्रदर्शन आदि होते हैं विद्यार्थियों और मजदूरों वगैरह के, जिसके अन्दर जिला प्रशासन को काफी समय देना पड़ता है। इस हालत में देहात के लोगों को किस तरह से इफेक्टिव प्रशासन दे सकते हैं? इसके कारण कितनी ही बार जब जिला मुख्यालय पर आते हैं तो कभी कलेक्टर साहब दौरे पर होते हैं तो कभी एस. पी. साहब राउण्ड लगाते हुए मिलते हैं। इनको जयपुर की समस्याओं से ही फुरसत नहीं मिलती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जिला जयपुर को दो टुकड़ों में विभक्त करके दौसा को एक अलग इण्डिपेंडेंट जिला बनाया जावे। चार तहसील उस सब डिवीजन के पास ही लगती हैं। लालसोट, बामनवास, सवाई माधोपुर जिले की जो इन्टीरियर तहसीलें हैं, जैसे टोडा भीम, इनको मिला कर आप एक इफेक्टिव और वायेबल यूनिट बना सकते हैं। उसके प्रशासन को चलाने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों का बंटवारा किया जाए। इस प्रकार की व्यवस्था से जनता से सरकार का सीधा सम्पर्क हो सकता है। हमारी राजस्थान सरकार के मन्त्री मंडल के वरिष्ठतम सदस्य माननीय मास्टरजी ने इसकी घोषणा की है, उस घोषणा का मन्त्री मंडल द्वारा, मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा पालन किया जाना चाहिए। इससे जनता सरकार की साख बढ़ेगी। यह जोइन्ट रेस्पांसिबिलिटी आफ दी केबिनेट है इस घोषणा को उस रूप में समझें, राज्य सरकार द्वारा की हुई घोषणा समझें, उस घोषणा के अनुकूल एक्जीक्यूश्यन हो, यह बहुत जरूरी है।

मान्यवर, मैं समझता हूं कि जिला बनाने में कुछ समय लगता है। इस सम्बन्ध में मैंने मुख्य मन्त्री महोदय से भी कई बार मुलाकातें की हैं, निवेदन किया है कि ए. डी. एम. और एस डी. एम. के आफिसेज को तुरन्त ही जयपुर से दौसा ट्रांसफर कर दिया जाए। जयपुर में इनको सिटी अलाउन्स दिया जाता है। स्थान की भी यहां पर कमी है। जयपुर के मुकाबले दौसा में कम किराये पर मकान मिल जायेंगे। जिन लाखों किसानों, मजदूरों को जयपुर आना पड़ता है, काफी खर्चा करके उनको जयपुर आना पड़ता है, उन गरीब किसान, मजदूरों को वहीं पर न्याय मिल सकेगा। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि दौसा को जिला मुख्यालय बनाने के बारे में इस बजट सत्र के बाद, एक अप्रैल से कुछ

(श्री मूलचन्द सामरिया)

अफिसेज जैसे ए. डी. एम., एस. पी. को वहां पर ट्रांसफर कर दें।

इसके अलावा, मान्यवर, कई माननीय सदस्यों ने जयपुर शहर के बारे में यह मांग उठायी है कि जो पेयजल दिया जाता है वह काफी दोषयुक्त है, कीटाणुयुक्त है। यह पेयजल जमुआ रामगढ़ बांध से दिया जाता है। इस पानी के कारण जयपुर शहर के लोगों के पेट में कीड़े होते हैं। जमुआ रामगढ़ के बांध का पानी पीने के योग्य नहीं है। पहले की कांग्रेस सरकार की अकर्मण्यता के कारण जयपुर शहर को यह पानी पीने के लिए दिया जा रहा है। वास्तव में यह सिचाई का बांध था। सौ वर्ष से यह बंधा सिचाई के लिए ही काम में आ रहा था। कांग्रेसी सरकार ने इस बंध के जहरीले पानी को जयपुर शहर के लोगों को पिलाया है और आज भी राजस्थान की राजधानी के लोगों को यही जहरीला पानी पिलाया जा रहा है। यह सरासर अन्याय है। जयपुर के लिए बीसलपुर की एक योजना है। 50 लाख रुपये इस पर खर्च हो चुके हैं। उसको कार्यान्वित करने के लिए मुख्य मन्त्री, जब विरोधी दल के नेता थे, ने मांग उठायी थी। इस बात को दबाब के साथ कहा था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बीसलपुर योजना को शीघ्र ही कार्यान्वित किया जाए और इस योजना द्वारा जयपुर, टोंक, ब्यावर और अजमेर की पेयजल व्यवस्था को सुधारा जाये। साथ ही ढूंढ नदी पर जलप्रदाय विभाग द्वारा पुल बनाया जाये ताकि गंदे पानी के पीने से लोगों के स्वास्थ्य में जो गिरावट आ रही है, पेट में कीड़े पड़ रहे हैं, उससे उनको मुक्ति मिले। तहसील दौसा, जमुआ रामगढ़ और वस्ती के किसानों के लिए सिंचाई का एकमात्र साधन यही बांध है। उनको भी यह बांध वापस मिल सकेगा और वे अपने बच्चों का पालन-पोषण कर सकेंगे।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी मे एक सड़क है, वह चार किलो मीटर भाखरा से बना दी गई है, चार किलोमीटर कुन्डल से बन गई है, परन्तु बीच का जो गैप है साढ़े चार किलो मीटर का, वह नहीं बनी है। इस कारण से यह सड़क निरर्थक है। उसको बीच में से जोड़ा जाए। आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस गैप का फिलअप किया जाए वरना अब तक सड़क पर जो भी राज्य द्वारा खर्चा किया गया है, वह बरबाद हो रहा है। उससे जनता का कोई हित नहीं हो रहा है। वह काम में नहीं आ रही है।

इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हू कि सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति मे परिवर्तन कर के दौसा में उद्योग-पतियों को उद्योग खोलने के लिए आकर्षित किया है, प्रेरित किया है। नये-नये उद्योग खुल रहे हैं। दौसा में एक सोप स्टोन का कारखाना है। उसमें करीब 300/400 मजदूर काम करते थे। परन्तु उस कारखाने का मालिक कभी मजदूरों को समय पर वेतन नहीं देता है। दो, चार, पांच महीने तक वेतन नहीं देता है। वह मजदूरों से लड़ाई झगड़ा करता रहता है। तीन महीने पहले ही उस सेठ ने उस कारखाने की

(श्री मूलचन्द सामरिया)

तालाबंदी कर दी है इससे तीन सौ मजदूर भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। वहां पर तालाबंदी होने का कोई कारण नहीं है। जो नोटिस दिया है उसमें तालाबंदी का कोई कारण नहीं बताया है। उसको कोई कारण देना चाहिए था। मेरा निवेदन है कि सरकार इसको एग्जामिन करे कि वहां पर तालाबंदी किया जाना किस आधार पर वाजिब है। सिर्फ यह कह कर के हम चल नहीं सकते कि उसने तालाबंदी कर दी है। यह गलत है। जिस खान के पट्टे हैं वहां पर सेठ ने मशीनें लगा रखी हैं। एक तरफ तालाबंदी की घोषणा कर के दूसरी तरफ काम चला रखा है। मैंने इस बारे में मन्त्री महोदय से बातचीत की। श्रम मंत्री महोदय ने मालिकों को भी बुलाया परन्तु वे नहीं आये। मजदूरों के प्रतिनिधि भी आपके पास आए हैं परन्तु कभी भी इस मालिक ने बातचीत करना उचित नहीं समझा। इस मामले में आज तक कोई निर्णय नहीं हो रहा है। इसलिए, मान्यवर, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि आप मजदूरों के हिमायती रहे हैं, आपका सारा जीवन मजदूरों के आन्दोलन में लगा है, आपने हमेशा मजदूरों की पैरवी की है, उसके बावजूद मजदूरों की यह हालत है। इसलिए वहां के मजदूरों को राहत दिलाने के लिए उस कारखाने को चालू कराया जाए। एक तरफ नये-नये काम खोले जा रहे हैं और दूसरी तरफ एकमात्र जो पुराना कारखाना है, वह बंद है। सरकार इसमें शीघ्र ही दखलन्दाजी करे। खनिज मंत्री से भी मेरा निवेदन है कि जब वह यह कहता है कि वह कारखाना नहीं चला सकता तो उसके पास सोप स्टोन की माइन्स क्यों हैं? वह उसके उपयोग की नहीं रहती हैं तो वह दूसरों को दी जाएं। खानें दूसरे को दी जाती हैं तो ये सेठ साहब तुरन्त काम शुरू कर देंगे।

मैं सहकारी मन्त्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे निवेदन पर इस वर्ष 1 अप्रैल से ए. आर. का आफिस दौसा में खोलने का निर्णय करीब-करीब कर लिया है। मैं समझता हूं कि वे इस पर शीघ्र ही अमल करेंगे और ए. आर. का आफिस अप्रैल में दौसा में खुल जाएगा। आपने यह फर्माया था कि विद्यार्थियों, बाल-बच्चों की पढ़ाई का बीच में हर्जा होगा। एक अप्रैल ऐसा टाइम है कि सारी परीक्षाएं हो जाती हैं।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो वर्ष 1979-80 का बजट पेश किया है, वह ग्रामोन्मुखी है, इसके लिए वित्त मन्त्री महोदय बधाई के पात्र हैं।

हमने गत वर्षों में जब से जनता सरकार ने काम संभाला है, अच्छे कार्य किए हैं। सबसे पहले मैं सरकार की तारीफ करना चाहूंगी, जो काम के बदले अनाज योजना को हाथ में लिया है, पूरे देश में राजस्थान इस योजना में अन्य प्रदेशों से आगे है। इसकी अत्यधिक प्रशंसा हुई है। मैंने स्वयं अपने निर्वाचन क्षेत्र में, गांवों में देखा है कि वहां पर विकास कार्य इतने हुए हैं जितने

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

पहले कभी नहीं हुए थे। गांव-गांव में सरकार पहुंची है, वहां पर कार्य हुए हैं। यह बात दूसरी है कि कभी कभी किन्हीं जगहों पर अनाज नहीं पहुंच पाया है। परन्तु यह कितनी प्रशंसा की बात है कि बिल्कुल राजनैतिक भेदभाव रहित होकर, चाहे कांग्रेसी, चाहे कम्युनिस्ट की कान्स्टीट्युएन्सी हो, चाहे जनता पार्टी के सदस्य की कान्स्टीट्युएन्सी हो जितनी सड़कें, जितने भवन बनाये गये हैं चाहे शिक्षा सदन हों चाहे पंचायत घर इतने कभी नहीं बने। इस वर्ष केवल 4–5 माह में इतने भवन बन कर खड़े हो गये। अगर आगामी वर्ष भी यह योजना चलती रही तो निश्चित रूप से जनता का बहुत बड़ा उपकार होगा।

विद्युतीकरण के बारे में भी मैं प्रशंसा करती हूं। अन्त्योदय योजना की जितनी तारीफ की जाये उतनी कम है। मैं निवेदन करना चाहूंगी, फिर भी कुछ खामियां रह गई हैं, कुछ कमियां रह गई हैं। ऐसा लगता है कि इस बजट को मन्त्रिमण्डल ने मन लगा कर, ध्यान देकर नहीं बनाया है। यह केवल प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बनाया हुआ बजट लगता है।

मैं निवेदन करना चाहती हूं कि प्रशासनिक खर्चे को कम करने के लिये कहा गया था, उसमें कटौती करने को कहा गया था वह इसमें नजर नहीं आता। ऐसा कहीं देखने को भी नहीं मिला कि इसमें कोई कटौती की गई है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आज आवश्यक खर्चों की स्वीकृति नहीं मिलती और अनावश्यक खर्चों की स्वीकृति खुले आम दे दी जाती है। नान प्लान की स्वीकृतियां यों ही होती रहीं तो क्या स्थिति होगी, कहा नहीं जा सकता।

आज सरकार की नान टैक्स रेवेन्यू बराबर घटती जा रही है। पिछले 4 सालों के बजट से स्थिति सामने आ जाती है। इस पर, किसी प्रकार से हो, ध्यान दिया जाना चाहिये। सारा मिस-मैनेजमेंट चल रहा है। जितना कार्य हम लोग वास्तव में कर सकते हैं उस पर बैठ कर विचार करने के लिये टाइम निकालना चाहिये जिससे कि राजस्थान की प्लानिंग हम ढंग से कर सकें।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि बजट में महिलाओं के शिक्षण-प्रशिक्षण के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। हमारी महिलाएं किस तरह से पूरे परिवार को चलाती हैं अगर उसकी समुचित शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जायेगा तो महिलायें प्रगति नहीं कर सकेंगी।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि महिलाओं की चिकित्सा के लिये आज गांवों में कोई व्यवस्था नहीं है। एक गांव की महिला प्रसव काल में आज गांव से शहर तक नहीं आ सकती क्योंकि गांव से शहर तक सड़क नहीं, यातायात के साधन नहीं। उनको चिकित्सा सुविधा कैसे पहुंचाई जाये। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इस बारे में भी व्यवस्था होनी चाहिये थी।

महिला एक माता पूरे परिवार को बनाती है। एक महिला यदि बिना पढ़ी लिखी रह गई तो वह परिवार को क्या बनायेगी ? हमारे भारत का भविष्य क्या होगा ? हमारे शिक्षा मन्त्री महोदय ने और स्कूल खोलने की बात कही है लेकिन

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था अभी गांव गांव तक नहीं पहुंची है, वह गांव गांव तक पहुंचनी बहुत जरूरी है।

शिशु कल्याण के लिये इसमें कुछ नहीं कहा गया। जहां तक मुझे मालूम है सरकार को इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैसा मिला है लेकिन कोई योजना नहीं दिखाई गई। तो फिर शिशु कल्याण के लिए सरकार क्या करेगी? इसके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए।

एक जो छोटे किसानों पर टैक्स लगाया गया है उसकी ओर माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगी। पालक, बथुवा और मैथी जैसी छोटी छोटी चीजों पर टैक्स लगाया गया है। मैं समझती हूं कि गरीब, छोटे किसान, फल सब्जी उगाने वाले, को तो आपको राहत देनी पड़ेगी।

पुलिस के लिये जो आपने थोड़ा अधिक बजट दिया उसके लिये मैं धन्यवाद देती हूं। लेकिन गांवों में आज भी थाने बहुत दूर दूर हैं। गांवों में थानों की व्यवस्था की जानी बहुत जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, गांवों में बहुत बड़े क्षेत्र में थाने एक कोने में पड़े हुए हैं। गांवों में थानेदार एन टाइम पर पहुंच जाये ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये, यह बहुत जरूरी है।

बेरोजगारी के बारे में भी बजट में कुछ नहीं कहा गया है। माननीय, आपने नियोजन कार्यालय तो खोल दिये लेकिन उनकी बेरोजगारी हटाने के कोई सोर्सेज उपलब्ध नहीं कराये। सुबह दफ्तर के ताले खोलते हैं, शाम को बन्द कर देते हैं। जब लोग जाते हैं तो वे भी चले जाते हैं। नियोजन कार्यालय नौकरियां उपलब्ध करावे ऐसे कोई सोर्सेज नहीं हैं। इस तरह की, मैं समझती हूं छोटी छोटी बातें हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी होगा।

सड़क निर्माण के बारे में मेरा निवेदन है कि सड़कों की हालत खराब है, सड़कों पर कोई रोशनी की व्यवस्था नहीं है। लोग रात में सड़कों पर यात्रा करते हैं। अंधेरे में एक्सीडेंट होगा, लोग वापस लौटेंगे या नहीं, इसका कोई पता नहीं। पिछले दो वर्षों से देश में नेशनल हाई वे पर पैसा खर्च किया जा रहा है। हमारी राजस्थान सरकार को पैसा उपलब्ध नहीं हुआ जब कि गुजरात में खर्च हो रहा है। हमारे यहां यह कमी क्यों? हमारी सड़कें भी अच्छी होनी चाहिए। आप रोड टैक्स लेते हैं, सभी तरह के टैक्सेज वसूल करते हैं फिर किसी को बेमौत मारने का अधिकार आपको कैसे दे दिया जाये?

इसी प्रकार पिछले दो वर्षों में जितने बांध टूटे, जयपुर जिले में मेरे क्षेत्र में 21 बांध टूटे उनको सुधारने के बारे भी मैं कहना चाहती हूं कि 31 जुलाई को कहा गया था कि अभी बरसात आ गई है। बरसात के बाद पूरे पैसे लगा देंगे। किन्तु अभी तक एक पैसा नहीं लगा। मैं नहीं समझती इस पैसे का कैसे उपयोग किया जायेगा? गांवों में सड़कों की हालत खराब है। शहरों की हालत खराब है। शहरों को गांवों से जोड़ने वाली सड़कों की हालत खस्ता है। आने वाले वर्ष में वित्त मंत्री जी ने सड़कों के लिए जितना पैसा रखा है, इससे शहर से गांवों

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

को सड़कों के द्वारा जोड़ा जाये। हमारे जो स्कूल हैं, थाने हैं, चिकित्सा सुविधा है उन तक सड़कों को लाया जाये। जहां हमारी आय के साधन हैं, जहां छोटे छोटे खेत हैं, जहां से हम टैक्स वसूल करते हैं वहां तक सड़कों को लाया जाये। मैं धन्यवाद दूंगी आपको यदि आप गांवों और शहरों की सड़कों की समस्या का समाधान करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को निवेदन करूंगी, नगर परिषद में सफाई कर्मचारियों के स्टाफ को पैसा देना बहुत जरूरी है। नगर परिषद का सफाई कार्य पूरा नहीं होता। शहर में सड़कों पर कूड़े के ढेर, कूड़ा-करकट रहता है।

ढाई शताब्दी मनाई गई। अच्छा काम किया, लेकिन सारा काम गन्दगी में छिप गया। जो गन्दगी जयपुर की सड़कों पर खुले आम पड़ी रहती है उसकी सफाई के लिये नगर परिषद को साधन दें। जयपुर एक घना बसा हुआ शहर है इसकी गन्दगी ले जाकर उसको डिस्पोज आफ करने के लिए साधन जुटाने के लिए नगर परिषद को अधिक अधिक पैसा दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं निवेदन करना चाहूंगी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सारी बात बोल नहीं पाऊंगी। यह बहुत उचित है कि आपने समय-समाप्ति की घन्टी बजा दी फिर भी मुझे आशा है कि आप थोड़ा-सा बोलने का अवसर और देंगे।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जमुआ रामगढ़, के बांध में जो कि मेरे क्षेत्र में पड़ता है, से पानी जयपुर में आता है। मैंने कई बार इसकी चर्चा की कि उसके नीचे दो-तीन छोटे छोटे बन्धे बना कर उसका पानी खाली करके उसकी सिल्ट निकाली जानी चाहिए। लेकिन ऐसा न करके यह निर्णय लिया गया है कि उस बन्धे को 6 फीट और ऊंचा बढ़ा दिया जाये। अभी भी कई कुंए उसकी डूब में हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूं कि किसानों की आगे क्या गति होगी। मैंने बिजली मंत्री जी से भी कहा था कि जो कुएं पानी की डूब में हैं उन कुंओं पर बिजली का पैसा माफ करें, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि और ज्यादा कुंए डूब में आयेंगे तो उन किसानों का धनी-धोरी कौन होगा ? इसलिए वह बंधे बनाये जाने चाहिये। उनसे अच्छी तरह से पानी मिल सके। बन्धे बनाने में आप लोगों की कोई आपत्ति न हो तो आप को मेरी बात की ताईद करना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि उसका काम शुरू किया जाना चाहिए। आगे आने वाली बरसात में अगर बाणगंगा में बाढ़ फिर आ गई तो जयपुर शहर का पास का ग्रामीण क्षेत्र तो डूब में आयेगा ही, जयपुर शहर को और आपको पानी भी नसीब होगा या नहीं।

पानी पर आपने टैक्स बढ़ाया है। पानी पर आप भले ही और टैक्स बढ़ा दें लेकिन शुद्ध पानी तो दें। आज हर एक व्यक्ति के पेट में कीड़े हैं। जयपुर शहर के 99-5 पर्सेंट आदमियों के पेट से कीड़े हैं। आप शुद्ध पानी उपलब्ध करायें चाहे पैसा और बढ़ा दें।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। शिक्षा की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। इन पर और बल दिया जाना चाहिए और अधिक पैसा दिया जाना चाहिए। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगी कि महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। किन्तु बजाय उसके जो उत्साही बहनें काम पर आती हैं उनके पहनने की साड़ी पर भी टैक्स लगा दिया....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ आर्डर। माननीय सदस्या को बोलने में काफी तकलीफ हो रही है इसलिए एक पानी का गिलास मंगवा दें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कुछ समय लेकर मुझे बोलने का समय दे दिया।

श्री मदनसिंह दांता : पानी कम कीड़े वाला होना चाहिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पानी के गिलास की व्यवस्था करवा दें, माननीय अध्यक्ष।

श्रीमती उजला अरोड़ा : निश्चित रूप में·······

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, गिलास ले जा कर वहां पर धर देंगी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : वह बहन पानी का गिलास लेकर आयेंगी।

श्री अध्यक्ष : पानी की समस्या जनता की है उसमें शासन-पक्ष और विपक्ष सब एक हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं निवेदन करना चाहूंगी कि मैंने गुजरात में जाकर देखा है। वहां पर आयुर्वेद का आयोग बना हुआ है। वहां से सारी दवाइयां सप्लाई होती हैं। हमारे यहां पर भी आयुर्वेद के नाम पर और अधिक पैसा दिया जाना चाहिए और असमानता को घटाना चाहिए। एलौपेथिक के लिये अधिक पैसा दिया जाना चाहिए और असमानता को घटाना चाहिए। एलौपेथिक के लिये अधिक पैसा दें तो मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन आयुर्वेद के लिये भी ज्यादा दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

यूनानी पद्धति पर भी विचार किया जाना चाहिए, यह जरूरी है।

मैं एक बात और कह देना चाहूंगी। वैसे तो आप घोषणा करेंगे ऐसी मुझे पूरी पूरी आशा है कि एक अप्रैल से पूर्ण शराब बन्दी हो जायेगी। बजट भाषण में आपने इसका उल्लेख नहीं किया है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आज ही भूख हड़ताल कर दें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं निवेदन करना चाहूंगी कि माननीय मुख्य मंत्री जी निश्चित रूप से घोषणा करेंगे कि पहली अप्रैल से राजस्थान में शराब पर पूर्णतया पाबन्दी लगा दी गई है। जो टुकड़े-टुकड़े में पाबन्दी लगाई है उससे शराबबन्दी में आपको

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

सफलता नहीं मिली है। दो-चार जिलों में और कर देंगे टुकड़े-टुकड़े शराब बन्दी करने से काम नहीं चलने वाला है। मुख्य मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि पूर्णतः शराब बन्दी नहीं होगी। तब तक आपको इसमें सफलता नहीं मिलेगी। मैं एक और निवेदन कर दूं, आप घबरायें नहीं कि इससे न्याय और कानून की व्यवस्था बिगड़ेगी। इसके बारे में आप पंचायतों को अधिकार देंगे तो निश्चित रूप से न्याय और कानून की व्यवस्था सुधरेगी और आगे आपको सफलता मिलेगी।

मैं पंचायतों के बारे में कहना चाहती हूँ कि गुजरात में सरकार ने अच्छी तरह से उनकी व्यवस्था संभाली है। मैं समझती हूँ कि माननीय वित्त मंत्री जी मेरी बात पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आगामी बजट में आपकी यह घोषणा आपके सारे मंत्रि-मण्डल की होगी, आपके प्रशासनिक अधिकारियों की नहीं होगी। मेरा यह निवेदन है कि शराबबन्दी की आज ही आप घोषणा करें। साथ ही अन्य मामलों में लोन बढ़ाने वगैरह के बारे में भी निश्चित रूप से कुछ अच्छा कार्य करें।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री बंशीलाल सारस्वत।

श्री शिवचरणसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, ट्रेजरी बेन्चेज से दिन से लगातार बोलते आ रहे हैं·······

श्री अध्यक्ष : अब 10 मिनट और धैर्य रखें। इनके बाद आपका चान्स आयेगा।

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान क्षेत्रफल में हिन्दुस्तान में दूसरे नम्बर पर है, लेकिन उपलब्धियों के हिसाब से जनता पार्टी के शासन में आने के बावजूद जहां तक बिजली का प्रश्न है आज भारत भर में ग्यारहवें नम्बर पर है, और सिंचाई का जहां तक प्रश्न है इसका बारहवां स्थान है, और शिक्षा और सड़कों का जहां तक सवाल है उसमें बहुत पीछे है।

राजस्थान में प्रजातन्त्र कायम हुए करीब 30 वर्ष का अर्सा व्यतीत हो जाने के बाद भी जो गांव हैं उनकी ओर जो ध्यान दिया जाना चाहिए था वह किसी कारण से, कई हालतों के कारण नहीं गया। वित्त मंत्री जी के सामने दो प्रश्न हैं। एक तो है असंतोष दूसरा, तुलनात्मक दृष्टिकोण से भारत के अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान के विकास की गति धीमी नजर आती है। उन्होंने जो साहसपूर्वक कदम राजस्थान की वित्तीय स्थिति को सुधारने तथा अन्य कर लगाने के क्षेत्र में उठाये हैं वह वास्तव में साहसी कदम हैं। उसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ।

श्री मूलचन्द डागा : धन्यवाद किस बात पर ? इतने धीमे क्यों बोलते हो ?

श्री बंशीलाल सारस्वत : मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। जो कर प्रस्तावित किये गये हैं उन करों के बारे में मेरा यह सुझाव है कि जो कर गांवों को और गांवों में

(श्री बंशीलाल सारस्वत)

रहने वाले किसानों को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं उन करों के अन्दर संशोधन करने की आवश्यकता है ।

इसके पूर्व कि मैं सारे हालात अर्ज करूँ मैं यह कहना चाहता हूं कि चाहे किसी व्यक्ति के बजट का प्रश्न हो, चाहे राज्य के बजट का प्रश्न हो, कितने ही आप कर लगा दें, कितनी ही आमदनी कर लें, लेकिन व्यय का जो तरीका है जब तक उस पर अंकुश नहीं लगा देते हैं, और मितव्ययता से खर्च नहीं करते हैं, तब तक राष्ट्र चाहे कितना ही धनी हो जाये, कितना ही कुछ हो जाये, मगर उसका संतुलित बजट नहीं हो सकता है । अंकुश के बिना और मितव्ययता के बिना जितना खर्च किया जा रहा है उसका राज्य के अन्दर रहने वालों को फायदा मिलता है या नहीं·······

इस प्रकार की समीक्षा करना जरूरी है । मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि अरबों खरबों की योजनायें बनी हैं । फिर भी नेचरल कैलेमिटी भी आती रहती हैं उनका मुकाबला करने के लिए जब तक ठीक तरह से काम नहीं करते हैं तब तक बड़ी चिन्ताएं रहेंगी । काम करने वाले चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों या कोई भी हो उनकी क्या उपलब्धि है, क्या काम किया है, काम किया है या नहीं किया है इसकी समीक्षा करनी चाहिये जिस प्रकार एक बनिया, एक व्यापारी अपनी उपलब्धि को देखता है उसी प्रकार अगर कहीं पर कोई काम लगाते हैं तो यह देखना चाहिए कि उससे लोगों को कितना लाभ होगा । वह लोगों के लिए कितना कल्याणकारी होगा ।

आर० आई० एम० डी० सी० है उसके अन्तर्गत चेतक स्कूटर बनाने का एडवर्टाइजमेंट किया गया । लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी, यह देखा गया कि चेतक स्कूटर बनाने का काम नहीं कर सकते । वित्त मन्त्री जी से निवेदन करूँगा कि चाहे आपका एक लाख रुपया खर्च हो या एक करोड़ रुपया खर्च हो जब तक अधिकारियों से पैसे का अकाउण्ट नहीं लिया जायेगा तब तक कोई काम किस प्रकार से चल सकता है ? प्रशासनिक खर्च की सीमा होनी चाहिए । मोटरों और जीपों पर खर्चा नहीं होना चाहिए । इस पर अंकुश लगाना चाहिये । सारा का सारा एक्सपेरीमेंट में खर्च हुआ है । डिमान्स्ट्रेशन में खर्च हुआ है ।

इसी प्रकार से सिंचाई का प्रश्न है । सिंचाई की योजनाएं बनाई हैं उन पर खर्चा करना बहुत जरूरी है । लिफ्ट इर्रिगेशन की योजना है । चम्बल के विकास की योजनाएं हैं । हमारे किसानों को सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने की योजनाएं हैं । अभी विरोधी पक्ष के जो माननीय नेता हैं, उन्होंने भी इनके सम्बन्ध में कहा है । ये जो योजनाएं हैं, राजस्थान में जो स्थिति है, उनका सामना करने के लिए बनाई गई हैं । अब प्रश्न यह है कि जो क्षेत्र सिंचाई सुविधा से वंचित रह गये हैं, वित्त मन्त्री जी, उनकी समस्या का समाधान किस तरह से होगा ? जिस तरह से योजना बनती है और खर्च होता है उसके बाद यह बात सामने आती है कि यह सारा का सारा एक्सपेरीमेण्ट था । चाहे कोई योजना हो, उस पर खर्चा किया गया है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

(श्री बंशीलाल सारस्वत)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा समय और लूंगा ।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जब तक राजस्थान केनाल की लिफ्ट इरिगेशन योजना तैयार नहीं होती है, तब तक चाहे नागौर का क्षेत्र हो, चाहे बाड़मेर का क्षेत्र हो कृषि योजनाओं से कुछ नहीं हो सकता है ।

साथ ही साथ में जो खर्चा ऊपर से हो रहा है वह इसलिए हो रहा है कि योजनाएं ठीक तरह से क्रियान्वित नहीं की जा रही हैं । चाहे बीकानेर का इलाका हो, चाहे बाड़मेर का इलाका हो वहां जानवरों के पीने के पानी का जहां तक सवाल है उसका लिफ्ट योजना के द्वारा ही समाधान होगा । वरना उन करोड़ों लोगों जो पश्चिमी राजस्थान में बसे हुए हैं, की क्या स्थिति होगी ? चाहे बीकानेर का क्षेत्र हो या चाहे अन्य क्षेत्र हो अगर अन्त्योदय योजना के आधार पर लोगों का कल्याण करना है तो राजस्थान लिफ्ट केनाल से हो सकता है ।

गंगा और जमुना का पानी राजस्थान में लाने की भी योजना है । गंगा और यमुना की योजना में 300 फीट की लिफ्ट आप मांग रहे हैं । आप राजस्थान केनाल की योजना अपने ही क्षेत्र में लाना चाहते हैं । यह तर्क-संगत नहीं है । हमारे यहां जो पानी है, हम उसका ठीक तरह से वितरण नहीं कर सकते हैं । इसलिए हमारा यह निवेदन है, हमारा यह अनुरोध है, राजस्थान केनाल लिफ्ट योजना है, उससे पीने का पानी भी उपलब्ध हो सके, इस प्रकार की व्यवस्था कीजिए ।

इसके साथ ही साथ मैं निवेदन करूं, 1978-79 में राजस्व आय 599.27 करोड़ । 1979-80 की है 616.77 करोड़, इस प्रकार से 18 करोड़ की वृद्धि हुई है यानि 3 %. की वृद्धि हुई है । 1978-79 का व्यय 548.88 करोड़ है संशोधन अनुमान के अनुसार और 1979-80 में 585.34 करोड़ है । इसलिए जितनी आय बढ़ी है, वह अनुमान के अनुसार बढ़ी है । इस प्रकार व्यय 36.46 करोड़ बढ़ा है । इरिगेशन का जहां तक प्रश्न है, इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि सामान्यतया यह ठीक है ।

यात्री व माल कर दूसरे राज्यों की तुलना में हमारे यहां ज्यादा है । इसका प्रभाव सामान्य कन्जूमर पर पड़ेगा इसलिए इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं ।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में विपुल भंडार है । मौजूदा निगम की दयनीय स्थिति है, खड्डी या चूने से या पत्थर से ही उसकी आमदनी है और जो भी लाभ है वह इनसे ही होता है । बाकी सारा घाटे का धंधा है । इसलिए जब तक अलग से खनिज निगम की स्थापना नहीं कर दी जाती तब तक लाभ नहीं मिलने वाला है । इससे कोई 11 करोड़ की आमदनी होगी । 6 करोड़ की इनकम टैक्स से आमदनी होगी और 7 या 8 करोड़ की प्राप्ति अन्य शुल्कों से सरकार को होगी । इसलिए मेरा निवेदन है कि राजस्थान खनिज निगम की तुरन्त स्थापना की जानी चाहिए । इसके अलावा

(श्री बंशीलाल सारस्वत)

इसको एक्सपर्ट्स के हाथ में दिया जाना चाहिए। लकड़वाला साहब ने बताया कि ब्यूरोक्रेसी, जिसको जानकारी नहीं है, को इस प्रकार के निगमों का काम नहीं सौंपना चाहिए। एक मिनट में उनके जो विचार हैं, वह मैं आपको अर्ज कर देता हूं:—

"According to the communication, induction of generalists at the chief executive levels in State Public Sector Corporations not only deprives the corporations of the experienced industrial management skills which are needed at the top, but also acts as a disincentive to non-service officers in the Corporations who see no chances for themselves to become the chief executives."

"Expert top management selection boards to induct professional management in the State Public Sector Corporations."

तो लकड़वाला साहब ने जो विचार व्यक्त किए उनमें बताया कि भारत सरकार ने यह सिद्धांत, विचार और पालिसी मानी है कि एक्सपर्ट्स टोप मैनेजमेंट सलेक्शन बोर्ड तुरन्त कायम किया जाना चाहिए और प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो है वह स्टेट पब्लिक सैक्टर और कार्पोरेशन में लगाये जाने चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब तक खनिज निगम की स्थापना नहीं हो जाती तब तक आप कितना ही राजकीय पैसा खर्च कर दो खनिज सम्पदा से लाभ नहीं हो सकता। साथ ही चाहे गंगानगर सुगर मिल हो चाहे और कोई उद्योग हो जब तक एक्सपर्ट्स के हाथ में इनको नहीं सौंपा जाता तब तक सही लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। आज लोगों में यह दुर्भावना पैदा हो गई है, यह आस्था बन गई है कि पब्लिक अण्डरटेकिंग घाटे का सौदा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि एक्सपर्ट टोप मैनेजमेंट सलेक्शन बोर्ड की स्थापना हो। साथ ही खनिज निगम की स्थापना की जानी चाहिए ताकि जो घाटा है 15-16 करोड़ का उसकी पूर्ति की जा सके।

श्री शिवचरण सिंह (बयाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1979-80 का जो बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है इसमें कोई नई बात नहीं है। दुनिया के इतिहास में 1773 से शब्द बेइजेड का अपभ्रंश बजट होता चला आ रहा है। कितने ही लोगों ने इस तरह का बजट पेश किया है। जिस प्रकार से केन्द्र में चरणसिंह जी ने पेश किया उसी प्रकार से माननीय वित्त मंत्री महोदय ने राजस्थान का बजट हमारे सामने पेश किया। राजस्थान में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जब इसके घोषणा पत्र देखे, और जो चुनावों के अन्दर घोषणा की थीं उनको पढ़ा, उनसे यह आशा बनने लगी थी, उनसे यह अंदाज और अनुमान लगा था कि राजस्थान में किसानों के नाम की रट लगी हुई है, उनके हित में बजट बनेंगे। उस लिहाज से अगर हम इसको देखें तो यह बजट बेकार साबित हुआ है, हिन्दुस्तान में हमारे जो महान नेता नेहरू जी थे उन्होंने आम नागरिकों के हितों के लिए मजदूर और किसान का नारा दिया। आज चाहे केन्द्र में हो या राज्य में, जनता सरकार किसान और मजदूर की बात करती है। लेकिन किसान और मजदूरों को उल्लू बनाने के अलावा कुछ नहीं किया, मेरी ऐसी

(श्री बंशीलाल सारस्वत)

मान्यता है। हमको यह आशा थी कि बजट के माध्यम से प्रशासन में कुछ सुधार की बात कही जायगी, न्याय-व्यवस्था में कोई सुधार की बात कही जायगी, किसानों के हितों के लिए जो इन्होंने ढिंढोरा पीटा था, उनके हितों की बात कही जायगी, आपने घोषणा की थी कि गरीबों का भला किया जायगा, उसके अनुसार गरीबों की भलाई की बात कही जायगी। लेकिन इस बजट को देखने से मालूम पड़ा कि इसमें कुछ भी नहीं है। केन्द्रीय स्तर पर पर्सनल कल्ट जो डवलप किया है उससे इस बात की कुछ आशा लगी थी कि भैरोंसिंह जो राजस्थान के लिए कुछ अधिक धन उपार्जित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सैवन्थ फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद जो धन मिलेगा डिफरेन्ट एजेन्सियों से, फेमिन, फ्लड, प्लान और नान प्लान के लिये उन सारे रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने में यह सरकार निकम्मी रही है, निकम्मी साबित हुई है।

इन्होंने जगह-जगह ढोल पीटा अन्त्योदय योजना का, मैं अन्त्योदय योजना का स्वागत करता हूं, योजना बहुत अच्छी है लेकिन योजना के अन्दर जिनका सलेक्शन किया गया उनकी आज क्या दशा है। माननीय फाइनेंस मिनिस्टर साहब, सात एजेन्सीज से पैसा मिलता है और चार आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेन्सीज पैसा दिलाती है। आप यह मालूम करते कि सात इन्स्टीट्यूशन्स जो पैसा देती है और चार एडमिनिस्ट्रेटिव एजेन्सीज हैं इनका कोई कोआर्डिनेटिंग एजेन्ट होगा या नहीं? आपने कलेक्टर और कमिश्नर को तो इन्चार्ज कर दिया, उन्होंने विजिट भी किए, एडमिनिस्ट्रेटिव आॅर्डर निकला कि तीन-चार क्लासेज में प्रायोरिटी देनी चाहिए। लेकिन आपकी सरकार ने क्या कोशिश की, कितना करोड़ रुपया नान-प्लान में मिला, और कितना आपको प्लान से मिला? कितना आपके आॅर्डर्स को माना गया? एक प्रतिशत की भी अनुपालना नहीं हुई। यह तो हुई अन्त्योदय योजना की बात।

ट्रेजरी बेंचेज के माननीय सदस्य तालियां बजाते हैं और ढिंढोरा पीटते हैं फूड फॉर वर्क्स की योजना का। मैं यह बताना चाहता हूं कि इसका आर्डर कैसे हुआ। पांचवां फाइव ईयर प्लान खतम होने के बाद भारत सरकार के प्लान में कुछ गैप आ गया। उन्होंने विचार किया कि अन्न दिया जाय। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को कहना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी तो चले गए हैं, भारत सरकार ने जितना आवंटन किया था उसका आपने 26.6 पर्सेंट अनाज उठाया है और बाकी अनाज आप उठा ही नहीं पाए हैं, यह एफिशियेन्सी का नमूना है इस सरकार का। फूड फॉर वर्क्स की योजना इसलिए लागू की गई थी कि पी. डब्ल्यू. डी. और इरिगेशन के वर्क्स ले लें। उन्होंने अनाज लेना बन्द कर दिया, उन्होंने देखा कि इसमें घोटाले होने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि नाज की बोरी बेचेंगे तो दिखेगी। ट्रेजरी बैंचेज के लोग जो हैं, उन पर पार्टी में अंकुश नहीं है और....

श्री श्रवणकुमार : आपसे ज्यादा रखते हैं।

श्री शिवचरणसिंह : आप यह जानकारी कर लीजिए, यह सच है या नहीं।

जब पी.डब्ल्यू.डी. और इरिगेशन वालों

(125)

(श्री शिवचरण सिंह)

ने अनाज नहीं लिया तो आखिर में यह विचार आया कि इसको पंचायतों को बांट दिया जाना चाहिए। मजबूरी में पंचायत राज को यह काम दिया गया। यह कोई एडमिनिस्ट्रेशन का अचीवमेंट नहीं है। पंचायत राज के नुमाइन्दों को काम दिया गया है इसके सम्बन्ध में झूठे सच्चे भाषण दिये गये हैं। जो काम करे गए हैं उन कामों का लेखा जोखा आप जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितना काम हुआ। मेरे जिले के कमिश्नर हैं शेरसिंह। वहां एक पंचायत के बारे में कहा गया, मैंने टैस्ट केस के बारे में कहा। मुझसे फूड फॉर वर्क्स के बारे में पूछा। मैंने कहा अच्छा है लेकिन भ्रष्टाचार की बू आ रही है। आपने कोई तौर तरीके नहीं बदले। मैंने एक पंचायत का नाम लिया, चीफ सैक्रेटरी ने टेलीफोन किया। मंत्री को शायद पता होगा, उनके पास सिफारिश पहुंच चुकी है। मंत्री जी मुस्करा रहे हैं....

श्री श्रवणलाल : आपके साथी रहे होंगे।

श्री शिवचरण सिंह : मैं याद दिला रहा हूं, अगर मेरे साथी हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लें।

मुझे आशा थी कि वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है उसमें शुद्धिकरण की बात आएगी। अध्यक्ष महोदय, कल 12 तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने चार्ज लिया। मैं यह न्याय-पालिका का नमूना बताता हूँ। माननीय लोढ़ा राजस्थान हाई कोर्ट में जज थे, इमर्जेंसी के समय उनका ट्रांसफर कर दिया गया। वह बाहर चले गये। बाहर जाने के बाद उन्होंने रिप्रेजेन्टेशन किया। जनता पार्टी की सरकार आई। उसके बाद केन्द्रीय सरकार को रिप्रेजेन्टेशन दिया कि मेरे साथ इमर्जेंसी में एक्सेस हुआ है। उन्होंने कहा, उन्हें हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाना चाहिए। उनको चीफ जस्टिस बना कर असम भेज दिया गया। असम के चीफ जस्टिस की सीनियोरिटी थी उसको हिट करके उनको चीफ जस्टिस बनाया गया.......

(व्यवधान)

मैं लोढ़ा का काका बता रहा हूँ। अब छोड़ रहे हैं इसलिए आपको नाम बता रहा हूँ। बहरूल-अल-इस्लाम ने असम हाई कोर्ट को रिट की कि उनको चीफ जस्टिस कैसे बना दिया। केन्द्रीय सरकार को नोटिस मिला तो केन्द्रीय सरकार के विधि मंत्री ने हलफ-नामा दिया असम में कि इनको सीनियोरिटी के आधार पर चीफ जस्टिस बनाया है। तो बहरूल-अल-इस्लाम ने दुबारा हलफनामा दिया कि उन्होंने गलत हलफनामा दिया है। सीनियोरिटी के आधार पर उनको नहीं बनाया गया है। फिर विधि मंत्री ने कहा कि सीनियोरिटी का कागज हमारा प्रिवि-लेज्ड डाक्यूमेंट है। उसके बेसिस पर इस्लाम ने फिर हलफनामा दिया कि विधि मंत्री ने गलत हलफनामा दिया है। तो जनता सरकार के न्याय मंत्री ने इस्लाम को राजी किया, उनसे राजीनामा किया, उनको असम का चीफ जस्टिस बनाया और लोढ़ा को यहां भेज दिया। यह तो न्यायपालिका का नमूना है। माननीय लोढ़ा जब यहां से ट्रांस-फर होकर गए तो उन्होंने रिप्रेजेंट किया कि मुझे इमर्जेंसी एक्सेस के कारण ट्रांसफर

(श्री शिवचरण सिंह)

किया। सुप्रीम कोर्ट के माननीय जस्टिस रे जांच करने आए। उन्होंने अपनी फाईडिंग में कहा है कि उनको इमर्जेंसी एक्सेस की वजह से नहां हटाया गया, उनका करप्ट एक्टिविटीज के कारण ट्रांसफर किया गया है। उनका रिमार्क था।

श्री मदनसिंह दांता : न्यायपालिका की गलती नहीं। कार्यपालिका की गलती हो सकती है।

श्री शिवचरण सिंह : माननीय रे ने रिपोर्ट दी कि :

"If Chand Mal Lodha is made the Chief Justice of Rajasthan High Court, it would virtually become an Oswal High Court."

यह लिखा है जस्टिस रे ने और एंडोर्स किया है जस्टिस बेग ने। जस्टिस बेग ने भी यही कहा है उस रिपोर्ट में जो केन्द्रीय सरकार को गई है। तो यह जनता सरकार की न्यायपालिका की बात है।

कार्यपालिका की लम्बी चौड़ी बात कही गई है। मुझे आशा थी कि कार्यपालिका के अन्दर सुधार आएगा। कार्यपालिका में कमिश्नर्स की लम्बी चौड़ी फौज हो गई है। जो पहले सैक्रेटरी थे उनको अब आयुक्त कहते हैं। जैसे मुझसे पूर्व वक्ता बोल रहे थे, जनता पार्टी नए नए शब्द लाती है। सचिवालय से आयुक्तालय बन गया है। कोई नया नामकरण किया है।

अब मैं सीधा बजट पर आता हूं। इसका असर पड़ेगा गरीब जनता पर.......

(व्यवधान)

भटनागर जी, आपको हाई कोर्ट पर बोलना चाहिए था। मैं समझता था कि जितने वकील थे सब बोलेंगे लेकिन आपकी बातों को सुन कर मैं मायूस हो गया, निराश हो गया। आप केवल भ्रष्टाचार और दूसरी चीजों की वकालत करते हैं। इसलिए मजबूरी में मुझे बोलना पड़ता है। भटनागर साहब से बहुत आशा थी। आपको मालूम है कि केन्द्र के न्याय मंत्री ने न्यायपालिका पर झूठा आक्षेप लगाया है। भारतीय संसद में न्यायपालिका के जो सबआर्डिनेट सर्विस के जज हैं सबको करप्ट बताया है........

श्री माणकलाल ठाकोर : चन्द्रचूड़ के बारे में क्या कहना है ?

श्री शिवचरण सिंह : वह कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है।

श्री माणकलाल ठाकोर : इमर्जेंसी को उन्होंने वाजिब बताया है।

श्री शिवचरण सिंह : आपके केन्द्रीय विधि मंत्री ने जुडिशियरी के बारे में कहा और आपके यहां के मंत्री ने वकीलों के बारे में कहा। ट्रेजरी बैंचेज के जो माननीय सदस्य और सत्ता पक्ष के जो लोग कह रहे हैं उनको बता रहा हूँ, अपनी तरफ से मैंने नहीं कहा।

जब मैंने बजट को देखा तो अफसोस हुआ। इसमें नान-टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेवेन्यू को देखा। राजस्थान जैसे रिसोर्सफुल स्टेट में आप अपने साधन नहीं बढ़ा सके।

(श्री शिवचरण सिंह)

पिछले 15 साल से लगातार टैक्सेज बढ़ाते जा रहे हैं, नान-टैक्स रेवेन्यू घटाते जा रहे हैं। इस बजट के लिए ढिंढोरा पीटा गया कि यह किसानों का बजट है। केन्द्रीय बजट के लिए भी लोगों ने कहा कि यह किसानोन्मुखी बजट है। केन्द्रीय सरकार ने यूरिया पर थोड़ा कर घटाया है। जनता पार्टी के लोगों ने केन्द्रीय सरकार के बजट का इतना भारी प्रचार किया तो मुझे भी आशा हुई थी कि चरणसिंह, जो किसानों के मसीहा बने हुए हैं, कुछ करेंगे लेकिन हुआ कुछ नहीं। केन्द्रीय बजट आने के बाद ऐसा लगा कि किसानों के नाम पर झूठा ढिंढोरा पीटा गया है। ये कर सब एच० एम० पटेल ने लगाए हैं, चरण सिंह ने नहीं।

श्री गुल मोहम्मद : यह किसने बताया ?

श्री नवनीत पालीवाल (मुख्य सचेतक) : दिल्ली के बजट पर बोल रहे हैं या राजस्थान के बजट पर ?

श्री शिवचरणसिंह : ऐसा किसानों के मसीहा बोल रहे हैं कि यह बजट किसानोन्मुखी है। या तो आप कह दें कि तुम्हारी सरकार किसान और गैर-किसान का ढिंढोरा पीटती है लेकिन तुम्हारी सरकार में दो पर्सेंट किसान भी नहीं हैं।

श्री ओंकार लाल चौहान : तुम्हारी नहीं आपकी।

श्री शिवचरण सिंह : आपकी सही। मेरी बोली ही ऐसी है। मैं तो किसान का रिप्रेजेन्टेटिव हूं। मैं तो ऐसी ही खड़ी भाषा बोलता हूं। मैं तू वाली भाषा ही बोलता हूं।....

श्री एच. एन. शर्मा : कुछ बोलने का मसाला साथ लाये हैं या वैसे ही आये हैं ?

श्री शिवचरण सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, केन्द्रीय सरकार के बजट की स्थिति तो यह है। मैं किसानों के हित की बात कह रहा हूं। मैं हिदायत कर रहा हूं कि अपनी पार्टी में इस बात का ढिंढोरा तो पीटो कि मंत्रिमण्डल में किसानों का प्रतिनिधित्व तो पूरा होना चाहिए। एक्जीक्यूट कराने वाले किसान नहीं होंगे तो बजट चल नहीं सकता। यह आपके बजरंगलाल जी और पार्टी के दूसरे सदस्यों ने कहा है। शहरी लोग, जो कि किसानों का गीत गाते हैं, को पता तो तब चलेगा जब कि वे गांवों में जायेंगे। अभी तक तो एडहाक अरेन्जमेंट है। पता अब लगेगा जब फाइनल स्टेज के बाद जाओगे। जब जाओगे तो जनता पूछेगी कि तुम्हारी कथनी और करनी में कितना फर्क है....

एक माननीय सदस्य : इसीलिए तो जनता राज्य आया है।

श्री शिवचरण सिंह : हम ना नहीं करते जनता राज्य आया है।

पहले भी सरकार ने बहुत नारा दिया था किसानों का। किसानों ने मुंह मोड़ा तो सरकार पलटी। तो यह तो च्युइंगम है इसको चूसो लेकिन चबाना नहीं। अगर चबाई तो किसान फिर सरकार को पलट देंगे। समय बता रहा है यह एडहाक अपाइन्टमेंट है....

श्री दाऊदयाल जोशी : यह तीन उप चुनावों में बता दिया। तीनों उप चुनाव हमने जीते हैं।

श्री शिवचरण सिंह : जोशी जी आप जीते हैं मैं आपका स्वागत करता हूं....

श्री मदनसिंह दांता : आप इस्तीफा देकर इस बजट के आधार पर जीत कर आ जाओ तब जानूं।

श्री शिवचरणसिंह : किसानों पर इतने सारे टैक्स लगा कर 5 रुपये यूरिया की बोरी पर छोड़ने की बात केन्द्र सरकार ने की है। अब आप ही देखिए कि डीजल और किसान की दूसरी जरूरत की चीजों पर कितना टैक्स लग गया है। यूरिया की बोरी अब 5.25 हो गयी है।

माननीय अध्यक्ष जी, जो बजट में आंकड़े हैं उनके आधार पर कृषि की औसत कीमत कम आई है। फूड ग्रेन्स प्राइसेज की बात पेज 50 पर कही गयी है। इन्होंने कहा है कि फूड ग्रेन्स की कीमतें कम्पेरेटिवली कम आई हैं। साथ ही यह भी लिखा है कि फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन भी कम हुआ है। यह बात कही है पेज 62 पर। इन्होंने माना है कि हमारे अन्न के उत्पादन में कमी आई है, फूड ग्रेन्स की कीमतों में कमी आई है तो वित्त मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री महोदय, सारा बजट किसानोन्मुखी कैसे हो गया? Representatives reflect the massage। हमारे वित्त मंत्री जी व्यापारियों के रिप्रेजेन्टेटिव हैं यह इनकी कथनी और करनी से साफ साफ जाहिर है। अगर वित्त मंत्री जी के दिमाग में जरा भी किसानों की बात होती और किसानों के प्रति हमदर्दी उनके अन्दर होती तो चिन्ता व्यक्त करते। निश्चित रूप से मैं यह कह सकता हूं कि इन्हें किसानों की बिलकुल भी परवाह नहीं। इनको देखना चाहिये था कि हिन्दुस्तान की परिस्थितियां बदल गयी हैं। पुराने जमाने में कहा करते थे कि हिन्दुस्तान में फूड प्राडक्शन की कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए। लेकिन यह पुरानी बात है।

माननीय अध्यक्ष जी, आज खाने-पीने का खर्चा तो सबसे कम हो गया और टूथ-पेस्ट, साबुन, कपड़े और दूसरी जरूरत की चीजें, जो कि इण्डस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, का खर्चा बढ़ गया। इस सब का असर छोटी से छोटी फेमिली पर पड़ा है। खाने का खर्चा है 25 पर्सेंट और दूसरी चीजों का खर्चा है 40 पर्सेंट। अब खर्चा खाने पीने का तो बढ़ गया है 30 पर्सेंट और इण्डस्ट्रियल प्राडक्ट है उनकी भी कीमतें 30 पर्सेंट बढ़ गयी हैं। आज जार्ज फर्नान्डिस की कोई भी इण्डस्ट्रियल पालिसी नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, अफसोस की बात है कि जनता पार्टी की सरकार आने के बाद केन्द्रीय सरकार ने कोई इण्डस्ट्रीज को बढ़ाने वाली बात नहीं की। इसी कारण इनकी कीमतें 30 पर्सेंट से ज्यादा हो गयी हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, टैक्सटाइल कार्पोरेशन के लिए उद्योग मंत्री श्री जार्ज फर्नांडिस का स्टेटमेंट पढ़ा तो खुशी हुई कि उन्होंने कपड़ों की कीमतों में कमी करने की बात कही लेकिन हुआ यह कि 30 पर्सेंट उल्टे कपड़ों की कीमतें बढ़ गयीं। यह इनकी स्थिति है। काटन कार्पोरेशन ने रुई 2 रुपए 55 पैसे के हिसाब से खरीदी और उसी की कीमत आज बाजार के अन्दर बढ़ गयी। कोई शर्मदार माननीय सदस्य आयें तो मैं उनको खाना भी खिलाऊंगा और बाजार

(श्री शिवचरण सिंह)

में भी ले जाऊंगा। जो सच को सच मानें वह शर्मदार और सच को सच नहीं माने वह तो है ही....

श्री गुल मोहम्मद : लेबर सस्ती हो गयी क्या ?

श्री शिवचरण सिंह : लेबर सस्ती नहीं होनी चाहिए।

श्री गुल मोहम्मद : तभी तो भाव बढ़ रहे हैं।

श्री शिवचरण सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र लेबर के बारे में कह रहे थे। सेन्ट्रल गवर्नमेंट का बजट आया। इसके साथ ही साथ एक आयोग यह रिपोर्ट देने के लिए बैठाया है कि हमारा खर्चा कम कैसे किया जाये। प्रशासनिक खर्चे को कम करने के लिए एक आयोग बैठाया है। मुझे आशा थी, वित्त मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी इस बात का निश्चित रूप से प्रयत्न करेंगे कि प्रशासनिक खर्चे कम हों, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज सर्विस में आने का धंधा हो गया है। 30 साल तक काम करो या नहीं करो। जब ऐसी सरकार है तो काम कौन करेगा। जो नौकरी में आ गया वह अपने आपकी गारंटी मानता है कि काम करे या नहीं करे लेकिन तीस साल रहेगा ही।

मन चाहे टैक्स लगाते जा रहे हैं। हाइ-एस्ट टैक्सेशन और कहीं है तो वह राजस्थान में है फिर भी बड़ी लम्बी-चौड़ी बातें करते हैं।

फूड फोर वर्क की मैं तारीफ करता हूं। अन्त्योदय की भी तारीफ करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं और बताता हूं कि जो गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने आपको अनाज अलाट किया था आपको उतना अलाट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ? इसलिए नही होगा कि पहले वहां पेशकश दूसरी थी और अब हो गई है आबादी के आधार पर। यह इसलिए हुआ कि यू० पी० में सबसे ज्यादा पापुलेशन है। उन्होंने दवाब डाला चरणसिंह जी पर तो उन्होंने पालिसी ही बदल दी। इस बात ने सबसे ज्यादा हिट किया राज-स्थान को। केन्द्रीय सरकार ने फूड फोर वर्क की पालिसी बदल दी, उसका कारण यह है, अध्यक्ष महोदय।

अब मैं माननीय मास्टर साहब से कहना चाहूँगा। आपने टैक्स लगाये किसानों के ऊपर। आपने आबपाशी पर टैक्स लगाया, छोटे लोगों पर लैंड रेवेन्यू टैक्स बढ़ा दिया। कानून में बिना संशोधन किये आपको बढ़ाने का क्या अधिकार है ? बिना कानून में तरमीम किये आपने बढ़ा दिया। आपके सैक्रेटरी लोग, हाई सेलेरीड पर्सन्स बैठे हैं उन्होंने आपको नही बताया कि कोर्ट में जाकर स्टे करवा देंगे। आपने सैल्स टैक्स बढ़ाया। राजस्थान से बाहर जाने वाला सरसों का तेल है उस तेल पर आपको 10 पर्सेंट टैक्स लगा देना चाहिये था। आप स्पेशल टैक्स लगाइये कौन मना करते हैं। जो समाज-वादी लोग है, उनसे यह कहना चाहता हूँ कि हमारे राजस्थान के अन्दर तक बहुत बड़े-बड़े धार्मिक स्थान है.... ..

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री नवनीत पालीवाल : अध्यक्ष महो-

(श्री अध्यक्ष)

दय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सदन की कार्य-वाही का समय 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि सदन की कार्यवाही का समय 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाये ?

(स्वीकृत)

सदन की कार्यवाही का समय 7 बजे तक बढ़ाया गया।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

श्री शिवचरणसिंह : उदयपुर के अन्दर नाथद्वारा में एक बहुत बड़ा मन्दिर है। नाथद्वारा मंदिर के महन्त के यहां शादी में करोड़ों रुपये का खर्चा हुआ है। हमारी सरकार के कुछ मंत्री वहां लड्डू लेने गये। सरकार की तरफ से गये। यह गरीबों के हित की बात करते हैं ? पालीवाल जी ने मुझे सब बातें बताई।

श्री रघुनंदन व्यास : कोई मंत्री गया हो तो नाम बता दें। नवनीत जी का तो घर है।

श्री शिवचरणसिंह : राजस्थान के अन्दर जितने बड़े बड़े मन्दिर हैं उनका सामाजीकरण कर देते। आंध्र प्रदेश में जाकर देखो। वहां की धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से शिक्षण संस्थायें चल रही हैं। आपके पास आज भी करोड़ों रुपये का सोना मौजूद है। भारत सरकार ने सोना बेच खाया। आप भी बेच देते लोगों के ऊपर टैक्स तो नहीं लगाते। सोना नहीं बेचा, मन्दिरों का सामाजीकरण नहीं किया.......

श्री नवनीत पालीवाल : यह गलत सूचना दे रहे हैं। करोड़ों की यह जो बात कही है गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। आपने अखबारों में पढ़ लिया ?

श्री शिवचरणसिंह : अखबारों में पढ़ा और आपने जो कहा मैंने सुन लिया.......

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : चढ़ावे के बदले प्रसाद दिया जाता है.......

श्री श्योपतसिंह मकासर : गरीब आदमी की खिड़की नीलाम करते हैं.......

श्री प्रद्युम्नसिंह : 10 हजार रुपये के फूल आ गये।

श्री रामनारायण चौधरी : 56 प्रकार के मिष्ठान। 2 करोड़ रुपया वहां खर्च हुआ.......

श्री नवनीत पालीवाल : इसीलिये बताना चाहता हूँ.......

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचन्द्र : चीफ व्हिप साहब, क्यों पर्दा डाल रहे हैं। यह समाजवादी समाज की कल्पना है ? हमको इसका विरोध करना चाहिये। हमें कड़े कदम उठाने चाहिये.......

श्री रघुनाथ विश्नोई : जो लड्डू खाये हैं उसकी पैरवी कर रहे हैं.......

श्री परसराम मदेरणा : एक एक किलो

(श्री परसराम मदेरणा)

के लड्डू, जिसमें काज भी होता है, बादाम भी होता है।

श्री अध्यक्ष : आप भी जाकर 56 भोग खा आयें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : लड्डू का वजन 100 ग्राम होता है। 5, 5 किलो का लड्डू........

श्री बाऊ दयाल जोशी : जब आप नाथ द्वारा पधारेंगे.......

श्री नवनीत पालीवाल : केवल एक सूचना दे दूं। अध्यक्ष महोदय, यह इसलिये हुआ है कि शादी के दो दिन बाद वहां पर 56 भोग का दस्तूर होता है। वह दस्तूर की सूचना अखबारों में छपी है। दूसरा यह निवेदन करना चाहता हूं शादी में केवल दर्शनार्थी आये थे। खाना केवल तिलकायत परिवार वालों का बनता है। बल्लभ सम्प्रदाय वालों की परम्परा है कि गुरु के यहां का कुछ नहीं खाते। स्वयं का खाते हैं। जो 2 करोड़ खर्च वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अच्छे घर के लोगों के यहां जो शादी होती है उसी तरीके से हुई है......

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : आन ए पाइण्ट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, मुझे एक एतराज है। भारत का गरीब आदमी अच्छा नहीं है, महन्त जी अच्छे आदमी हैं।

(व्यवधान)

श्री पदमसिंह राठोड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नाथ-द्वारा के मन्दिर के अन्दर यह परम्परा रही है जो भी प्रसाद बनेगा उसका नाम ही 56 भोग होगा। 56 भोग बनता नहीं। जो प्रसाद बनता है उसका नाम 56 भोग है। इसलिए जो 56 भोग की बात कही गई है, वह प्रसाद का नाम ही है, 56 भोग नहीं है....

(व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह : मुझे 56 भोग खाने वालों से सरोकार नहीं। माननीय मुख्य मंत्री जी को हिम्मत करके मंदिरों का सामाजीकरण करना चाहिये था जैसे तमिल-नाडु ने किया, आंध्र प्रदेश ने किया तो निश्चित रूप से 30 करोड़ रुपये की आमदनी हो सकती थी....

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी : यह अख-बार लाया हूं। यह मैं सदन की मेज पर रखता हूं, आपने पढ़ा नहीं....

श्री रामनारायण चौधरी : चौधरी साहब, अखबार सदन की मेज पर नहीं रखे जाते।

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : यह बजट पर स्पीच चल रही है या....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके दल के केवल मात्र दो मिनट अवशेष रह गये हैं।

Page No. 131

(132)

श्री शिवचरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो इतना टाइम लिया ही नहीं है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इन सारी बातों से सरोकार नहीं रखता। यह तो मैंने एक नमूना दिया है। ऐसे सैंकड़ों नमूने हैं मेरी नजर में। फाइनेंस मिनिस्टर साहब, बड़ी भारी खुशी होती यदि आप मन्दिरों का सामाजीकरण करते, मन्दिरों का राष्ट्रीय-करण करते....

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, सेक्यूलर स्टेट में यह होता है, दूसरी स्टेट्स में नहीं होता है।

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी : कान्स्टीट्यूशन में अमेंडमेंट करावें।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह : यह स्टेट का सबजेक्ट है। आपको ज्ञान नहीं है....

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : आपके भाषण का भी अमेंडमेंट करावें।

श्री शिवचरण सिंह : राजस्थान में इस प्रकार धन इकट्ठा किया जा सकता था। मन्दिरों का सामाजीकरण करके आसानी से धन इकट्ठा किया जा सकता था। जो मन्दिरों में सम्पत्ति है, सोने की, उसका राष्ट्रीयकरण नहीं किया आपने....

(व्यवधान)

आपकी साझेदारी होगी, सरकार से मैं क्यों पूछ लूं।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : हमारे एक्ट में भैरूं जी के नारियल चढ़ता है। भैरूं जी के मन्दिर में सोना नहीं मिलता है।

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी : आपके तो बकरे, भैंसे न जाने क्या क्या मिलते हैं।

श्री शिवचरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी होती यदि वित्त मंत्री मन्दिरों का राष्ट्रीयकरण करते।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह बात कही कि मैं आर. आई. एम. डी. सी. को मार्बल की खानों के ठेके देता हूं। तो मेरा निवेदन है सारे खनिज उत्पादन का ही क्यों नहीं आप राष्ट्रीयकरण करते हैं? अगर सारे खनिज उत्पादन का राष्ट्रीयकरण कर लें तो, अध्यक्ष महोदय, मेरा खुद का धंधा है, साल में 40-50 हजार का धंधा होता है, मैं खुद सरेन्डर कर रहा हूं। अगर चीफ मिनिस्टर साहब में हिम्मत है तो आगे बढ़ें।

श्री सुरेश कुमार : इन्कम टैक्स कितना देते हो?

श्री शिवचरण सिंह : मैं नहीं देता हूं तो मेरी लुगाई देती है। आप तो भरतपुर के हो, अच्छी तरह जानते हो....

(व्यवधान)

मैं नहीं वही पार्टनर है।

(श्री शिव चरणसिंह)

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार को इससे 20 करोड़ की नेट इन्कम मिल सकती है।

श्री चिरंजीलाल गर्ग : आपकी श्रीमती जी किसकी पार्टनर हैं ?

श्री शिवचरण सिंह : वैसे तो मेरी ही हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसके राष्ट्रीयकरण से सरकार की काफी आमदनी बढ़ेगी।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर दूसरे वक्ताओं ने सुझाव दिया है कि जो बड़े बड़े धनाड्य सेठ हैं जिनके बड़े स्पेसियस मकान हैं, उन पर टैक्स लगाना चाहिये। महाराजा, सेठ, साहूकार, नेता जितने बड़े बड़े लोग हैं उनके स्पेसियस मकान बने हुए हैं और 300-300, 400-400 वर्ग गज से ज्यादा में बने हुए हैं उन पर निश्चित रूप से टैक्स लगना चाहिए चाहे वह श्योपतसिंह जी का हो और चाहे वह किसी शिव चरण सिंह का हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कैटल पर टैक्स लगाया है। बकरी, भेड़ पर टैक्स लगा दिया। इसका पहले केलकुलेशन करना चाहिए था और फिर टैक्स लगाना चाहिए था। अब इस सम्बन्ध में बड़ा भारी ऊधम होगा। पश्चिमी राजस्थान के जितने कैटल हैं वे गुजरात जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं और राजस्थान से यू० पी० जाते हैं। वहां तो इनकी कीमत कम है और यहां आते-आते 200-250 हो जाती है। बकरी की कीमत वहां कम रहती है और किसान के हाथ में आते आते ज्यादा हो जाती है। वहां इनडाइरेक्ट टैक्स पड़ गया इससे राजस्थान की रेवेन्यू में बड़ा भारी लीकेज होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में भी सोचना चाहिए।

अगर किसान की फसल के बीमा की कोई योजना आती तो मुझे बड़ी भारी खुशी होती लेकिन उसके लिए तो एक भी शब्द नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इससे भी बड़ी भारी खुशी होती यदि किसान के पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई वजीफे की व्यवस्था रखते, उनके लिए कोई होस्टल की व्यवस्था करते लेकिन किसान के बच्चों को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी बल्कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बच्चों की जो स्कालरशिप थी उसमें भी कमी कर दी है।

माननीय अध्यक्ष जी, यही नहीं किसानों के काम में आने वाले ट्रैक्टर पर भी टैक्स बढ़ा दिया। आज हमारे पड़ौसी राज्य पंजाब और हरियाणा में दो पर्सेंट टैक्स है और राजस्थान में चार पर्सेंट इसलिए किया कि चार पर्सेंट से सरकार की आमदनी बढ़ेगी। लेकिन, माननीय अध्यक्ष जी, जितने बोर्डर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सब में पंजाब और हरियाणा से ट्रैक्टर आ रहे हैं, राजस्थान से कोई खरीदता ही नहीं। वहां का डीलर यहां आकर सफाई कर जाता है। राजस्थान के किसानों को दो पर्सेंट के टैक्स पर ट्रैक्टर सप्लाई कर देता है। अध्यक्ष महोदय, कोई कानून में दिक्कत नहीं है। मैं समझता हूं माननीय वित्त मंत्री जी का शायद इस ओर ध्यान ही नहीं गया है। सारा किसानों पर टैक्स लगा दिया। चाहे

(श्री शिवचरणसिंह)

आबियाना हो, लगान हो, उत्पादन में आने वाले उपकरण हों, सब पर टैक्स बढ़ा दिया है। यहां तक कि पीने के पानी की बात बताता हूं। माननीय मंत्री महोदय ने कहा है इससे जो देहाती पश्चिमी राजस्थान के हैं उनको तो निश्चित रूप से कुछ लाभ हुआ है लेकिन पूर्वी इलाके में 25 प्रतिशत अधिक बढ़ गया है।

श्री ईश्वर चंद्र : 7-00 बजे तक आपके लिये ही समय नहीं बढ़ाया गया है।

श्री शिवचरणसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बजट है यह बड़ा सीक्रेट डाक्यूमेंट है। शराबबन्दी का जो प्रचार चला उससे सारी सीक्रेसी आउट हो गई। आप बार बार कह रहे थे कि मद्यनिषेध कर देंगे और इसके लिये बड़ी भारी कोशिश करेंगे।

श्री ईश्वर चंद्र : It is still secret.

श्री शिवचरणसिंह : अब, अध्यक्ष महोदय, जो हमारे प्रधान मंत्री जी है उनकी कथनी और करनी में भी फर्क है। आप कहते हैं कि शराबबन्दी कर देंगे लेकिन जो सेंन्ट्रल का सब्जेक्ट है डोडा, जो अफीम का होता है, उसके लाइसेन्स पर लाइसेन्स और परमिट पर परमिट दे रहे हैं। उस पर कोई पाबन्दी नहीं है। ये आर० एस० एस० के काका 100 फीसदी भंग पीते हैं। हमारे दोस्त जो चाय पीते हैं, उनको आपने नहीं छोड़ा.......

श्री रघुनन्दन व्यास : वैद्य जी भंग नहीं पीते हैं, यह डाइरेक्ट चार्ज है।

श्री शिवचरणसिंह : मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं किसी चीज को छिपाता भी नहीं हूँ। मैं बहुत बड़ा हो गया था तब तक पी नहीं। जब नेताओं के संगत में आया तब पीता था। मैं पीता हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं है यह कहने में कि मैं पीता हूँ। मुझे खुशी होगी अगर, माननीय फाइनेंस मंत्री जी, आप अफीम के डोडे और भांग का भी नम्बर लें और इनका भी निषेध करें वरना लोग आपके चरित्र पर आपकी मद्य निषेध की नीति पर शंका करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज गोकुलभाई बड़ी बातें करते हैं, मैं आपको कहता हूँ कि मद्य-निषेध और खादी भंडार, ये दो रोजगार के बड़े जबरदस्त फण्ड हैं। जितना चाहो इनके लिए ले लो कोई पूछने वाला नहीं है। इन मद्य निषेध वालों से पूछो कि दस दस लाख रुपया सालाना जो तुमने लिया है कितने लोगों को परसूएड किया शराब नहीं पीने के लिए, कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया, किस को कितनी एड दी है। माननीय वित्त मंत्री जी, जो एक्साइज मिनिस्टर भी हैं, मेरे पास भी एक्साइज का डिपार्टमेंट रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे अनुभव के आधार पर आपको बताता हूँ। मैं प्रोहीबिशन की एक मीटिंग में बम्बई गया। एक रिटायर्ड आई० सी० एस० प्रोहीबिशन कमिश्नर थे.......

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक मिनट में समाप्त करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : अब एक ही मिनट लेंगे।

श्री शिवचरणसिंह : डेफिनेटली।

तो प्रोहीबिशन कमिश्नर ने कहा कि हमारे महाराष्ट्र के अन्दर शराब की बीमारी बम्बई में है बाकी सारे मराठवाड़े में जितने

(श्री शिवचरणसिंह)

लोग हैं जो शराब नहीं पीते हैं। केवल बम्बई के सवाल से हम परेशान हैं। तो तुम राजस्थान भर में इसको कर सकोगे, यह बड़ा मुश्किल है क्योंकि राजस्थान भर में तो हर मौके पर शराब पी जाती है। बच्चा पैदा हो तो शराब, कोई बड़ा आदमी घर पर आ जाय तो शराब, कोई त्यौहार आ जाय तो भांग की गोली और शिवजी की मूर्ति पर भांग की गोली, शिवजी की बूटी। अपने यहां ये सब सामाजिक परम्परायें हैं। इसका मतलब यह है, वित्त मंत्री जी, जो आप मद्यनिषेध करना चाह रहे हैं, यह बिल्कुल असामाजिक कृत्य है। सामाजिक मान्यताओं के विपरीत है। जो चीज सामाजिक मान्यताओं के विपरीत की जाय वह असामाजिक कृत्य ही कहलाएगा, यह मेरी राय है। जब मैं आर. ए. सी. में था और बोर्डर पर गया, मैंने देखा कि पाकिस्तान पर जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो उन्होंने सबसे पहले चाय को बंद कर दिया। वहां डिक्टेटर बना तो उसने पहले चाय पर पाबन्दी, फिर बीड़ी पर पाबन्दी। इसलिए अगर शुरूआत करनी है तो पहले अपने घर से करो। जो सुधारवादी बनते हैं वे अपने घर को देखें। जो भी सुधारवादी बनेगा, पहले अपने लड़के को देखेगा। दूसरों का सुधार करने से पहले अपने घर को देखें, अपने लड़कों की हालत को देखें। जितने भी हमारे लीडर हैं, उनको सबसे पहले अपना घर देखना चाहिए। अपने घर में देखेंगे तो जो भी इसको प्रपोगेट करने वाले हैं उनको पता चल जाएगा कि क्या हालत है। इसलिए, माननीय वित्त मंत्री जी, अगर आपको मद्य निषेध करना है तो इसके साथ साथ भांग और अफीम के डोडे को भी बन्द करना पड़ेगा, वरना लोगों को शंका होगी। मेरी यह बात मोरार जी भाई के पास निश्चित रूप में पहुंचा दें। मैं आपको कहता हूं और यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं आज तक सिगरेट पीता था लेकिन आज से नहीं पीऊंगा। माननीय वित्त मंत्री जी, अगर आज से मेरे बारे में सुन लें या सिगरेट पीते हुए देख लें तो आपको मुझे सार्वजनिक तौर पर अपमानित करने का अधिकार होगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : कब तक नहीं पीयेंगे ?

श्री शिवचरणसिंह : बिल्कुल नहीं पीऊंगा। मैं चाहता हूं कि सिगरेट को, चाय को और बूंटी को भी बैन करें। यह सिद्धांत की बात है। हमारे वित्त मंत्री जी दिन में सोलह बार चाय पीते हैं। क्या यह चाय के प्रति अफेक्शन नहीं है ? अफेक्शन का मतलब है आदी हो जाना। मेरी यह मांग है कि चाय बन्द हो, बीड़ी बन्द हो, शराब बन्द हो और मद्य निषेध के साथ साथ भांग और अफीम का डोडा भी बन्द हो। जोशी जी, आप निराश मत हों........

श्री बाऊदयाल जोशी : मैं तो कुछ भी नहीं पीता।

श्री शिवचरण सिंह : आखिर में मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आपने जो यह किसानों पर टैक्स लगाया है इसको आप छोड़िये और किसानोन्मुखी बजट बनाने की बात सोचिये। आपको भी आखिर में किसानों के पास जाना पड़ेगा तो आपको खुद ही मुश्किल होगी। मास्टर जी को तो आगे चुनाव लड़ना नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्रवणलाल ।

श्री श्रवणलाल (हिण्डोन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट पर आज कई रोज से बहस चल रही है। मैं भी बजट का समर्थन करते हुए आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाने की कोशिश करूंगा कि जो बजट यहां पर रखा गया है उससे कुछ ऐसा आभास होता है कि जैसे कोई किसानों से दुश्मनी हो। इस बजट के अन्दर चाहे रेवेन्यू हो, चाहे लगान हो, चाहे पिलाई हो, चाहे सिंचाई हो, चाहे ट्रैक्टर के टैक्स के बारे में हो, यह सारा का सारा टैक्स किसान से सम्बन्ध रखता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह टैक्स ऐसा है जिससे किसानों की माली हालत दिन प्रति दिन गिरती चली जाएगी। आज आंकड़े उठा कर देखें, किसानों के उपयोग में आने वाली चीजें, दिनचर्या की चीजों को ले करके देखें यह सारी चीजें, जो किसानों के लिए औजार के रूप में, खाद के, बीज के रूप में हैं, उसको मिलती हैं वह बहुत मंहगी मिलती है। आप देखेंगे कि आज मार्केट की वेल्यू क्या है? यूरियां खाद जो पहले बहुत कम पैसों में मिलता था आज उसकी रेट कई गुना ज्यादा हो गई है। इसके साथ साथ वह भी समय पर नहीं मिलता। समय पर नहीं मिलने के कारण उसको ब्लैक में खरीदना पड़ता है। ब्लैक में खरीदने के बाद में जब उसकी फसल आती है तो उसकी फसल की कीमत, उसकी लागत के अनुसार नहीं वसूल कर पाता है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि ये किसानों के ऊपर बढ़ाए हुए टैक्स वापस लेने योग्य हैं।

इसके साथ साथ, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कुछ टैक्सों में छूट दी है। अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के अवसर पर स्कूल के बच्चों के खिलौनों में छूट दी गई है। मैं आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आपने खिलौनों के लिए छूट दी, खिलौनों से बच्चों की पढ़ाई के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। उसकी सामाजिक दिनचर्या पर कोई इफैक्ट नहीं पड़ता। इसलिए मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय को सुझाव देना चाहता हूं कि बच्चों की जो ड्रेस है उसके ऊपर आपने पहले छूट दे रखी है, ड्रेस के दस रुपये तक की कीमत के वस्त्र कर से मुक्त किये हुए हैं। मैं आपके द्वारा, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मांग करता हूं कि आज स्कूल की ड्रेस, जिसमें नेकर और सब कुछ भी ले लें, सादा से सादा बनने वाली भी दस रुपये में नहीं बन पाती है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह मांग करता हूं कि इस प्रकार से बच्चों की दिनचर्या में, स्कूल में रोज काम में आने वाली चीजें हैं, जिसमें आपने दस रुपये तक की छूट दे रखी है उसको बढ़ा कर बीस रुपये कम से कम कर दें ताकि स्कूल में पढ़ने वाला चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, उसकी ड्रेस आराम से बन सके।

इसके साथ साथ मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि इन्होंने बिजली के बारे में जो बढ़ोतरी की है उससे तो किसानों के ऊपर बहुत बड़ा भार पड़ता है। वैसे फ्लेट रेट आपने की है उसमें इस प्रकार की छूट दी है कि चाहे फ्लेट रेट के अनुसार लगा सकते हैं या चाहे मीटर रेट के अनुसार काम में ले सकते हैं। माननीय अध्यक्ष

(श्री श्रवणलाल)

महोदय, मैं आपके द्वारा वित्त मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अगर उन्होंने इसके अन्दर इस प्रकार की खामी रख दी कि जिस किसान के पास जमीन कम है वह अपने कुएं पर बिजली लगाता है और जमीन कम होने के कारण उसके आस पड़ोस में जो खेत हैं उनको पानी देता है तो उस पानी के ऊपर फ्लेट रेट कायम नहीं की गई है। इसलिए मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर छोटे छोटे खेत हैं, छोटी संख्या में हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, चार पांच मिल कर एक कुएं में मोटर लगा देते हैं तो उनको इस प्रकार की छूट मिलनी चाहिए कि वे सारे खेत वाले चाहे एक से लेकर दस तक हों, उनकी पिलाई उस सरचार्ज के अनुसार शामिल की जानी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर आपने देखा होगा कि हमारे माइन्स विभाग के मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाया है कि यहां पर हरिजनों और आदिवासियों को प्लाट दिए जायेंगे। यह घोषणा की है। अध्यक्ष महोदय, हम ऐसी घोषणाएं बराबर सुनते आ रहे हैं। हमारे से पूर्व जो सरकार थी, वह घोषणाएं करती रहती थी। तीस साल पूरे हो गये उसकी कई घोषणाएं आज तक पूरी नहीं हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, आप भी विरोधी दल में रहे हैं। सर्विसेज में जो रिजर्वेशन का कोटा था, वह आज तक पूरा नहीं हो पाया है। जो साढ़े बारह और 17 प्रतिशत का कोटा था, पर्सेन्टेज था, वह पूरा नहीं हुआ है। यह घोषणा है, जिसको आज तक पूरा नहीं कर पाये हैं। फिर यह घोषणा की कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स को ज्यादा से ज्यादा खनिज विभाग पट्टे देकर काम पर लगायेगा। महोदय, मैं खनिज मन्त्री महोदय की घोषणा का तो स्वागत करता हूं, मेरे को खुशी भी है, परन्तु मन्त्री महोदय का ध्यान आपके माध्यम से इस ओर आकर्षित करूंगा कि जो व्यक्ति वहां पर काम कर रहा है, उसमें आदिवासी, शिड्यूल्ड कास्ट्स, ट्राइब्स के सिवाय और कोई दूसरा व्यक्ति काम नहीं करने वाला है। कोई उसको लीज पर भी लेते हैं तो उस ठेकेदार को भी ये ही आदमी काम के लिए मिलते हैं। यह घोषणा की कि हम ज्यादा से ज्यादा पट्टे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को देंगे, अच्छी है। मैं यह कहता हूं कि मेरे इलाके के अन्दर, अध्यक्ष महोदय, एक सर्किल पड़ता है कोटरी, उसके अन्दर काफी खनिज सम्पदा है। वर्षों से इन वर्गों के लोग काम करते आ रहे हैं। वह काम इसलिए कर रहे हैं कि वहां ठेका नहीं था और वे रायल्टी के आधार पर काम करते थे। शिड्यूल्ड कास्ट्स के जो व्यक्ति हैं, जो बेरोजगार व्यक्ति हैं, वे अपनी मेहनत से पत्थर निकाल कर काम कर रहे हैं। वे अपनी इच्छानुसार पत्थर व्यापारी को पत्थर बेचते हैं। जहां पर माइन्स डिपार्टमेन्ट का नाका है, उस नाके पर टन के हिसाब से रायल्टी बांध रखी है। टन के हिसाब से व्यापारी पत्थर लेकर रायल्टी जमा कराता है। जहाँ पत्थर निकालते हैं, वहां पांच रुपया फी गाड़ी के हिसाब से लिया जाता है। दो रुपया गाड़ी का तुलवाई का लिया जाता है। यह पैसा सीधा सरकारी खजाने में जाता है। इसके अन्दर कोई चोरी नहीं की जाती है। डिपार्टमेन्ट यह सोचता है कि

(श्री श्रवणलाल)

यह सारा का सारा पैसा सीधा खजाने में क्यों जाता है। हमारे अन्दर कोई किसी प्रकार का बंटबारा नहीं होता है। ये डिपार्टमेन्ट वाले हमारे मन्त्री महोदय को बाध्य करते हैं कि इनकी नीलामी की जाये। नीलामी क्यों की जाये? ये ठेकेदारों से सांठगांठ करते हैं। उनमें लाखों रुपयों की बकाया रायल्टी है, जो उन ठेकेदारों में बकाया चली आती है, वह उन से वसूल नहीं हो सकती है। यह जो पद्धति है जिससे डाइरेक्ट खजाने में पैसा जाता है, इसको आप बन्द करना चाहते हैं, ठेकेदारों की जेबें भरना चाहते हैं और उनसे पार्टी के लिए चन्दा लेना चाहते हैं। आप इन ठेकेदारों को लखपति बनाने जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो गरीब हरिजन हैं, आदिवासी हैं, उनको आप माइन्स देना चाहते हैं। जो बेकवर्ड हैं, जो हाथ से पत्थर निकालते हैं, उनको पहले माइन्स दी जाए। उनको देने के बाद यदि कोई बच जाए तो उसको आप नीलाम करिए। इस में हम को कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर मान लीजिए कि हमारे मंत्री महोदय को भ्रम हो, ये मिडलची नहीं कर पाएंगे, तो मैं उनको यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां की स्थिति ऐसी नहीं है और न ही मकराना जैसा पत्थर ही है। हमारे यहां पर ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। मैं मंत्री महोदय को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वर्षों से यह काम चल रहा है। कोई गड़बड़ नहीं है। मुझे इस बारे में मंत्री महोदय ने आश्वासन भी दिया था, जो टेन्डर होने वाले थे उनको केन्सिल किया गया परन्तु, अध्यक्ष महोदय, आपको यह जान कर ताज्जुब होगा कि जो आने वाली 23 तारीख है, उस दिन इन खानों के टेन्डर दुबारा मांगे गये हैं। इसलिए मैं आपकी मार्फत दुबारा मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं और मंत्री महोदय को निमन्त्रण देता हूं कि वे मेरे साथ चलें, इलाके को देखें कि वास्तव में कौन आदमी इन खानों पर काम कर रहा है और उसके बाद ही नीलामी की कार्यवाही करें। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि आने वाली 23 तारीख को जो टेन्डर काल होने वाले हैं उसको आप कृपा कर के रोकें। मुझे यह आश्वासन दिया गया था कि आपके कुछ आदमियों के साथ आप बैठ कर के बात करेंगे। आपने कोई बात नहीं की। इसलिए इस पर पुनः विचार करके केन्सिल करें। स्वयं वहां जा कर देखें और फिर अपना कोई निर्णय करें।

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर अन्त्योदय योजना के तहत जो काम हुआ है वह बहुत अच्छा हुआ है। यह एक अच्छी योजना है। इसके अन्तर्गत जो भी काम हुए हैं, वे सराहनीय हैं। राजस्व अभियान का काम भी हमारे यहां हुआ है। अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा स्टेट टाइम के समय गांवों के अन्दर चार, छः खातेदार होते थे। 6 खातेदारों के नाम होता था गांव का पूरा का पूरा पट्टा और सारे काश्तकार खेती करते थे। उन्हीं के नाम से ये पट्टे चले आ रहे हैं। इस ओर में मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा, जब कि हम राजस्व अभियान चला रहे हैं, लोगों

(श्री श्रवण लाल)

को सुविधा दी जा रही हैं, राजस्व केसेज को निपटाया जा रहा है तो जिनके पास में पट्टा है वे भी तैयार हैं कि वे इन पर काश्त नहीं कर रहे हैं, उनका कोई पजेशन नहीं है, सिर्फ नाम है पूरे समाज का, ऐसे केसेज़ को निपटाने के लिए जो काश्तकार वहां पर काश्त कर रहे हैं, उनके नाम से वे पट्टे कर दिये जाएं। उनको पट्टे मिल जाने चाहिए। किसी प्रकार से उनका शोषण नहीं होना चाहिए।

इसके साथ-साथ मैं मंत्री महोदय का इस ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे जो उद्योग मंत्री हैं वे कहते हैं हम गरीबों को ऊंचा उठायेंगे, उनकी तरक्की के लिए, उनको पनपाने के लिए आगे से आगे बातें करते हैं। उद्योग मंत्री सूर्य नारायण जी समाजवादी होने के नाते गरीबों का सब से ज्यादा ढोल पीटते हैं, उनकी भी एक बात देखने को मिली है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट में जो कुछ भी होता है उसमें गरीबों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं 6 महीने से एक छोटे से काम के लिए इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट का चक्कर काट रहा हूं, एक छोटी सी इन्डस्ट्री है उसकी प्लानिंग को लेकर। वहां पर प्लानिंग की दृष्टि से रोड निकल जाने के कारण वह इन्डस्ट्री रोड के बीच में आ जाती है। उसने प्लाट के लिये एप्लाई किया है। अध्यक्ष महोदय, आप सुन कर ताज्जुब करेंगे कि दस-दस साल जिनको प्लाट लिए हो गये हैं, उनके द्वारा किसी प्रकार से वहाँ पर इन्डस्ट्रीज नहीं लगी हैं, उनकी मियाद हमारे उद्योग मंत्री बढ़ा देते हैं। जो कि दस-दस प्लाटों को रोक कर के बैठें हैं उनके प्लाट को कैंसिल नहीं किया जाता है। इसमें किसी प्रकार से शिड्यूल्ड कास्ट्स व ट्राइब्स का आदमी आ जाता है तो उसके लिए आउट आफ रूल की बात कह दी जाती है। यदि उसको एवज में कोई प्लाट दिया जाता है तो ऐसी जगह पर प्लाट दिया जाता है जहां वह गरीब पनप नहीं सके और इन्डस्ट्री चला नहीं सके। अगर उसने किसी प्रकार की खिलाफत की, डायरेक्टर को जाकर प्रोटेस्ट किया तो उसको बुरी नजर से देखा जायेगा और किस तरह से उसकी इन्डस्ट्री फेल की जाए ऐसी योजना बनेगी। तो मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कि राजस्थान में एक प्रतिशत भी ऐसे केसेज नहीं होंगे इसलिये ज्यादा से ज्यादा शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज को बढ़ावा देना चाहिये जिससे उनकी माली हालत सुधरे।

अध्यक्ष महोदय, राजस्व अभियान के अन्दर जितने केसेज निपटाये गये हैं उनमें जो परम्परा चल गई है मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय के नोटिस में वह लाना चाहता हूं। जो चरागाह भूमि पर कब्जे किये गये हैं उनमें से जो 2030 तक के कब्जे हैं उनको तो धारा 91 के तहत कैंसिल कर दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, शुरू-शुरू में अभियान में जितने भी केसेज थे वे सारे के सारे रेगुलेराइज कर दिये लेकिन अब जिन किसानों के पास जमीन वर्षों से चली आ रही थी वह रेगुलेराइज करने से इसलिये रह गये कि वे 2030 तक के नहीं हैं उसके बाद के 2031, 32, 33

(श्री श्रवण लाल)

और 34 के हैं। ऐसे केसेज में जिनके पास छोटे पीसेज हैं, 4, 5, 10 और 15 बिस्वा के....

(श्री रामेश्वर दयाल यादव, सभापति, पदासीन)

उनको तो रेगुलेराइज करने के लिये आदेश करना चाहिये जिससे कि गरीब किसानों का बचाव हो सके।

सभापति महोदय, हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने हमारे गरीब किसानों के छोटे मोटे सामानों पर जो टैक्स की बढ़ोतरी की है वह टैक्स भी जहां तक हो वापस लिया जाना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय सभापति महोदय, छात्रवृति के लिये और शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के छात्रावासों के लिये जो प्रावधान किया गया है उसका मैं स्वागत करता हूं। आपके द्वारा मैं यह मांग करता हूं कि छात्रावासों की स्थिति बड़ी दयनीय है क्योंकि अधिकतर छात्रावास किराये के मकानों में चल रहे हैं। उनमें 1–1 कमरें में 10–10 छात्र, 15–15 छात्र रह रहे हैं, उनको रहना पड़ता है। इसलिये सबसे ज्यादा इस ओर ध्यान देकर आपने जो बजट में पैसा रखा है उसमें बढ़ोतरी की जानी चाहिये।

इसके साथ-साथ, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं जो भेड़ बकरियों पर टैक्स लगाया है....

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आपको भेड़ें याद आ रही हैं। यदि भेड़ें भुलानी हो तो इधर आ जाइये।

श्री श्रवणलाल : यह भी किसानों से ही संबंधित है—

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय सभापति महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त करूं, लास्ट में जो किसानों पर टैक्स लगाया गया है सिंचाई पर, लगान पर, बिजली पर उनको वापस लेने की मांग करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्यामा कुमारी।

(व्यवधान)

आपका बाद में आयेगा।

श्रीमती श्यामाकुमारी सेंगर (कपासन) : माननीय सभापति महोदय, मैंने अपनी बात शुरू की और खुशी की बात है कि वित्त मंत्री महोदय ने इस सदन में प्रवेश कर लिया। मुझे यह कमी अखर रही थी। मुझे खुशी है। मैं कुछ ऐसी बातें कहना चाहती हूं जिनकी ओर मिनिस्टर साहब ध्यान दें।

श्री मदनसिंह दांता : हमारी बातों की ओर तो कभी ध्यान दिया नहीं आपकी बातों पर दे दें तो पता नहीं।

श्रीमती श्यामाकुमारी सेंगर : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने ऐसा बजट पेश किया जो ग्रामोन्मुखी है, ग्रामों

(श्रीमती श्यामाकुमारी सेंगर)

की योजना को लेकर चलता है। सभापति महोदय, पिछले कुछ दिनों से हमारे बजट पर सदन में वाद-विवाद चल रहा है। इसमें हमें दो प्रकार के विचार सुनने को मिले हैं। हमारे पक्ष के लोगों ने बिल्कुल निष्पक्ष होकर दोनों ही प्रकार की बातें कह दी हैं लेकिन विरोधी पक्ष के माननीय नेताजी ने बात कही कि यह बजट एक डिसग्रपाइंटिंग डाकूमेंट है। और भी उधर बैठने वाले जितने लोग हैं उन्होंने इसी प्रकार कहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बजट में वादा दिया दोनों पक्षों में चल रहा है उसमें कुछ बिन्दुओं को छोड़ कर फिर इतना बड़ा विरोधाभास क्यों दीख रहा है मुझे समझ में नहीं आता। मुझे अपने विद्यार्थी जीवन की एक घटना इस पर याद आती है। हमारे गुरुदेव राम चरित मानस की एक चौपाई पढ़ा रहे थे जो इस प्रकार है–

सुधा वृष्टि भई दुहु दल माही।
जिए कपि भालु निसाचर नाही॥

इस पर हमने गुरुदेव से प्रश्न किया कि जब प्रभु की प्रेरणा से समान रूप से दोनों ओर सुविधा वृष्टि हुई तो दोनों ओर के लोगों को जीवित होना चाहिये था, केवल कपि भालु ही जीवित क्यों हुए? निशाचर क्यों नहीं? इस पर गुरु जी ने बताया चूंकि निशाचर भगवान के हाथ से मारे गए थे अतः उनकी मुक्ति हो गई। मुझे लगता है कि उस पक्ष के लोगों को जनता जनार्दन द्वारा राजनैतिक मोक्ष दे दिया गया है। इसी निराशा और क्षोभ के कारण अच्छा भला प्रगतिशील बजट उनक डिसग्रपाइंन्टिग डोंकूमेन्ट लग रहा है क्योंकि इस बजट ने उनकी जड़ों को उखाड़ कर रख दिया है।

श्री मदनसिंह दांता : राम ने तो रावण को बुरा ही कहा। आप उनमें से कौन हैं?

श्री राम रघुनाथ चौधरी : निशाचर।

श्रीमती श्यामकुमारी सेंगर : माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने जो बजट बनाया है वह ग्रामोन्मुखी है पहले जहां गांवों पर 64 प्रतिशत खर्चा किया जाता था वहां अब आपने 70 प्रतिशत खर्चा करने के प्रस्ताव किये हैं इससे हम उम्मीद करते हैं कि ग्रामों का विकास एकदम होगा, गांवों के लोगों को नई रोशनी मिलेगी और उनको लगेगा कि हमारे देश में स्वराज्य अब आया है।

तो हमारी सरकार के द्वारा बनाये हुए जो मुख्य बिन्दू हैं उन पर चर्चा करना चाहती हूं। उसमें प्रथम है। अन्त्योदय की योजना के बारे में विरोधी पक्ष में बैठने वाले कई माननीय सदस्यों ने प्रशंसा की है। कांग्रेस सरकार ने भी एक दफा यह नारा दिया था 'गरीबी हटाओ' तो उस नारे में कुछ लोग आये थे जिनकी गरीबी हटी थी। मेरा ऐसा ख्याल है कि उनमें वे स्वयं थे, उनके रिश्तेदार थे और उनकी जान-पहचान वाले थे। वह गरीबी ग्रामीण समाज से नहीं हटी, देश से नहीं हटी। लेकिन हमारी सरकार ने केवल मात्र गरीबी उन्मूलन का नारा ही नहीं दिया है उसको कार्यरूप में परिणत भी कर रही है। उसके अन्तर्गत अन्त्योदय योजना में प्रति वर्ष गांव के अन्दर, समाज की श्रेणी में सबसे

(श्रीमती श्यामाकुमारी सेंगर)

पीछे खड़ा हुआ वर्ग है उसके व्यक्तियों को चुन कर उनको व्यवसाय से लगाना और उनकी आर्थिक स्थिति को उन्नत करना है। तो, इसके लिए, श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि प्रगति रथ के दो पहिये होते हैं—एक आय का और एक व्यय का। केवल व्यय ही करते रहें और आय का हिसाब-किताब न रहे तो भी काम नहीं चल सकता है। आय के स्रोतों को उसके बराबर बनाने के लिए यह आवश्यक होता है कि टैक्स लगायें, और टैक्स लगाकर विकास का मार्ग जो है उस पर बराबर अग्रसर होते रहें। अन्त्योदय योजना में गरीब को रोजगार मिलता है वहां जो अपाहिज लोग हैं उनको भी सरकार से रकम मिलती है और वृद्ध लोगों को पेन्शन मिलती है। गांव के लोगों में बड़ा भारी सन्तोष इससे प्रकट हो रहा है।

इसके साथ-साथ दूसरा, श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि काम के बदले अनाज की जो हमारी योजना है उससे गांव के लोगों में बड़ी भारी आशा का संचार हुआ है, और गांव के लोगों को सबसे पहले यह आभास हुआ है कि कोई सरकार आई है जो हमारे लिए विचार कर रही है। गांव के लोगों को पहले भी पिछली सरकार ने राहत देने की व्यवस्था की थी, और कुछ काम खोले होंगे, अकाल राहत के कार्य खोले होंगे, लेकिन, श्रीमन्, अधिकांश में यह होता था कि फेमिन वर्क्स भी कागजात में ही हो जाते थे, मौके पर कोई काम नहीं होता था और न लोगों को कोई रोजगार मिलता था। इस प्रकार की व्यवस्था थी। लेकिन जब से जनता पार्टी की सरकार ने काम के बदले अनाज की योजना सोची है उससे ग्रामों में सन्तोष हुआ है। 25 करोड़ के स्थानीय महत्व के काम जो अधूरे पड़े हुए थे, जो नहीं हुए थे जो ध्वस्त हो गये थे वह पूरे हुए हैं। वहां के लोगों को भी काम मिला है और साथ में जो काम अधूरे पड़े हुए थे वह पूरे हो गये हैं। इसके साथ ही एक घर में 5 लोग थे या जितने भी लोग थे उनको काम मिला है। वे काम पर गये हैं और अनाज की पोटलियां बान्ध कर ले गये हैं। गरीबों के घरों में अनाज उपलब्ध हो गया है। अधिकांशत: पहले क्या होता था कि पहले तो मजदूरी ही कम मिलती थी। पुरुष अपने काम की मजदूरी लेकर जाता था तो अधिकांश की तो वह शराब ही पी जाता था और उसमें वह खर्च कर देता था। अब अनाज सीधा उनके घरों में जाता है और उनके बच्चे आराम से गेहूं की रोटी खाते हैं।

इसके साथ ही मैं तारीफ करना चाहूंगी हमारे पंचायती राज की। पिछली सरकार ने इतने वर्ष तक पंचायतों के चुनाव नहीं कराये और पंच, सरपंच और प्रधान जो थे वह परमानेन्ट हो गये थे। वहां के सरपंच यह सोचने लगे थे कि हमें हटाने वाला कोई नहीं है। लेकिन हमारी सरकार ने आते ही अपने वायदे के अनुसार पंचायतों के चुनाव कराये। उसके साथ ही साथ पंचायतों को 6 करोड़ 45 लाख रुपये पिछले एक वर्ष में मिले जब कि पिछले 10 वर्षों में इतना अनुदान पंचायतों को नहीं मिला। इस अनुदान के अलावा जो सरपंच लोग थे उनको 5 हजार रुपये व्यय करने का

(श्रीमती श्यामाकुमारी सेंगर)

अधिकार मिला। इससे विकास में सहयोग मिला। चुनावों के बाद जब हम गांवों में जाया करते थे तो लोग कहा करते थे कि तुम भी वैसे ही चले जाओगे जैसे पहले वाले गये, लेकिन अब लोग कहते हैं कि जनता पार्टी जब से आई है तब से ग्रामीण क्षेत्रों का काम होने लगा है।

इसके साथ ही कृषि के क्षेत्र में 71 से 77 तक 6 वर्षों में 6 करोड़ रुपया व्यय किया गया था जब कि हमारी सरकार ने एक वर्ष के अन्दर ही 14 करोड़ का प्रावधान कृषि के लिए रखा है। कृषि के अन्दर किसानों के लिए उन्नत बीज और खाद व्यवस्था की गई है। पहले जो बीज उगाने का काम होता था गिने-चुने लोगों को दिया जाता था, लेकिन आज यह लाभ सब किसानों को मिलता है। आज हमारे किसानों की आर्थिक हालत में सुधार आ रहा है इसके माध्यम से।

इसके साथ ही साथ सिंचाई और उद्योग के लिए मैं निवेदन करना चाहती हूं कि उस क्षेत्र में हमारे शासन में आने के प्रथम तीन वर्षों में जनता पार्टी की सरकार ने 413 करोड़ का प्रावधान गांवों में उद्योगों के लिए रखा है।

अब एक दो बातों की ओर मैं माननीय मास्टर जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। जो आपने भू-राजस्व बढ़ाया है वह इस कारण से बढ़ाया है कि कई वर्षों से नहीं बढ़ाया गया था क्योंकि सैटलमेंट नहीं हुआ था। अगर सेटलमेंट हो जाता तो वह कुदरती इतना बढ़ गया होता। लेकिन किसानों की आर्थिक हालत आज भी इतनी कमजोर है कि मध्यम श्रेणी के किसानों के लड़के चपरासी की नौकरी करने को तैयार हैं, झूठे बर्तन मांजने के लिए तैयार हैं; बोझा उठाने के लिए तैयार हैं। आज किसानों की यह हालत है कि उनको फसल का ठीक मूल्य नहीं मिल पाता। अतः मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से कहूंगी कि आपने जो भू-राजस्व लगाया है उसको न लगायें और उसको समाप्त करने की कोशिश करें।

इसके साथ ही साथ ग्रामीण जल-प्रदाय योजना के लिए जनता पार्टी की सरकार जब आई थी....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

केवल 2 मिनट में ही स्थान ग्रहण करती हूं।

तो हमने यह वायदा किया था कि जनता सरकार का यह पहला कर्त्तव्य होगा कि लोगों को पेयजल सुलभ कराये। जब पेयजल की उनको सुविधा दी गई है और अब उस पर टैक्स बढ़ा रहे हैं। यह वाजिब नहीं होगा। पानी पर टैक्स न लगायें तो अच्छा रहे।

अब मैं थोड़ा-सा स्पष्ट करना चाहती हूं कि मद्यनिषेध के बारे में। माननीय वित्त मन्त्री जी से यह कहना चाहती हूं कि आप लोगों के बहकावे में आकर और गोकुल भाई भट्ट आदि नेता लोगों के अनशन से भयभीत होकर मद्यनिषेध राजस्थान में एक अप्रेल से बिना सोचे समझे लागू न करें। यदि मद्यनिषेध करना चाहते हैं तो सब चीजों पर ही निषेध क्यों न किया जाय।

(श्रीमती श्यामाकुमारी सेंगर)

गांजा, चरस और कितने ही प्रकार की चीजें हैं नशे की और चाय भी एक नशा है। समाज के लिए मैं चाय के नशे को सबसे खराब मानती हूँ। गरीब से गरीब व्यक्ति आधा किलो दूध लेता है उस आधे किलो दूध में से वह अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाता है, वह सब चाय पर खर्च हो जाता है। अगर आप बन्द करना चाहते हैं तो सब चीजों को बन्द कर दीजिए। शराबबन्दी से आय गिरने के कारण किसानों पर टैक्स लगायें यह उचित नहीं है। मेरा निवेदन है कि राज्य में जो डिस्टलरीज चल रही हैं उनकी क्षमता को बढ़ायें उसकी क्वालिटी सुधारें, फलों के रस की शराब बनाएं और सस्ती कीमत पर उत्तम शराब बेचें ताकि आम आदमी जो पीना चाहे उसको तथा मेहनतकश को थकान उतारने का साधन सुलभ हो सके। इससे आपका राजस्व बढ़ेगा, आपका काम भी चलेगा और किसानों पर बोझ भी नहीं रहेगा। इस प्रकार से मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि आप केवल मात्र लोगों के बहकावे में न आवें। गोकल भाई भट्ट अनशन करने वाले हैं, उनको अनशन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वह अनशन करना ही चाहते हैं तो काफी जिन्दगी उन्होंने जी ली है और ज्यादा जीने के लिए शेष नहीं रहा है। उनको अनशन करने दें, लेकिन मद्य-निषेध लागू मत करिये। जो गैरकानूनी तरीके से शराब बनाते हैं जिससे लोग मर जाते हैं उनकी हत्या से बचने के लिए और राज्य की आय बढ़ाने के लिए मद्य निषेध का विचार त्याग दीजिए।

इसके साथ ही मैं अर्ज करना चाहती हूं कि जो आपने बजट पेश किया है वह बहुत अच्छा है। हमारी जनता पार्टी के राज्य में आने के बाद से मूल्यों में स्थिरीकरण हुआ है। लोगों को रोजगार मिला है। डाक्टर, इंजीनियर, ओवरसियर कोई बेकार नहीं रहे। यहां तक कि जो रिटायर हो गए हैं उनको भी वापस काम पर बुला लिया है।

मैं इस बात पर पुनर्विचार करने के लिए निवेदन करती हुई माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देती हुई अपना स्थान ग्रहण करती हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री माणक लाल।

श्री माणकलाल ठाकोर (नैनवा) : माननीय सभापतिजी, आज इस सदन में एक बड़ी ही शुभ परम्परा पड़ी है। जैसे कई जो ऋषि मुनि होते हैं और विशेष रूप से आजकल जो जैन मुनि होते हैं उनके सामने आकर लोग सौगन्ध लेते हैं वैसे ही आज माननीय सदस्यों के सामने, माननीय अध्यक्षजी के सामने माननीय शिवचरणसिंह जी ने सिगरेट नहीं पीने की सौगन्ध ली। यह एक परंपरा अच्छी पड़ी है। ऐसे ही और अन्य लोग सौगन्ध लेते रहें जिस प्रकार कि मुनि महाराज के सामने लेते हैं तो यह परंपरा ठीक ही पड़ेगी। लेकिन मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि सिगरेट या चाय या बीड़ी या भांग की तुलना शराब से करके कोई माननीय सदस्य यह चाहें कि यह तरीका वाजिब है कि या तो सबको बन्द करो या उनको बन्द नहीं करते हो तो किसी को बन्द मत करो। तो इसका अर्थ यह हुआ कि एक थप्पड़ मारने वाले को भी कत्ल

(श्री माणकलाल ठाकुर)

की सजा है और कत्ल करने वाले को भी उतनी ही सजा है। आज भारत की स्थिति को देखते हुए, गरीबी को देखते हुए तथा-कथित जो शराब पीने वाले लोग हैं उनमें 80% से अधिक गरीब जनता है। कांग्रेस के लोग विशेष रूप से महात्मा गांधी का अपने को शिष्य बताते हैं और वर्षों से महात्मा गांधी के नाम से वोट लेते आये हैं। आज जनता पार्टी वाले लोगों ने भी महात्मा गांधी का नाम लेना प्रारम्भ किया है। गांधी जी ने तो एक व्यावहारिक दृष्टि-कोण रखा है कि देश में शराबबन्दी होनी चाहिए। यह बिल्कुल वाजिब है। होशियारी से एक वकील की तरह से आज वे कहते हैं, यह भी बन्द कर दो और यह भी बन्द कर दो। सीमित समय होने के कारण इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि कभी इसके ऊपर विचार करने के लिये अलग से समय रखा जाये तो सभी लोग इस पर बोल सकते हैं।

यहां पर कई पार्टियों के लोगों ने बताया है कि यह प्रतिगामी बजट है। कुछ ने कहा है कि आज तक विधान सभा में जैसे बजट पेश होते आये हैं वैसा ही यह है। कुछ ऐसा कहते हैं कि यह शुरू से आखिर तक प्रतिक्रियावादी बजट है। उनके सोचने में ऐसा हो सकता है। क्योंकि इस बजट में 70% खर्चा गांवों के लिए रखा गया है। यह बात अलग है कि इसकी अनुपालना ईमानदारी से होती है या नहीं। मैं इसे प्रतिक्रियावादी नहीं कहता हूं। मैं यह निवेदन करता हूं कि यह बजट नयी दिशा देने वाला बजट है। प्रगतिशील बजट आ सकता है, इसकी मैं आशा करता हूं। इस बजट के लिये मैं वित्त मन्त्रीजी को धन्यवाद देता हूं और उनसे निवेदन करता हूं उसको प्रगतिशील तो तभी कहा जा सकता था जब कि जितनी भी ग्रामों की सड़कें हैं, जैसा कि हरियाणा सरकार ने किया है, उन तमाम सड़कों को पक्की सड़कों में जोड़ दिया जाय या जितने भी ग्राम हैं, उनका विद्युतीकरण हो जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि विद्युत मन्त्री ने विशेष रूप से यह ध्यान रखा है कि जो असिंचित एरिया है उस क्षेत्र के ग्रामों का पहले विद्युतीकरण हो। इसलिए विद्युत मन्त्री जी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने विद्युतीकरण करने का फैसला लिया है। कितनी ही पंचायत समितियों में और ग्रामों में विद्युतीकरण की योजना बनाई है। इसलिए वह बधाई के पात्र हैं। बूंदी में तालेड़ा पंचायत समिति का क्षेत्र है। वहां विद्युतीकरण लागू होना चाहिए, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

जहां तक काम के बदले अनाज की योजना का प्रश्न है, यह एक ऐसी योजना है जिसने वास्तव में राजस्थान को विकास की ओर बढ़ाया है।

विरोधी दल के माननीय नेता और दूसरे भी विरोधी दल के महानुभाव हैं, वे वास्तव में इस योजना को व्यावहारिक मानते हैं। लेकिन वह यह मानते हैं कि जैसा कि उनके समय में भ्रष्टाचार था वैसा इस योजना में नहीं होना चाहिये। यह काम के बदले अनाज की योजना एक अच्छी योजना है। इसमें जो थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार है उसका ध्यान रखना चाहिए। काम के बदले अनाज की योजना है, यह, सभापति महो-

(श्री माणकलाल ठाकोर)

दय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिचाई विभाग, कृषि उपज मण्डी और, दूसरे डिपार्टमेण्ट के बजट हैं, उनको जोड़कर चलाई जानी चाहिए ताकि राजस्थान की काया पलट हो।

शिक्षा के बारे में मेरा निवेदन है कि जो प्राइमरी स्कूल हैं, उनको मिडिल स्कूल बनाने का और जो मिडिल स्कूल हैं उनको हायर सैकण्डरी स्कूल बनाने का सवाल है। इस दिशा में कार्य करने के लिये यह सरकार बधाई की पात्र है लेकिन उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश आ गया। मिडिल स्कूल को सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करते हैं लेकिन शिक्षा मन्त्री जी से जब कालेज की बात करते हैं तो कहते हैं, यह कैसे खुलेगा। कांग्रेस सरकार के जमाने में जहां सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूल शुरू हुए, अगर स्कूलों को कालेज में बढ़ाने को कहते हैं तो कहते हैं यह योजना ही नहीं है। अगर इस योजना में दोष है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

तो हमें प्रगतिशील कदम बढ़ाना चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में और इण्टर कालेजों को डिग्री कालेजों में क्रमोन्नत नहीं करेंगे तो शिक्षा में यह सबसे बड़ी कमजोरी रहेगी।

साथ ही में निवेदन करूंगा कि बजट में जो वृद्धि हुई है, इससे भी अधिक होनी चाहिए।

साथ ही में निवेदन करूंगा, इधर बैठने वाले माननीय सदस्य हैं, जो मन्त्री भी रहे है और जिनकी मैं व्यक्तिगत रूप से इज्जत करता हूं वह माननीय सदस्य बोले हैं लेकिन आज उनकी ताकत नहीं है कि वह नैनवा काण्ड को सामने रखते। नैनवा काण्ड के बारे में, मैं कहता हूं, अनुशासन के नाते वह नहीं बोले लेकिन हाथ उठा कर यह कहते हैं कि नैनवा काण्ड हुआ है। पुलिस और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लाठी चार्ज हुआ है। मैं यह निवेदन करूंगा कि विधान सभा के सदस्य उन आततातायियों के विरुद्ध कार्यवाही करें लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

मैं और भी अधिक बोलना चाहता था लेकिन समय कम है। मैं अनुशासन को मानने वाला सिपाही हूं। इसलिए धन्यवाद देता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री गुलाबचंद जी कटारिया।

श्री गुलाबचन्दजी कटारिया (उदयपुर) : सभापति महोदय, माननीय वित्त मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण में विकास के चरण की गति निरन्तर आगे बढ़ाई है, इसके साथ-साथ जो गांव पिछले एक लम्बे समय तक आर्थिक सहायता के लिए तरस रहे थे, केवल 34 से 36 प्रतिशत खर्च पर सम्पूर्ण ग्रामीण अपना जीवन यापन कर रहे थे वहां इस सरकार ने 64 प्रतिशत खर्च किया और इस वर्ष 70 प्रतिशत तक पहुंच पाई है। इसके लिए मैं अपनी ओर से ही नहीं, सम्पूर्ण ग्रामीण जनता की ओर से बधाई देना चाहता हूं कि उनके दुःख दर्द को सुनने की स्थिति इस सरकार के मन में आई।

इसी के साथ-साथ आंकड़ों से यह बात

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

भी दिखाई देती है कि हम आगे बढ़े हैं। जनता सरकार बनने के बाद 700 करोड़ रुपया खर्च किया जो पिछली चार पंच-वर्षीय योजनाओं में खर्च हुआ। कांग्रेस राज में 678 करोड़ खर्च हुआ, उसके स्थान पर हमने 700 करोड़ रुपया खर्च किया इससे यह स्पष्ट है कि पहले की तुलना में यह कितना अधिक है।

इसी तरह से केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में 232 करोड़ रुपया खर्च किया गया जब कि पहले इसके ऊपर केवल 123 करोड़ रुपया खर्च हुआ। यह राशि भी पिछले तीस सालों में जो चार पंचवर्षीय योजनाओं में लगाई गई उससे अधिक है।

बिजली और सिंचाई पर चार सौ करोड़ रुपया खर्च हुआ है, यह भी उसी तरह से चार पंचवर्षीय योजनाओं से अधिक है। अंशदान जो कृषकों को दिया वह 14 करोड़ का है जब कि पहले 6 सालों में 6 करोड़ का था अर्थात् 14 गुना अधिक अंशदान देकर राजस्थान के किसानों को जो मदद पहुंचाई उसके लिए जनता सरकार धन्यवाद की पात्र है।

चिकित्सा के क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं, दुग्ध व्यवसाय में आगे बढ़े हैं, और बिजली 45 हजार कुओं को दी है, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। इसके साथ-साथ कुछ मन में उलझनें जरूर हैं उनको मैं निश्चत रूप से आपके सामने रखना चाहता हूं।

वास्तव में शिक्षित बेरोजगारों के बारे में आपने क्या विचार किया इस बजट में ? शिक्षित बालक अपने माता-पिता की सारी सम्पत्ति लगाकर बड़ी कठिनाई से इस आशा के साथ आगे बढ़ता है कि आगे आने वाले जमाने में, जीवन में उसको अच्छा मार्ग मिलेगा लेकिन दुर्भाग्य है कि हमने जो कुछ आंकड़े दिये हैं उन आंकड़ों से ऐसा लगता है कि शिक्षित बेरोजगारों की समस्या एक प्रतिशत भी हल नहीं कर पाए। आपने जो आंकड़े दिए उनके अनुसार 1978 में जिन लोगों ने पंजीकरण कराया उनकी संख्या थी 214871 और उससे पहले यह संख्या थी 192613। 22258 लोग नये आए और आपने एम्प्लायमेन्ट दिया 22266 को अर्थात् केवल 8 अधिक लोगों को, जितना अनएम्प्लायमेन्ट बढ़ा उससे 8 अधिक को दिया। शिक्षित बेरोजगारों की जो स्थिति है उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हम देख रहे हैं आज विश्वविद्यालय धू-धू करके जल रहे हैं। कभी सोचा कि इसका कारण आखिर क्या हो सकता है ? आज विद्यार्थी एम. ए. करने के बाद दूसरे विषय में एम. ए करने के लिए एडमिशन ले लेता है, उसके बाद एल एल. बी. में एडमिशन लेने की बात करता है, वह इसलिए कि और रास्ता उसको नजर नहीं आता, एम्प्लायमेन्ट का और कोई साधन उसको दिखाई नहीं देता। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार आपने अन्त्योदय योजना प्रारम्भ करके गरीबों को ऊंचा उठाने की बात की है उसी प्रकार से मेरी मन्शा है कि शिक्षित बेरोजगारों, जिन्होंने अपने माता-पिता का लाखों रुपया खर्च किया है, को रोजगार देने के लिये

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

एक सही दिशा दी जाय। मैं नहीं चाहता कि उनको सरकारी नौकरियां ही दी जायें। मैं चाहता हूं उनको लोन दिया जाय और लोन भी 5-10 लाख नहीं दस-बीस हजार रुपया देकर छोटे-छोटे व्यवसायों में लगा कर उनकी बेरोजगारी को समाप्त किया जाय।

तीनों विश्वविद्यालयों के बारे में एक शब्द भी न तो बजट भाषण में और न राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया कि हमारे विश्वविद्यालयों का क्या होगा, यह जो तरुण शक्ति है इसका क्या उपयोग होगा? यह लोग इस देश को रसातल में पहुंचाने की ओर बढ़ रहे हैं। आपने इस बारे में क्या विचार किया?

इसी के साथ-साथ आपने किसानों के ऊपर टैक्स लादा है, मेरी समझ में नहीं आता कि आपकी क्यों ऐसी मनःस्थिति बन गई। इससे पहले यह तो विचार करते कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या है? क्या किसानों की हालत ऐसी है कि लखपति बन गए हैं या उन्होंने कोई बड़े-बड़े भवन खड़े कर लिये हैं। कुछ जागीरदारों की बात तो छोड़िये, लेकिन अधिकतर किसान आज भी झोंपड़ी में निवास करते हैं। फिर भी आपने उनकी जेब से जो उनके पास थोड़ा पैसा है उसको खींचने की इच्छा क्यों बनाई? एक तरफ आपने ढाई हैक्टेयर पर लगान माफ करने की बात कही और दूसरी तरफ सिंचाई में 50 प्रतिशत और लगान में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर दी। आपके आंकड़े बताते हैं कि खाद्यान्न में केवल 6 अंक की वृद्धि हुई है। इसकी तुलना में आपने निर्मित वस्तुओं पर 44 प्रतिशत इण्डेक्स बढ़ाया है। जहां बनी बनाई चीजों में 44 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी और सूचकांक केवल 6 प्रतिशत ही बढ़ा उसके बावजूद भी आप किसानों की जेब से पैसा खींच लेना चाहते हैं। ईंधन में 72.4 प्रतिशत आपका इण्डेक्स बढ़ा है जिससे रोजाना काम में आने वाली चीजों में घाटा हो गया है। कच्चे माल की कीमतें कम और पक्के माल की अधिक कीमतें हो गई हैं, खाद्यान्न में चार अंक अधिक चल रहे हैं। मैं बहुत ही विनम्र शब्दों में निवेदन कर देना चाहता हूं कि माननीय वित्त मन्त्री महोदय इस बारे में पुनर्विचार करें। आगे आने वाले समय में अगर हम किसान को मदद देना चाहते हैं, अगर हमारी कुछ भी हमदर्दी किसान से है और हम उनको राहत पहुंचाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमको इस पर विचार करना चाहिए।

आपने पानी के ऊपर अधिक पैसा बढ़ाया, सोचा था बहुत अच्छा है लेकिन लगता है कि पैसा अधिक है। आपने सोचा कि लोगों के पास अधिक पैसा है, लेना चाहिये। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। उदयपुर में टंकी की सप्लाई से 75 लाख गैलन पानी जाता है और बिल 40 लाख गैलन के ही आते हैं, 35 लाख गैलन पानी का वेस्टेज होता है, छिप कर गलत कनेक्शन देकर लोग ऐसा कर रहे हैं। मेरी ऐसी मंशा है कि उनसे वसूल किया जाय। यह किया भी जा सकता है। एक बार जयपुर में एक अधिकारी ने एक-एक बिल्डिंग के सामने निकल कर देखा कि कौनसा पाइप का कनेक्शन किधर जा रहा है। इस तरह से गलत कनेक्शन पकड़े गए।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इस तरह से चोरी पकड़ी जानी चाहिए। अगर ऐसा हो सके तो टैक्स लगाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी लेकिन यह शायद आपको मन्जूर नहीं है, आप यह नहीं चाहते।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आप अपनी सुख-सुविधा और खर्चे नहीं घटा सकते। यही हालत, श्रीमान्, बाकी सारे क्षेत्रों में है।

आपकी घण्टी बज चुकी है। बड़ी मुश्किल से समय मिलता है, लेकिन समय समाप्ति सूचना मिल जाती है तो दिमाग बिल्कुल बदल जाता है।

अगर आप चाहें तो मैं आगे की अपनी बात कहूं नहीं तो समाप्त करूं।

श्री सभापति : बोल लीजिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : विश्वविद्यालयों के पी. एफ. को जो सरकारी खजाने में जमा कराने की बात कही गई, वह बहुत अच्छी है लेकिन विश्वविद्यालय में 11 प्रतिशत ब्याज मिलता है। वे कोई चोर नहीं हैं, वह शिक्षा शास्त्री हैं और भारत का निर्माण करने वाले हैं। ईमानदारी का यदि थोड़ा बहुत अंश है तो उसी क्षेत्र में बचा है। आप उनके पी. एफ. की सारी रकम अपने खजाने में लेना चाहते हैं तो ब्याज का प्रतिशत बढ़ाइए। आप उनको 6 प्रतिशत ही ब्याज देंगे जब कि उनको विश्वविद्यालय से 11 प्रतिशत मिलता था तो क्या यह उनके साथ अन्याय नहीं? सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।

अब मैं नशाबन्दी पर आता हूं। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या जादू की डंडी है, बिजली का करेंट है कि एक दिन में पीने वाले आदमी को बिना पीने वाले में बदल सकते हैं? अगर आप किसी कानून से किसी को मजबूर करें तो कानून व व्यवस्था बिगड़ेगी। मैं कोई शराब के पक्ष में नहीं हूं, मैं शराब को छूता नहीं, लेकिन आपके सामने व्यावहारिक पक्ष रख रहा हूं। अगर आपको विश्वास है कि बिजली के करेंट की तरह शराब बन्द कर देंगे और सारे लोग पीना छोड़ देंगे, तो गलत है। मैं उस क्षेत्र में रहा हूं जहां पिछले 7 वर्ष से ड्राई एरिया है लेकिन घर-घर में शराब बनती है। किसी भी घर में जायं वहां शराब बनती है। क्या आप चाहेंगे कि घर-घर में, झोंपड़ी झोंपड़ी में शराब बने और उनका नुकसान हो? आप दारु की अधिक दुकानें खोल कर अधिक आय बढ़ायें और पंचायतों को अधिकार दें कि जो गलत शराब बना रहे हैं उनका चालान करें, उन पर जुर्माना करें। अन्यथा आप सोचेंगे कि आपने कोई वायदा किया था और यदि वायदा पूरा नहीं करेंगे तो जन्म बेकार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज इतने लम्बे समय से आपने बरदाश्त की उसको बिजली के करेंट से बन्द कर देंगे तो ठीक नहीं होगा। क्या फेमिली प्लानिंग खराब चीज थी? अच्छी चीज थी लेकिन कानून के दबाव में लोगों के साथ जुल्म व ज्यादती हुई। उसका उन लोगों ने फल भुगता है और हमने लाभ

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उठाया है। क्या आप चाहते हैं कि इस तरह से शराब बन्द करके हम वाहवाही पा लेंगे ? आप तो जिन क्षेत्रों में नशाबन्दी है उनमें कठोरता से पालन कराइए। उसके बाद स्टेप बाई स्टेप आगे बढ़िए। कानून के माध्यम से इस प्रकार जो इल्लीगल काम होता है उसके लिए लोगों के मन में दुर्भावना जागती है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कितने लोगों को सुधारा ? जब आप नैतिकता के आधार पर सुधार नहीं सके तो आप चाहते हैं कि कानून के आधार पर गरीबों का गला घोटा जाय ? कानून में कोई नेता या पूंजीपति नहीं फंसेगा, सड़क पर पड़ा हुआ व्यक्ति फंसेगा जिसको थाने पर ले जाकर रहे सहे कपड़े भी खुलवा देंगे। पहले तो आप शुरुआत करें कि जनता पार्टी में वही रहेगा जो शराब नहीं पीएगा। हम पार्टी को सुधार नहीं सकते तो गरीब के साथ क्यों खिलवाड़ करते हैं ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : जनता पार्टी में या तो पीते हैं शराब या पीते हैं मूत।

श्री सभापति : श्री मेघराज।

(अनुपस्थित)

श्री राम रघुनाथ चौधरी।

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना) : सभापति महोदय, जब उधर बैठने वाले माननीय सदस्य कुछ कहते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया होती है। ये कहते हैं कि जो किसानों पर टैक्स लगाया गया है, वह वापस लिया जाए। जब ऐसा कहते हैं और उसके साथ में यह भी प्रतिक्रिया उनकी होती है कि देहात में जो लोग रहने वाले हैं उनको न नौकरी मिल रही है, न उनके भविष्य की सरकार को चिंता है, न किसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की, तो यह समझ में नहीं आता....

श्री नरेन्द्र पाल सिंह चौधरी : आपको समझ में आना मुश्किल है।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : आज सवेरे जब मुख्य मन्त्री गांवों के विकास के बारे में कुछ कह रहे थे तो जनता पार्टी के सदस्य टेबल थपथपा रहे थे। आज से कुछ दिन पूर्व एक स्थगन प्रस्ताव आया था और उस स्थगन प्रस्ताव के द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित किया था श्योपत सिंह जी ने और मैंने कि काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत जो अनाज मिल रहा हैं, वह खराब अनाज मिल रहा है, खाने योग्य नहीं है। उसके साथ ही यह भी बताया गया था कि तीन महीने से अनाज नहीं मिला। जब तीन महीने से अनाज नहीं मिला है तो इस बात के लिए उधर बैठने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि वास्तव में सही बात है कि अनाज नहीं मिला है। अब आप कैसे रिमार्क पास करते हैं। गरीबों को आपकी सरकार ने धोखा दिया है। उनसे मजदूरी करवा ली एडवांस में और दो तीन महीने का अनाज नहीं दे सकी। इसके लिए मन्त्री महोदय ने कहा कि हम अनाज नहीं दे सके लेकिन प्रयास कर रहे हैं। आप इस तरह का रिमार्क पास करके, लोगों को भ्रमित करके सोच रहे हैं कि हाथों हाथ उनको अनाज पहुंच जाएगा, यह होने वाला नहीं है। इसलिए शान्ति से सुनो, माननीय सदस्य, बीच-बीच में मत बोलो। कोई भी मन्त्री

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

थोड़ी सी बात कहता है तो टेबल थपथपाई जाती हैं, सराहना करते हैं और आप लोग लोगों के दुःख दर्द को नहीं समझते हैं। केवल मन्त्री को जोश दिलाने के लिए, अपनी सरकार की तारीफ के लिए टेबल थपथपाते हैं, इससे गरीब का पेट नहीं भरता....

एक माननीय सदस्य : थैली में क्या लाए हो ?

श्री राम रघुनाथ चौधरी : सरकार के सामने सरकार की पोल पेश करने के लिए लाया हूं।

श्री मदन सिंह वांता : ऐसा अनाज कलेक्टर की छाप में लाये होंगे तब मानेंगे।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : आपकी सरकार ने एक योजना चलाई काम के बदले अनाज की। मेरी समझ में नहीं आता....

कई माननीय सदस्य : आयगा भी नहीं।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : योजना फूड फार वर्क हो या मनी फार वर्क की हो, उस पैसे में और अनाज में क्या अन्तर हुआ ? लेनिन ने कहा है Food is the currency of all the currencies. पर यह करेंसी नहीं जो आप दे रहे हैं, 5 रुपये के बदले 5 किलो अनाज, बाजार में एक किलो अनाज के 80 पैसे भी नहीं मिलते। किसान आपको अच्छा अनाज पैदा करके देता है। आपने जो Food is the currency of all the currencies. बांटी है, वह ऐसी करेंसी है जिसकी वेल्यू घट गई है, एक रुपए से घट कर 70 पैसे रह गई है। आपने जो सिस्टम इन्ट्रोड्यूस किया है वह बारटर सिस्टम है। किसी जमाने में जब सरकार के पास मुद्रा नहीं हुआ करती थी तो यह सिस्टम हुआ करता था। इससे सरकार और जनता का कारोबार चलता था। पर यह जो 1975 का अनाज पड़ा हुआ है, यह कांग्रेस सरकार की देन है, यह वास्तविकता है, और वास्तविकता को सुनना आपके लिए मुश्किल है।

(व्यवधान)

उसको सुनने में तकलीफ होती है। आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं....

श्री नरेन्द्र पाल सिंह चौधरी : यह कांग्रेस (आई) की बात है या कांग्रेस (ओ) की ?

श्री राम रघुनाथ चौधरी : थोड़े दिनों बाद यह भी जान जाओगे। तो मैं निवेदन कर रहा था कि 1975 में जो अच्छी फसल हुई थी तो इस देश में अनाज का भण्डार बढ़ा, उसके बाद में निरन्तर फसल अच्छी होती गई, भण्डार बढ़ता गया। उसके बाद इतना अनाज इकट्ठा हो गया कि फिर सोचा कि क्या किया जाए तो जगह-जगह वेयर हाउसिंग के गोदाम बनाए फिर भी आपकी नई सरकार दो साल में सुनियोजित ढंग से अनाज नहीं रख सकी। नतीजा यह हुआ कि पिछले दो साल में जो अतिवृष्टि हुई है, उसका पानी खुली जगह जगह करके ढके हुए अनाज गोदामों, जो स्टेकिंग करके अनाज को ढका था, में दो-दो तीन-तीन फीट तक बहा, सारा अनाज पानी में डूब गया। आपके अधिकारियों ने जब सोचा, चाहे दिल्ली में चाहे राजस्थान में

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

बैठने वाले हों कि आगे इन्क्वायरी होगी, आयोग बिठाये जायेंगे जिनमें आपकी सरकार माहिर है, तो हम मर जायेंगे। उन्होंने एक रास्ता निकाला और योजना बना कर सरकार को दी कि आप यह योजना चलाइये और देहात में अनाज बांटिये। इसके बाद भारत सरकार ने स्टेट गवर्नमेन्ट्स को अनाज दे दिया जो कि रद्दी अनाज था और बरसात में भीगा हुआ अनाज था उसको चलाने के लिए कुछ अच्छा अनाज उसमें मिला दिया और दे दिया। मुख्य मन्त्री जी बता रहे थे योजना के सम्बन्ध में। तो योजना तो कोई खराब नहीं होती, न तो बीस सूत्री कांग्रेस का कार्यक्रम व योजना खराब थी, न काम के बदले अनाज वाली योजना खराब है और न अन्त्योदय वाली योजना। योजना इस बात पर निर्भर करती है। कि उसको क्रियान्वित कैसे करते हैं, कैसे चलाते हैं। इस पर आधारित है योजना का रूप। आप योजना की क्रियान्विति किस तरह से कर रहे हैं यह हम देख रहे हैं और लोग भी देख रहे हैं। दो बातें हैं। एक तो यह देख रहे हैं कि आप ने वह अनाज जो रद्दी था, जो अनाज खाने के योग्य नहीं था और जिसके लिए कहा गया था Food is not fet for haman consumption. जिसको जानवर को भी खिलाना हानिकारक समझते हैं, बाहर के देशों में जिसको फेंक देते हैं, जिस अनाज को शहर वाले लेते नहीं और सस्ती अनाज की दुकान पर बिक नहीं सकता था उस अनाज को गरीब ग्रामीण को देकर आपने गरीब जनता को लूटा है। जिनके मुंह पर अनपढ़ता की पट्टी बंधी हुई है उनको आपने दिया है वह खराब अनाज इसलिए कि आपने देखा कि उनको बांट दो, बोलेंगे नहीं और चुपचाप ले लेंगे। और सही भी है जैसा भी गरीब आदमी को मिला उसमें वह अपना गुजारा करता रहा। यह अनाज की थैली जो मैं यहां लेकर आया हूं यह कोई मेरे नागौर जिले का नहीं है। इसको मैं यहां पेश कर रहा हूं। यह है आप के भिनाय पंचायत समिति अजमेर का अनाज। ग्राम पंचायत अरवड़ का। यह कोई मैं अपने घर से नहीं लाया हूं वहां की जनता के लोग लाये हैं....

श्री रतनलाल वर्मा : ग्राम पंचायत कौनसी बताई ?

श्री राम रघुनाथ चौधरी : अरहड़।

श्री रतनलाल वर्मा : पंचायत समिति भिनाय में ग्राम पंचायत अरहड़ है ही नहीं मैं चैलेंज करता हूं। मैं यह विश्वास के साथ कह रहा हूं कि मेरे क्षेत्र में सड़ा हुआ अनाज नहीं बंटा। अरहड़ का नाम लेकर गड़बड़ की है और मुझे जबरदस्ती बीच में लाये हैं।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : माननीय रतनलाल जी इसलिए कह रहे हैं कि यह उन्हें पेश करना था और मैंने कर दिया।

श्री रतनलाल वर्मा : मैं इसलिए कह रहा हूं कि अनाज सड़ा हुआ हो सकता है, मैं ना नहीं करता लेकिन पंचायत समिति भिनाय में ग्राम पंचायत अरहड़ है ही नहीं।

श्री वृद्धिचंद जैन : कोई ग्राम तो है ?

श्री रतनलाल वर्मा : कोई पंचायत इस नाम की है ही नहीं।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : ग्राम खाजा है। तो, माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य भिनाय से है इसलिए बुरा लगा कि वह पेश नहीं कर सके।

श्री रतनलाल वर्मा : आप अपनी जगह करो, में अपनी जगह करूं। मैं अपने यहां का नमूना लेकर आता। मैं तो बहुत सजग हूं। मैं तो वहीं इलाज कर दूं यहां शिकायत ही नहीं आने दूं। देर ही नहीं करूं में तो।

श्री सभापति : माननीय रतनलाल जी, कृपया व्यवधान न करें।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : सभापति महोदय, मैं यह गेहूं सदन की मेज पर रख रहा हूं। इसके सम्बन्ध में जितनी जानकारी सरकार को चाहिए मैं दे दूंगा। इसमें बहस का प्रश्न नहीं है।

श्री माणकलाल ठाकोर : यह सीलबन्द है या नहीं ?

श्री राम रघुनाथ चौधरी : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि गांवों में अनाज नही मिल रहा है और मुख्य मन्त्री जी कह रहे थे कि हम जल्दी ही उपलब्ध करा देंगे। आज जो मुख्य मन्त्री जी ने उत्तर दिया था और माननीय शिवचरण जी ने कहा था उसमे तो बहुत अन्तर लगता है गांवों में अनाज पहुंचाने में और लोगों को मिलने में।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, मुझे तो दो मिनट ही नहीं हुए।

श्री सभापति : कृपया दो मिनट में अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : 10 मिनट और दीजिए। बीच में व्यवधान हो गया था। अगर व्यवधान नहीं होता तो मैं अपनी बात समाप्त कर देता।

तो, सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि श्री शिवचरण जी ने बताया था कि जितना अनाज मिलना था उसमें से 26·5 प्रतिशत ही अनाज यहाँ आ पाया बाकी का अनाज सरकार भारत सरकार से ला ही नहीं पाई और उसका नतीजा यह है कि मजदूर, गरीब ग्रामीण अनाज का मोहताज हो रहा है। हमारे क्षेत्र के जिन लोगों ने तीन महीने पहले मस्टर रोल प्रस्तुत किये थे उनको अभी तक अनाज नहीं मिला। एक पंचायत समिति का दस, दस हजार रुपया अनाज का बकाया है। उसके बाद में आप देखेंगे कि जब करेन्सी अनाज होता है तो जो कुछ मिला उसको बेच कर ही तो दूसरी चीजें लानी पड़ेगी। जब पैसा ही नहीं है तो क्या लेंगे ? क्या खायेंगे क्या पहनेंगे ? इसका मतलब यह हुआ कि आपने अच्छी योजना बनाई लेकिन वह ठीक तरह से नहीं चलाई और लोगों मजबूर कर दिया भूखे रहने पर।

अन्त्योदय योजना बहुत अच्छी है और आपने कोशिश की कि गांव के अन्तिम श्रेणी का जो व्यक्ति है उसको उसमें लिया जाये और उसको मदद मिले। उनको लोन और अनुदान दिया लेकिन उनके साथ अन्याय किया कि जो लोन मिला उसकी किश्त आपने पहले ही काट ली या ग्रान्ट इन एड किश्त के बदले में ले ली। आपने उसको मजबूर किया कि ग्रान्ट इन एड किश्त के बदले में दे दे। जिनको ग्रान्ट इन एड नहीं मिली उनसे ऋण मे से पहली किश्त काट ली। आपने हाथ में दिया नहीं उसके पहले ही किश्त काट ली। यह कैसी

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

मदद है, आपने मदद के तौर पर मवेशी दी, भैंस दी, गाय दी लेकिन साथ में आपने नियम लगा दिया कि डाक्टर से पास कराओ। इस बात की गांवों में अफवाह फैल गयी और जिन जानवरों की कीमत एक हजार थी उनकी कीमत 2 हजार और 3 हजार हो गयी। इस प्रकार आपने अंतिम श्रेणी के व्यक्ति को लुटवाया। अच्छा होता, यहां कई माननीय सदस्यों ने सुझाव भी दिए थे कि आप इंजिन लगवा देते, छोटी मोटी मशीनें लगवा देते, टैम्पो दिवा देते या गाय भैंस सरकारी फार्म से देते जिससे वह दूसरे लोगों के हाथ नहीं लुटता।

इसके साथ ही आपने बजट में जो कर लगाए हैं उनके सम्बन्ध में भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। भारत सरकार ने जो बजट बनाया उसमें टैक्स 665 करोड़ के लगा दिये और 1355 करोड़ का घाटा दिखा दिया। इसी तरह से राजस्थान के बजट में 31.3 करोड़ के आपने टैक्स लगा दिये और घाटा 18 करोड़ का बता दिया। यह घाटा कहां से पूरा होगा? इसका मतलब यह हुआ कि नासिक में नोट छपवाइये और चलाइये। इससे मुद्रा स्फीति होगी, मंहगाई बढ़ेगी और ब्लैक मार्केटियर्स मनमाने तरीके से गरीबों पर हावी होकर लूटने की कोशिश करेंगे। आपने टैक्स लगाये, टैक्स लगाने भी पड़ते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि आप गरीबों को लूटो। उसके बाद फिर भी घाटे में रहें और लगातार इन्फ्लेशन हो और सारे लोग इससे मर जायें।

आपने बताया कि 18 करोड़ का जो घाटा हुआ उसको पूरा करने के प्रयत्न किये जायेंगे और राजस्थान नहर क्षेत्र में जमीन की नीलामी करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 1970 में कांग्रेस सरकार ने भी यही निर्णय लिया था तब एजीटेशन हुए थे और लोगों ने जेल भरो आन्दोलन चलाया था। उन्होंने कहा था कि सरकार जो कदम उठा रही है वह गलत है। इससे बाहर के लोग यहां कब्जा करने की कोशिश करेंगे, पैसे वाले लोग जमीन खरीद लेंगे और राजस्थान का आदमी नहरी जमीन से महरूम हो जायेगा। सरकार ने मजबूर होकर उनकी बात मानी और अपने निर्णय को बदला और तय किया कि जमीन की नीलामी नहीं करेंगे। तब के मुख्य मन्त्री श्री सुखाड़िया जी ने नीलामी के आदेश रद्द करते हुए गरीब व अनुसूचित लोगों को आवंटन की नीति बनाई कि जमीन अलाट कर दी जाये और प्रति मुरब्बा 16 हजार रुपये वसूल किये जायें। फिर बाद में 16 हजार बढ़ाकर 31 हजार कर दिये थे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

31 हजार में जमीन अलाट की। यह रकम इतनी ज्यादा थी कि लोग काबिज नहीं हो सके। लिहाजा उसका नतीजा यह निकला था कि लोगों को जमीन नहीं मिल सकी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट और। उन लोगों को जमीन अलाट की थी वह काबिज नहीं हो सके और मजबूरन उन्हें छोड़ कर जाना पड़ा। वही जमीन आप नीलाम करने की बात कह रहे हैं। यह नहीं हो सकता कि आप बाहर के लोगों को यहां आने का

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)
अवसर दें और यहां का गरीब काश्तकार, अनुसूचित काश्तकार बिना भूमि बैठा उनकी मजदूरी करे व उनकी कृपा पर जिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, काफी समय हो चुका है। माननीय सदस्य, विभाजित समय आपकी पार्टी पहले ही ले चुकी है। यह आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : सभापति महोदय, मैं थोड़ा सा करों के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ। ट्रक्स के ऊपर जो टैक्स बढ़ाया गया है उसके बारे में कहना चाहता हूं। आपने कहा कि जो 2।। टन के लोड के ट्रक चलते थे उनको कुछ सुविधा उपलब्ध कराई है। 1600 रुपये टैक्स लगता था वह अब 1400 रुपये कर दिया है। मान्यवर, दो तरह के वाहन चलते थे, एक रीजन का और दूसरा आल राजस्थान। जिनके पास पैसा कम है, वाला काम चलाऊ ट्रक है वह रीजन का लेते थे और जिनके पास ज्यादा पैसा है, नये ट्रक्स हैं वह राजस्थान का लेते थे। आपने इसे खतम करके एक कर दिया। अब रीजन वालों पर 900 रुपये का टैक्स लगेगा जब कि आल राजस्थान वाले के 100 रु. प्रति वर्ष ही बढ़े हैं। दूसरा आपने कहा कि डिलीवरी वान्स जो शहरों चलते थे उनको राहत दी है। उस पर एनुअरी 276 रुपया लगता था। 40 मील के अन्दर चलते थे उनको 400 रुपया देना पड़ता था अब 1400 रुपये साल के देने पड़ेंगे। इस प्रकार इन छोटे ट्रान्सपोर्ट्स पर आपने 1000 हजार रुपया और बढ़ा दिया है। बताइये, कैसा न्याय है आपका।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अन्त में शराब के संबंध में निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : एक मिनट। अगर शराबबन्दी करनी है, बहुत अच्छी बात है। जो दूसरी नशीली चीजें हैं उनको भी बन्द कर दीजिये। श्री मदन सिंह जी ने एक लाइन सुनाई थी मैंने उसमें तीन लाइनें और जोड़ दी हैं जो आपकी नीति को दर्शाती है।

भांग अगर शिव की बूटी है
मदिरा मां दुर्गा का प्याला,
भेद कर रहा शिव दुर्गा में,
इतना क्यों तेरा मन काला।
नशा बन्द करना ही है तो,
बन्द करो व्यसनों की माला,
चाहे भांग तम्बाखू हो,
या चरस अफीम और हाला।

इसी प्रकार आपने बजट में कर लगा कर गरीब श्रेणी के लोगों का गला घोंटा है। समय कम है अतः इस बजट को इन चन्द पंक्तियों में प्रस्तुत कर रहा हूं। अब बजट के बारे में दो लाइनें निवेदन करना चाहता हूं —

गांधी जी के शिष्य सुनो,
यह बजट तुम्हारा क्या कहता है,
खा गये भूखी जनता को,
लूटा खूब किसानों को,
बनियों की कर दी माफ सजा,
राहत दे दी धनवानों को।
बच्चे भी वंचित रहे नहीं,
तेरे इस कर के चक्कर में,
ट्रक, मोटर, स्कूटर वाले,
क्षुब्ध हुए भीषण टक्कर में।
तेरी क्षमता, समता ममता को,
अब जनता ने जान लिया,

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

तुम मिथ्या स्वप्न दिखाते थे,
यह अब हमने सब मान लिया।
आदित्य अन्धेरे में डूबा,
अब कैसे दिव्य प्रकाश मिले,
जब बाढ़ खेत को खायेगी,
तो कैसे जन मानस कमल खिले ॥

श्री सभापति : माननीय कुमारी पुष्पा देवी।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। बजट बहस पर बोलते हुए कई माननीय सदस्यों ने उक्त बजट को चोरोन्मुखी, ब्लैक मार्केटिंग एवम् आर. एस. एस. उन्मुखी बजट की संज्ञा दी है ऐसा लग रहा था जैसे बजट पर बहस में बजाय न्यायोचित तर्क देने के मन की भंडास निकाली जा रही है। सभापति महोदय, मेरे कुछ साथियों ने कहा कि उक्त बजट न तो ग्रामीणोन्मुखी है न किसानोन्मुखी। उन्होंने सही फर्माया। निश्चित रूप से यह बजट एक मुखी बजट नहीं है चहुंमुखी बजट है अतः चहुंमुखी विकास के बजट को हम एक मुखी शब्द से कैसे अलंकृत कर सकते हैं।

सभापति महोदय, ग्रामों में बजट की 70% राशि खर्च होने का जो अनुपात सरकार ने रखा है वह अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है जिसके लिये ग्रामीण जनता की ओर से मैं इस सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी।

इसके साथ ही बाल वर्ष के उपलक्ष में बच्चों को पुरुस्कार स्वरुप उनके खिलौनों और बन्द टिन में खाद्य पदार्थों पर सरकार ने जो टैक्स माफ किया उसका तहेदिल से स्वागत करते हुए सरकार के प्रति आभार प्रदर्शित करती हूं। सभापति महोदय, जहां अच्छे पहलू की चर्चा करते हुए इस सरकार के समक्ष नत मस्तक है वहीं इसके कुछ कमजोर पहलुओं की ओर ध्यान दिलाना अपना फर्ज समझते हैं।

किसानों की भूमि पर लगान में बढ़ोतरी के निर्णय को हम किसी भी तरह उचित नहीं ठहरा सकते। आज जब कि सीमेन्ट, खाद और डीजल की रेट बढ़ रही है, किसान का मुनाफा कम हो रहा है, आय के स्रोत कम हो रहे हैं ऐसे में काश्तकार पर लगान की दर बढ़ाना किसी दृष्टि से न्यायोचित नहीं है। अतः हम पुरजोर शब्दों में सिफारिश करते हैं इस पर पुनर्विचार किया जाय और उक्त बढ़े हुए करों को वापस लिया जाय।

सभापति महोदय, आप के माध्यम से मोटर साइकिल और मशीन से चलने वाली साइकिलों पर टैक्स की बढ़ोतरी की ओर भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगी। मेरी दृष्टि से उक्त कदम कदापि उचित नहीं है। यदि यही टैक्स कार वालों और बड़े धनवान लोगों पर इम्पोज किया जाता तो कोई बड़ी बात नहीं थी लेकिन उन गरीबों, जो लूना और सुवेगा को स्टेटस सिम्बल के रूप में नहीं अपनी रोजी रोटी को सुगम तरीके से प्राप्त करने के लिये समय की बचत की दृष्टि से चलाते हैं, पर लगाया जाना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। अतः उक्त टैक्स को वापस लिये जाने का मेरा सरकार से अनुरोध है।

सभापति महोदय, अन्त में आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान देश विदेश में बहुर्चचित राजस्थानी बंधेज, चूनरी

(252)

(सुश्री पुष्पा जैन)

ओढ़नी साड़ियों की ओर दिलाना चाहूंगी जिसका कि राजस्थान में ही नहीं देश विदेश में चलन है, पूरे देश की महिलायें इसे मंगल वस्त्र के रूप में इस्तेमाल करती हैं। शादी विवाह और शुभ मौकों पर बंधेज के कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है जिसके कारण राजस्थान के हजारों गरीब कुटीर उद्योग के रूप में इससे रोजी रोटी कमाते हैं। ऐसी चीज पर टैक्स बढ़ा कर मेरी राय में सरकार ने अच्छी सूझबूझ का परिचय नहीं दिया है। उक्त बंधेज का चयन सिर्फ अमीर वर्ग की औरतें नहीं करतीं बल्कि हर वर्ग में महिलायें इन वस्त्रों का चयन करती हैं और इन्हें काम में लाती हैं।

इसके साथ ही मैं सरकार का ध्यान बढ़े हुए टैक्स के गलत प्रभाव पर भी दिलाना चाहूंगी।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : इन्दिरा गांधी को तो हटाया ही है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में बैठे हुए हर सदस्य से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। वे ईमानदारी से बतायें कि आज कितने लोग इन साड़ियों की खरीद बिल लेकर करते हैं? यकीनी रूप से बहुत कम। यदि एक साड़ी पर 15 रु. टैक्स है तो ग्राहक और दुकानदार में एक मूक समझौता होता है। 15 रु. की जगह 5 रु. देकर बिना बिल साड़ी खरीद ली जाती है और दस रुपये का कहीं हवाला नहीं होता। इस तरह से जब पहले ही तीन पर्सेन्ट पर भी सरकार को पूरी राशि टैक्स के रूप में नहीं मिल पा रही तो दस पर्सेन्ट बढ़ाने पर सरकारी खजाने में कितनी राशि जायेगी इसका अनुमान आप स्वतः लगा सकते हैं। सभापति महोदय, हमारा मकसद कर के रूप में सरकारी खजाने में अधिक से अधिक पैसा प्राप्त करना है न कि चोरी की आदत डालना। अतः मेरा सुझाव है कि यदि बंधेज की साड़ियां और चूनरी से अधिकाधिक आय प्राप्त करना आप का लक्ष्य है तो आपको ये टैक्स बढ़ाने के बजाय और भी कम कर देने चाहिये। यदि 3% से घटा कर ये टैक्स 2% कर दिये जायं तो निश्चित रूप से कह सकती हूं कि इस आइटम से सरकारी खजाने में अधिकाधिक राशि आयेगी और लोग कर की चोरी न करके बाकायदा बिल लेकर साड़ी खरीदेंगे। गरीब लोगों को घर बैठे अधिकाधिक काम मिलेगा और ये साड़ियां अन्तर्राष्ट्रीय जगत में राजस्थान की रंग-बिरंगी खूबसूरती को निखारेंगी। अतः मैं सरकार से पुनः पुरजोर शब्दों में यह मांग करूंगी कि मेरे बताये हुए सुझावों पर ध्यान दें और उन पर बढ़ाये हुए कर यदि वापस लेने का निर्णय लें तो मैं निश्चित रूप से कह सकती हूं कि यह बजट राजस्थान का एक खूबसूरत बजट होगा।

श्री सभापति : श्री गुल मोहम्मद।

(व्यवधान)

श्री अयूब खां (तिजारा) : सभापति महोदय, मैंने अपना नाम 5 तारीख को एक बजे दिया था। आज भी मेरा नाम नीचे किया गया है।

श्री सभापति : आपका नाम है, आप इन्तजार कीजिये ।

श्री अयूब खां : लेकिन यह आगे-पीछे क्या हो रहा है ?

श्री सभापति : जो लिस्ट हैं, उससे ही पढ़ रहा हूं ।

श्री अयूब खां : लिस्ट में मेरा नाम नीचे कैसे कर दिया ?

श्री सभापति : आप बिराज जाइये, माननीय सदस्य !

(व्यवधान)

आप बैठ जाइये । आर्डर प्लीज ।

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, मैं बजट भाषण पर अपने कुछ सुझाव देना चाहूंगा । माननीय सभापति जी, मैं आपका ध्यान बजट के पेज नं. 2 और क्रम संख्या 7 की ओर दिलाना चाहूंगा जिसके अन्दर बताया गया है कि "79–80 में ग्रामीण विकास पर होने वाले विनियोजन का प्रतिशत बढ़ कर लगभग 70 प्रतिशत हो जायगा ।" इससे यह साफ जाहिर है कि ग्रामीण विकास पर इस बजट का 70 प्रतिशत रुपया व्यय किया जायगा लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है कि माननीय सदस्य फिर भी सन्तुष्ट नहीं है इससे, आखिर क्यों, इसकी क्या वजह है ? 70 प्रतिशत बजट का ग्रामीण विकास पर खर्च किया जा रहा है इसके बावजूद भी सन्तुष्ट नहीं है क्योंकि जो भावनायें सदन में माननीय सदस्यों ने प्रकट की हैं वे इसके खिलाफ में ही की हैं । कहा गया है यह बजट किसान विरोधी है, यह बजट मजदूर विरोधी है, यह बजट अच्छा नहीं है । मेरी समझ में नहीं आता है जब बजट में ग्राम विकास पर 70 प्रतिशत व्यय किया जाता है तो फिर कैसे किसानों के विरुद्ध हुआ, कैसे मजदूरों के विरुद्ध हुआ । यह समझ में नहीं आता है ।

मैं आय-व्ययक अध्ययन के पेज नं. 2 की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ । इसके अन्दर यह दिखाया है कि कितने पर्सेन्ट इनकम कहां-कहां से होती है । इसके अन्दर दिखाया है टैक्स रेवेन्यू 60 प्रतिशत होती है और नान टैक्स रेवेन्यू 40 प्रतिशत होती है । इसके अन्दर डवलपमेंट एक्सपेन्डीचर और नान डवलपमेंट एक्सपेन्डीचर को देखें तो पता चलेगा कि अविकास व्यय कितना बढ़ गया है । इस पर ध्यान दें तो मालूम होता है कि 25 प्रतिशत केन्द्रीय करों का जो अंश हमें मिलता है, उसके अन्दर हमारा इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी व सेन्ट्रल सेल्स टैक्स वगैरह सब आते हैं जो केन्द्र से हमें प्राप्त होते हैं उसके अन्दर सेल्स टैक्स 22 प्रतिशत प्राप्त होता है । इसके आगे हम देखेंगे तो स्टेट एक्साइज 3 पर्सेन्ट और अदर टैक्सेज 8 प्रतिशत । इस तरह कुल मिलाकर 58 प्रतिशत और दो पर्सेन्ट हमें लैन्ड रेवेन्यू से मिलता है । इसलिये आपके जो फिगर दिये हुए हैं उनमें साफ दिया हुआ है कि कहां कहां से इनकम होती है और टैक्सेज कहां-कहां से प्राप्त होते हैं, रेवेन्यू कहां से आती है । जो जितनी टैक्स की इनकम है वह सिटी से है लेकिन सिटी में विकास का नाम नहीं लिया गया

(श्री गुल मोहम्मद)
है कि कितना पैसा सिटी में खर्च किया जायगा। पिछली सरकार ने भी गांवों के विकास की ओर ध्यान दिया है और सिटी के डवलपमेंट की तरफ ध्यान नहीं दिया। सब माननीय सदस्य कहते हैं गांवों का विकास, गांवों का विकास लेकिन मेरा निवेदन है कि गांव के विकास के साथ-साथ सिटी का विकास भी मत भूलिये। बजट भाषण में सिटी के विकास के लिए एक शब्द नहीं कहा, यह भी नहीं लिखा है कि यहां पर कच्ची बस्तियों का विकास करेंगे। यहां पर मजदूर भी रहते हैं या नहीं, आखिर क्या मामला है? सिटी को नेगलेक्ट करके गांवों का विकास करना उचित नहीं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवधान पैदा न करें।

श्री गुल मोहम्मद : सभापति महोदय, माननीय सदस्यों को क्यों एतराज है. मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। जिन माननीय सदस्यों को यदि इन विचारों से ठेस पहुंच सकती है तो कृपया नहीं सुनें। हमें भी हक है अपने विचारों को प्रकट करने का हमने तो गांवों के विकास की बात पर डिस्टर्ब नहीं किया, अब ये क्यों डिस्टर्ब करना चाहते हैं....

(व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा कि 30 साल से इरिगेशन पर और विद्युत पर चाहे पिछली सरकार ने और चाहे इस सरकार ने टोटल जो राशि गांवों में लगाई है, सभापति महोदय, आज उसका एक प्रतिशत ब्याज भी वसूल नहीं होता है। माननीय सदस्य कहते हैं हम मर गये और हम पर हेवी टेक्सेज लगा दिये। आज इरिगेशन में और विद्युत में जितना खर्चा हुआ है उसका ब्याज का एक प्रतिशत भी वसूल नहीं होता है। सारा पैसा आपके यहां लगता है उसके बावजूद भी आप कहते हैं. किसानों पर ज्यादा टैक्स लगा दिये। लेकिन, सभापति महोदय, मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि किसानों पर अधिक टैक्स लगाये जायें....

(व्यवधान)

श्री रतन लाल वर्मा : दूध कोई जयपुर में हो रहा है? शहरों मे क्या हो रहा है?

श्री गुल मोहम्मद : लेकिन, सभापति महोदय, जिसने चोंच दी है वह चुग्गा भी देगा। आपके हाथ में नहीं है ऊपर वाला चलाता है। वह चाहे तो कुछ पैदा नहीं हो सकता है और वह चाहे तो सब कुछ पैदा हो सकता है। सभापति महोदय, मेरे कहने का मतलब है....

श्री मदनसिंह दांता : ऊपर वाला कहता है, ऐसे ऐसे पधार आये।

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : सभापति महोदय, मेरा यह मतलब नहीं है कि मैं गांवों के विकास के विरुद्ध हूं, जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं। मेरा तो सिर्फ एक ही निवेदन है कि जो भू-राजस्व की दर गांवों में लगाई गई है उसके लिये मैं चाहता हूं जिनके पास छोटी जोतें हैं, उन पर तो टैक्स नहीं

(श्री गुल मोहम्मद)

लगाया जाय। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा जो छोटी जोतों वाले किसान हैं, जिनके पास 15 बीघा के आस-पास भूमि है उनको टैक्स से फ्री कर दिया जाय और जो बड़ी जोतों वाले हैं उन पर डबल कर दिया जाय ताकि गरीब किसान के पास से नहीं लिया जाय और जो मालदार किसान हैं उनसे अधिक लिया जाय।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, मेरा सारा दिमाग डिस्टर्ब कर दिया।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के बढ़ाये गये समय में वृद्धि

श्री **नवनीत पालीवाल** : सभापति महोदय सदन की कार्यवाही का समय 8.00 बजे तक के लिये बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि सदन की कार्यवाही का समय 8-00 बजे तक के लिये बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय 8-00 बजे तक के लिये बढ़ाया गया।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री गुल मोहम्मद : सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। कि कुल राजस्व आय जो है वह 616·17 करोड़ और पूंजीगत प्राप्तियां 181·71 करोड़ आती हैं। कुल आय हुई 798.88 करोड़। इसमें से डवलपमेंट में खर्च किया गया 585.34 करोड़ और नान डवलपमेंट पर खर्च किया गया है 269.58 करोड़ रुपया। यानि एक बटा तीन हिस्सा इस बजट का खर्च होता है नान डवलपमेंट पर और डवलपमेंट मे खर्चा होता है दो बटा तीन हिस्सा। तो आप देखेंगे कि प्रशासन पर क्यों इतना खर्चा करते हैं ? जितना प्रशासन पर खर्चा करते हैं वह है 1/3 हिस्सा और जो राजस्थान के विकास में काम आता है वह है 2/3 हिस्सा। अब मैं इसकी ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा कि बजट भाषण के पेज दो क्रम सं. 5 में बताया गया है कि :

"पहले गरीब कृषकों, भूमिहीन मजदूरों तथा बेरोजगार ग्रामीण कारीगरों को ढूंढ़ने पर भी वह योजना या वह सरकारी अधिकारी नहीं मिल पाता था जो उनको विकास के लाभ उपलब्ध करा सके।"

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यानि सरकारी अधिकारी ही उनको विकास के लाभ उपलब्ध करा रहा है। आगे लिखते हैं :—

"अब स्थिति बिल्कुल उलट गई है तथा सरकार लगभग सारी योजनायें तथा समस्त अधिकारी वर्ग स्वयं गाँव गांव में जाकर इन लोगों को ढूंढ़ ढूंढ़ कर विकास की धाराओं से जोड़ रहे हैं।"

यह कौन जोड़ रहा है, सरकारी अधिकारी। जन प्रतिनिधि नहीं जोड़ रहा।

(श्री गुल मोहम्मद)

बजट भाषण की स्पीच को पढ़ रहा हूं जिसमें लिखा है कि सरकारी अधिकारी जोड़ रहा है। इसका मतलब यह है कि इस बजट स्पीच को भी सरकारी अधिकारी ने ही तैयार किया है जिसने अपनी प्रशंसा की है, जन प्रतिनिधियों की प्रशंसा नहीं की। जन प्रतिनिधियों द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसका उल्लेख नहीं है बल्कि सरकारी धिकारियों द्वारा ही कार्य किया जा रहा है। अगर सरकारी अधिकारियों द्वारा ही कार्य होता तो अब से पहले कर लिया होता। पहले भी वही सरकारी अधिकारी थे और आज भी वह हैं ? बदल तो नहीं गए, नए भर्ती नहीं किये हैं। बल्कि नए तो जन प्रतिनिधि ही आए हैं। अगर कोई विकास का कार्य हुआ है तो इन्हीं से हुआ है। यह सरकारी अधिकारी की बात लिखना साबित करता है कि सरकारी अधिकारी और यह अफसरशाही किस प्रकार से राज्य सरकार पर हावी है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिला रहा हूं। इसके अन्दर भी उन्हीं सरकारी अधिकारियों की प्रशंसा की गई है और वे ही हावी हैं जिसका दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे मंत्री और हम इकानामी की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि प्रांत की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो लेकिन मैं बताता हूं कि इकानामी किस तरह से हो रही है। पहले मन्त्रिमण्डल के अन्दर जो मन्त्री महोदय थे उनके पास एक प्राइवेट सैक्रेटरी और दो पी. ए. बाकी स्टाफ हुआ करता था। आज मिनिस्टर्स के पास एक आर. ए. एस. अफसर है जो कि असिस्टेंट सैकेटरी के बराबर है। और उसको तनख्वाह कितनी मिलती है ? जितनी पहले प्राइवेट सेक्रेटरी को मिलती थी उसकी डबल। फिर उसको भी एक पी. ए., एक चपरासी अलग से, घर पर एक टेलीफोन, एक सचिवालय में उसका टेलीफोन, उसके लिए एक कमरा सचिवालय में अलग से। यह जनता के ऊपर भार क्यों बढ़ाया गया है ? इसका तात्पर्य यह है कि ब्यूरोक्रेसी हमारे पर वह हावी है। ये लोग हमारे मन्त्रिमण्डल के ऊपर इतने हावी हो चुके हैं कि सचिवालय के अन्दर भूतपूर्व कांग्रेस सरकार के समय जहां 20 कमिश्नर थे, आज वहां पर चालीस कमिश्नर बना दिए गए हैं। यानि इस प्रशासन के अन्दर निरन्तर बढ़ोतरी की जा रही है। यह भार किस पर है ? फिर इकानामी कैसे होगी ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके साथ ही मैं एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं आय व्ययक अध्ययन 1979-80 के पेज 19 के अन्दर उद्योग एवं खनन के बारे में बताया गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं क्योंकि वे ही मौजूद हैं। उनको मैं कहना चाहूंगा कि उद्योग और खनिज के अन्दर 1978-79 में जितना हमने व्यय किया था आज इन लेखाओं से यह मालूम पड़ता है कि हम डाउन होते चले जा रहे हैं। उद्योग और खनिज के अन्दर डाउन होते जा रहे हैं। इसके साथ पेज नम्बर....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री गुल मोहम्मद : पेज नम्बर 40 की ओर ध्यान दिलाता हूं जिसके अन्दर लिखा है कि सामाजिक सेवाओं पर खर्च 15 प्रतिशत, यातायात एवं संचार पर 9 प्रतिशत, कृषि एवं सम्बन्धित सेवायें 12 प्रतिशत, विविध में 1 प्रतिशत, सहकारिता पर दो प्रतिशत, सिंचन एवं शक्ति पर 57 प्रतिशत और, माननीय सभापति महोदय, उद्योग खनन पर सिर्फ 4 पर्सेंट है। आपको ताज्जुब होगा कि उद्योग और खनन पर बजट के अन्दर 4 पर्सेंट व्यय रखा है। मेरी समझ में नहीं आता कि किस प्रकार हमारी सरकार इस देश को समृद्धिशाली बनाना चाहती है, किस तरह से देश को आगे ले जाना चाहती है? दूसरी ओर बजट भाषण के पेज नं 2 क्रम सं० 6 पर लिखा है कि एक ओर जहां ग्रामोन्नति हमारी प्राथमिकताओं का सिरमोर बन गई है जिसके फलस्वरूप कृषि व सम्बद्ध क्षेत्रों में हमारा संतुलित व तीव्र विकास हो, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में औद्योगिक व खनिज उत्पादन भी बिना विशाल पूंजी का सहारा लिए नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। यह कैसा कीर्तमान है? क्या उद्योग का बजट 4 पर्सेंट रखकर हम कीर्तिमान की संज्ञा दे सकते हैं? कभी नहीं। यह मुल्क क्रांति चाहता है, औद्योगिक क्रांति। क्यों चाहता है? क्योंकि हमने देखा होगा कि जितने भी बाहर के मुल्क हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, चाहे इंगलैंड हो, चाहे जापान हो, जितने भी बड़े मुल्क हैं, सबके अंदर वे ही आगे बढ़े हैं जिन्होंने अपने यहां औद्योगिक क्रांति की है। आज वही देश प्रगति कर सकता है जिस देश के अन्दर औद्योगिक क्रांति लाई जाय। जिस देश में औद्योगिक क्रांति नहीं आएगी वह देश कभी आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसलिये, माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि औद्योगिक क्रांति कौन ला सकते हैं? माननीय सभापति महोदय, औद्योगिक क्रांति

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप नहीं ला सकते, मैं नहीं ला सकता, सदन में बैठे माननीय सदस्य नहीं ला सकते। अगर आज कोई औद्योगिक क्रांति ला सकता है तो वह है पूंजीपति। आज उनको हम चोर और बेईमान कहते हैं और उन्हीं चोर और बेईमानों से औद्योगिक क्रांति लाने की आशा रखते हैं। इस देश में औद्योगिक क्रांति नहीं आने का कारण यही है कि यहां पर हैवी टैक्सेशन है। आज जो टैक्स देता है उसे चोर और बेईमान समझते हैं। दुनिया के किसी मुल्क में इतने टैक्स नहीं हैं जितने हेवी टैक्स यहां पर हैं। माननीय सभापति महोदय, ये हैवी टैक्स लगाने से टैक्स की वसूली नहीं हो पाती और हैवी टैक्स से टैक्स की चोरी होती है। आज कोई भी व्यक्ति जो एक लाख की इनकम करता है उस पर 75 हजार का टैक्स लगता है। इसी प्रकार अगर पांच लाख की इनकम करता है तो उस पांच लाख पर पाँच लाख तो टैक्स देगा ही बल्कि अपनी जेब से और पैसा अधिक देना पड़ेगा। यानि भटियारन पलयोन भी अपने पास से लगायेगी। कौन ऐसा बेवकूफ आदमी होगा जो इतना उद्योग करके पैसा कमाएगा और आपको पूरा टैक्स देगा? यह टैक्स की चोरी हमारी नीति के कारण है क्योंकि जो संपत्ति कमा सकता है उसे आप टैक्स का डर दिखाकर सम्पत्ति कमाने से रोकते हैं। हर आदमी

(श्री गुल मोहम्मद)

सम्पत्ति नहीं कमा सकता, कुछ ही लोग हैं जो सम्पत्ति कमा सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री गुल मोहम्मद : इसको अगर एक्सप्लेन नहीं किया गया तो सब यही समझेंगे कि यह तो बिल्कुल गड़बड़ बोलता है व पूंजीपतियों के साथ है। अतः इसे स्पष्ट करना आवश्यक है।

इस देश में औद्योगिक क्रांति लाना आवश्यक है और जब औद्योगिक क्रांति आएगी तभी देश समृद्धिशाली बनेगा, बेरोजगारी की समस्या खतम होगी। औद्योगिक क्रांति नहीं आवेगी, उद्योग नहीं पनपेंगे तो बेरोजगारी की समस्या कभी समाप्त नहीं होगी। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इसको रोक नहीं पा रहे हैं, दूसरी ओर औद्योगिक क्रांति लाने की दिशा में बढ़ नहीं रहे हैं। पूंजीपतियों की तो बात करते हैं लेकिन हमारे मुख्य मंत्री जी कलकत्ता में जायेंगे और इन उद्योगपतियों और पूंजीपतियों से ही कहेंगे कि आप आइए, राजस्थान के अन्दर और यहां पर उद्योग धंधे लगाइए। व्यापारी को जब आकर्षित करते हैं तो वह सबसे पहले बैंक पर निगाह डालता है। वह देखता है मुझे क्या सहूलियतें मिलेंगी। जैसे वह चाहता है कि मुझे पचास लाख का उद्योग लगाना है, बैंक से फाइनेंस मिल जाय और एफ. सी. से लोन मिल जाए, इसके लिए वह दो नम्बर का पैसा देता है रिश्वत में। दो नम्बर का पैसा रिश्वत देकर लोन ले लेता है और अपना उद्योग लगा लेता है। माननीय सभापति महोदय, मैं कहता हूं कि वह इन गरीब लोगों का, जो कि छोटी छोटी इन्डस्ट्री लगा कर गुजारा कर सकत थे, हक मारता है। मेरा निवेदन है, मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार इस प्रकार का प्रस्ताव सदन में पास करके केन्द्रीय सरकार को भेजे कि जितने भी पूंजीपति उद्योग लगावें उसमें दो नम्बर की रकम को निकलवाया जाय। वह तब ही निकल सकती है जब उन्हें यह पूंजी निकालने की छूट दी जाये। उसको कह दिया जाये कि उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा ताकि दबी हुई पूंजी बाहर आ सके। कोई आदमी आज इसको निकालने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि पांच लाख पर 5 लाख 75 हजार का टैक्स कोई देना नहीं चाहेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि दो साल तक यह बिल्कुल छूट दे दी जाय कि सन् 1981 तक कोई भी व्यक्ति अगर उद्योग लगाता है तो दो नम्बर की पूंजी लगा सकता है। हिन्दुस्तान में बड़े-बड़े लोगों के पास दो नम्बर की पूंजी रखी हुई है और एक तिहाई पूंजी इस देश में एक नम्बर की लोगों के पास है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अपना भाषण समाप्त करें।

श्री गुल मोहम्मद : मैं भी दो मिनट में समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : और भी काफी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री अयूब खां : दो नम्बर की कमाई के एडजस्टमेंट का भी तो सवाल है।

श्री गुल मोहम्मद : मैं कह रहा था कि हिन्दुस्तान में 1/3 पूंजी आप हम सब के पास है और बाकी 2/3 पूंजी हिन्दुस्तान के इन बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास है जिनके पास से बाहर निकलवाना आवश्यक है। अगर इस पूंजी को बाहर नहीं निकलवाया गया तो हिन्दुस्तान की क्या हालत होगी, यह आप समझ सकते हैं। दो बटा तीन पूंजी दो नम्बर की को बाहर निकालने पर ही हिन्दुस्तान में उद्योग धंधे पनप सकते हैं, उद्योग धंधे लग सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, उद्योग धंधों से ही बेरोजगारी दूर होगी और हमारे यहां का उत्पादन बढ़ेगा और हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की दो नम्बर की पूंजी है उसको बाहर निकालने के लिए राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव पास करके भेजे, क्योंकि इससे बेरोजगारी दूर होगी, प्राडक्शन बढ़ेगा। प्राडक्शन बढ़ेगा तो टैक्स मिलेगा और भाव नियंत्रित होंगे व जनता को राहत मिलेगी दूसरे देशों के मुकाबले में हम भी खड़े हो सकेंगे।

(समय:समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री गुल मोहम्मद : सिर्फ दो शब्द।

श्री सभापति : समय का बन्धन है। कई माननीय सदस्यों को बोलना है। कृपया बिराजें।

श्री गुल मोहम्मद : इस बजट भाषण के अन्दर कच्ची बस्तियों के बारे में एक शब्द नहीं है.......

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री गुल मोहम्मद : कच्ची बस्ती वाले मेरी जान खा जाएंगे।

श्री सभापति : माननीय अयूब खां।

श्री अयूब खां (तिजारा) : सभापति जी, आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। लेकिन उन लोगों का बिलकुल नहीं हूं जो दूसरे लोगों का शोषण करते हैं। मैंने 5 तारीख को अपना नाम दे दिया था, इसको मैं अपना शोषण मानता हूं कि मुझे बोलने का आज इस वक्त मौका दिया गया और वह भी आपकी महरबानी से... ....

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : शोषण से मुक्ति चाहते हो तो इधर आ जाओ।

श्री अयूब खां : अभी नहीं समय आने दीजिए।

सभापति जी, आज मैंने सूची देखी। उसमें मेरा नाम गुल मोहम्मद साहब से ऊपर था किन्तु मौका उनके बाद दिया गया।

सभापति जी, मेरा कहना यह है कि यह किसानों की कीमत के ऊपर, गरीब और मजदूरों के ऊपर टैक्स लाद कर शहरों के निर्माण की बात कभी नहीं चलेगी। श्री गुल मोहम्मद जी ने कहा है कि 70 फीसदी

(श्री अयूब खां)

बजट का गांवों के ऊपर खर्च होगा, इस पर उनको एतराज है। मुझे भी एतराज है। 70 फीसदी के बजाय यह 80 फीसदी होना चाहिए क्योंकि 80 फीसदी इस देश के आदमी, यहां की जनता किसान और मजदूर आज गांवों में रहते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, शहरों के निर्माण के लिए, विकास के लिए यू. आई. टी., म्युनिसिपल कमेटी, म्युनिसिपल कार्पोरेशन हैं। ये कई संस्थाएं हैं जो उनका विकास करती हैं, बाकायदा काम करती हैं, ये टैक्स लगाती हैं और यह टैक्स इन को देना पड़ता है जो शहरों में आता है।

सभापति महोदय, हमने इस बजट को देखा। इसका रंग देख कर यह समझा था कि यह हरित क्रांति लाएगा लेकिन यह अन्दर से पूरा काला निकला। इसमें जैसे शब्द काले हैं वैसा ही यह काला है। किसान जो पशुपालन करते हैं, उनकी बकरी और भेड़ पर जो टैक्स पांच फीसदी था, उसको अब पांच रुपया फी नग इसलिए कर दिया कि कभी वह इनकी कम कीमत दिखा कर टैक्स चुका न सके। सौ रुपये की बकरी की कीमत को वह 50 रुपया न दिखा दे। इसके ऊपर तो सरकार की इतनी पाबन्दी है लेकिन जो दूसरे व्यापारी हैं, जो टैक्स की चोरी करते हैं, उनके लिए आपने यह जरूरत नहीं समझी कि वे अपने कागजात हिफाजत से रखें। इसमें सरकार द्वारा उनकी हिमायत की गई है और उनको राहत देने की नीति राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई है।

सभापति महोदय, किसानों के जितने भी मुद्दे हैं उन सबको देख लीजिए। आज जो टैक्स लादा गया है वह छोटे किसानों पर है। पहले का जो लगान है वह माफ है। मैं भी उन किसानों में से हूं जिनका कि लगान माफ है। मैं कोई बड़ा किसान नहीं हूं। सिंचाई की दरें, बिजली की दरें, खाद्य व अन्य चीजें, इन सब पर सोच विचार करके उतना टैक्स लादा गया है जितना वित्त मंत्री जी लाद सकते थे। ऐसा प्रतीत होता है जितनी राहत केन्द्र से चौधरी चरणसिंह जी ने दी है, वह यहां पर छीन ली गई है। एक बदले की भावना से यह बजट बनाया गया है।

सभापति जी, माननीय मथुरादास जी माथुर ने एक बात कही थी कि यह घाटे का बजट है और घाटे का बजट होने के नाते इन्फ्लेशन आयेगा। यह तो सही है। पिछले वर्ष फसल कमजोर हुई। कमजोर फसल होने के साथ साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की कीमतें बढ़नी चाहिएं थीं, परन्तु वे बढ़ी नहीं बल्कि घटी हैं। इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन की जो कीमतें हैं वे बराबर बढ़ी हैं एग्रीकलचर प्रोडक्शन के मुकाबले में। इसके बावजूद भी वित्त मंत्री जी ने किसानों पर टैक्स का बोझा लादा है। मैं इन्फ्लेशन की बात कह रहा था। यह बात मद्देनजर रखनी चाहिए कि इन्फ्लेशन के साथ-साथ महंगाई होगी, महंगाई के साथ प्रोडक्शन बढ़ेगा। और प्रोडक्शन बढ़ने से एम्प्लायमेंट बढ़ेगा इस तरह से डवलपमेंट होता है।

(श्री अयूब खां)

सभापति महोदय, एक योजना है अन्त्योदय इसके लिए कुल साढ़े तीन करोड़ रुपया रखा गया है और 35 करोड़ कर्जा लेने की बात कही है। मैं यह कहता हूं कि इस अच्छी योजना को चलाने के लिए यह अच्छा होता कि इसके लिए पूरा 35 करोड़ रुपया बजट के प्रावधान में रखा जाता।

सभापति महोदय, शिक्षा में भी, मैं मानता हूं, बहुत उन्नति हुई है। इस दफा 1976 के मुकाबले में डेढ़ गुना पैसे का प्रावधान है। एक उर्दू अकादमी खोली गई है राजस्थान में। इस उर्दू अकादमी में अलवर और भरतपुर का रिप्रेजेन्टेशन नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं हमारे लिए इसका खुलना या न खुलना बराबर है। टौंक में अरबी-फारसी का शोध करने के लिए यह खुली है। ऐसे अच्छे मकान तो हमारे यहां पर नहीं मिल सकते हैं परन्तु उर्दू जानने वाले हर गांव और शहर में मिल जाएंगे। इस अकादमी को, शोध केन्द्र को टौंक में खोलने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी उर्दू को प्रोत्साहन देने की। उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

श्री अब्दुल अजीज : पाकिस्तान के जो राजदूत आए थे उनको दिखाने के लिए खोली गई थी।

श्री अयूब खां : इस सत्र के एक दिन पहले ही इसका उद्घाटन हुआ। यह जो आपकी उर्दू अकादमी बनी है, इसकी महीने भर में सिर्फ एक मीटिंग हुई है। यह केवल दिखावा है। उर्दू के साथ साथ सिंधी भाषा की भी एक अकादमी खोली गई है। तो इसके साथ एक पंजाबी अकादमी भी खुलनी चाहिए थी। यह हमारे पंजाबी भाइयों के साथ अन्याय किया गया है।

सभापति जी, बजट में औद्योगिक क्रांति की बात कही गई है। किसानों और मजदूरों के ऊपर बोझ लाद कर अगर कोई औद्योगिक क्रांति होती है तो मैं उसका स्वागत नहीं करूंगा। अलबत्ता हम यह चाहते हैं कि औद्योगिक प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। इसके लिए जितने भी साधन जुटाए जायें उतने कम हैं। ज्यादा से ज्यादा साधन जुटाए जाएं। साथ ही प्रशासन पर जो खर्चा होता है, वह कम किया जाए। यह तभी मुमकिन होगा जब हमारे मंत्री महोदय अपना खर्चा कम करेंगे। सभापति महोदय, यह बजट भाषण काला है, फिर भी मैं इसका स्वागत करता हूं माननीय वित्त मंत्री जी की उम्र का लिहाज करते हुए। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हरीश शर्मा।

(व्यवधान)

श्री सभापति : जरा इन्तजार कीजिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी) : सभापति महोदय, जनता सरकार ने विकास को गांवों की ओर मोड़ा है। काम के बदले अनाज योजना और अन्त्योदय योजना दोनों की क्रियान्विति इतने सुन्दर ढंग से हुई कि गांवों में जिन लोगों को कोई सहारा नहीं था, जो वृद्धावस्था में केवल लाठी के सहारे, भगवान् के सहारे जिन्दा रहते थे उनको

(श्री हरीश शर्मा)

सरकार ने धनी-धोरी बन कर संभाला है। जो लोग बजट को प्रतिक्रियावादी कहते हैं मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि अगर यह प्रतिक्रियावादी है तो क्रियावादी क्या होता है? अगर यह प्रतिक्रियावादी है तो मुझे बता दें कि गरीबों की भलाई का कार्यक्रम क्या होता है, गांव का विकास किसे कहते हैं? माननीय सभापति महोदय, वे दिन और कार्यक्रम देखे हैं जब सारे गांवों के किसान दरख्वास्तें देते थे कुआं खोदने के लिए, पंप लगाने के लिए, सहायता के लिए, ऋण प्राप्त करने के लिए किन्तु 2-2 साल तक सोसाइटियों से, सहकारी समितियों से ऋण नहीं मिलता था, पांच-पांच सौ रुपये रिश्वत देनी पड़ती थी फिर भी ऋण बड़ी मुश्किल से मिल पाता था। आज उनकी जूतियों का घिसना बन्द हो चुका है, आज किसान में आस्था जागृत हुई है कि सरकार में बैठने वाले हमारे आदमी हैं। सभापति महोदय, इनका विरोध केवल इसलिये है कि जनता पार्टी आज बजट बना रही है। आज काम के बदले अनाज योजना गांवों के उन लोगों के लिए हैं जिनको किसी ने पूछा तक नहीं। उनकी भलाई के कार्यक्रमों की आलोचना करने वालों को मैं प्रतिक्रियावादी कहूंगा। मेरे क्षेत्र में 40 लाख के कार्य काम के बदले अनाज योजना में पूरे हो चुके हैं। मैंने एक-एक गांव को देखा है। कोई भी चल कर मेरे क्षेत्र को देख ले। गांव वालों की आज यह आस्था जागी है कि यह सरकार हमारी है। आज पी० डब्ल्यू० डी० वगैरह काम नहीं करा रहे, आज गांव का आदमी भी उसमें इन्वाल्व्ड है। आज गांव गांव में औषधालय के लिए, चिकित्सालय के लिए, पंचायत घर के लिए और स्कूल खुलवाने के लिए भवन तैयार हैं। आज गांव वाले अपने गांव में स्कूल, औषधालय और चिकित्सा उप केन्द्रों की मांग कर सकते हैं। सरकार यह नहीं कह सकती कि तुम्हारे पास इनके लिए भवन नहीं हैं। आज इस बात का हमें गर्व है कि सरकार ने 70 प्रतिशत गांवों के लिए और 30 प्रतिशत शहरों के लिए बजट की राशि का आवंटन किया है। इनको क्यों जलन हो रही है? क्यों दुःख हो रहा है? इसलिये कि इनके पेंटों की प्रेस टूट जायेगी, स्वीमिंग पूल में नहाते हैं। यह नहीं हो सकेगा, ऐश नहीं कर सकेंगे। यह नहीं चलाने वाला।

इसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने शिक्षा की दृष्टि से जो कदम उठाये हैं उसमें ऐसा कहीं नहीं है, आज हमारे कोटा, जो बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, में रावट भाटा अणु संयंत्र है, चम्बल प्रोजेक्ट है, थरमल प्लाण्ट लगाया जा रहा है तो वहां के नौजवान लोगों को वहीं रोजगार दे दिया जाय। वहां प्रशिक्षण कार्यालय स्थापित किया जाय ताकि वहां का नौजवान अपने पांवों पर खड़ा हो सके। न कोई महाविद्यालय और न हायर सैकण्डरी स्कूल के विषय में इसमें विचार किया गया है। जितने राज्य में सैकण्डरी स्कूल हैं उनके अनुरूप हायर सैकण्डरी स्कूल कम हैं, बहुत कम हैं। आज एक सैकण्डरी स्कूल से आने वाला छात्र कहां प्रवेश पायेगा? उसको प्रवेश नहीं मिलेगा तो असन्तोष बढ़ेगा, विद्रोह होंगे। या तो सरकार सैकण्डरी से सीधा कालेज में प्रवेश देने का विचार करे या हायर सैकण्डरी स्कूल की व्यवस्था हो। इसके अलावा न तो मेडिकल कालेज, न कृषि कालेज के बारे में, न एम० एस० डब्ल्यू० कालेज, न

(श्री हरीश शर्मा)

एम० डी० एस० कालेज के बारे में सरकार ने कोई विचार किया है और न ही इसमें रोजगार के बारे में कोई दिशा निर्देश दिया जा सका है। इसके साथ साथ मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां जहां हायर सैकण्डरी स्कूल हैं वहां विज्ञान, कला, वाणिज्य और कृषि आदि सभी विषयों की व्यवस्था की जावे ताकि गांवों के छात्र शहरों की ओर न भागें।

जितने भी स्वास्थ्य उप केन्द्र हैं वहां दो हजार रुपये की दवाइयों का सरकार की ओर से प्रावधान किया जाता है। क्या यह उनके लिए उपयुक्त हो सकेगी? क्या इसके लिए बजट में कोई विचार किया है? स्वास्थ्य उप केन्द्र खोलना बहुत आसान होता है लेकिन समुचित चिकित्सा का प्रबन्ध बहुत कठिन होता है। जो भी लेडी डाक्टर गांव जाती हैं उनके लिए भत्ते का कोई प्रावधान नहीं है। गांवों में मैं विशेष आग्रह से कहूँगा कि इस बारे में पहल करें ताकि चिकित्सा की दृष्टि से गांवों के लोग लाभ प्राप्त कर सकें।

पेयजल की दृष्टि से भी कहना चाहूंगा कि सरकार जनसंख्या के आधार पर पेयजल योजना बनाती है, उसमें पशुओं की जनसंख्या को नहीं गिनती। हमारे क्षेत्र में 50 गांवों में मनुष्यों की अपेक्षा पशुओं की आबादी अधिक है। केवल मनुष्यों की जनसंख्या के आधार पर ग्रामीण जल प्रदाय योजना बनाते हैं। अगर पशुओं की जनसंख्या नहीं जोड़ी गई तो ग्रामीण जल प्रदाय योजना असफल हो जायेगी।

इसके अलावा हम निगम बनाते जा रहे हैं। राज्य सरकार ने पिछले बजट में घोषणा की थी। आज अनुसूचित जाति का निगम बनाने के बारे में सरकार ने कहा है और भी अनेक निगम बनाने के बारे में कहा है। लेकिन इसका कोई परिणाम विशेष रूप से हमारे सामने नहीं आया है।

खनिज और उद्योग की दृष्टि से भी जिन जिन गांवों में बिजली पहुंचा दी गई है उन गांवों में छोटे छोटे बटन, कील आदि बनाने के कारखाने और उद्योग, जिनके लिए 4-4 हजार में मशीनें आती हैं, लगाने की दृष्टि से सरकार ने अगर ध्यान दिया तो गांवों का कायाकल्प हो जायेगा और ग्रामीण उत्थान होगा। जो भी गांवों में माल बनेगा उसको सरकार खरीदेगी तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि गरीबी की रेखा मिट जायेगी। बड़े-बड़े उद्योगों के बारे में मैं बाद में कहूंगा।

इसमें खनिज के बड़े-बड़े सेठों की दादागिरी को छुआ तक नहीं है। रायल्टी खनिज पर बहुत थोड़ी लगाई गई है जब कि खनिजों में बड़े-बड़े सेठों की दादागिरी चल रही है। सभापति महोदय, मजदूरों को चिकित्सा सुविधा नहीं, पेय जल नहीं, शिक्षा नहीं, मजदूरों का शोषण करके उनसे कार्य कराते हैं और अपनी मर्जी के भाव बढ़ाते हैं।

सभापति महोदय, सरकार का भी भावों पर नियंत्रण नहीं है। सेठ मजदूरों की महनत की उपज का भाव मर्जी से बढ़ाते हैं। किसान खुद अपनी महनत से जो पैदा करता है उसके भावों पर किसान का नियंत्रण नहीं है। मान्यवर, जूते बनाने वाले तक अपनी चीज का भाव खुद तय करते हैं

(श्री हरीश शर्मा)

लेकिन किसान आज अभावों के बीच में जिंदा रह कर खड़ा है ।

मैं, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगा जो 1500 तक की आबादी के गांव हैं उन्हें सड़क से जोड़ने के लिए सरकार विचार कर रही है । इससे काम नहीं चलेगा ।

विकास की दृष्टि से बजट में हमारे पास जितने वित्त के साधन हैं, वित्त के साधन तो हम बहुत तेजी के साथ बढ़ा रहे हैं लेकिन हमारे यहां की प्राथमिक आवश्यकताओं को देखते हुए मैं कहना चाहूंगा विकास के कार्य जितनी तेजी के साथ चलने चाहिए थे, उतनी तेजी से नहीं चले हैं ।

वनों में कटाव बढ़ रहा है; वनों का सत्यानाश हो रहा है । इसको रोकने के लिए सरकार को विशेष रूप से विचार करना होगा । माना कि सरकार वन निगम बनाने के बारे में विचार कर रही है किन्तु वनों का दोहन जिस वैज्ञानिक ढंग से, सुव्यवस्थित, सुचारु रूप से होना चाहिये था उस ढंग से नहीं हुआ । आज बरसात का संतुलन इसी कारण बिगड़ गया है ।

इसका अर्थ यह नहीं है, मान्यवर, किसान को जलाऊ लकड़ी न मिले या हल और कुली के लिये लकड़ी न मिले । उनको यह देना आवश्यक है, अनिवार्य है । वनों के विकास के साथ-साथ यह ध्यान रखना है कि वास्तव में वनों की सुरक्षा हो ।

अभी हमारे यहां पर ओलावृष्टि हुई है उसकी मुझे गहरी वेदना है, मुझे दुःख है । मैं यह कहने की हिम्मत करूंगा कि स्यालू फसल, ज्वार और बाजरे की फसल तबाह हो चुकी थी लेकिन आज तक उसका कोई निर्धारण नहीं हुआ है । मुझे सन्देह है कि जो आज वायरलैस भेजा है उसमें स्यालू फसल का भी जिक्र हो । हमें अंधेरे में रखा जा रहा है । मैं जिलाधीश से मालूम करूंगा, उनसे बात करूंगा और इस बात का पता लगाऊंगा कि यह बात कहां तक सत्य है । अगर यह बात सत्य साबित नहीं हुई तो इसका परिणाम अच्छा नहीं रहेगा ।

हम बिक्री कर बढ़ा रहे हैं यह हमारी घोषणाओं के विपरीत है । हम उसको भूल कर बिक्री कर बढ़ा रहे हैं । यह हमने जनता के साथ में वायदा खिलाफी की है । हमने किसानों पर कुठाराघात किया है । इसको रोकने के लिए जो बिजली का प्रोडक्शन करते हैं उन पर टैक्स बढ़ाना चाहिए । जो शराब का धंधा करते हैं उन पर हमारे वित्त मंत्री को टैक्स बढ़ाना चाहिए ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वास्तव में जो खनिजों और उद्योगों का अम्बार लेकर बैठे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, आपके द्वारा उनको आपने कितनी भूमि दे रखी है, कितने प्रकार के बिजली और पानी के अनुदान दे रखे हैं । उनकी तुलना में गांवों के लोगों के पास या उन लोगों के पास, जो कमजोर हैं, कुछ भी नहीं है ।

मैं आज सरकार को बजट के संदर्भ में धन्यवाद दूंगा, लेकिन साथ ही इस बात का संकेत करूंगा कि पुलिस प्रशासन के रूप में

(श्री हरीश शर्मा)

पुलिस का संगठन, जो सरकार की तरफ से काम करता है और राजस्थान का रोडवेज यह दोनों की जनता पार्टी के राज्य के लिए कलंक है। इन पर अगर नियन्त्रण नहीं किया गया तो जनता पार्टी की सरकार बहुत ही बदनाम होगी।

इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि काम के बदले अनाज....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और अन्त्योदय योजना को सफल करना है तो हमारे एस० डी० एम० हैडक्वार्टर के साथ ही एस० डी० एम० का कोर्ट लगा है तो एस० डी० एम० के ऊपर दो काम की ही जिम्मेदारी छोड़ दें। वह इस बात पर तवज्जह दें कि 70 पर्सेंट बजट का गांवों में खर्च हो। ऐसा हुआ तो जनता पार्टी की जो नींव गांवों में जम चुकी है उसको कोई नहीं हिला सकेगा। चाहे चरणसिंह लड़ें या मोरार जी लड़ें उसका प्रभाव गांव वालों पर नहीं पड़ता है। गांव वाले तो काम देखते हैं।

श्री सभापति : माननीय श्री अब्दुल अजीज।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : सभापति महोदय, बजट भाषण पर यह चर्चा हर तरफ से आई है कि टैक्स बढ़े हैं, किसानों पर बोझ बढ़ा है। एक तरफ से कुछ लोग यह भी कहते हैं कि छूट भी दी गई है और हर तरह की राहत दी गई है, हम बड़ी तरक्की पर है। इस प्रकार की चर्चाएं एक तरह से सदन में आई हैं।

सभापति महोदय, किसी भी स्टेट के अन्दर खुशहाली तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि उसके कुदरती मसायल, कुदरती रिसोर्सेज, जो जमीन में छिपे हुए हैं, निकाल कर लोगों के भले के लिए उनके बाई प्राडक्ट पैदा नहीं किये जाएं, उनका विकास नहीं किया जाय। यह मेरी मान्यता है, सभापति महोदय, जब तक हम अपनी स्टेट के अन्दर जो कुदरती रिसोर्सेज हैं, एग्रीकलचर प्रोडक्ट के रिसोर्सेज हैं, उनमें मिनरल्स भी आते हैं और दूसरे भी रिसोर्सेज हैं उनके बाई प्रोडक्ट्स और कई प्रकार की जनोपयोगी चीजों का विकास नहीं करेंगे, उनको जब तक लोग उपयोग में नहीं लायेंगे तब तक यह स्टेट प्रासपरस, वह स्टेट खुशहाल नहीं हो सकता।

अब मैं इस बजट में जो कुछ भी कहा गया है उसके बारे में जिक्र करूंगा। इसमें अन्त्योदय योजना के बारे में कहा है। अन्त्योदय पर हमने मान लिया कि अगर 10-12 करोड़ रुपया खर्च कर दिया और फूड फार वर्क पर खर्च कर दिया तो यह छोटी योजनाएं हैं। आप किन्हीं लोगों को बता सकते हैं कि यह अपनी तरक्की की बात है। लेकिन मैं इसको नहीं मानता हूं। आपके पास गेहूं था वह लोगों को दे दिया ताकि वेस्ट न हो। वह गेहूं कहां से आया है, किन हालतों में आया? खुदा न करे अकाल पड़ जाय, कदाचित खुद गफील हो जाय, कोई ऐसे कुदरती हालात हो जाएं उनका हमारी सरकार मुकाबला कर सके यह रिसोर्सेज रिजर्व करने की क्षमता पर निर्भर करता है। क्या हमारी

(171)

(श्री अब्दुल अजीज)

सरकार अनाज को कई सालों तक प्रिजर्व रखने की हैसियत रखती है ? इस ओर भी राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए। तीन साल में ही अनाज बेकार हो गया और हम इस बात के लिए मजबूर हो गये कि अगर इसको जल्दी से जल्दी डिस्पोज आफ नहीं करेंगे तो उपयोग में आगे नहीं ले सकेंगे। इस बात से प्रेरित होकर, मजबूर होकर हमने फूड फार वर्क की योजना चालू की। उसके अन्दर क्या प्रगति रही है ? उसकी शिकायतें आम तौर पर सामने आई हैं। किसी सरपंच पर आप खुश हो गये, किसी माननीय सदस्य पर खुश हो गये तो वहां लाखों का काम चल पड़ा। कई इलाकों में ऐसा भी हुआ है कि लोगों से काम तो ले लिया गया, लेकिन उनको अनाज आज तक नहीं दिया गया है। मैं समझता हूं कि इसके लिए सरकार को गारन्टी देनी चाहिए। किसी को फूड फार वर्क में लगाया जाता है तो सरकार को गारन्टी देनी पड़ेगी कि जिससे काम लिया है उसको अनाज दिया जायगा। अनाज नहीं मिलता है सैन्टर से तो पैसा दें ताकि वह अपनी आजीविका चला सके।

श्री नवनीत पालीवाल : जो सक्रिय सदस्य है उनको हजारों का लाभ मिला है और जो निकम्मे बैठे हुए हैं उनको लाभ नहीं मिला है।

श्री अब्दुल अजीज : आपको मैंने सुना नहीं है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आपने में और इनमें थोड़ा फर्क है।

श्री अब्दुल अजीज : मैं राज्य सरकार और वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि कुदरती मसाइल क्या हैं ? एग्रीकल्चर और मिनरल इन दोनों को लेकर चलें। फारेस्ट का है तो फारेस्ट में जब हम आगे जायेंगे तो मेडिसनल वेल्यू के फारेस्ट्स आ जायेंगे। जहाँ तक मिनरल्स की बात है तो मिनरल्स के पीछे इन्डस्ट्रियलाइजेशन है वह भी आ जायेगा। यह जो रिसोर्सेज हैं उन पर आधारित इंडस्ट्रियल पर्पज के लिये वित्त मंत्री जी ने जो बजट बनाया है उसके अन्दर बहुत ही कम राशि निर्धारित की है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इन्डस्ट्री के लिए केवल 11 करोड़ 39 लाख और मिनरल डवलपमेंट के लिए 10 करोड़ 70 लाख का प्रावधान है, यह बहुत कम है। अगर राजस्थान का नक्शा पलटना है तो इन्डस्ट्रियल विकास किया जाय, मिनरल्स का डवलपमेंट किया जाय। इससे लोगों को काम मिलेगा। वास्तव में संगमरमर या भेसलाना का पत्थर बनाते नहीं हैं यह तो कुदरती जमीन के खजाने में दबा हुआ है। उसको बाहर निकालने का प्रावधान किया जाय। उस पर ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तो लोगों को काम मिलेगा, और कई तरह की जीवनोपयोगी चीजें पैदा होंगी। अगर हम इसमें ज्यादा कामयाब रहे तो एक्सपोर्ट करने की हैसियत में हम रहेंगे और हमारा इन्टरनेशनल जो मार्केट है उसमें हमारी करेन्सी आगे बढ़ेगी। इसलिए, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा अहमियत की चीजों पर बजट में पैसा बहुत कम रखा है। इन्डस्ट्रियलाइजेशन और मिनरलस डवलपमेंट के लिये ज्यादा खर्च किया जाना चाहिए।

दूसरी ओर एग्रीकल्चर और विद्युत के

(श्री अब्दुल अजीज)

लिए काफी अच्छी राशि निर्धारित की है। लेकिन अब अगला प्रश्न आ जाता है कि करोड़ों रुपयों का लाभ इनसे किस किस को पहुंचता है ?

अब आप राजस्थान नहर को ही ले लें तो उसके लिए बजट में जो पैसा रखा था उसको भी सरेन्डर कर दिया। इसका मतलब यह है कि देश की बड़ी-बड़ी योजना है जिसका नाम इन्टरनेशनल मेप पर आता है, हम जो बड़ी योजना है बना रहे हैं नेशनल स्टेज की उसकी यह गति कर रखी है कि उसके करोड़ों रुपये का बजट इस वर्ष सरेन्डर किया जा रहा है वह केवल इसलिए कि हम कामयाबी के साथ काम नहीं कर सके। यह कारण अलग है कि आपके इन्जीनियर्स आपस में लड़ रहे हैं या लुक आफ्टर नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी मन्शा है एक खूबसूरत राजस्थान बनाने की, राजस्थान को खुशहाल करने की, उसमें राजस्थान के किसानों का बहुत बड़ा भाग है, उसमें राजस्थान की बहुत बड़ी तरक्की छिपी हुई है, उसको पूरी शक्ति और दिमाग से करें और बिना किसी पक्षपात के राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए योजना बनायें।

सभापति महोदय, इसके साथ में जो राजस्थान नहर के पास में लगने वाले इलाके हैं। जिनमें चाहे नागौर का इलाका हो, चाहे जोधपुर का हो, उनको आगे खुशहाल करने के लिए, उनको तरक्की देने के लिए लिफ्ट स्कीम, जो कि प्रस्तावित है, की तरफ ध्यान देना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं अब आता हूं शिक्षा के ऊपर और निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार से हम कहते हैं कि इतने स्कूल खोले और इतने गांवों में यह यह कर दिया। वहां पर टीचर भेज दिया गया तो वह झोंपड़ी के नीचे पढ़ा रहा है। कई जगह तो यह स्थिति है कि टीचर अपाइंट कर दिया, स्कूल खुल गया किन्तु 8 बच्चे हैं। यह शिक्षा की प्रगति एक अन्धेरे में चलने वाला रास्ता है यह मन्जिल पर पहुंचाने वाला नहीं है। मैं राजस्थान सरकार की शिक्षा के मामले में तवज्जह दिलाना चाहूंगा कि जो कुछ भी आप कदम बढ़ायें वह राजनैतिक आधार पर किसी को खुश करने के लिए नहीं हों। इस आधार पर स्कूल खोल दिया। न तो वहां पर लड़कों के बैठने की व्यवस्था है, न पीने के पानी की व्यवस्था है, गोया यह शिक्षण संस्थाओं का एक तरीका हो रहा है। यह मैं अपने अनुभव के बल पर कह रहा हूं क्योंकि मैं एक एडेड स्कूल चला चुका हूं।

राज्य सरकार को जितना सक्षम होना चाहिए, उतना राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। तो, सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि शिक्षण संस्थाओं को जो बजट दिया है, वह बहुत कम है।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान मेडिसन्स के बारे में दिलाना चाहता हूं। दवाइयां वैसे भी बहुत कम पहुंचती हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अगर बीमारी बढ़ी है तो बीमारी भी होगी किन्तु दवाइयों का बजट बहुत कम है। इसलिए मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा दवाइयां दें।

एक माननीय सदस्य : बीमारों की संख्या घटी है।

श्री अब्दुल अजीज : बीमारों की संख्या घटी नहीं है, बढ़ी है।

सभापति महोदय, व्हिकल टैक्स लगाया गया है। इसी तरह से बकरा बकरी, जो मीट के काम में लिए जाते हैं, पर टैक्स लगाया है। इसके अलावा जो माइनर, मिनरल्स है उन पर आपने 1.70 हिस्सा लगाया है। जब आप चाहते हैं कि मिनरल्स मार्केट में आये, लोग अपनी बिल्डिंग में लगायें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

तो क्या वह अपना टोटल हिस्सा ही लगा दें। यह नहीं होगा।

इसके अलावा, सभापति महोदय, आपने 21 करोड़ केवल मैण्टेनेंस पर लगाया है। अन्त्योदय योजना के लिए 13.29 करोड़ का प्रावधान किया जिसकी कि दुनियां भर में चर्चा करते हैं। मैंटेनेंस पर आपने इतना लगाया है।

(व्यवधान)

इसलिए मेरा निवेदन है कि मैंटेनेंस पर 21 करोड़ का प्रावधान उचित नहीं है।

साथ ही साथ एक और निवेदन करूं कि अडल्ट एजूकेशन पर आपने काफी खर्च किया है। एडल्ड एजूकेशन में पैसे का जो यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, उसका हकीकत में कोई लाभ नहीं होगा।

जैसा कि सभी माइनोरिटीज के सदस्यों ने कहा है माननीय वित्त मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि माइनोरिटीज के जो लोग ऐसे काम करने वाले हैं जैसे चुनरी बनाने वाले हैं, औरतें हैं, या नागौर के काश्तकार हैं, या पत्थर का काम करने वाले हैं, या लघु उद्योगों में काम करने वाले माइनोरिटी तबके के लोग हैं उनके बारे में विवेक से काम नहीं किया है। जैसा कि आपका इलेक्शन का घोषणापत्र है कि उनकी आर्थिक स्थिति को आप सुधारना चाहते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आयन्दा चुनाव में भी आप यह कहना चाहते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री अब्दुल अजीज : इसलिए, सभापति महोदय, मैं वित्त मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं। सभापति महोदय, उर्दू अकादमी हमें मत दीजिए। इसका नाम लेकर हमें खुश करने की कोशिश नहीं करें। इसको दफना दीजिए। पिछले दिनों पाकिस्तान के फारिन मिनिस्टर अब्दुल सत्तार आये। सिकन्दर बख्त आये। जितना आप अकादमी पर खर्च नहीं करते हैं, जितना आप अरबी और फारसी के संग्रहालय पर खर्च नहीं करते हैं, उतना बल्कि उससे ज्यादा राजस्थान सरकार ने, आपने उनको बुलाने और दिखावे पर खर्च कर दिया है ताकि आप यह बता सकें कि हम उर्दू को कितना पसन्द करने वाले हैं। अगर वित्त मन्त्री जी वास्तव में उर्दू का हित करने वाले हैं तो प्राइवेट तौर पर जो उर्दू पढ़ाने वाले

(श्री अब्दुल अजीज)

स्कूल हैं भले ही यह मस्जिदों में चलते हैं या कहीं भी चलते हैं आप उनको मदद कर सकते हैं। आप भले ही किसी विधायक से रिकमण्ड करा लें, बच्चों को उर्दू पढ़ाने की बात कर रहे हैं तो जो एडेड स्कूल चल रहे हैं चाहे वह अनरिकनाइज्ड क्यों न हों कम से कम ऐसी इन्स्टीट्यूशन्स को बढ़ाने के लिए, उनकी तरक्की करने के लिए, शिक्षण के लिए उनको एड दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक चीज मैं और कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, काफी बोलने वाले है। आप काफी समय ले चुके हैं।

श्री अब्दुल अजीज : इजाजत दें तो एक निवेदन और कर दूं। नहीं तो नहीं बोलूं।

अगर सही और सुचारु रूप से सिक्योरिटी चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं तो पुलिस का जो मौजूदा बजट है, इसको डबल कर दें। जितने पुलिस अफसरान हैं, उनसे ज्यादा दे दीजिए। सभापति महोदय, मैं वित्त मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं अगर आई. जी चाहते हैं कि यह मिलना चाहिए तो राजस्थान की सिक्योरिटी के लिए यह भी देना चाहिये।

श्री सभापति : माननीय गोपाल पचेरवाल।

(अनुपस्थित)

माननीय जीथिंग भाई।

(अनुपस्थित)

माननीय विजयेन्द्रपालसिंह।

(अनुपस्थित)

माननीय रामकिशोर मीणा।

श्री रामकिशोर मीणा : माननीय सभापति महोदय, बजट पर अनेक माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रस्तुत किये हैं। किसी ने खामियां भी बताई हैं। किसी ने बजट को प्रतिक्रियावादी भी कहा है। बजट इस सिद्धांत के आधार पर ....

श्री किशनसिंह भाटी : माननीय सभापति महोदय, मेरा ध्यान है ?

श्री सभापति : मैं लिस्ट के अनुसार बोल रहा हूं।

श्री मदनसिंह दांता : आप तो विरोधियों में बैठे हैं।

श्री किशनसिंह भाटी : विरोधियों में जरूर बैठा हूं। हम लोक महत्त्व के प्रश्नों पर विरोध को भी विश्वास में लेना उचित समझते हैं।

(व्यवधान)

श्री रामकिशोर मीणा : सभापति महोदय, बजट इस सिद्धान्त पर देखा जाता है कि राज्य को उससे लाभ मिलता है या नहीं। बजट प्रगतिशील है या नहीं। गरीब और अमीर की खाई दिनों-दिन बढ़ती जा रही है उसको बजट के द्वारा कम किया जा रहा है या नहीं। बजट के द्वारा टैक्स लगा कर

(श्री रामकिशोर मीणा)

सरकार रुपया इकट्ठा करती है। जिन क्षेत्रों में टैक्स नहीं लगाया गया है, उनका असंतुलन दूर करने की कोशिश करती है या नहीं है। उपरोक्त आधारों पर यह जो जनता पार्टी की सरकार द्वारा दूसरा बजट पेश किया गया है, कुछ बातों को छोड़कर यह स्वागत योग्य है।

इसमें ग्रामीण जनता का काफी ध्यान रखा गया है। 70% ग्रामीण सुधार कार्यों पर खर्च किया जाएगा। कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने जो आलोचना की है कि इससे कोई तुरत-फुरत लाभ होने वाला नहीं है, मैं इससे सहमत हूं। जो बजट खर्च किया जा रहा है, उसका अगले 5 साल में लाभ मिलने वाला है। बजट में हर क्षेत्र में वृद्धि की गई है। कोशिश यह की गई है कि जनता का पैसा विकास कार्यों में लगे जिससे कि सरकार जो पैसा व्यय करना चाहती है, उससे जनता को राहत मिले तथा जो बीच में सरकारी मशीनरी के द्वारा घपले किए जाते हैं वे कम से कम किये जाएं। इस बजट में इसकी पूरी-पूरी कोशिश की गई है।

मैं एक बात की ओर माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज जो प्रशासनिक तन्त्र में यह आवाज उठाई जाती है कि ब्यूरोक्रेसी सरकार के ऊपर हावी है, इसके लिए मैं यह जरूरी समझता हूं कि जो आज बहुत बड़े-बड़े जिले हैं, जिनका कार्य सुचारु रूप से नहीं हो सकता, उन जिलों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। मैं इस बारे में जयपुर जिले का उदाहरण देना चाहता हूं। इसमें 19 कान्स्टीट्यूएन्सीज हैं। राजस्थान की राजधानी होने की वजह से एस० पी० और कलेक्टर और दूसरे जिला अधिकारी लोग बाहर से जो अधिकारी आते हैं उनकी आवभगत करने में ही लगे रहते हैं। इससे वे दूसरे कार्य नहीं कर पाते हैं और गांव वालों की जो आशाएं हैं वे पूरी नहीं होती हैं, इसलिए इन जिलों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। मेरा निवेदन है कि दौसा को जिला बनाया जावे। अगर यह तुरन्त नहीं हो सकता तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ए० डी० एम०, डी० एस० पी०, इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल, और डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक अधिकारी, जो जयपुर पूर्व के नाम से हैं और जिनके अन्तर्गत बस्सी और दौसा का क्षेत्र आता है, कार्यालय दौसा में स्थानांतरित किए जाएं जिससे गांव वालों की सुगम और सस्ते न्याय की जो आशा है वह पूरी हो सके। मैं किसान हितकारी बजट की आवश्यकता आज महसूस कर रहा हूं। जिस अनुपात में शहरों पर खर्च किया गया, उसी अनुपात में ग्रामों पर खर्च किया जाना चाहिए। मेरा निवेदन है कि अब आप 70% जो गाँवों पर खर्च करने जा रहे हैं उससे उनको लाभ मिलने लगेगा। साथ ही अब तक सर्वाधिक शहरों पर खर्च किया गया। इस लिये उन्ही पर टैक्स भी लगाया जाना चाहिए। मैं एक उदाहरण देकर इसको स्पष्ट करना चाहता हूं। कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्रों में आय में असमानता लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें आय का अन्तर 1 और 4 का हो गया है। कृषि क्षेत्र से गैर कृषि क्षेत्र में 1 : 4 का अनुपात हो गया है। 1977-78 में हुई कुल कृषि आमदनी को उस वर्ष कृषि कार्य में लगी कुल जनसंख्या में वितरित करें तो खेतिहर जनसंख्या के प्रति व्यक्ति की औसत आमदनी वर्ष में 2090/- रुपये अथवा 72 पैसे प्रति दिन प्रति व्यक्ति आती है। जब कि शहरी आमदनी गैर-कृषि उद्योग से

(श्री रामकिशोर मीणा)

केवल औद्योगिक आय, जिसमें श्रमिकों को शामिल किया जाय तो, 25.59 पैसे प्रति दिन आती है और कृषि क्षेत्र में 5.27 है। इस असन्तुलन को दूर करने के लिए गरीब और अमीर की खाई को पाटना जरूरी है। शहरी जनसंख्या को तीस सालों से लाभ मिला है इसलिये उन्हीं पर टैक्स ज्यादा लगाया जाना चाहिये और गांव के लोगों को छोड़ा जाना चाहिये।

जिन टैक्सों की माननीय वित्त मन्त्री जी ने चर्चा की है उनमें से विशेष तौर से सिंचाई कर के बारे में निवेदन करना चाहता हूं ? और भी दूसरे जो टैक्स लगाये गये हैं उनके बारे में भी निवेदन करना चाहता हूँ जैसे लैण्ड रेवेन्यू है। लैण्ड रेवेन्यू के बारे में यह दलील दी गई कि बीस साल से बन्दोबस्त नहीं हुआ। मेरी मान्यता है कि इसमें किसानों की कोई गलती नहीं है। यह सरकार की तरफ से गलती रही है कि उसने किन्हीं कारणों से बन्दोबस्त नहीं किया। यदि इस टैक्स को पहली बार लगाया जाता है तो इसमें किसानों की कोई गलती नहीं है, यह तो सरकार की गलती है इसलिए इसका बड़ा उल्टा अर्थ निकाला जायगा। कृषि उद्योग अभी विकसित नहीं हो पाए हैं। एक रुपये से भी कम कृषि उद्योग से प्रति व्यक्ति आमदनी है। ऐसी हालत में यह किसानों के प्रति घोर अन्याय होगा।

मुझे बजट में एक जगह यह पढ़ने से अफसोस हुआ कि बिक्री कर में संशोधन किया जा रहा है। मुझे यह कहने में तनिक भी हिचक नहीं है कि माननीय वित्त मंत्रीजी का दृष्टिकोण बनिये की तरह पूर्ण रूप से लक्षित होता है। मैं यह नहीं कहना चाहता था लेकिन मजबूर होकर मुझे यह कहना पड़ रहा है। एक लाख की टर्न ओवर पर आप पाबन्दी नहीं लगाना चाहते हैं। इमर्जेन्सी में कुछ अच्छाइयां भी थीं और बुराइयां भी। अगर आप, माननीय वित्त मन्त्री जी, व्यक्ति वाद को तरजीह देंगे तो मैं इस बारे में आप से सहमत नहीं हूं।

मैं, सभापति महोदय, आपका शुक्र-गुजार हूं, आपने मुझे बोलने का समय दिया वैसे मेरा नाम सर्वप्रथम था। मुख्य सचेतक के लगातार बाहर रहने की वजह से मैं इस को पार्टी में ही उठाना चाहता हूं कि इस तरह से सदस्यों के साथ भेदभाव की नीति अपनाई जाती है, वह भविष्य में नहीं अप-नायेंगे। मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं। दो तीन बिन्दुओं के अलावा मैं माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण का स्वागत करता हूं और आपका भी आभार मानता हूं।

श्री बहादुरसिंह (नोहर) : ये अभी भी अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यकों के साथ हैं।

श्री नवनीत पालीवाल : उनकी पार्टी को, जनता पार्टी को सी० पी० एम० और सी० पी० आई० को बराबर समय दिया जा चुका है।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : हमारा टाइम तो शुरू हुआ है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री बहादुरसिंह : माननीय सभापति, महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तावों में जो 70 प्रतिशत गांवों के लिये रखा है, अगर यह सही है तो मैं इस बजट का इस हद तक स्वागत करूंगा। जनता सरकार ने अपने इस अल्प शासन काल में ग्रामों के विकास की ओर पहले की बजाय अधिक ध्यान दिया है। राजस्व अभियान के द्वारा जनता शासन ने ग्रामीण लोगों को सस्ता और घर बैठे न्याय देने का प्रयास किया है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : सबसे बड़ी बकवास है यह।

श्री बहादुरसिंह : अन्त्योदय योजना के मार्फत ग्रामीणों की सेवा के लिए कदम उठाये गये, काम के बदले अनाज की योजना के द्वारा गांवों में एक विकास की लहर पैदा की गई, शिक्षा में भी काफी बढ़ोत्तरी की गई। पहले के मुकाबले में बहुत से स्कूल खोलने का जनता सरकार ने प्रयास किया है। कुछ बातें ऐसी हैं जो वास्तव में कांग्रेस प्रशासन के मुकाबले में इस बजट में काफी प्रशंसनीय हैं। लेकिन, सभापति जी, मैं आपके माध्यम से वित्त-मंत्री का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर आर्थिक सिद्धांतों पर ही बजट को परखा जाए तो यह बजट बजट नहीं है, यह महज गजट नजर आता है, जिसमें आय व व्यय के आंकड़े शाया किए हैं। आपने आर्थिक सिद्धांतों को बलाए ताक रखते हुये अपने बजटरी प्रोवीजन्स की तरफ ध्यान नहीं दिया है, आपने जनता पार्टी की घोषणाओं का ध्यान नहीं रखा है। बजट बनाते समय समाजवादी सिद्धांतों को भी आपने दफना दिया है। आपने बजट में जो करों का बोझ डाला है, वह प्राफिट व प्रापर्टी के बजाय पावर्टी पर डाला है। करों का सिद्धांत है कि हमेशा कर मुनाफे पर लगाये जाते हैं किन्तु आपने मेहनत पर कर लगाये हैं। इसलिये मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि यह बजट समाजवादी सिद्धांतों के विपरीत है। इससे समाज में अमीर व गरीब का भेदभाव मिटेगा नहीं, ज्यादा बढ़ेगा। आपको मुनाफे पर, जायदाद पर टैक्स लगाना चाहिये था। जिन पर टैक्स लगाना चाहिये उनको आपने सहूलियतें दी हैं और जिनको सहूलियतें चाहिए थीं, उन पर आपने टैक्स लगाया है।

वित्त मंत्री जी, आपने जो 70 प्रतिशत बजट का प्रावधान गांवों के लिए बताया है, यह भी आंकड़ों का खेल है और ग्रामों में बैठी जनता के साथ सरासर धोखा है। आपने जो 70 प्रतिशत का प्रावधान किया है वह गलत है। आपका 100 में से 30-35 प्रतिशत तो प्रशासन पर खर्चा होता है, यह सारे का सारा शहरों में होता है। बाकी जो 60-65 प्रतिशत आप बजट प्रावधान रखते हैं इसके लिए आप स्वयं कबूल करते हैं कि 30 प्रतिशत शहरों को दिया है। 30-35 प्रतिशत जो गांवों के लिये था उसमें भी ग्रामीण विकास को शहरों के साथ जोड़ा जाता है जिससे शहरों को 15-20 प्रतिशत फायदा और मिल जाता है। अगर सारा नेट कन्क्लूजन निकालें तो आज भी गांवों पर 25-30 प्रतिशत से ज्यादा खर्चा नहीं कर रहे हैं। आप जो ज्यादा खर्चा करने की बात कहते हैं वह सही नहीं है, गलत है।

(श्री बहादुर सिंह)

बजट को पढ़ने से बड़ी निराशा होती है। मैं अगर आइटम वाइज उदाहरण देकर समझाना चाहूंगा तो दो चीजें ऐसी हैं जिनसे कोई भी देश विकास कर सकता है : एक तो पैदावार और दूसरी शिक्षा। आपके बजट से जाहिर है कि आपकी पैदावार पिछले साल गिरी है, बढ़ी नहीं और शिक्षा पर, वित्त मंत्री जी, आप जब कभी विपक्ष में बैठते थे तो कहा करते थे कि यह शिक्षा पद्धति गलत है। लेकिन आपके बजट से जाहिर नहीं होता कि उस पद्धति में आपने कोई परिवर्तन करने की कोशिश की। आज भी राजस्थान में 12 हजार गांव ऐसे हैं जिनमें प्राइमरी स्कूल तक नहीं है। इसलिये जो बजट आपने पेश किया है और शिक्षा के लिये जो प्रावधान किया है, यह ग्रामीणों के साथ धोखा है। आपने प्राइमरी शिक्षा के एक्सटेंशन के लिये केवल एक करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है और उसके विपरीत प्रौढ़ शिक्षा, ललित कला और कत्थक नृत्य के लिये पौने तीन करोड़ का बजट रखा है। इस उम्र में यह कत्थक नृत्य का आपको शौक कैसे लगा, मेरी समझ में नहीं आता। यह कत्थक नृत्य का बजट प्रावधान गांवों को दिया जाये। हम आपको डान्स दिखाने के लिये प्रबन्ध कर देंगे पार्टी के बजट से। जो बच्चों को वास्तव में शिक्षा चाहिये उसकी जगह आप प्रौढ़ शिक्षा व नृत्य पर पैसा लगाने जा रहे हैं, यह ढकोसला है। इसका सारे का सारा बजट शहरों पर लगेगा। आपने 20 प्रतिशत से ज्यादा बजट ग्रामीणों की शिक्षा को नहीं दिया है, 70 प्रतिशत का आंकड़ा ग्रामवासियों के साथ धोखा है।

इसी तरह से ग्रामों में कोई ट्रेनिंग सैंटर, कोई व्यावसायिक शिक्षा केन्द्र का प्रावधान इस बजट में नहीं रखा है। आपने पिछड़े क्षेत्रों के लिए हायर सैकण्डरी स्कूल व कालेज तक का प्रावधान नहीं रखा है। मरु क्षेत्र के अन्दर 5-5 कोस पर एक एक गांव है, 8-8 मील, 12-12 किलोमीटर का फासला है एक गांव से दूसरे गांव तक, वहां प्राइमरी शिक्षा का आप प्रबन्ध नहीं कर पाए। इसलिए आपका जो बजट है, यह ग्रामीण जनता के साथ सरासर धोखा है।

दूसरी बात जो ग्रामीणों को परेशान करती है वह है पेयजल। दुर्भाग्य है राजस्थान का कि आपने पेयजल की जिम्मेदारी उस व्यक्ति को सौंपी है जिसने डिस्टिल्ड वाटर की 5-5 मिली ग्राम की छोटी शीशी देखी हैं और ज्यादा से ज्यादा 500 मिली ग्राम की ग्लूकोज की बोतल देखी है उससे ज्यादा नहीं। वह इस भारी भरकम योजना को पूरा नहीं कर पायेंगे। आपके बजट प्रावधान को देखते हुए, आपने जो शुरू में घोषणा की थी वह थोथी नजर आती है। संसद के चुनावों के समय श्री मोरारजी देसाई ने घोषणा की थी कि तीन साल में हम गांवों को पीने का पानी देंगे। आप तीन साल में केवल 1250 गांवों के लिए पानी का प्रावधान कर पाए। आपके मुख्य मंत्री ने एलान किया था कि हम तीन साल में गांवों को पीने का पानी पहुंचायेंगे....

श्री मदनसिंह दांता : Party should take action tomorrow.

श्री बहादुरसिंह : जब इस बजट प्रावधान को देखेंगे तो ऐसा नजर आएगा कि

(श्री बहादुर सिंह)

आपकी घोषणायें और वायदे कांग्रेस से भी ज्यादा थोथे और झूठे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारी सरकार दम भरती है कि हम ग्रामीण विकास की ओर ध्यान देंगे, गलत है।

आपने जो शराबबन्दी के लिए दलील दी है कि बंद नहीं हो पाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह सही नहीं है। आज भी आम चर्चा शहरों और गांवों में है कि ठेकेदारों से 55 लाख से लेकर एक करोड़ रुपये तक सौदा हो रहा है शराबबन्दी नहीं करने से। वित्त मंत्री जी, अगर शराब बंद नहीं की तो जनता पार्टी पर कलंक लगेगा कि ठेकेदारों से साजिश की गई है।

आपने जो कर बढ़ाए हैं उनके बारे में कहूंगा। आपने सिंचाई....

श्री मदनसिंह दांता : पाइंट आफ आर्डर। माननीय सदस्य को कल तक टाइम दिया जाए।

श्री किशनसिंह भाटी : आप थोड़ा समय बढ़ा दें।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के समय में वृद्धि

श्रीनवनीत पालीवाल (मुख्य सचेतक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री बहादुर सिंह जी का भाषण समाप्त होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि सदन की बैठक का समय 10 मिनट के लिए और बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन की कार्यवाही का समय 10 मिनट के लिए और बढ़ाया गया।

आय-व्ययक पर वादविवाद

श्री बहादुरसिंह : धन्यवाद।

माननीय वित्त मंत्री जी आपने जो सिंचाई पर कर बढ़ाया है जब कि आप यह महसूस करते हैं कि कृषि एक घाटे का सौदा है। इसी हाउस के अन्दर आपने यह जवाब दिया है कि काश्तकारों की कास्ट आफ प्राडक्शन 150 रुपये है और आपने 115 रुपये क्विन्टल के भाव तय कर रखे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप कानून के द्वारा मजबूर करते हैं कि वह प्रति क्विन्टल 35 रुपये का घाटा खाये। फिर भी आप उनके ऊपर टैक्स बढ़ाते हैं। जो कुंए सिंचित हैं उनके ऊपर चाही लगान की बात आपने की है। एक तरफ आप हाउस के अन्दर इरिगेशन डिपार्टमेंट के यह आंकड़े प्रस्तुत करते हैं........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

लिफ्ट इरिगेशन पर सरकार के 380 रुपये प्रति एकड़ खर्च आते हैं। वित्त मंत्री जी, जब लिफ्ट इरिगेशन से खेत को सिंचित करते हैं बिना आपका खर्च कराये तो उसके ऊपर आप कैसे टैक्स लगायेंगे? क्या आप यह चाहते हैं कि वह कुएं वहीं रखें। हजारों कुओं के कनेक्शन इसलिए काटे गये हैं कि वह अनप्राफिटेबल साबित हुए हैं। कृषि स्वयं अपने आप में अनप्राफिटेबल है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अपना भाषण समाप्त करें।

श्री बहादुरसिंह : मेरा सुझाव है कि आप प्राफिट पर टैक्स लगायें। आप बड़ी होटलों पर टैक्स लगायें जिनका पहले दो रुपया रोज किराया था और आज किराया 200 रुपया रोज का हो गया है। उन दुकानों पर टैक्स लगायें जिनका पहले 10 रुपया महीने का किराया था और आज किराया 500 रुपया महीने का हो गया है। आप उन प्रापर्टी पर टैक्स लगायें जिनकी कीमत कभी 100 रुपया बीघा थी और जो आज 4 लाख रुपया बीघा में बिक रही हैं। क्यों नहीं आप उन प्रापर्टीज के ऊपर टैक्स लगाते हैं जो कि ज्यादा प्राफिट देती हैं? जो घाटे का सौदा है उस पर से टैक्स कम करें....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अपना भाषण समाप्त करें।

श्री बहादुरसिंह : मैं समाप्त कर रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समय की पाबन्दी है। कृपया भाषण समाप्त करें।

श्री बहादुरसिंह : मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह जो उन्होंने टैक्स लगाये हैं इनको वह वापस लें, शराबबंदी की जाये, ग्रामीण एजूकेशन के लिये ज्यादा प्रावधान किया जाये और पेयजल के लिये भी प्रावधान और बढ़ाया जाये।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामेश्वर लाल चौधरी।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी (नांवा) : माननीय सभापति जी, जो भी कल्याणकारी योजना सरकार द्वारा चलाई जाये वह सही मायने में क्रियान्वित हो तो सराहनीय है। यह मेरी मान्यता है।

अब सवाल 1979-80 के बजट का है तो लम्बे चौड़े आंकड़ों के चक्कर में न पड़ कर मोटी-मोटी काश्तकारों की तकलीफों की बातें बताऊंगा। सरकार ने बिजली की फ्लेट रेट तय की है। एक तरफ तो सरकार ने काश्तकारों को ऐसा करके मदद की कि चाहें तो वह फ्लेट रेट रखें या मीटर के हिसाब से रखें। लेकिन इसमें यह भी है कि वह किसी दूसरे के खेत को पानी नहीं दे सकते। ऐसी शर्त इसमें लगा रखी है। जब एक तरफ हम बिजली की चार घंटे की गारन्टी देते हैं तो वह चाहे दूसरे के खेत में पानी दे या नहीं दे आपका प्राडक्शन तो बढ़ेगा ही। इसलिये उसके ऊपर ऐसी पाबन्दी नहीं होनी चाहिए और छूट होनी चाहिए कि वह अगर फ्लेट रेट देता है तो उसी चार घंटे में चाहे तो दूसरे के खेत को भी पानी दे सकता है।

दूसरी बात किसानों की जो माली हालत है वह मेरे ख्याल से तो मास्टर जी को मालूम नहीं है। आज आपको मालूम होना चाहिए कि गांवों के अन्दर किसानों की यह हालत है कि न तो उनके पास अच्छे कपड़े हैं, न अच्छा खाने और पहनने को है और न उनकी चीजों के भाव अच्छे हैं। उसका दूध किस भाव जाता है? चारा या सब्जी किस भाव पर जाती है? फिर

(श्री रामेश्वर लाल चौधरी)

ऊपर से आप टैक्स और लगाते हैं। किसानों के लिए यह सब उल्टी पड़ने वाली बातें हैं। इसलिए जो टैक्स लगाये हैं वह लगाकर आपने अच्छा नहीं किया। आपने तो वह बात कर दी, जैसी मारवाड़ी में कहावत है कि पाकोड़ा हांडा के कांई गार चढ़े हैं।

प्रौढ़ शिक्षा के लिए जो खर्च कर रहे हैं और टैक्स लगा रहे हैं यह गलत बात है। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। पहले कांग्रेस के राज्य में प्रौढ़ शिक्षा चलती थी उसका रिजल्ट ना के बराबर है। उस एजूकेशन को बन्द करना पड़ा। इसलिए मेरा सजेशन है कि प्रौढ़ शिक्षा के लिए जो टैक्स लगाया है यह नहीं लगाया जाये तो अच्छी बात है.......

श्री नवनीत पालीवाल : प्रौढ़ शिक्षा के ऊपर टैक्स नहीं है।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : जो टैक्स लगाया है वह किसी मद में तो जायेगा ही।

गांवों के जो स्कूल हैं वहां न तो मास्टरों के रहने की जगह है और न बच्चों के बैठने की जगह है। स्कूल तो आपने खोल दिये लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? आप 500 रुपया मास्टर को देते हैं उसने कितना काम किया, कितना नहीं किया यह तो आपके ध्यान में नहीं है। आपने और स्कूल खोल दिये हैं। मेरा कहना यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हो और मास्टरों को अट्रेक्शन हो कि मुझे जिस गांव में पढ़ाने जाना है वहां मेरे रहने की भी व्यवस्था है और बैठने की भी है।

दूसरी बात यह है कि कालेज बहुत दूर दूर पर हैं। वहां पर जाने के लिए बसों के पास लेने के लिए आये दिन झगड़े होते हैं। आप वैसे ही करोड़ों रुपया खर्च करते हैं तो मेरा सुझाव है कि आप उनको फ्री पास बना दें ताकि वह शिक्षा प्राप्त कर सकें।

मैं इस बात के लिए सहमत हूं कि आप शराबबंदी पूर्ण रूप से करें। पिछले दिनों जैसी कर रहे हैं शराबबंदी उस तो फायदा नहीं है। आज हर गली गली में शराब के ठेकेदार हैं। ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। आप यदि कुछ करना चाहते हैं, सही मायने में करना चाहते हैं और इसके पक्के हामी हैं तो इसको पूरी तरह से बन्द कीजिए। इसके लिए आप प्रिवेन्टिव फोर्स का स्टाफ बढ़ाइये और पुलिस के अन्दर भी इसके लिए थानेदार को जिम्मेदार बनायें। सरकारी आफिसर्स शराबबंदी के खिलाफ हैं क्योंकि उनको शाम को पीने के लिए चाहिए और हराम का पैसा चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हाउस की कमेटी बनायें या और कोई कमेटी बनायें या ग्रामों में पंचों की कमेटी बनायें और जो भी शराब पीये हुए आदमी को पकड़ें उसे तुरन्त डाक्टरी मुआयने के लिए भेज दें और फिर उसके खिलाफ कार्यवाही हो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए मेरी अर्ज है कि शराबबंदी पूर्ण हो। या तो आप पूरे गांधीवादी बन जाइये.......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(182)

श्री रतनलाल वर्मा : सभापति जी, मेरा नम्बर आ गया है। कल मुझे पहला नम्बर मिले यदि अभी समाप्त करते हैं तो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य। सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक रात्रि 8.10 बजे शुक्रवार दिनांक 16 मार्च, 1979 के म. पू. 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई)।

परिशिष्ट–1

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

भूमि विकास बैंक, धौलपुर द्वारा किसानों को कुएं व इंजन हेतु ऋण

264. **श्री जगदीश सिंह** (धौलपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

भूमि विकास बैंक, धौलपुर ने जून, 1978 से 10 फरवरी, 1979 तक कितने काश्तकारान को कुआं व इन्जन बनाने के लिए कर्जा बांटा ? क्या यह सही है कि कर्जा नहीं बांटा गया और इस कारण गरीब किसानों के साथ अन्याय हुआ ? यदि हां, तो दोषी कौन है ? क्या ऐसे दोषी अधिकारी के खिलाफ जांच कराई जावेगी ?

उत्तर

धौलपुर सहकारी भूमि विकास बैंक लि० धौलपुर द्वारा दिनांक 1 जून 78 से 10 फरवरी 1979 तक की निर्धारित ऋण वितरण योग्यता के अनुसार कुल 370 काश्तकारों को 17.20 लाख रुपये का ऋण कुआं व इन्जन आदि हेतु बांटा गया है। यह सही नहीं है कि कर्जा नहीं बांटा गया।

बाढ़ से क्षतिग्रस्त बयाना तालचिड़ी रोड

265. **श्री शिवचरण सिंह** (बयाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बयाना तालचिड़ी रोड पर बाढ़ से कितना नुकसान हुआ तथा इस सड़क की मरम्मत पर कितना रुपया खर्च किया गया ?

(2) इस सड़क का निर्माण कब शुरू हुआ तथा कब तक यह पूरी करवा दी जावेगी ? इस सड़क पर डामर होगी अथवा नहीं ?

उत्तर

(1) बयाना तालचिडी रोड बाढ़ से तीन स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुई है, सन् 78-79 बाढ़ग्रस्त मद में इस सड़क के लिए 2.00 लाख रुपये स्वीकृत किया गया है और इस पर कार्य चालू करवा कर जनवरी के आखिर तक 76,379/– खर्चा किया जा चुका है।

(2) इस कार्य का निर्माण सन् 1963-64 में शुरू किया गया था। इस सड़क पर डामर कराए जाने का प्रावधान है। डामर का कार्य शीघ्र पूरा हो जाने की आशा है।

किशनगढ़ क्षेत्र के चर्म उद्योग

266. **श्री करतार सिंह** (किशनगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अराई, हरमाडा, रलावना, सुरसरा, ठीकावडा आदि ग्रामों में चर्म उद्योग करने वाले काफी तादाद में परिवार रहते हैं, जो चमड़े को पकाने एवं रंगने के साथ चमड़े की कई विभिन्न प्रकार की

(श्री करतार सिंह)

कलात्मक वस्तुयें भी बनाते हैं तथा इस कार्य में काफी दक्ष हैं ?

(2) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार शीघ्र इन ग्रामों के चर्म व्यवसायियों एवं कलाकारों को रोजगार देने के वास्ते किसी प्रकार का चर्म उद्योग लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इस क्षेत्र के चर्म उद्योग को प्रोत्साहन देने व चर्म व्यवसायियों को राहत देने के वास्ते राज्य सरकार की क्या योजना है तथा इसकी क्रियान्विति कब तक संभव है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा कोई ऐसा उद्योग खोलने का प्रस्ताव नहीं है। यदि कोई उद्यमी या दस्तकार इन स्थानों पर उद्योग लगाने हेतु आवेदन करता है तो उसे विभाग सब सुविधायें शीघ्र ही उपलब्ध करायेगा। राज्य सरकार शीघ्र ही राज्य में चर्म उद्योग विकास निगम बनाने जा रही है जो राज्य के सभी संभावित स्थानों पर चर्म उद्योग लगाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगा। इस योजना को विकास निगम के गठन के बाद ही क्रियान्वित किया जा सकेगा।

कोटा शाहबाद सड़क पर पुलियाओं का निर्माण

267. **श्री रघुवीरसिंह कौशल** (बांरा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कोटा शाहबाद सड़क पर कालीसिंह और पार्वती नदियों की पुलियाओं की ऊंचाई कम होने के कारण जिले का यह प्रमुख मार्ग वर्षा ऋतु में अवरुद्ध हो जाता है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इन पुलियाओं के निर्माण के लिये विचार कर रही हैं ?

(2) पुलियाओं के अतिरिक्त केवल सड़क मार्ग के लिए कोटा जिले के लिए आगामी वर्ष में कितना धन निश्चित किया गया है तथा प्रदेश के अन्य जिलों के लिये कितना ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या सरकार छबड़ा व शाहबाद सड़कों को मध्य प्रदेश के मार्गों से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

इन नदियों पर ऊंचे पुल नहीं होकर सबमर्सिबल काजवे हैं और नदी में वर्षा ऋतु में पानी आने से यातायात अवरुद्ध हो जाता है। इन नदियों पर ऊंचा पुल बनाने हेतु रुपये 4·50 कर की अनुमानित लागत है और इस वर्ष इन नदियों पर पुल बनाने का प्रस्ताव नहीं होकर चालू पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

(2) आगामी वर्ष में जिलेवार प्रस्तावित धनराशि अभी विचाराधीन है।

(3) जो सड़के छठी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित हैं वे इस प्रकार हैं :—

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

1. छबड़ा कुम्भ राज रोड (30 कि. मी.)	76 लाख
2. नाहरगढ़ से पांडों सड़क	12 लाख

भानपुर कलां व मेंड के उप स्वास्थ्य केन्द्र

268. **श्री रामेश्वर प्रसाद गूजर**— (जमवा रामगढ़) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले की भानपुर कलां व मेंड पी.एच.सी. में वर्ष 1978-79 में कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं ?

(2) क्या इन उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर निर्धारित स्टाफ एवं औषधि उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या इन उप स्वास्थ्य केन्द्रों का वार्षिक बजट होता है ?

(4) यदि हां, तो इन नवीन केन्द्रों का बजट कहां पर खर्च किया गया है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1978-79 में कोई उपकेन्द्र स्वीकृत नहीं किये गये।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

तहसील कोटपूतली के ग्रामों में चिकित्सा सुविधा

269. **श्री रामकरण सिंह** (कोट पूतली) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे--

(1) तहसील कोटपूतली के भोलावास और राजनौता ग्रामों में सब-सैन्टर या एड पोस्ट कब से चालू है ? कौन-कौन अधिकारी इसके निरीक्षण के लिये कब-कब गये ?

(2) क्या राज्य सरकार इतने बड़े पंचायत मुख्यालयों की जिनकी आबादी 5–6 हजार से अधिक है, पर चिकित्सा सुविधा कब तक उपलब्ध करायेगी ?

उत्तर

(1) ग्राम राजनौता में एक उपकेन्द्र वर्ष 1968 से कार्यरत है। ग्राम भोलावास में कोई उपकेन्द्र या एडपोस्ट कार्यरत नहीं है। वर्ष 1975 से अब तक उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक-स्वास्थ्य केन्द्र नरहेड़ा द्वारा निरीक्षण निम्न तिथियों को किया गया—

दिनांक	दिनांक
13-1-75	13-3-75
21-1-76	22-5-76
23-6-76	2-7-76
15-9-76	10-10-76
18-10-76	20-10-76
30-10-76	26-11-76
1-12-76	16-12-76

(चिकित्सा मंत्री)

25-12-76	29-12-76
11-1-77	20-2-77
18-3-77	24-5-77
27-9-77	8-11-77
11-1-78	1-6-78

इसके अतिरिक्त उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण) जयपुर ने भी दिनांक 10-3-79 को निरीक्षण किया।

(2) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा सकेगी।

वाणिज्य कर विभाग के अधीनस्थ कर्मचारियों की पदोन्नति

270. **श्री सूरजपाल सिंह** (भीनमाल) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि वाणिज्य कर विभाग के अधीनस्थ कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए 50% सीट रखी जाती हैं जब कि मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिए केवल 12½% सीट (पद) आरक्षित रखे जाते हैं? इस भेदभाव का क्या कारण है ?

(2) क्या यह भी सही है कि वाणिज्य-कर आयुक्त ने मंत्रालयिक कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए 37½% पद आरक्षित रखने के सुझाव राज्य सरकार को भेजे थे, उस विषय में राज्य सरकार ने क्या निर्णय लिया ?

(3) क्या यह भी सही है कि मंत्रालयिक कर्मचारियों को पदोन्नति हेतु आर. पी. एस. सी. की प्रतियोगिता परीक्षा में बैठना अनिवार्य है ? क्या राज्य सरकार मंत्रालयिक कर्मचारियों को आर. पी. एस. सी. की प्रतियोगिता परीक्षा में प्रवेश किये बगैर पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ? अगर हां, तो कब तक ? और अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। केवल वाणिज्यिक कर निरीक्षकों के पदों से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के पदों पर पदोन्नति के लिए 50% पद आरक्षित हैं। विभागीय मंत्रालयिक कर्मचारियों से वाणिज्यिक कर निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु साढ़े बारह प्रतिशत पद आरक्षित हैं। भिन्न-भिन्न नियमों के अन्तर्गत आरक्षण के प्रावधान हैं। भेदभाव नहीं है।

(2) जी हां। सुझाव विचाराधीन है।

(3) जी हां। ऐसा कोई प्रस्ताव अभी राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

शराब की बिक्री संबंधी विज्ञापनों पर रोक

272. **श्री रामनारायण चौधरी** (मंडावा) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या राज्य में शराब के विज्ञापन प्रकाशित करने पर राज्य सरकार ने कोई

(श्री रामनारायण चौधरी)

प्रतिबंध लगाया था ? यदि हां, तो क्या इस प्रतिबंध की अनुपालना प्रदेश में हो रही है ?

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में प्रकाशित होने पर अखबार इन प्रतिबंधों का पालन कर रहे हैं परन्तु दिल्ली तथा मध्य-प्रदेश एवं हरियाणा से निकलने वाले अखबार शराब की बिक्री के बारे में विज्ञापन छाप रहे हैं और यह सब कार्यवाही आबकारी अधिकारियों एवं सरकार के ध्यान में है परन्तु कोई कार्यवाही अब तक नहीं की गई ?

(3) क्या राज्य सरकार इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राज्य में प्रकाशित होने वाले अखबार प्रतिबंधों की अनुपालना कर रहे हैं। दिल्ली, मध्यप्रदेश एवं हरियाणा से प्रसारित अखबार इस राज्य में शराब की बिक्री के बारे में विज्ञापन छाप रहे हों, और ऐसे अखबारों का राज्य में वितरण हो रहा हो, ऐसा कोई मामला राज्य सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(3) यदि कोई मामला ध्यान में आवेगा तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

अजमेर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

273. **श्री कल्याणसिंह सांखला** (अजमेर पूर्व) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर जिले में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व डिस्पेन्सरियां हैं ? किस किस स्थान पर हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) अजमेर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा डिस्पेन्सरियां कितने समय से कहां कहां बिना महिला व पुरुष डाक्टरों के चल रही हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) अमृतकौर चिकित्सालय, ब्यावर में पुरुष व महिला डाक्टरों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा आज तक कितनी महिला व पुरुष डाक्टर कार्यरत हैं ?

उत्तर

(1) अजमेर जिले में 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 29 राजकीय डिस्पेन्सरियां है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) प्रश्न भाग (1) की सूची में यह सूचना भी दे दी गई है।

(3) अमृतकौर अस्पताल, ब्यावर में डाक्टरों के स्वीकृत/कार्यरत पदों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :—

पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	
	योग	पुरुष	महिला
वरिष्ठ विशेषज्ञ	2	2	—
कनिष्ठ विशेषज्ञ	6	5	1
सी०ए० एस०	21	13	8

पद का नाम	कार्यरत			रिक्त
	योग	पुरुष	महिला	
वरिष्ठ विशेषज्ञ	2	2	—	—
कनिष्ठ विशेषज्ञ	5	4	1	1 (रेडियोलोजी)
सी० ए० एस०	21	13	8	—

अजमेर जिले में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व डिस्पेन्सरियों की सूची

प्रा. स्वा. केन्द्र का नाम	स्वीकृत पद पुरुष	स्वीकृत पद महिला	कार्यरत पुरुष	कार्यरत महिला	डिस्पेन्सरी का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(1) अराई	1	1	1	—	(1) आदर्श नगर, अजमेर	1	1	
(2) भिनाय	1	1	1	1	(2) सिटी डिस्पें. किशनगढ़	1	1	
(3) जवाजा	1	1	1	1	(3) बघेरा	1	1	
(4) कादेड़ा	1	1	1	—	(4) गोविन्दगढ़	1	1	
(5) मसूदा	1	1	1	—	(5) गंगवाना	1	1	
(6) रूपनगढ़	1	1	1	—	(6) हरमाडा	1	1	
(7) पिसागन	1	1	1	1	(7) जालिया	1	1	
(8) श्रीनगर	1	1	1	×	(8) जेठाना	1	1	
					(9) रामसर	1	1	
					(10) सावर	1	1	
					(11) टाटोदी	1	1	
					(12) टाटगढ़	1	1	
					(13) नसीराबाद	1	1	
					(14) सराधना	1	1	
					(15) सरवाड	1	1	
					(16) तिहारी	1	—	दिनांक 30-6-78 से रिक्त है
					(17) दांतरा	1	1	
					(18) खरवा	1	1	
					(19) प्रान्हेडा	1	—	दिनांक 1-1-79 से रिक्त है
					(20) कारनास	1	1	
					(21) पारा	1	1	
					(22) बादनवाडा	1	1	
					(23) कुवेल	1	1	
					(24) बडाखेडा	1	1	

× 3 माह से रिक्त-पर पुरुष चिकि. कार्यरत

क्रम सं. 1-4-5-6 में महिला डाक्टर के पद के विरुद्ध 1 वर्ष से अधिक समय से पुरुष डाक्टर कार्यरत है।

(189)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					(25) गोठियाना	1	1	
					(26) ब्यावर	1	1	
					(27) गुलाबबाड़ी (अजमेर)	1	1	
					(28) डिग्गी बाजार, (अजमेर)	1	1	
					(29) सिटी डिस्पेन्सरी, रामगंज, अजमेर	1	1	

डिस्पेन्सरीज में महिला चिकित्सक का पद सामान्यतः सृजित नही होता।

जोधपुर जिले की सड़कें

274. **श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या ब्यावर से जैसलमेर सड़क वाया बीलाड़ा, जोधपुर-बालेसर, पोकरण भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के आग्रह पर रक्षा विभाग को सुपुर्द की जा रही है ? यदि हां, तो किन शर्तों पर ?

(2) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले में वर्ष 78-79 में सबसे कम सड़कों की मंजूरी दी गई ? सब से कम मेन्टीनेन्स पर खर्च किया गया ? यदि नहीं, तो कोटा जिले में नई सड़कों पर कितना खर्च किया गया तथा जोधपुर में कितना तथा कहां खर्च किया गया ?

(3) क्या जोधपुर जिले में एक और एक्स ई एन. का पद सृजित किया गया है ? यदि हां, तो विभाजन किस प्रकार किया गया है ? शेरगढ़ में ए. ई. एन. के कार्यालय की स्थापना की गई या नहीं ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। जोधपुर जिले में सन् 78-79 में करीब 80 लाख रुपये अनुमानित लागत की सड़कें स्वीकृत हैं और सड़कों के मद में 18.6 लाख इस वर्ष में धनराशि का प्रावधान है।

सड़क की मरम्मत की मद में जोधपुर जिले में 102.84 लाख का प्रावधान वर्ष 78-79 में किया गया है। राज्य सरकार की नीति के अनुसार वर्ष 1978-79 में नई सड़कों की स्वीकृति में प्राथमिकता उन सड़कों पर दी गई जो 5000 से अधिक आबादी वाले गांव जो अभी तक सड़क से जुड़े नहीं थे उनको जोड़ेंगे। जोधपुर जिले में कोई ऐसे गांव नहीं होने के कारण इस मद में कोई स्वीकृति देना संभव नहीं था इस कारण बाढ़ग्रस्त चम्बल कमांड क्षेत्र व अन्तर्राज्य महत्व की सड़कें क्षेत्र में जो स्वीकृति दी गई जोधपुर जिला उन क्षेत्रों में नहीं होने से स्वीकृति देना संभव नहीं था। कोटा व

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

जोधपुर सड़क के विभिन्न मदों वर्ष 1978-79 में स्वीकृत राशि की सूची-संलग्न हैं।

(3) जी हां। जोधपुर जिले में एक और एक्स. ई. एन. का पद सृजित किया गया है दोनों खण्ड में विभाजन अब किया गया है वह इस प्रकार है :

1-खण्ड (1) 1-जोधपुर जिला उपखण्ड
2-फलौदी उपखण्ड
3-बालेसर उपखण्ड

2-खण्ड (2) 1-वर उपखण्ड
पूर्व नया-सृजित 2-बिलारा उपखण्ड
3-जैतारण उपखण्ड

शेरगढ़ में कोई नए ए. ई एन. कार्यालय की स्थापना नहीं की गई है।

वर्ष 1978–79 में जिला जोधपुर एवं कोटा के लिये सड़कों के मद में प्रावधान की सूची

(सूची अ)

मद	जिला जोधपुर		जिला कोटा		
1. स्टेट प्लान	1.87	लाख	103.40	लाख	(इसमें चम्बल पूल का कार्य सम्मिलित हैं)
2. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1.54	,,	23.43	,,	इसमें 5000 आबादी वाली नई सड़कें सम्मिलित हैं।
3. चम्बल कमांड एरिया की सड़कें	—	—	140.20	,,	
4 बाढ़ ग्रस्त सड़कें	—	—	30.00	,,	
5. रेलवे सुरक्षा कार्य	0.50	,,	2.05	,,	
6. खनिज सड़कें	2.332	,,	2.75	,,	
7. औद्योगिक क्षेत्र की सड़कें	2.475	,,	1.375	,,	
8. मिल्क रूट्स	9.90	,,	—	—	
9. सैन्ट्रल रोड फंड	—	—	2.00	,,	
10. अन्तर्राज्य महत्व की सड़कें	—	—	31.40	,,	
योग	18.617	लाख	326.605	लाख	

ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों का वेतन

275. **श्री शंकरलाल** (जैतारण) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापकों को केवल 200) रुपये मासिक तनख्वाह दी जाती है जब कि वह पूरे समय के लिए सहकारी समिति में कार्य करते हैं ? यदि हां, तो राज्य में ऐसे कितने व्यवस्थापक हैं ?

(2) क्या एक कर्मचारी के लिए केवल 200) रुपये मासिक की तनख्वाह उसके व उसके परिवार के जीवनोपार्जन के लिए अपर्याप्त नहीं है ?

(3) क्या राज्य सरकार इन कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी ? यदि हां, तो कब तक और किस प्रकार ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सही नहीं है।

(2) समितियों के व्यवस्थापकों की वेतन श्रृंखलाएँ वर्तमान में निम्न प्रकार है:- रुपये 250-8-330 प्रति माह है व रुपये 308-10-380-10-450 है।

(3) व्यवस्थापकों का वेतन राजस्थान क्रेडिट इन्सटीट्यूशन केडर आथोरिटी लि. द्वारा भुगतान किया जाता है। वेतन भुगतान हेतु जो कोष बनाया गया उसमें ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा धन राशि प्रदान की जाती है जो कि किसानों से वसूल किये जाने वाले ब्याज में से ही दी जाती है। यदि वेतन बढ़ाया जाता है तो उसका सीधा असर किसानों से लिये जाने वाले ब्याज दर पर पड़ेगा इसलिए व्यवस्थापकों को दिये जाने वाले वेतन एवं किसानों से लिए जाने वाले ब्याज दर में सन्तुलन रखने की पृष्ठ भूमि में ही कोई निर्णय लिया जा सकता है।

रानीवाड़ा में ग्रेनाइट पत्थर

276. **श्री रतनाराम चौधरी** (रानीवाड़ा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि रानीवाड़ा विधान सभा के क्षेत्र में ग्राम करड़ा है ? क्या वहां ग्रेनाइट का बढ़िया किस्म का पत्थर निकलता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि वहां का ग्रेनाइट पत्थर बाहर भेजकर पिसाया जाता है ?

(3) क्या राज्य सरकार करडा में ही एक फैक्ट्री लगा कर वहां का पत्थर पीस कर तैयार कराने का विचार रखती है जिससे वहां के लोगों को मजदूरी मिल सके ?

उत्तर

(1) हां ? रानीवाड़ा क्षेत्र में ग्राम करडा है। वहां पर बढ़िया किस्म का ग्रेनाइट नहीं निकलता है। वहाँ पर फ्लोराइट नामक खनिज निकलता है। ग्रेनाइट तथा

(खनिज मन्त्री)
फ्लोराइट दोनों खनिजों का दोहन क्रमशः जालौर तथा करडा में राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम द्वारा किया जा रहा है।

(2) नहीं। ग्रेनाइट पत्थर को पीसने की आवश्यकता नहीं होती। चूंकि करडा में फ्लोराइट निकलता है अतः इसे मिट्टी के रूप में ही बाहर भेजा जाता है जो राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम द्वारा किया जाता है।

(3) ऐसी कोई योजना नहीं है।

देवस्थान के भवनों का वाटर प्रूफिंग

277. **श्री मंजूर अली** (सवाईमाधोपुर) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही नहीं है कि देवस्थान की ज्यादातर इमारतें बारिश में टपकती हैं ?

(2) क्या बारिश के दिनों में टपकने वाले मकानों के गिरने की सम्भावना नहीं बनी रहती ?

(3) क्या इन भवनों को जल्दी से जल्दी वाटर प्रूफिंग कराना जरूरी नहीं है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित मरम्मत तलब मन्दिरों की प्रति वर्ष मरम्मत कराई जाती है।

(2) जी नहीं। इस विभाग द्वारा प्रबन्धित मन्दिरों की सम्पदाओं की मरम्मत प्रति वर्ष होती रहने से बारिश के दिनों में टपकने की सम्भावना नहीं है।

(3) जी नहीं। मरम्मत तलब भवनों की आवश्यक मरम्मत व वाटर प्रूफिंग आदि प्रतिवर्ष कराई जाती है।

झालावाड़ जिले में लिफ्ट इरिगेशन योजना के तहत सिंचाई

278 **श्री निर्मलकुमार सकलेचा** (झालरापाटन) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) लिफ्ट इरिगेशन के सम्बन्ध में राज्य सरकार की क्या नीति है ?

(2) झालावाड़ जिले में कितने स्थानों पर लिफ्ट इरिगेशन से सिंचाई हो सकती है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राज्य में जहां-जहां नदी नालों अथवा देहों में पर्याप्त पानी उपलब्ध रहता है और जिसका प्रवाहीय सिंचन में उपयोग नहीं हो सकता उसको लिफ्ट योजनाओं द्वारा उपयोग में लिये जाने की राज्य सरकार की नीति है, किन्तु ये लिफ्ट योजनायें "लाभ व हानि" के आधार पर ही चलाई जा सकती हैं।

(2) झालावाड़ में फिलहाल निम्नलिखित योजनाओं द्वारा लिफ्ट सिंचाई सम्भव है—

(सिंचाई मंत्री)

1. भोंरासा
2. सलोदिया
3. जावर
4. हमोतिया
5. हिम्मतगढ़
6. सामरिया
7. जलावा
8. राजपुरा

इन सब परियोजनाओं पर लिफ्ट करने पर व्यय रु. 500/- से रु. 1000/- प्रति हैक्टेयर के बीच आता है। अन्य स्थानों के विषय में अभी सर्वेक्षण नहीं किया जा सका है। सर्वेक्षण के बाद ही कुछ कहना सम्भव हो सकेगा।

टौंक कृषि उपज मण्डी के यार्ड का निर्माण कार्य

279. **श्री अजीत सिंह** (टौंक) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या टौंक कृषि उपज मण्डी का यार्ड निर्माण कार्य 1979 में शुरू कर दिया जायेगा ?

(2) क्या वर्ल्ड बैंक से इस यार्ड के निर्माण हेतु स्वीकृति मिल गई है ? यदि हां, तो कितने रुपये इस कार्य को पूरा करने पर खर्च किये जावेंगे ?

(3) क्या गौण मंडियों पर भी यार्ड के निर्माण कार्य शुरू करने का राज्य सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या गौण मंडियों के आवश्यक यार्ड निर्माण हेतु भूमि प्राप्त कर ली गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। मण्डी यार्ड के निर्माण कार्य को यथाशीघ्र प्रारम्भ करने का प्रयास किया जायेगा।

(2) जी नहीं। अभी स्वीकृति नहीं मिली है।

(3) जी हां। जिन गौण मण्डियों में भूखण्ड उपलब्ध हैं तथा जिन मण्डी समितियों की वित्तीय क्षमता ठीक है, वहां पर मण्डी यार्ड निर्माण किया जा सकेगा। यह कहना अभी सम्भव नहीं है कि टौंक जिले में गौण मण्डियों का कब तक निर्माण शुरू हो सकेगा।

(4) जी नहीं। कब प्राप्त की जायेगी।

तिलवाड़ा के पशु मेला स्थल का विकास

281. **श्रीमती मदन कौर** (पचपदरा): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राज्य के प्रसिद्ध पशु मेला तिलवाड़ा के स्थल का विकास करने से संबंधित कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो प्राथमिकता के आधार पर किये जाने वाले विकास कार्य का ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

जी हां।

195

(पशुपालन मंत्री)

परन्तु इसे अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है।

प्रस्तावित विकास कार्यों में जल एवं बिजली की व्यवस्था, मेला स्थल, आवागमन हेतु सड़क व्यवस्था चौकियों एवं भवन निर्माण तथा स्टेडियम के लिए जमीन की आवंटन एवं निर्माण कार्य सम्मिलित है।

फलासिया (उदयपुर) क्षेत्र की वन उपज.

282. **श्री लालूदास** (फलासिया) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

उदयपुर जिले के फलासिया क्षेत्र में जो वन उपज होती है उसको निगम मंडी भाव से न खरीद कर काफी सस्ते भाव से खरीदता है जिसमे आदिवासियों का शोषण होता है तथा क्षेत्रीय जनता में इससे काफी असंतोष है इस प्रकार के शोषण के विरुद्ध राज्य सरकार क्या करने जा रही है ?

उत्तर

उदयपुर जिले के फलासियां क्षेत्र में लघु वन उपज की खरीद जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी निगम द्वारा की जाती है। ऐसी खरीद का क्रय मूल्य प्रचलित बाजार भाव के समान रहना संभव नहीं है क्योंकि निगम को इस कार्य पर कई प्रकार का व्यय करना पड़ता है।

निगम लघु वन उपज के क्रय का कार्य पिछले करीब। 1½ वर्ष से ही कर रहा है व पूर्व में निगम को इसका कोई अनुभव नहीं था अतः अनुभव के आधार पर इस दिशा में इस प्रकार के आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं ताकि आदिवासियों का शोषण न हो। मौजूदा क्रय से आदिवासियों का शोषण नहीं हो रहा है. यह इस तथ्य से प्रकट होगा कि निगम को इस क्षेत्र के लघु वन उपज का व्यापार करने में 11,774 रुपये की हानि हुई है।

सांचौर क्षेत्र के ग्रामों में विद्युत

283. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचौर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति क्षेत्र सांचौर में अब तक सिर्फ एक ही नगर सांचौर में बिजली उपलब्ध करवाई गई है एवं अन्य किसी भी गांव में नहीं ? अगर हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि भीनमाल से रानीवाड़ा होकर सांचौर तक 33 के. वी. लाइन का प्रसार हो चुका है ? अगर हां, तो क्या राज्य सरकार सांचौर के 33 के. वी. लाइन से लगते हुए गांवों में विद्युतीकरण करना उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार सांचौर के गांव, जहां 33 के. वी. लाइन जाती है, में सिंचाई कुओं में विद्युत कनेक्शन देना उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि सांचौर के करीबन 80 गांवों की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना बना कर केन्द्रीय विद्युत् बोर्ड

(मंत्री, जन जाति क्षेत्रीय विकास) को भेजी गई थी ? अगर हां, तो उक्त विद्युतीकरण योजना कब तक मंजूर करवा दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। बिजली की उच्च प्रसारण लाइन के अभाव के कारण इस क्षेत्र में सांचौर नगर के अतिरिक्त अन्य किसी भी गांव में विद्युतीकरण का प्रसार नहीं हुआ है।

(2) जी नहीं। भीनमाल से रानीवाड़ा तक ही 33 के. वी की लाइन है। रानीवाड़ा से सांचौर तक कोई 33 के. वी. की लाइन नहीं है। सांचौर में 33/11 के. वी के सब स्टेशन के अभाव के कारण अभी सम्भव नहीं है।

(3) सांचौर में 33/11 के. वी. के सब स्टेशन के अभाव के कारण गांवों के विद्युतीकरण तथा सिंचाई कुओं में बिजली कनेक्शन आदि देने के सम्बन्ध में कुछ कहना अभी सम्भव नहीं है।

(4) जी हां। योजना ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के समक्ष क्षेत्र के निरीक्षण के लिए विचाराधीन है, अतः स्वीकृति के विषय में निश्चित रूप से अभी कुछ कहना सम्भव नहीं है।

पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड जोधपुर के प्रबन्धक (दुग्ध प्राप्ति) की नियुक्ति

284. **श्री माधोसिंह कछवाह** (सरदारशहर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., जोधपुर में श्री गुरुबक्ष बम्बानी को बिना किसी साक्षात्कार, विज्ञापन और चयन के बावजूद भी प्रबन्धक (दुग्ध प्राप्ति) के पद पर नियुक्त किया ? यदि हां, तो कौन से नियमान्तर्गत किया गया ?

(2) कथित श्री बम्बानी की नियुक्ति के आदेश कब किये और ऐसी विशेष नियुक्ति का लाभ श्री बम्बानी को होगा या जोधपुर डेयरी को ? नियुक्ति आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) श्री बम्बानी का भूतकाल में राजस्थान के लोगों के साथ बातचीत करने व सम्पर्क करने का अनुभव है या नहीं ?

(4) क्या यह सही है कि श्री बम्बानी राजस्थानी व मारवाड़ी भाषा नहीं समझते और गांवों में जाते समय द्विभाषीये के रूप में डेयरी से किसी अन्य अधिकारी को सहायता के लिए ले जाते हैं ?

(5) क्या राजस्थान में प्रबन्धक (दुग्ध प्राप्ति) के पद पर चयन योग्य अधिकारी राज्य सेवा में नहीं हैं ? यदि हां, तो उनको अवसर क्यों नहीं दिया गया ?

उत्तर

(1) जी, यह सही नहीं है।

(2) श्री बम्बानी की नियुक्ति संस्था के हित में है।

(3) हां। अनुभव है।

(4) जी नहीं। यह सही नहीं है।

Page No. 196

(197)

(श्री माधोसिंह कछवाह)

(5) सभी राज्य सेवा योग्य अधिकारियों को अवसर दिया गया।

राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के आपातकाल में अनिवार्य सेवा निवृत्त किये कर्मचारी

285. **श्री कौशल किशोर जैन** (भीलवाड़ा) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) आपातकाल के अन्दर राज्य विद्युत् मण्डल ने कितने कर्मचारियों को अनिवार्य सेवा निवृत्त किया ? नामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या विद्युत मण्डल राज्य सरकार की तरह इन केसेज पर पुनरावलोकन कर अनिवार्य सेवा मुक्त हुए व्यक्तियों को पुनः सेवा में रखेगा ?

(3) क्या कर्मचारियों को शेष अवधि का वेतन देय होगा ?

(4) विद्युत मण्डल इस सम्बन्ध में कब तक अंतिम रूप से फैसला ले लेगा ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के सेवा नियमों में अनिवार्य सेवा निवृत्ति के प्रावधान के तहत 17 कर्मचारियों को माह अक्टूबर, 1975 में अनिवार्य सेवा निवृत्ति दी गई थी, जिनके नामों की सूची 'अ' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। केस के मेरिट के अनुसार पुनरावलोकन करके तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(3) जिन कर्मचारियों को मण्डल द्वारा पुनः सेवा में लिये जाने का निर्णय लिया जावेगा उन्हें अनिवार्य सेवा निवृत्त की तिथि से पुनः सेवा में लेने की तिथि तक या उनको 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, उनमें सो जो भी पहले हो की अवधि का नियमानुसार वेतन देय होगा।

(4) कुल 17 व्यक्तियों में से विद्युत मण्डल ने 5 व्यक्तियों को तो मई/जून, 77 में सर्विस में ले लिया। बाकी 12 कर्मचारियों के मामलों में मण्डल द्वारा दिनांक 31-3-1979 तक निर्णय लिये जाने की सम्भावना है।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में अक्टूबर 1975
में सेवा निवृत्त किये गये कर्मचारियों की सूची

क्र.सं.	नाम	पद
1.	श्री बी. एन. कौशिक	अधीक्षण अभियन्ता
2.	श्री जी. के. गुप्ता	अधीक्षण अभियन्ता
3.	श्री यू. सी. कासलीवाल	अधीक्षण अभियन्ता
4.	श्री एस. एस. शर्मा	अधिशासी अभियन्ता
5.	श्री एल. एस. पंडित	अधिशासी अभियन्ता
6.	श्री सी. पी. तनेजा	अधिशासी अभियन्ता
7.	श्री के. आर. इंगले	अधिशासी अभियन्ता
8.	श्री टी. आर. गुप्ता	अधिशासी अभियन्ता
9.	श्री एन. आर. सेन गुप्ता	सहायक अभियन्ता
10.	श्री एम. एल. यादव	संस्थापन अधिकारी
11.	श्री एल. सी. जोशी	कार्मिक अधिकारी
12.	श्री आर. एस. मंगल	लेखाधिकारी
13.	श्री एस. आर. जोशी	लेखाधिकारी
14.	श्री जी. एल. कौशिक	लेखाधिकारी
15.	श्री चांद रतन,	लेखाधिकारी
16.	श्री मनोहर लाल	लेखाधिकारी
17.	टी सी. सौगानी	सहायक लेखाधिकारी

राज्य के जिलों का पुनर्गठन

28६. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या राज्य सरकार ने राज्य में कुछ जिलों का पुनर्गठन करने पर अन्तिम निर्णय कर लिया है ?

(2) क्या यह सही है कि जयपुर जिले के दौसा सब-डिवीजन को जिला बनाने के बारे में भी राज्य सरकार ने अन्तिम निर्णय कर लिया है ?

(3) क्या राज्य सरकार सैद्धांतिक रूप से दौसा को जिला बनाने में सहमत है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। ऐसा कोई मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है ?

(2) जी नहीं। ऐसा कोई मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 6-3-79)

मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय भरतपुर में कुम्हेर क्षेत्र के मुकदमात

137. **श्री काशीनाथ गुप्त** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) कुम्हेर क्षेत्र के अन्तर्गत गत तीन वर्षों में कितने मुकदमे मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय, भरतपुर में दायर किए गए ?

(2) इस समय कुम्हेर क्षेत्र के कितने मुकदमे मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय भरतपुर में विचाराधीन हैं ?

(3) एक मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना के लिए न्यूनतम कितने मुकदमों का होना किसी एक क्षेत्र के लिए आवश्यक है ?

(4) क्या राज्य सरकार कुम्हेर क्षेत्र के उन ग्रामीणों को सस्ता और सुलभ न्याय प्रदान करने के लिए कुम्हेर में पृथक मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना करेगी जिन्हें विवश होकर पच्चीस किलोमीटर से भी अधिक दूर से भरतपुर 'न्याय प्राप्ति' हेतु आना पड़ता है ?

उत्तर

(1) गत तीन वर्ष में याने 1976 से 1978 तक भरतपुर मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय कुम्हेर क्षेत्र के क्रमशः 292, 233 व 264 मुकदमे दायर हुये।

(2) इस समय 612 मुकदमे कुम्हेर क्षेत्र के मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय, भरतपुर में विचाराधीन हैं।

(3) इस सम्बन्ध में कोई निश्चित मापदण्ड नहीं है।

(4) राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक -3-79)

बाढ़ व अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त भवन

142. **श्री हजारीमल सारण** (सरदारशहर) : क्या सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में 1978 में बाढ़ व अतिवृष्टि से प्रभावित सरकारी व सार्वजनिक भवनों की मरम्मत के लिए कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई ? कृपया जिला तहसील व ग्रामवार इस प्रकार के भवनों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) चूरू जिले से स्कूल भवन, पंचायत भवन आदि की मरम्मत के लिए कितनी धन राशि की मांग की गई और कहां कहां से तथा कितनी धनराशि स्वीकृत की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) बाढ़ व अतिवृष्टि से प्रभावित सार्वजनिक व सरकारी भवनों की मरम्मत के लिए धनराशि स्वीकृत करने का आधार क्या था ?

उत्तर

(1) वर्ष 1978 में आई बाढ़ व अतिवृष्टि से प्रभावित सरकारी व सार्वजनिक भवनों की मरम्मत के लिये कुल 60 लाख रु स्वीकृत किये गये हैं जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी है।

(2) चूरू जिले के कालेज, स्कूल, पंचायत भवनों राजस्व कार्यालयों की इमारतों आदि की मरम्मत हेतु कुल 15,0 ,800.00 रुपये की मांग प्राप्त हुई जिसका विभागवार विवरण इस प्रकार है :—

1. निदेशक कालेज शिक्षा	3,00,000
2. निदेशक शिक्षा	1,21,000
3. जिलाधीश चूरू	7,03,000
4. विकास एवं पंचायत निदेशालय	3,83,8000
योग	15,07,800

उपरोक्त मांग की गई राशि के मुकाबले कुल 10,55,800.00 रुपये स्वीकृत किए गये। विवरण निम्न प्रकार है :—

1. निदेशक कालेज शिक्षा के प्रस्तावित कार्य हेतु	3,00,000
2. निदेशक शिक्षा द्वारा प्रस्तावित कार्य हेतु	1,21,000
3. जिलाधीश चूरू द्वारा प्रस्तावित कार्य हेतु	4,04,000
4. विकास एवं पंचायत निदेशालय द्वारा प्रस्तावित कार्य हेतु	2,30,800
योग	10,55,800

(3) जिलाधीश एवं सम्बन्धित विभागाध्यक्ष की मांग तथा मरम्मत तलब भवनों की आवश्यकता की प्राथमिकताओं के आधार पर मरम्मत के लिये यह धनराशि स्वीकृत की गई है। जो मौके पर निरीक्षण व तकनीकी सर्वे के आधार पर प्रस्तावित थी।

(201)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 6-3-79)

कामां में मुंसिफ कोर्ट

148. **श्री मोहम्मद जहूर** (कामां) : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार तहसील कामां में मुंसिफ कोर्ट खोलने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) डीग मुंसिफ कोर्ट में कामां क्षेत्र के कितने प्रतिशत मुकदमे हैं ?

उत्तर

(1) जी हां; कामां तहसील में मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है जो नये वित्तीय वर्ष में स्थापित करने की सम्भावना है ।

(2) डीग मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय में कामां क्षेत्र के 42%, 35% व 28% क्रमशः फौजदारी दीवानी व डेब्ट रिलीफ के मुकदमे विचाराधीन हैं।

परिशिष्ट–2

(अतारांकित प्रश्न संख्या 195 की सूची)

सूची ग्राम सेवा सहकारी समिति तहसील जमवारामगढ़

क्र. सं.	नाम समिति			बकाया राशि बैंक	बकाया राशि सरकारी
1	2			3	4
1.	धौप ग्राम सेवा सहकारी समिति			78094.94	–
2.	दण्ड ग्राम सेवा सहकारी समिति			76093.68	–
3.	खबाना ग्राम सेवा सहकारी समिति			155985.40	9375.00
4.	अचरोल ग्राम सेवा सहकारी समिति			1035.26	–
5.	चन्दवाली ग्राम सेवा सहकारी समिति			2925.11	–
6.	लखेर ग्राम सेवा सहकारी समिति			1494.13	–
7.	माथासूला ग्राम सेवा सहकारी समिति			229709.93	–
8.	पालेड़ा	,,	,,	226088.86	11000.00
9.	सायपुरा	,,	,,	222121.46	8594.00
10.	सायवाड़	,,	,,	201006.25	–
11.	रायसर	,,	,,	159567.66	–
12.	टोडा मीना	,,	,,	86200.03	5500.00
13.	मानपुर कलां	,,	,,	88189.56	–
14.	ताला	,,	,,	1584.72	–
15.	गठवाड़ी	,,	,,	20165.09	–
16.	अजबपुरा	,,	,,	93027.67	–
17.	जमवारामगढ़	,,	,,	207515.09	–
18.	बावड़िया	,,	,,	152375.00	–
19.	मोनाला	,,	,,	27339.47	–
20.	नायला	,,	,,	116675.24	–
21.	थली	,,	,,	162933.76	11000.00
22.	आंधी	,,	,,	270324.98	–
23.	बिरासना	,,	,,	147894.30	–
24.	थोलाई	,,	,,	119480.33	–
25.	नेवर	,,	,,	142322.67	–
26.	निमला विशनावाला		,,	91929.21	–

(203)

1	2			3	4
27.	सरगड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति			57369.25	–
28.	धूलारावजी	,,	,,	19336.05	–
29.	बूज	,,	,,	48607.87	–
30.	फूटोलाल	,,	,,	58562.83	–
31.	गांवली	,,	,,	5999.08	–
32.	धर्मपुरा ग्रामस्या	,,	,,	90332.37	–
33.	रायपुर	,,	,,	64278.34	–
				34,26,565.59	45469.00

Total 34,72,034.59

204

परिशिष्ट–3

(अतारांकित प्रश्न संख्या 197 की शर्त की प्रति .

CONDITION:—

(I) The leasee will get a feasilbility report prepared within one year of the grant of renewal of mining lease and if it is found feasible to have an activation plant installed on fuller earth he will instal an activation plant with in one year of this feasilbility report.

(II) The leasee will employ a whole time mining engineer who will be paid the emoluments not below what would have been admissible in Government service.

परिशिष्ट–4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 198 की सूची)

क्र. सं.	लाइम स्टोन खनन पट्टे का क्षेत्र तहसील सोजत जिला पाली के	खनन पट्टाधारी का नाम	खनन पट्टे का क्षेत्रफल	खनन पट्टे की अवधि	पंजीयन की तिथि	कार्य आरम्भ की तिथि	खनन कार्य करने का क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	निकट ग्राम अटबड़ा जिला पाली	1. श्री गुलाब सिंह पुत्र श्री बोरी दास	10 वर्ग मील	मूल अवधि 1-1-55 से 5 वर्ष। समयावधि 6-6-61 तक बढ़ाई गई।	–	1-1-55	अटबड़ा क्षेत्र में सन् 1955 से व इसके पूर्व भी खनन कार्य किया गया। वर्तमान में पट्टाधारी का खनन कार्य स्वीकृत क्षेत्र का 1.33% है। क्षेत्र में अनेकों खड्डे हैं जिनमें पूर्व में खनन कार्य किया जाकर उन्हें बन्द कर दिया है तथा कुछ ऐसे भी खड्डे हैं जिनमें अस्थायी तौर पर खनन कार्य बन्द है। ऐसे पुराने खड्डों का क्षेत्रफल कुल स्वीकृत क्षेत्रफल का
		2. श्री केशवसिंह शिवजीसिंह वर्तमान में खनन पट्टा शासन के आदेश क्रमांक 17(51) खान/72 दिनांक 4-8-73 द्वारा	10 वर्ग मील (×)	मूल अवधि 1-9-62 से 5 वर्ष। प्रथम नवीनीकरण 1-9-67 से 5 वर्ष द्वितीय नवीनीकरण 1-9-72 से 10 वर्ष	1-9-62	1-10-62	

1	2	3	4	5	6	7	8
		सर्वश्री सोजत लाईम कं. के नाम परिवर्तित किया गया।					लगभग 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत है।
2.	निकट ग्राम मण्डला जिला पाली	सर्वश्री केशवसिंह शिवजीसिंह सोजत रोड	10 वर्ग मील	मूल अवधि 1-4-55 से 5 वर्ष। प्रथम नवीनीकरण 1-4-60 से 5 वर्ष। द्वितीय नवीनीकरण 1-4-55 से 5 वर्ष। पार्टी ने क्षेत्र का अध्यार्पण किया जो दिनांक 1-6-68 से स्वीकार किया गया।	—	1-4-55	मण्डला क्षेत्र में 1955 से व इसके पूर्व भी खनन कार्य किया गया। वर्तमान में पट्टाधारी का खनन कार्य स्वीकृत क्षेत्र का 0.172 प्रतिशत है। क्षेत्र में ऐसे अनेक खड्डे हैं जिनमें पूर्व में खनन कार्य किया जाकर उन्हें बन्द कर दिया है तथा कुछ ऐसे भी खड्डे हैं जिनमें अस्थायी तौर पर खनन कार्य बन्द है। ऐसे पुराने खड्डों का क्षेत्रफल कुल स्वीकृत क्षेत्रफल का लगभग 8 प्रतिशत से 10 प्रतिशत है।
		2. श्री राजेन्द्रसिंह कछवाहे	10 वर्ग मील (×)	मूल अवधि 1-3-74 से 10 वर्ष।	1-3-74	1-3-74	

3.	निकट ग्राम रून्दिया जिला पाली	श्री केवलचन्द माण्डोत	10 वर्ग मील (×)	मूल अवधि 15-12-70 से 5 वर्ष। प्रथम नवीनीकरण– 15-12-75 से 10 वर्ष।	15-12-70	15-12-70	ग्राम रून्दिया तहसील सोजत क्षेत्र में खनन कार्य दिनांक 15-12-70 से प्रथम बार शुरू हुआ है वर्तमान में 195091 वर्ग मीटर क्षेत्र में कार्य चालू है जो कुल स्वीकृत क्षेत्र का 0.133 प्रतिशत है। पिछले तीन वर्षों में स्वीकृत क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल का चार प्रतिशत से छः प्रतिशत क्षेत्र खनन कार्य के लिये काम में लिया गया है।

नोटः—(×) चिन्ह राज्य सरकार द्वारा दिनांक 9-11-76 को लिए गए निर्णय एवं नई नीति के अनुसार धारित खनन पट्टों का अधिकतम क्षेत्र 15 वर्ग किलोमीटर करने के फलस्वरूप उपरोक्त पट्टाधारियों से 15 वर्ग किलोमीटर से अधिक का क्षेत्र छुड़वाया गया है और वर्तमान में उनके पास 15 वर्ग कि. मी. का क्षेत्र रखा गया है।

अधीक्षक खनि अभियन्ता, जोधपुर।

(208)

परिशिष्ट–5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 202 का विवरण)

क्र. सं. 1	लाईम स्टोन 2	लाईम स्टोन खनन पट्टे का क्षेत्र 3	खनन पट्टे का क्षेत्रफल 4	खनन पट्टे की अवधि 5
1.	विभागीय प्लांट नं. 2 निकट ग्राम बरना, तहसील बिलाड़ा	श्री मोहनलाल पुत्र श्री जयदेवजी मोदी, निवासी, सोजत रोड	10 वर्ग मील (×)	मूल अवधि 3-1-68 से 5 वर्ष प्रथम नवीनीकरण 3-1-73 से 5 वर्ष द्वितीय नवीनीकरण 3-1-78 से विचाराधीन है।
2.	विभागीय प्लांट नं. 5 निकट ग्राम मुकरासनी तहसील बिलाड़ा	श्री रवि प्रकाश मिश्रा पुत्र श्री श्याम सुन्दर मिश्रा निवासी कोटा	10 वर्ग मील (×)	मूल अवधि 24-6-74 से 23-6-79
3.	विभागीय प्लांट नं. 11 निकट ग्राम बोरून्दा, तहसील बिलाड़ा	श्री रसीद खां पुत्र श्री वसीरखां निवासी मेड़ता सिटी	10 वर्ग मील (×)	मूल अवधि 8-7-76 से 5 वर्ष
4.	निकट ग्राम अटबड़ा जिला पाली	1. श्री गुलाबसिंह पुत्र श्री बोरीदास	10 वर्ग मील	मूल अवधि 1-1-55 से 5 वर्ष

	2. श्री केशवसिंह पुत्र श्री शिवजीसिंह वर्तमान में खनन पंट्टा शासन के आदेश क्रमांक 17(51) खान/72 दिनांक 4-8-73 द्वारा सर्वश्री सोजत लाईम कम्पनी के नाम परिवर्तित किया गया।	10 वर्ग मील (×)	मूल अवधि 1-9-62 से 5 वर्ष प्रथम नवीनीकरण 1-9-67 से 5 वर्ष द्वितीय नवीनीकरण 1-9-72 से 10 वर्ष
5. निकट ग्राम मंण्डला जिला पाली	1. संर्वश्री केशव सिंह शिवजीसिंह, सोजत रोड	10 वर्ग मील	मूल अवधि 1-4-55 से 5 वर्ष प्रथम नवीनीकरण 1-4-60 से 5 वर्ष द्वितीय नवीनीकरण 1-4-65 से 5 वर्ष पार्टी ने क्षेत्र का अध्ययन करने पर दिनांक 1-6-68 से स्वीकार किया।
	2. श्री राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री शिवजतीसिंह जी कछवाहा, निवासी सोजत रोड	10 वर्ग मील (×)	मूल अवधि 1-3-74 से 10 वर्ष
6. निकट ग्राम रून्दिया जिला पाली	1. श्री केवलचन्द मान्डोत, निवासी सोजत रोड	10 वर्ग मील (×)	मूल अवधि 15-12-70 से 5 वर्ष प्रथम नवीनीकरण 15-12-75 से 10 वर्ष

नोट:—(×) चिन्ह राज्य सरकार द्वारा दिनांक 9-11-76 को लिये गये निर्णय एवं नई नीति के अनुसार धारित खनन पट्टों का अधिकतम क्षेत्र 15 वर्ग कि. मी. करने के फलस्वरूप उपरोक्त पट्टाधारियों से 15 वर्ग किलोमीटर से अधिक का क्षेत्र छुड़वाया गया है और वर्तमान में उनके पास 15 वर्ग कि. मी. का क्षेत्र रखा गया है।

अधीक्षक खनि अभियन्ता,
जोधपुर।

परिशिष्ट–6

(अतारांकित प्रश्न सं. 204 की सूची)

सूची "अ"

वरिष्ठ/कनिष्ठ विशेषज्ञों के पद जहां स्वीकृत नहीं हैं

क्र.	जिला अस्पताल का नाम	मेडिसन	सर्जरी	आपथो-मोलोजी	मायमा-क्लोजी	पेडिया-ट्रिक्स	आरथो-पेडिक
1.	धोलपुर	–	–	–	–	नहीं	नहीं
2.	जयपुर (ई.एस.आई.)	–	–	नहीं	–	–	नहीं
3.	अन्य जयपुर	–	नहीं	नहीं	–	नहीं	नहीं
4.	कोटपूतली (जयपुर)	–	–	–	–	नहीं	नहीं
5.	झुन्झुनू	–	–	–	–	नहीं	नहीं
6.	टोंक	–	–	–	–	नहीं	नहीं
7.	सवाईमाधोपुर	–	–	–	–	नहीं	नहीं
8.	करौली	–	–	–	–	नहीं	नहीं
9.	रतनगढ़	–	–	–	–	नहीं	नहीं
10.	नागौर	–	–	–	–	नहीं	नहीं
11.	जालौर	–	–	–	–	नहीं	नहीं
12.	बाड़मेर	–	–	–	–	–	नहीं
13.	जैसलमेर	–	–	–	–	नहीं	नहीं
14.	पाली	–	–	–	–	–	नहीं
15.	फलौदी	–	नहीं	नहीं	–	नहीं	नहीं
16.	सिरोही	–	–	–	–	नहीं	नहीं
17.	बून्दी	–	–	–	–	नहीं	नहीं
18.	झालावाड़	–	–	–	–	नहीं	नहीं
19.	चित्तौड़	–	–	–	–	नहीं	नहीं
20.	प्रतापगढ़	–	–	–	–	नहीं	नहीं
21.	डूंगरपुर	–	–	–	–	–	नहीं

(211)

सूची "ब"

कनिष्ठ विशेषज्ञों के पद निम्न विषयों में रिक्त हैं

	विषय 1	संख्या 2	नाम 3
(1) कनिष्ठ विशेषज्ञ	स्त्री रोग	8	1. अजमेर 2. टोंक 3. कोटपूतली 4. चूरू 5. नागौर 6. बाड़मेर 7. फलौदी 8. डूंगरपुर
(2) कनिष्ठ विशेषज्ञ	सर्जरी	3	1. रतनगढ़ 2. शाहबाद (कोटा) (ट्राइबल सब प्लान) 3. प्रतापगढ़।
(3) कनिष्ठ विशेषज्ञ	मेडिसियन	3	1. श्री गंगानगर 2. बाड़मेर 3. मोबाइल सर्जिकल यूनिट, जयपुर।
(4) कनिष्ठ विशेषज्ञ	मेडिसिन	6	1. नागौर 2. सवाईमाधोपुर 3. रतनगढ़ 4. करौली 5. झालावाड़ 6. शाहबाद (कोटा) ट्राइबल सब प्लान
(5) कनिष्ठ विशेषज्ञ	आपथोमोलोजी	2	1. टोंक 2. रतनगढ़

	1	2	3
(6) कनिष्ठ विशेषज्ञ	रेडियोलोजी	2	1. भरतपुर 2. ब्यावर
(7) कनिष्ठ विशेषज्ञ	अनेस्थेसिया	2	1. मोबाइल सर्जिकल यूनिट, जयपुर । 2. ई. एस. आई., जयपुर ।
(8) कनिष्ठ विशेषज्ञ	आरथोपेडिक	1	1. श्री गंगानगर

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न सं. 208 की सूची)

सूची

तहसील शेरगढ़ के स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत कार्यरत उपकेन्द्रों पर कार्यरत स्टाफ का विवरण

उपकेन्द्र का नाम	स्वीकृत पद ANW	ANM	FWHA	कार्यरत स्टाफ का नाम	
चौरडिया	1	1	–	श्री देवीलाल श्रीमती कमला देवी	ए.एच.डब्ल. दाई(ए.एन.एम.)
सोइन्तर	o1	o1	–	श्री कैलाश चन्द	ए.एच.डब्लू.
खोडता	–	1	1	श्रीमती ज्योती शर्मा	दाई(ए.एन.एम.)
कलाऊ	–	o1	1	श्री कालिचरण	एफ.पी.एच.ए. (परिवार कल्याण स्वास्थ्य कार्यकर्ता)
समाला	–	1	o1	कुमारी शान्ता कुमारी	ए.एन.एम.
बिरजा	1	1	–	श्री मोहम्मद अनीफ श्रीमती उषा कुमारी	ए.एच.डब्लू. ए.एन.एम.
उटाम्बर	–	1	-	श्रीमती नारायणी देवी	दाई(ए.एन.एम.)

इन सभी उपकेन्द्रों पर एक एक अंशकालीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत है।

o रिक्त पद

214

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 214 की सूची)

राजस्थान वित्त निगम, जयपुर

विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में राजस्थान वित्त निगम द्वारा दिए ऋण एवं बकाया राशि का विवरण (31-12-1978 तक)

क्र. सं.	औद्योगिक इकाई के नाम	उद्योग का प्रकार	वितरित राशि	बकाया राशि (ब्याज सहित)
1	2	3	4	5
1.	अग्रवाल उद्योग, प्लॉट नं. एफ 198, रोड नं. 9	रौलिंग	150000.00	235991.67
2.	अविरा कैमिकल्स प्रा. लि., एफ 254, रोड नं. 13	रसायन	108500.00	164006.50
3.	इलैक्ट्रोनिक स्विचगीवर्स इन्डस्ट्रीज, एफ 385, रोड नं. 9	विद्युत उपकरण	100950.00	157808.89
4.	भगवान रौलिंग मिल, एफ 282, रोड नं. 13	रौलिंग मिल	127600.00	187640.61
5.	जी. सी. टिन प्रोडेक्ट, एफ 159, रोड नं. 12	टिन के डिब्बे	60000.00	28068.77
6.	भारत उद्योग, एफ 98, रोड नं. 6	यांत्रिक खिलौने	111585.50	160106.11
7.	इलैक्ट्रोमैक, डी 407, रोड नं. 14	विद्युतीय उपकरण	49900.00	84326.98
8.	बोथरा आइस रोक्स, प्लाट नं. ए 407, रोड नं. 14	बर्फ का निर्माण	180000.00	187822.38
9.	अंजनी टिम्बर ट्रेडर्स, एफ 91, रोड नं. 7	आरा मिल	44000.00	52803.73
10.	गणपति री रौलिंग मिल, ई-102, रोड नं. 8	रौलिंग मिल	114500.00	164787.59
11.	फ्लैक्सस्टे ट्यू बलर्स, ई-316, रोड नं. 16	धातु उत्पाद	174000.00	179031.22

1	2	3	4	5
12.	दिनेश इण्डस्ट्रो, एफ-352, रोड नं. 14	शक्ति चालित पम्पस्	110300.00	139499.66
13.	अरुणोदय फाउन्ड्रीज, ई-248, रोड नं. 13	संगमरमर चिराई मशीनों का निर्माण	72000.00	68510.25
14.	एसस एल्यूमिनियम, द्वारा गोपाल मशीन प्रा. लि. रोड नं. 8	एल्यूमिनियम प्लेटों का निर्माण	44700.00	57646.20
15.	अग्रवाल इण्डस्ट्रीज, ई-47, रोड नं. 2 बी	एल्यूमिनियम सर्किल कटिंग	129100.00	187287.06
16.	विजय एन्टरप्राइजेज, जी 32/33, रोड नं. 3	प्लास्टिक की जरी	31800.00	49550.55
17.	एलिगेन्ट टाइल्स, बी 231, रोड नं. 9	मोजाइक टाइल्स	137000.00	199061.14
18.	फरकन इंजनियरिंग कार्पोरेशन एफ 283, रोड नं. 9 एफ	पी.वी.सी. तार तथा केबिल्स	144300.00	220767.10
19.	गणेश उद्योग, ई 42, रोड नं. 1	तेल मिल	197000.00	279849.15
20.	अल्का इंजिनियरिंग वर्क्स, सी-182, रोड नं. 9	लौह एवं इस्पात	189400.00	308126.64
21.	गोविन्द उद्योग, ई 297, रोड नं. 14	कास्ट आयरन ढलाई घर	65000.00	74644.58
22.	अंजनि टिम्बर ट्रेडर्स, एफ 91, रोड नं. 7 लेखा 11	चिराई की मशीन	26200.00	35065.80
23.	गीता उद्योग, बी. 73, रोड नं. 5	प्लास्टिक जरी एवं गोटा	124000.00	102346.40
24.	चौधरी एन्टरप्राइजेज, ई-295, रोड नं. 14	कृषि सम्बन्धी उपकरण	113400.00	133315.83
25.	फ्रेन्ड्स एग्रीका ई-353, रोड नं. 14	,,	75300.00	90399.48
26.	भारत इण्डस्ट्रीज, एफ-393, रोड नं. 9	धातु उत्पादों का निर्माण	76600.00	107610.25
27.	बढ़ाया फैब्रिक्स, एफ 399, रोड नं. 9 एफ	कपड़ा छपाई	47100.00	63413.42
28.	बी. एल. इण्डस्ट्रीज, एफ 218, रोड नं. 10	दाल मिल	133400.00	146201.14
29.	ऑटोमेट इण्डस्ट्रीज, ए-335 ई रोड नं. 17	ऑटो स्पेयर पार्ट्स	60000.00	86062.12

30. अजय कैमिकल इण्डस्ट्रीज, एफ 425, रोड नं. 14	कांच उद्योग	108800.00	126770.62
31. धीरज ग्लास इण्डस्ट्रीज. 393, रोड नं. 9	सोडियम सिलिकेट	71800.00	90344.47
32. इण्डोक्रेट्स, एफ 259, रोड नं. 13	विद्युत बल्ब	85400.00	123428.44
33. आकांक्षा रबड़ प्रोडक्ट, एफ 394, रोड नं. 9	रबड़ शीट्स	146400.00	153030.92
34. अजय कैमिकल्स	रसायन	86800.00	90007.12
35. डीज पिस्टन्स, ए-407, रोड नं. 14	अल्यूमिनियम कास्टिंग्स	176500.00	181221.58
36. एक्मे इन्जीनियर्स, ए 407/9 रोड नं. 14	इंजिनियरिंग वर्कशॉप	184000.00	191647.24
37. जय श्री उद्योग, एफ 18, रोड नं. 2	प्लास्टिक उत्पाद	33000.00	39390.08
38. जयपुर मिनलस् एण्ड कैमिकल्स, ई-417, रोड नं. 17	रसायन	186700.00	267952.73
39. जे प्लास्टिक एण्ड प्रोडक्ट, एफ 255 रोड नं. 13	प्लास्टिक जरी	72000.00	116535.97
40. जयपुर फोजिंग्स एण्ड फॉउन्ड्री वर्क्स, बी 230, रोड नं. 9	ढलाईघर	177400.00	267554.15
41. जयपुर इलैक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट्स प्रा. लि., सी 110/113, रोड नं. 8	विद्युत उपकरण	150000.00	186156.61
42. जयपुर फैब्रीकेशन प्लाट नं. बी 141, रोड नं. 9 डी	जॉब वर्क	143100.00	65906.98
43. मैचीटेक, सी/64, रोड नं. 1 सी	पीतल के पार्ट्स	143300.00	159416.76
44. जांगीड़ इन्जीनियरिंग वर्क्स ई-156 रोड नं. 5	कृषि सम्बन्धी उपकरण	68500.00	84307.75
45. मोहन जी. आई. पाइप इण्डस्ट्रीज, ई-221, रोड नं. 10	जी.आई. पाइप	40000.00	58629.72
46. माहेश्वरी इण्डस्ट्रियल कॉरपोरेशन, एफ 77/ए, रोड नं. 5	मसाला निर्माण	18900.00	27307.21
47. जीत एण्ड जीत ग्लास कैमिकल्स, एफ 75, रोड नं. 5	बुल्लेट प्रूफ कांच	79000.00	75090.84
48. जयपुर वैक्स प्रोडक्ट्स, एफ 268, रोड नं. 13	मोम का कागज व मोमबत्तियाँ	97400.00	132486.71
49. केसर इण्डस्ट्रीज, ए-239 रोड नं. 9 डी	तेल मिल	127800.00	73011.86

1	2	3	4	5
50.	जयपुर बेरियम प्रोडक्टस् एफ 257 रोड नं. 13	रसायन	200000.00	280756.95
51.	जैन इण्डस्ट्रीज, ए-2 रोड नं. 1	माइका ग्राइन्डिग	129100.00	175533.64
52.	खन्ना बिल्डर्स एण्ड इन्जीनियर्स, प्लाट नं. 363, रोड नं. 14	लाइम प्लास्टर्स	106300.00	89650.48
53.	जे. टी. इण्डस्ट्रीज, बी. 311, रोड नं. 17	वर्कशाप	62700.00	65998.74
54.	मोहन कण्टिग एण्ड अलॉय वर्क्स बी 237 रोड नं. 9 डी	ढलाईघर	76000.00	70 67.20
55.	मेटल कास्ट, ए 407/बी, रोड नं. 14	कास्टिग्स	109500.00	109350.00
56.	मोनोकैप्स इण्डिया प्रा. लि., एफ 441 रोड नं. 14	पी. पी. केप्स	150000.00	163848.47
57.	खण्डेलवाल स्टील इण्डस्ट्रीज, 240-ए, रोड नं. 9	तैल-रंग	51700.00	54210.63
58.	जैन जरी प्रोडक्टस् एफ-220 रोड नं. 10	जरी एवं गोटा उत्पाद	100000.00	103723.81
59.	परफैक्ट एग्रो इण्डस्ट्रीयल एन्टर प्राइजेज, डी-82 रोड नं. 8 सी	कृषि संयंत्र	134000.00	214497.40
60.	राज इण्डस्ट्रीज, 77 एफ, रोड नं. 5	चावल मिल	65400.00	40807.30
61.	पोदार स्टील री-रोलिंग मिल, बी-203 रोड नं.-9	रोलिंग मिल	169700.00	99496.51
62.	प्रेम प्लास्टिक प्रा. लि. एफ-386 रोड नं. 9	प्लास्टिक की वस्तुए	53000.00	84300.39
63.	प्रीमियर इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज, ई-165, रोड नं. 11	वर्कशाप	73444.00	86640.39
64.	राजस्थान उद्योग, एफ-86, रोड नं. 7	प्लास्टिक वस्तुएं	179500.00	267954.28
65.	राजस्थान मेटल स्मैलटिंग कं. डी. 80 रोड नं. 7	पीतल के पार्ट स	162200.00	167013.21
66.	प्रेम इण्डस्ट्रीज, ई-354, रोड नं. 14	विद्युत मोटर	182400.00	176364.64

67. पंको कैमीको इण्डस्ट्रीज, ई-5, रोड नं. 1	प्लास्टिक प्रोडक्ट्स	33300·00	49214.18
68. पूनम चन्द एण्ड कं. सी. 366, रोड नं. 13	सिलीकेट	95000.00	140817.88
69. पिकसिटी इण्डस्ट्रीज लेखा 1 ई-150 रोड नं. 9	नट बोल्ट्स		119446.27
70. मै. नोबल इंजिनियरिंग वर्क्स, ई-43 रोड, नं. 1	पारेषण लाइन उपकरण	162000.00	221908.52
71. ओरियन्ट बैट्रीज, प्लाट नं एफ 271, रोड नं. 10	बैटरीज	137800.00	160053.84
72. प्रकाश इन्जिनियर्स, ई 407, रोड नं. 14	मशीन निर्माण कार्य	141900.00	148624.01
73. विष्णु इंजिनियरिंग वर्क्स लेखा 1 सी-175, रोड नं. 9 जे	नट बोल्ट्स	100000.00	82957.09
74. गणेश आयरन फाउन्ड्री, ई 104, रोड नं. 7	लौह ढलाईघर	51900.00	38276.01
75. स्टीलस् इण्डिया, एफ 222, रोड नं. 10	वर्कशाप	149500.00	190156.23
76. सैमी कन्डक्टर एटरप्राइजेज, सी-60, रोड नं. 1 सी	ए.सी.सी. कण्डक्टर्स	147900.00	217206.93
77. यूनीकोज, बी 309, रोड नं 17	रसायन	166900.00	160907.34
78. सती रबड़ इण्डस्ट्रीज, प्लाट नं. बी 202, रोड नं. 9	रबड़ उत्पाद	3100.00	40416.09
79. यूनीडोर केबिल्स, एफ 264, रोड नं 13	केबिल्स	200000.00	241044.21
80. विजय कास्टिंग एण्ड इंजिनियरिंग वर्क्स, सी 61, रोड नं. 1	कास्टिंग्स	121300.00	150853.54
81. शालीमार रबड़ प्रोडक्ट्स एफ 19, रोड नं. 2	रबड़ प्रोडक्ट्स	35400.00	23400.00
82. सुहासरिया इण्डस्ट्रीज, बी. 187 रोड नं. 9	तेल मिल	134900.00	157309.21
83. सी राष्ट्र आयल मिल, ई 106 रोड नं. 7	तेल मिल	128600.00	187609.92
84. शोभा इंजिनियरिंग इण्डस्ट्री, प्लाट नं 23, रोड नं. 2	वर्कशाप	70000.00	60383.96
85. सांघवी इण्डस्ट्रीज, ई. 208, रोड नं. 9 ई	एल्यूमिनियम सर्किल कटिंग	44000.00	70647.00
86. विष्णु इन्जिनियरिंग वर्क्स लेखा II, सी 175 रोड नं. 9जे	नट एवं बोल्ट्स	7400 .00	71418.63
87. विजय ऑयल एण्ड दाल मिल, ई 7, रोड नं. 1	तेल मिल	110700.00	134481.46
88. यूनिवर्सल फाँउण्ड्री, प्लाट बी 307, रोड नं. 17	कास्ट आयरन फाउण्ड्री	120700.00	175339.87

Page No. 218

1	2	3	4	5
89.	स्वस्तिक बैटरीज, एफ 427, रोड नं. 14	बैटरीज	12000.00	15532.76
90.	शक्ति इण्डस्ट्रीयल प्रोडक्ट, एफ 224, रोड नं. 10	टिन के डिब्बे	64000.00	73388.75
91.	संदीप एन्टरप्राइजेज, ई 12	वर्कशाप	21200.00	26033.21
92.	शिव मेटल इण्डस्ट्रीज, एफ 163, रोड नं. 11	लोहे की बाल्टियाँ	96300.00	103343.46
93.	उमा इण्डस्ट्रीज, एफ 394 डी रोड. नं. 9 एफ	तेल मिल	118000.00	118000.00
94.	जनरल इलैक्ट्रिकल इजिनियरिंग इण्डस्ट्रीज एफ 96 रोड नं. 7	विद्युतीय उपकरण	70400.00	110810.31
95.	जैम इलैक्ट्रोनिक निकल, ई-155 रोड नं. 11	प्लास्टिक वस्तुएं	143800.00	84186.88
96.	खण्डेलवाल इण्डस्ट्रीज, ई 323, रोड नं. 4	दाल मिल	75900.00	47608.53
97.	किशन आयरन फाउण्ड्री, एफ 372, रोड नं. 9	ढलाईघर	13300.00	10683.60
98.	श्याम मारबल इण्डस्ट्रीज, एफ 371, रोड नं. 9	संगमरमर की मूर्तियाँ	27700.00	29747.87
99.	राजहंस एन्टर प्राईजेज, बी 4, रोड नं. 1	खनिज पिसाई	82000.00	88673.06
100.	आर. डी. प्लास्टर्स एण्ड मिनरल्स, एफ 93, रोड नं. 6	प्लास्टर आफ पेरिस	55700.00	85356.09
101.	ओम आयल इण्डस्ट्रीज, रोड नं. 14	तेल मिल	100000.00	104542.41
102.	स्पीडर टायर ट्यूब मैन्यूफैक्चरिंग कं, एफ 39, रोड नं. 2	टायर ट्यूब	150000.00	233847.86
103.	राज स्टील बाल्स मैन्यूफैक्चरिंग, कं. जी 466, रोड नं. 12	इस्पात कन्दुकें	5600.00	6043.31
104.	लक्ष्मी इण्डस्ट्रीज, बी 304, रोड नं. 9 लेखा 1	वर्कशाप	26400.00	38744.62
105.	नारायन कोल्ड स्टोरेज एण्ड आइस फैक्ट्री	प्रशीतन गृह एवं बर्फ का निर्माण	422000.00	198713.16

106. श्रीकरनी इण्डस्ट्रीज	दाल मिल	97300.00	69402.22
107. जोडिक इन्टरप्राइजेज	इनैमिल तार निर्माण	106600.00	107109.67
108. जैम प्लास्ट प्रा. लि.	प्लास्टिक वस्तुएं	212000.00	219973.90
109. हिन्दुस्तान टूल्स एण्ड इंजिनियरिंग वर्क्स	वर्कशाप	650000.00	468000.00
110. दत्तोष इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन, एफ 193, रोड नं. 9 एफ	टैक्सटाइल पार्ट्स	217100.00	344047.10
111. अनु एण्ड प्रिंस स्टील मिल्स, एफ 21, रोड नं. 1	तार खिंचाई	577000.00	899837.98
112. फ्ल्यूइट कंट्रोल प्रा. लि., ए 72, रोड नं. 1-सी	छर्रे	92700.00	125854.45
113. गोपाल मशीन प्रा. लि., सी 116 बी, रोड नं. 8	ब्लेड्स की मशीनों का निर्माण	300000.00	308141.64
114. अशोक कंडक्टर्स प्रा. लि., रोड नं. 9	धातु विस्तार	1492300.00	1539459.47
116 राजस्थान कास्टिंगस् सी-146/147, रोड नं. 9	ढलाई पर	527000.00	820468.37
116. राजस्थान ट्रांसफार्मर्स एण्ड स्विचगीयर्स, प्लाट नं. सी, 174 रोड नं. 9 I	शक्ति परिवर्तक	35900.00	43396.45
117. राजस्थान ट्रांसफार्मर्स एण्ड स्विचगीयर्स, प्लाट नं. सी, 174 रोड नं. 9 II	शक्ति परिवर्तक	331200.00	344127.88
118. रेडिएन्ट रबड़ प्रा. लि., रोड नं. 9	रबड़ के जूते	465000.00	718153.51
119. राजस्थान एरोमेटिक एण्ड कैमिकल इण्डस्ट्रीज, प्लाट नं. बी 192	रसायन	758900.00	844002.87
120. रिलाईबल प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज, एफ 72, रोड नं. 14	प्लास्टिक की वस्तुएं	81800.00	92298.21
121. राजकलर प्रोसोसिंग लैब,	फिल्म प्रोसेसिंग	190000.00	207666.99
122. शक्तिमाल्ट प्रा. लि., रोड नं. 9	माल्ट	970000.00	1338149.30
123. महावीर एग्रो इण्डस्ट्रीज, प्लाट नं. 349, रोड नं. 14	कृषि उपकरण	26100.00	34456.58

1	2	3	4	5
124.	टंडन कोल्ड स्टोरेज एण्ड आइस फैक्ट्री, रोड नं. 1	प्रशीतनगृह	653100.00	687047.27
125.	जी. एस री-रोलिंग मिलस, सी-178, रोड नं. 9	री रोलिंग मिल	416800 00	721654.52
126.	गुरुनानक आयल मिलस प्रा. लि., ई 204, रोड नं. 9	तेल मिल	439300 00	523843.62
127.	जयपुर रोलिंग मिलस	रोलिंग मिल	182300.00	323238.53
128.	मेटल उद्योग प्रा. लि.		145000.00	22773.40
129.	राजस्थान पेपर इण्डस्ट्रीज	पेपर निर्माण	254600 00	278263.79
130.	श्री महामाया माईनिंग इण्डस्ट्रीज	खनन कार्य	अप्राप्य	1156470.77
131.	हीरा कोल्ड स्टोरेज एण्ड आईस फैक्ट्री	प्रशीतन गृह एवं बर्फ का निर्माण	600000.00	751974.04
132.	फास्टनर्स एण्ड फोर्जिंग्स प्रा. लि.	फास्टनर्स	247900.00	366278.86
133.	मोनोकैप्स इंडिया प्रा. लि.	पी. पी. कैप्स	350000.00	381663.01
134.	राज. सिन्थेटिक्स इण्डस्ट्रीज	कृत्रिम धागा	568400.00	526998.22
135.	प्रेस्टीज इण्डस्ट्रीज	पी. सी सी. पोल्स्	388100.00	605523.55
136.	आर. जी. इस्पात लि. रोड नं 9 I	लौह कन्दुक	1939000.00	2873228.54
137.	आर. जी. इस्पात लि. रोड नं 9 II	"	391400.00	463628.32
138.	स्वस्तिक कास्टिंग प्रा. लि.	लौह एवं इस्पात कास्टिंगस्	2212600.00	2212600.00
139.	नवभारत दाल मिल	दाल मिल	273000.00	397123.00
140.	अब्दुल रज्जाक एण्ड कम्पनी, बी 45, रोड नं. 14 के	कॉटन टेप	140600.00	70808.75
141.	बनवारी लाल ओम प्रकाश, ई 410, रोड नं 14 के	तेल मिल	106300.00	68355.36
142.	गुप्ता कैमिकल्स प्रा. लि बी 144	लाइम कलर्स	142500.00	100353.62

143. डंगायच इण्डस्ट्रीज, एफ 90, रोड नं. 6	तेल मिल	114200.00	30393.80
144. गोयल आयल एण्ड दाल मिल, ई 362	तेल और दाल मिल	109300.00	28520.64
145. अल्पना इण्डस्ट्रीज, रोड नं. 9 एफ		88000.00	101220.44
146. डिजाइन फैबीकेशन एण्ड कन्सलटेंट्स	फैब्रिकेशन	178400.00	187075.13
147. इंजिनियर्स एन्टरप्राइजेज	,,	63500.00	65867.00
148. हरी ओम इण्डस्ट्रीज, एफ 281 बी, रोड नं. 13	मसाला निर्माण	62600.00	65207.92
149. गोयल इण्डस्ट्रीज, एफ 378, रोड नं. 9	तेल मिल	55700.00	46699.17
150. भारतीय इंजिनियरिंग वर्क्स, बी 190, रोड नं. 9	वर्कशाप	123600.00	73435.08
151. ग्लोब सर्जिकल एण्ड कॉटन वर्क्स, बी 191, रोड नं. 9	सर्जिकल कॉटन	140200.00	142327.75
152. अम्बिका इण्डस्ट्रीज, सी 184, रोड नं. 9	दाल मिल	124100.00	124107.65
153. अमर इण्डस्ट्रीज, ई 246, रोड नं 13	दाल मिल	124800.00	127000.58
154. ग्लेक्स कॉरपोरेशन, ए 406, रोड नं. 14	कास्टिंग्स	192600.00	201346.18
155. कन्दोई मेटल पावडर मैन्यू. (प्रा.) लि., प्लाट नं. एफ 391, रोड नं. 13	धातु चूर्ण	74000.00	28133.67
156. कसेरा मैटल इण्डस्ट्रीज, ए-335।सी, रोड नं. 17 जे		113500.00	119483.48
157. केसरी दाल एण्ड ऑइल मिल, एफ 424, रोड नं. 14	दाल मिल	124400.00	124400.00
158. खुशीराम भावनदास, एफ 227, रोड नं. 9	दाल मिल	70800.00	74014.73
159. राकेश ऑयल इण्डस्ट्रीज, एफ 250, रोड नं. 13	,,	75000.00	25000.00
160. निशा इण्डस्ट्रीज, बी 234, रोड नं. 9 डी	पी. वी. सी पाइप्स	200000.00	85616.24
161. राजस्थान ल्यूब, बी 311 डी, रोड नं. 17	ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल का परिकरण	200000.00	130873.74
162. राज लाइट कैमिकल इण्डस्ट्रीज, सी 62, रोड नं. 1-सी	साबुन निर्माण	55400.00	61225.16

1	2	3	4	5
163.	नवनीत कैमिकल्स, एफ 339, रोड नं. 17	रसायन	46100.00	42934.31
164.	नन्द किशोर मुरारी लाल, ई 340, रोड नं. 17	दाल मिल	92400.00	96828.36
165.	राज मिनरल्स एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स, ई 364, रोड नं. 14	फैब्रीकेशन	23500.00	23470.29
166.	राम दाल इण्डस्ट्रीज, ई 168, रोड नं. 13	दाल मिल	140160.00	146358.17
167.	नेशनल कैमिकल इण्डस्ट्रीज	डुप्लीकेटिंग इंक	47000.00	46951.76
168.	पंकज फैब्रीकेशन, एफ 75, रोड नं. 5	फैब्रीकेशन	38200.00	39737.62
169.	नरूका मिनरल ग्राईण्डिग एन्टरप्राइजेज, एफ 538, रोड नं. 1 डी	खनिज पिसाई	93400.00	107611.81
170.	एस. जी. इंजिनियरिंग इण्डस्ट्रीज, एफ 426, रोड नं. 14	कल्च प्लेट्स का निर्माण	124900.00	130617.99
171.	विनोद पलवराईजिंग, रोड नं. 17	खनिज पिसाई	150000.00	164080.86
172.	स्टीलमैन, एफ 22, रोड नं. 2	फैब्रीकेशन	36300.00	36300.00
173.	सतीशचन्द्र अशोक कुमार, एफ 277, रोड नं. 13	चिराई की मशीन	17600.00	18399.29
174.	क्रोम इन्टरनेशनल, एफ 381, रोड नं. 9	दवाइयां	71800.00	96900.00
175.	मनोज इण्डस्ट्रीज	दाल मिल	100600.00	100608.55
176.	भारत पोट्रीज, एफ 55, रोड नं. 6	चीनी मिट्टी के सामान का निर्माण	93200.00	93200.00
177.	मनीषा ट्रेडिंग कारपोरेशन, जी 463, रोड नं. 9	बेसन मिल	33000.00	33000.00
178.	अरावली कैमिकल लैबोरेट्रीज, जी 464, रोड नं. 9	रसायन	37800.00	37800.00

179. एसक्यूब इण्डस्ट्रीज, ए 109	लकड़ी के पेच	108900.00	108900.00
180. ओसवाल सोप फैक्ट्री	साबुन निर्माण	45000.00	31308.15
181. ओमेगा इलैक्ट्रोनिक्स	विद्युतीय उपकरण	60000.00	61523.49
182. शारदा एन्टरप्राइजेज	इंजिनियरिंग वर्कशाप	127500.00	79590.95
183. विजय टाइल्स एण्ड आयरन वर्क्स, एफ 403, रोड नं. 7	चौके एवं वर्कशाप	57000.00	35546.06
184. के. टी. इण्डस्ट्रीज, ई 19		52300.00	52300.00
185. उप्पल रेडीमेड गारमेन्ट, एफ 269 बी, रोड नं. 13	सिले सिलाये वस्त्र	59700.00	59700.00

परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न सं. 220 की सूची

राज्य के विभिन्न नियोजन कार्यालयों में चालू पंजिका पर दिनांक 31-12-78 31-3-77 एवं 31-3-65 को पंजीकृत प्रार्थियों की सूची :—

क्र. सं.	नियोजन कार्यालय का नाम	पंजीकृत आशार्थी 31-12-78	पंजीकृत आशार्थी 31-3-77	पंजीकृत आशार्थी 31-3-65
1.	अजमेर	20156	17820	6375
2.	अलवर	17656	15730	3803
3.	बांसवाड़ा	4744	3366	515
4.	बाड़मेर	3821	2841	नि. कार्यालय नहीं खुला
5.	भरतपुर	18952	13045	3365
6.	भीलवाड़ा	9176	8302	1501
7.	बीकानेर	10612	11105	2787
8.	बूंदी	3296	3193	नि. कार्यालय नहीं खुला
9.	चित्तौड़गढ़	5976	5233	1047
10.	चुरू	5668	4780	नि. कार्यालय नहीं खुला
11.	डूंगरपुर	4228	33758	—
12.	जयपुर	50432	58792	9495
13.	जैसलमेर	2333	1929	नि. कार्यालय नहीं खुला
14.	जालौर	3476	2080	—
15.	झालावाड़	4537	3910	—
16.	झुंझुनूं	17804	16325	1719
17.	जोधपुर	15054	17180	4804
18.	कोटा	23021	16020	2998
19.	नागौर	6929	6670	1358
20.	पाली	7707	6207	1194
21.	स. माधोपुर	9483	7246	2489
22.	सीकर	9505	8073	1243

(226)

1	2	3	4	5
23.	सिरोही	3102	2976	850
24.	श्री गंगानगर	12629	10718	1806
25.	टोंक	6182	5123	नि. कार्यालय नहीं खुला
26.	उदयपुर	33039	27152	4022
27.	पी. एण्ड ई.	10217	3817	नि. कार्यालय नहीं खुला
28.	विशेष नियोजन कार्यालय (विकलांग)	550	310	नि. कार्यालय नहीं खुला
	योग—	3,22,285	2,68,681	51,371

(227)

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 221 की सूची)

झालावाड़ा जिले में 31-12-78 को उपलब्ध बेरोजगार आशार्थियों की सूची :–

क्र. सं. 1	व्यवसाय का नाम 2	पुरुष 3	महिला 4	योग 5
1.	सिविल इन्जिनियर (जनरल)	1	—	1
2.	मैंकनिकल इन्जिनियर (जनरल)	1	—	1
3.	वैद्य	15	1	16
4.	वैक्सीनेटर (टीकाकार)	4	—	4
5.	नर्स (जनरल)	—	1	1
6.	मिड वाइफ	1	9	10
7.	मिड वाइफ अन्टेण्डेंट	—	2	2
8.	अध्यापक (बी. एड.)	51	20	71
9.	अध्यापक (एस. टी. सी.)	91	32	123
10.	मैनवल ट्रेनिंग अध्यापक	10	1	11
11.	संगीत अध्यापक	—	1	1
12.	डांसर	1	1	2
13.	फिजीकल ट्रेनिंग इन्सट्रेक्टर	1	—	1
14.	एक्जीक्यूटिव ऑफीसर (लोकल बोडिज)	2	—	2
15.	स्टेनोग्राफर	2	3	5
16.	टायपिस्ट	86	5	91
17.	की-पंच आपरेटर	1	—	1
18.	लेखालिपिक	1	—	1
19.	कैसियर	1	—	1
20.	क्लर्क (जनरल)	7	—	7
21.	चपरासी	2	—	2
22.	डस्टांग मैन	1	—	1
23.	कण्डेक्टर	25	—	25
24.	स्वीपर	63	12	75
25.	वाच मैन	16	—	16
26.	टैक्टर आपरेटर फार्म	2	—	2
27.	गार्डनर (जनरल)	1	—	1
28.	फारेस्ट गार्ड	1	—	1

1	2	3	4	5
29.	कुक (जनरल)	3	—	3
30.	टेलर (जनरल)	3	—	3
31.	कारपेन्टर (जनरल)	2	—	2
32.	मैकेनिस्ट (जनरल)	2	—	2
33.	फिटर (जनरल)	1	—	1
34.	आटोमोबाइल	1	—	1
35.	मैकेनिक डिजल ईंजन	4	—	4
36.	इलेक्ट्रिशियन	2	—	2
37.	वायर मैन (लाइट एण्ड पावर)	4	—	4
38.	सिनेमा आपरेटर	1	—	1
39.	पाइप फीटर	3	—	3
40.	वर्क सुपरवाइजर कंसट्रक्शन	1	—	1
41.	एयर-कंडीशनिंग एण्ड रेफ्रीजरेटर	1	—	1
42.	क्लिनर मोटर विकल	1	—	1
43.	ड्राइवर (कार)	30	—	30
44.	ड्राइवर (बस)	3	—	3
45.	ड्राइवर (ट्रक)	39	—	39
46.	सैकण्डरी	679	37	716
47.	हायर सैकण्डरी	702	48	750
48.	इण्टरमीडिएट	167	9	176
49.	बी. ए.	132	32	164
50.	बी. एस. सी.	61	5	66
51.	बी. कॉम	74	—	74
52.	मिडल	890	10	900
53.	शिक्षित	792	72	864
54.	अशिक्षित	175	76	251
	योग :—	4160	377	4537

परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 222 का प्रतिवेदन)

Eveluation report of Research and Survey Unit of the Directorate of Employment conducted by R.N. Bhandari, Director of Employment, Rajasthan on 19th January, 77.

The Research & Survey Wing was sanctioned in May 1974 but it actually started functioning from October 1974.

The first study was taken up by Sri D. P. Sharma and later by Sri S. L Audhichya in regard to the trends of persistent lapses detected in the course of inspections. 15 inspection reports are alleged to have been studied by these officers with a view to suggest ways and means to improve the working, and to guard against common and persistent irregularities. The said report is, however, not avilable on the File.

Late in June 75, Sri T. S. Mehta took over charge of this Unit and has been continuing in it for the last 20 months. The following studies are said to have been taken up.

1. A study of Shortage Occupations as revealed through non-availability certificates issued by the Employment Exchanges.
2. A study in regard to the applicants who remained on the Live Register for 5 years or more.
3. Proportion of employed persons on the Live Register of the Employment Exchanges.
4. Extent of non-response to call-letters issued by the Employment Exchanges in respect of various occupations, and probable reasons for such non-response.
5. A study of placements effected by the Employment Exchanges over a period to have an idea about the waiting-time before a registrant is placed.
6. Use of Mobile Labour Location Statement.

The report pertaining to Item No. 1 is said to have been drafted out, and the Asstt. Director hopes to submit it by the end of this month.

The report on the 2nd Item is also reported to be in the process of drafting.

The information related to the 3rd Item of study is said to be under compilation. The Asstt. Director mentions that it will take another 2 months to issue it.

The report pertaining to Item No. 4 is also said to be in the process of drafting.

The relevant data pertaining to the 5th Item is said to have been received from the District Officers and is in the process of compilation.

The study pertaining to Item No. 6 is said to have been completed, and the report was assured to be submitted by the end of this month.

Assessments

These simple studies based on more collection and compilation of statistical information from the Exchanges are pending for as many as 20 months, and makes a complete mockery of all norms and measurers of working. It is difficult to believe if this Unit was really functioning in reference to the time, staff, and cost it has inflicted on the departmental exchequer. The maximum man-hours which the total work can claim should not exceed 350 as against 3500 spent by the present officer. Furthermore, to Jr. Employment Officers who were provided as Investigators for servey work have been confined in-doors, and utilised on jobs for which they were not meant.

It is not known how much of useful rediation these Research studies will be able to throw in toning up the functional efficiency and other procedural laches in the working but if the basic-frames and approach to these studies is any guide, it is not likely to reveal anything new, nor is likely to make any meaningful disclosures for any preventive or corrective measures in the functional efficiency and sanctity. It leads to an irresistable conclusion that the performance of this Unit has been much below the mark, and any objective evaluation may hit it as a dead weight on the departmental exchequer. The Research Officer has been, for several years, out of touch with the practical problems confronting this service and, in the said context, his initiative and comprehension of fundamental issues has been what it is. Research needs a fair level of concentration and

(231)

hard work coupled with considerable imagination, insight, and practical grounding.

The merits and demerits of the reports under drafting will be examined when submitted.

Sd/-
(R. N. Bhandari)
Director of Employment

परिशिष्ट—12

अतारांकित प्रश्न संख्या 229

झालावाड़ सिंचाई खण्ड के अन्तर्गत चालू सिंचाई परियोजनायें

क्रम सं.	नाम परियोजना	तहसील	नाम निर्वाचन क्षेत्र	अनुमानित लागत लाखों से	सिंचाई क्षमता जो सिंचित एकड़ों में	निर्माण कार्य की प्रगति संक्षप में
1.	हरिश्चन्द्र सागर परियोंजना मध्यम	खानपुर	झालावाड़	132 लाख	48000	परियोजना की मुख्य नहर पर राख कटिंग का कार्य प्रगति में हैं। वितरण नहरों एवं माइनरों का पुनः निर्माण कार्य प्रगति में हैं।
2.	सारोला लघु सिंचाई परियोजना	खानपुर	झालावाड़	52·14	1192	परियोजना के वेस्टवीयर माइड बांध तथा भाग—3 चैन –63·00 से 79·50 का कार्य लगभग पूर्ण है तथा चैन 11·50 से 63 मय स्कूल का कार्य प्रगति में है। दांई तथा बांई नहर का कार्य भी प्रगति पर है।
3.	वयासरा (लघु)	डग	झालावाड़	4·79	98	परियोजना का लगभग आधा कार्य पूर्ण हो चुका है व प्रगति पर है।
4.	विनाबका	चिडावा	झालावाड़	18·98	396	परियोजना का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।
5.	राजुपुरा	झालरापाटन	झालावाड़	11·24	480	निर्याण कार्य प्रगति पर है।
6.	भीमसागर	खानपुर	झालावाड़	664·70	20504	योजना का कार्य प्रगति पर है।

परिशिष्ट—13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 231 की सूची)

बन्धों की सूची "प्र"

क्रम सं.	बन्धों के नाम	बन्ध के बनने का वर्ष
1	2	3
1.	रायपुर	1952 के पूर्व
2.	जयसागर	1952 ,,
3.	रामसागर	1952 ,,
4.	दुर्गासागर	1952 ,,
5.	छण्डसागर	1952 ,,
6.	छण्डसागर	1952 ,,
7.	मारजागड़ी	1952 ,,
8.	भाड़ोती	1952 ,,
9.	नागोलाँव	1952 ,,
10.	खारीना	1952 ,,
11.	भीमसागर	1952 ,,
12.	ढीलसागर	1952 ,,
13.	बधावूल	1652 ,,
14.	घाटानेनवाड़ी	1952 ,,
15.	भगवतगढ़	1952 ,,
16.	गिरधरपुरा	1952 ,,
17.	आदलवाड़ा	1952 ,,
18.	मुई	1952 ,,
19.	श्यामपुरा	1952 ,,
20.	गलाईसागर	1952 ,,
21.	नया तालाब खण्डार	1952 ,,
22.	बामनवाला हजारीवाल	1952 ,,
23.	मोरासागर	1952 ,,
24.	रानीला	1952 ,,
25.	नाजिमवाला बामनवास	1952 ,,
26.	नया तालाब लीवाली	1952 ,,

1	2	3
27.	सोभागसागर	1952 के पूर्व
28	छुरला	1952 ,,
29.	वनोरीसागर	1952 ,,
30.	पिपलाई	1952 ,,
31.	चन्दापुरा	1952 ,,
32.	गढ़ाल	1952 ,,
33.	बामनवाला	1952 ,,
34.	नाग तलाई	1952 ,,
35.	मोतीसागर	1952 ,,
36.	नाजिमवाला गंगापुर	1952 ,,
37.	टोक्सी	1952 ,,
38.	जिवली	1952 ,,
39.	पिलीया बंधली	1952 ,,
40.	बूचनेका	1952 ,,
41.	जोहरीवाला	1952 ,,
42.	नया तालाब सारोली	1952 ,,
43.	बड़ा तालाब नाजिमवाला	1952 ,,
44.		1952 ,,
45.	तेलनवाला	1952 ,,
46.	खडोप	1952 ,,
47.	भूपेन्द्र सागर	1952 ,,
48.	अपर डावरा	1952 ,,
49.	लोअर डावरा	1952 ,,
50.	कल्याणपुरा	1952 ,,
51.	उफलपुर	1952 ,,
52.	नैनिया की गवारी	1952 ,,
53.	फतेहसागर	1952 ,,
54.	होदाहेली	1952 ,,
55.	रोंसी	1952 ,,
56.	गुमानसागर	1952 ,,
57.	जाडोलाव	1952 ,,
58.	नया तालाब केमा	1952 ,,
59.	रामसागर	1952 ,,

235

1	2	3
60.	तालुका	1952 के पूर्व
61.	भतका	1952 ,,
62.	सिगोलाव	1952 ,,
63.	जाटवाला	1952 ,,
64.	जलसेन	1952 ,,
65.	बोल	1952 ,,
66.	अनन्तपुरा	1952 ,,
67.	विसनसमन्द	1952 ,,
68.	नया तालाब महेश्वा	1952 ,,
69.	पुराना तालाब महेश्वा	1952 ,,
70.	मोहनपुरा	1952 ,,
71.	राजोली	1952 ,,
72.	भुनकी	1952 ,,
73.	कीट	1952 ,,
74.	जगरामपुरा	1952 ,,
75.	उरला	1952 ,,
76.	रोक	1952 ,,
77.	पावटा	1952 ,,
78.	बड़ा गांव खेरला	1952 ,,
79.	सिन्सवाड़ा	1952 ,,
80.	समसपुर	1952 ,,
81.	सिकन्दपुर	1952 ,,
82.	धावली	1952 ,,
83.	रानीपुरा	1952 ,,
84.	मामवारी	1952 ,,
85.	मदनसागर	1952 ,,
86.	मदनपुर	1952 ,,
87.	रडपुरा	1952 ,,
88.	रतियापुरा	1952 ,,
89.	जेरदा	1952 ,,
90.	मोरिया मंजूला	1952 ,,
91.	भाड़ोती	1952 ,,

1	2	3
92.	कुण्डमोरा	1952 के पूर्व
93.	रायसना	1952 ,,
94.	बाधवा	1952 ,,
95.	मानसरोवर	1953
96.	जग्गर	1955
97.	नौदर	1955
98.	मोरेल	1956
99.	सूखाल	1956
100.	पाचोलाव	1956
101.	खिरखिरी	1960
102.	कालीसिल	1963
103.	मामचारी	1963
104.	पिडोया	1975
105.	पिडीया	1975
106.	बैहूरडा	निर्माणाधीन
107.	देवपुरा	"
108.	खेडा	"

237

वर्ष 1978–79 में कार्य जो कार्य ठेकेदारों से कराये गये सूची 'ब'

क्रम. सं.	ठेकेदारों का नाम	कार्य का नाम
बन्ध सूरवाल		
1.	श्री दामेदार प्रसाद, जयपुर	आवश्यक मरम्मत कौशाली माईनर
2.	श्री दामोदर प्रसाद, जयपुर	आवश्यक मरम्मत मैन कैनाल 400 से टैल
3.	श्री दामेदर प्रसाद, जयपुर	आवश्यक मरम्मत जड़ावता माईनर
4.	श्री दामोदर प्रसाद, जयपुर	आवश्यक मरम्मत खाटकला माईनर
5.	श्री हरिशकुमार भारद्वाज भवन सवाईमाधोपुर	आवश्यक मरम्मत गगौर माईनर
6.	श्री भंवर तंवर एण्ड को. जयपुर	रेस्टोरेशन बन्ध सूरवाल
बन्ध मानसरोवर		
7.	श्री इकबाल अहमद सवाईमाधोपुर	आवश्यक मरम्मत बन्ध मानसरोवर
8	श्री सूरजीतसिह छाबड़ा, स. माधोपुर	आवश्यक मरम्मत झोपड़ी व फौजी माईनर
9.	श्री सूरजीतसिह छाबड़ा, स. माधोपुर	आवश्यक मरम्मत बहरावडा माईनर कैनाल सिस्टम
10.	श्री सूरजीतसिह छाबड़ा, स. माधोपुर	आवश्यक मरम्मत मैन कैनाल चैन 250 से टैल
11.	श्री ओमप्रकाश जैन, सवाईमाधोपुर	आवश्यक मरम्मत मैन कैनाल ब्रांचेज (नाकाबन्दी)
बन्ध मुई		
12.	श्री किशनलाल ग्राम गलवानिय पो. सोप तहसील उनियारा जिला टोंक	एक्सटेन्शन व फ्लड प्रोटेक्शन एरेन्जमेन्ट नीयर एक्यूडेक्ट चैन 41 मैन कैनाल बन्ध मुई
13.	श्री धन्नालाल ग्राम कुशलता (सवाईमाधोपुर)	मरम्मत बाढ़ ग्रस्त बन्ध मुई
14.	श्री ओमप्रकाश जैन, सवाईमाधोपुर	आवश्यक मरम्मत मैन कैनाल व ब्राचेज (नाकाबन्दी) बन्ध मुई
बन्ध भावतगढ़		
15.	श्री ईमानुद्दीन ग्राम मकौली सवाईमाधोपुर	रेस्टोरेशन बन्ध भावतगढ़
16.	श्री कैलाशचन्द ग्राम भावतगढ़ (सवाईमाधोपुर)	आवश्यक मरम्मत व नाकाबन्दी कैनाल सिस्टम बन्ध भावतगढ़

238

सूची–डी श्रेणी ठेकेदार, सिंचाई निर्माण खण्ड सवाईमाधोपुर 'स'

क्र. सं. 1	ठेकेदार का नाम 2	पता 3
1.	श्री बलवीरसिंह	मस्जिद के पास, गंगापुर
2.	श्री कपूरचन्द गर्ग	सवाईमाधोपुर
3.	श्री रामस्वरूप शर्मा	कुरगांव जिला सवाईमाधोपुर
4.	श्री बिरामलाल	ग्राम गलवालिया, पोस्ट सोप
5.	श्री अर्जुनलाल कवि	मोहल्ला चटीकना, करौली
6.	श्री शिवचरण शर्मा	ग्राम डाबरा तहसील सपोटरा
7.	मैसर्स गोपालदास गुप्ता एण्ड क.	अनाज मण्डी, गंगापुर सिटी
8.	श्री भावतीप्रसाद अग्रवाल	ए–41 रणजीता नगर, भरतपुर
9.	श्री शिवलाल	ग्राम मोहनपुरा, पोस्ट गुलाचन्दजी
10.	श्री श्योलाल	ग्राम नादौती
11.	श्री हमीद खां	ग्राम बेहतड पोस्ट मलारना चौड जिला सवाईमाधोपुर
12.	श्री कल्याणसहाय शर्मा	कोतवाली के सामने दौसा
13.	श्री के. सी. सचदेवा	द–8 जवाहर नगर, जयपुर
14.	श्री रामेश्वर प्रसाद	ग्राम गहनौली, तहसील बामनवास
15.	श्री हरीशकुमार	भारद्वाज भवन, सवाईमाधोपुर
16.	मैसर्स वासुदेव सुरेशचन्द	ग्राम भाही तहसील टोडाभीम
17.	श्री राम अवतार खण्डेलवाल	पुरानी धर्मशाला के पीछे, दौसा
18.	श्री रामस्वरूप गौतम	मलारना धोड़
19.	श्री रामस्वरूप शर्मा	ग्राम भावतगढ
20.	श्री कैलाशचन्द शर्मा	ग्राम भावतगढ
21.	श्री सिदीक खां	ग्राम बेहलेड पोस्ट मलारना डूंगर
22.	श्री शिम्भूदयाल शर्मा	ग्राम कुरगांव तहसील गंगापुर
23.	श्री मोहनलाल शर्मा	ग्राम खारावजी तहसील दौसा
24.	श्री चेतनकुमार दत्तात्रेय	दातरा पाड़ा, हिण्डौन सिटी
25.	श्री भगतीलाल गुप्ता	पानी की टंकी के पास, हिण्डौन सिटी
26.	श्री लुकमान अहमद	उदेई कलां तहसील गंगापुर सिटी
27.	श्री मनमोहन गोयल	सवाईमाधोपुर
28.	श्री ठण्डीराम	मीना की प्याउ, गंगापुर सिटी

(239)

1	2	3
29.	श्री छीतरमल गयसवाल	ग्राम बगरी तहसील लालसोट
30.	श्री बरदीप्रसाद गर्ग	ग्राम रूबारावजी तहसील दौसा
31.	श्री मोहनलाल गर्ग	पुरानी धर्मशाला के पीछे दौसा
32.	श्री पुरुषोत्तमलाल जिन्दल	एफ–61–62, हिण्डौन सिटी
33.	श्री गयाप्रसाद गुप्ता	एफ–109 गोहन नगर, हिण्डौन सिटी
34.	श्री रामसिंह खारवाल	ग्राम किशोरपुरा पोस्ट खुर्रा
35.	श्री ओमप्रकाश गुप्ता	पुत्र श्री बाबुलाल गुप्ता रेल्वे ठेकेदार हिण्डौन
36	श्री लीलाधर शर्मा	जगदम्बा किलीसिल, वजीरपुर
37.	श्री सीताराम शर्मा	प्लाट नं. 13 कोतवाली के सामने दौसा
38.	श्री राधेश्याम गोयल	ग्राम बेरोग पो. पदमपुरा
39.	श्री बिरजीलाल	बिचकी पट्टी बामनवास
40.	श्री राजूलाल	पोस्ट डाबरा, तहसील सपोटरा
41.	श्री श्री गोरधनलाल शर्मा	पोस्ट डाबरा तहसील सपोटरा
42.	श्री इकबाल अहमद	सवाईमाधोपुर
43.	श्री ओमप्रकाश जैन	,,
44.	श्री सुरेश शर्मा	,,
45.	श्री रामस्वरूप मीणा	पोस्ट तहसील सपोटरा
46.	श्री बद्रीलाल मीना	,, ,,
47.	श्री मोहरपाल मीना	ग्राम बिलोपा खुर्द पोस्ट महारिया
48.	श्री सुरजीतसिंह छाबड़ा	सवाईमाधोपुर सिटी
49.	श्री नारायण शर्मा	जटवाडा खुर्द सवाईमाधोपुर
50.	श्री कन्हैयालाल जैन	द्वारा सुनिता जरनल स्टोर जबरियों सवाईमाधोपुर
51.	श्री जे. सी. सचदेवा	द–2 जवाहर नगर, जयपुर
52.	श्री मैसर्स रनामा इन्जिनियरिंग एण्ड कन्स्ट्वशन कम्पनी, जययुर	बी–18 बनीपार्क, जयपुर
53.	श्री कैलाशचन्द शर्मा	पुरानी निजामत के पास, गंगापुर सिटी

परिशिष्ट—14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 235 की सूची)

संवत् 2035 फसल खरीफ जिला बाडमेर की तहसील चौहटन के प्रस्तावित अभावग्रस्त ग्रामों की सूची

क्रम स.	नाम ग्राम	क्रम सं.	नाम ग्राम
1	2	1	2
1.	केलनोर	38.	पाण्डरवाली
2.	रासवानी	39.	डिडावा
3.	तडियाला	40.	भ्वरिया
4.	शोभाला जेत	41.	गिड़ा
5.	नवातला जेत	42.	पागलिया
6.	बेलों का तला	43.	सावलासी
7.	बीजासर	44.	हेजम का तला
8.	बाखासर	45.	भाड़ा गुलामी.
9.	पनोरिया	46.	समेलो का तला
10.	खारी	47.	कोनरा
11.	मोठड़ी	48.	गुमाने का तला
12.	सुहागी	49.	मोहड का तला
13.	छाता	50.	मियो का तला
14.	चादासनी	51.	भड़का
15.	तारीसरा	52.	अरटी
16	वावरवाला	53.	बुरान का तला
17.	भाड़ा	54.	पूजासर
18.	थुडावा	55.	सेड़ावा
19.	रंगवाली	56.	कुन्दनपुरा
20.	नवापुरा	57.	पीरु का तला
21.	पोचरला	58.	सिहानिया
22.	अम्बावा	59.	सैयद का तला
23.	तरला	60.	सालारिया
24.	हेमवास	61.	हरपालिया
25.	सागरवाव	62.	लालसर
26.	पकीरो का निमाण	63.	सियार

(241)

1	2	1	2
27.	लवडासर	64.	बीजराड़
28.	मूलाणी	65.	भोजारिया
29.	चिचडासर	66.	ईटादा
30.	गंगासरा	67.	भवार
31.	हाथला	68.	आलू का तला
32.	बघवाल	69.	सावा
33.	मोगाधा	70.	अब्दुल रहमान का तला
34.	नवातला वाखासर	71.	कितनोरिया
35.	एकल	72.	सरुवा का तला
26.	मुओं का निवाण	73.	गते का तला
37.	भलगांव	74.	देदूसर

(242)

परिशिष्ट—15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 236 की सूची)

संवत 2035 फसल खरीफ जिला झालावाड़ की तहसील पिड़ावा के प्रस्तावित अभावग्रस्त ग्रामों की सूची

क्रम सं.	नाम ग्राम	क्र. सं.	नाम ग्राम
1.	रूपपुरा	23.	रूपाखेड़ी
2.	बिसमिल्लापुरा	24.	खारपाजुई
3.	मायाखेड़ी	25.	भूराखेड़ी
4.	राजपुरा	26.	बासखेड़ी कदीम
5.	जेताखेड़ी	27.	दौलतपुरा
6.	खेड़ी	28.	खड़कपुरा
7.	ढावलाभोज	29.	दांता
8.	बांसखेड़ी	30.	रामपुरिया
9.	खेजड़िया	31.	साखेड़ी
10,	जबलेन	32.	कराड़ियासेरपुर
11.	हरनावदा गजा	33.	रसूलपुरा
12.	हरनावदापोथा	34.	रामटी
13.	सेमली चोहान	35.	सरवर
14.	फतेहपुर	36.	लक्ष्मीपुरा
15.	अलीपुर	37.	देवची
16.	चकसेमली	38.	आधाखेड़ी
17.	नराना	39.	सेरपुर
18.	पीपलिया	40.	सावनखेड़ा
19.	काली तलाई	41.	ठन्डेरा
20.	पालखन्दा	42.	सावनखेड़ा
21.	सोयली	43.	हनोतिया कोटडो
22.	नालाई	44.	खजूरी

परिशिष्ट—16

(तारांकित प्रश्न सं. 239 की सूची)

संवत् 2033 को फसल खरीफ जिला चित्तौड़गढ़ तहसील बेगू
के प्रस्तावित अभावग्रस्त गांवों की सूची

क्र. सं.	नाम ग्राम	क्र. सं.	नाम ग्राम
1.	कवरपुरा	17.	रतपुरा
2.	कराकड़ा	18.	तख्तपुरा
3.	कितियास	19.	भीकारा
4.	चोसला	20.	आवलहेड़ा
5.	छोटाखेड़ा	21.	मैनपुरा
6.	दौलतपुरा	22.	खगारपुरा
7.	बड़ा खेड़ा	23.	बावडीखेड़ा
8.	वरनियास	24.	खेरोट
9.	मखनपुरा	25.	छरोबा
10.	मालोखेड़ा	26.	जगत्या मण्डी
11.	मोतीपुरा	27.	प्रेमपुरा
12.	सगजी का खेड़ा	28.	चित्ताड़िया
13.	संग्रामपुरा	29.	नया गांव
14.	सारण	30.	कुआखेड़ा
15.	हृडो का खेड़ा	31.	गोविन्दपुरा
16.	हमेपुर	33.	मुआदा

परिशिष्ट 17

(अतारांकित प्रश्न सं. 245 की सूची)

रानीवाड़ा से सेवाडिया एवं अम्बापुरा ढाणी से सेवाड़िया तक के रास्तों पर अतिक्रमणियों की सूची :-

क. सं. 1	नाम अतिक्रमी 2	ख.नं. 3	रकवा 4	बेदखली व जुर्माना 5
1.	नरेन्द्रकुमार पुत्र रुगनाथ जो विश्नोई सा. देह	441	III)3	11-50 वसूल
2.	हंसा पुत्र तुलसा कौम ब्राह्मण	914, 917, 916	2II)3	201.00
3.	समरता पुत्र जवा कौम कुम्हार	398	1I)	31.00
4.	सुका पीरा पि. माधा कौम राजपूत	533	1I)3	35.00
5.	मिश्रीमल पुत्र ऊभानन्द कौम महाजन	533	0)4	5.00
6.	उका पुत्र वोका कौम राजपूत	498	1I)	30.00 वसूल
7.	खुमा पुत्र लखा कौम भील	498	1)	25.00
8.	समरथा पुत्र धर्मा कौम भील	498	III)1	20.00
9.	बेना पुत्र रगा कौम भील सा. देह	498 441	I)3 2)	58.00 वसूल
10.	थना पुत्र कला कौम भील	498	0)3	3.00
11.	पनमा पुत्र मोती कौम भील सा.देह	441	III)3	22.50
12.	केसा पुत्र बेना कौम भील	441	I)	6.20 वसूल
13.	थोका पुत्र खुमा रजपूत सा. देह	429	I)3	15.00
14.	नवा पुत्र हीरा कौस बागरी	429	I)3	10.00
15.	समरता, रेवा पि. धर्मा कौम भील	441	II)3	15.00
16.	गजा पुत्र लादा कौम राजपूत	429, 498	III)3 I)	30.00
17.	केसा पुत्र बेना कौम राजपूत सा देह	429	1)	43.50
18.	हिम्मता पुत्र वोका कौम राजपून	498	I)1	8.00
19.	पूरा पुत्र नैमा कौम राजपूत	498	0)3	4.00
20.	मु. भूरी देवी पत्नि सरमेश्र कौम महाजन सा. देह	498	I)	7.50 वसूल
21.	धना वगता पि. धर्मा कौम राजपूत	900	2)	
22.	गेमा पुत्र सुरता कौम नाई सा.देह	968	I)	7.50 वसूल

1	2	3	4	5
23.	सवा पुत्र धना, पूनमा पुत्र नवा कौम पुरा. सा. देह	968	1)4	12.50
24.	काला पुत्र कमू सरदारा, जगा कौम राजपूत सा. देह	968	11)2	15.00
25.	चेना, तगा पि. चेला कौम राजपूत सा. देह	968	0)2	2.50
26.	यादरा पुत्र बना कौम राजपूत सा देह	968	1)1	8.00
27.	गणेश पुत्र गंगा कौम पाली सा देह	968	11)3	22.50
28.	बलवन्तसिंह पुत्र भवरसिंह कौम राजपूत	968	11)	37.50 वसूल